VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

दिसंबर 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 5

1.1. एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक ____ 5

1.2. अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार ____ 7

1.3. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 ____ 9

1.4. प्रवासी भारतीय नागरिक ____ 12

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 13

1.5.1. राज्य सभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया 13

1.5.2. दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश ____ 14

1.5.3. ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का चरण-III ____ 15

1.5.4. अमृत ज्ञान कोष पोर्टल ____ 15

1.5.5. ई-दाखिल पोर्टल ____ 16

1.5.6. राज्य सभा में बॉयलर विधेयक, 2024 पारित हुआ 16

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 18

2.1. भारत-श्रीलंका संबंध ____ 18

2.2. भारत-भूटान संबंध ____ 21

2.3. भारत-कुवैत संबंध ____ 23

2.4. व्यापार का शस्त्रीकरण ____ 25

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 27

2.5.1. यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल हुआ ____ 27

2.5.2. नेपाल और चीन ने BRI सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए ____ 28

2.5.3. फेवा डायलॉग ____ 28

2.5.4. भारतीय रासायनिक परिषद OPCW-द हेग पुरस्कार से सम्मानित ____ 29

2.5.5. यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स ____ 29

2.5.6. "क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" पहल ____ 29

2.5.7. केर्च जलडमरूमध्य या केर्च स्ट्रेट ____ 30

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 31

3.1. राज्य वित्त ____ 31

3.2. GDP के आधार वर्ष में संशोधन ____ 34

3.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ____ 36

3.4. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 ____ 40

3.5. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) फ्रेमवर्क 42

3.6. मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज ____ 44

3.6.1. विकास हेतु निवेश सुविधा समझौता ____ 47

3.7. एमब्रिज प्रोजेक्ट ____ 48

3.8. रेलवे में सुधार ____ 50

3.9. भारत में पर्यटन क्षेत्रक ____ 52

3.10. भारत में बीमा क्षेत्रक ____ 54

3.11. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 ____ 56

3.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 58

3.12.1. GST परिषद की 55वीं बैठक ____ 58

3.12.2. अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक ____ 58

3.12.3. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण ____ 58

3.12.4. लघु वित्त बैंकों को UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन की सुविधा ____ 59

3.12.5. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) लाइट ____ 60

3.12.6. आठ कोर उद्योगों का सूचकांक ____ 60

3.12.7. विश्व बैंक ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 जारी की ____ 60

3.12.8. टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024' रिपोर्ट जारी की गई ____ 61

3.12.9. ILO ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी की ____ 61

3.12.10. विंडफॉल टैक्स ____ 62

3.12.11. आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम ____ 62

3.12.12. RBI ने बिना किसी गिरवी या जमानत के कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई ____ 63

3.12.13. e-NWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना ____ 63

3.12.14. किसान पहचान-पत्र ____ 65

3.12.15. किसान कवच ____ 66

3.12.16. फैशन और निर्माण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नई दिशा देने की पहल ____ 67

3.12.17. स्माइल कार्यक्रम ____ 68

3.12.18. राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल ____ 69

3.12.19. मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 ____ 69

3.12.20. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया ____ 70

3.12.21. अंतर्देशीय जलमार्ग' को बढ़ावा देने के लिए "जलवाहक" योजना ____ 70

3.12.22. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 ____ 71

3.12.23. अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की पहली नीलामी _ 71

4. सुरक्षा (Security) ____ 73
4.1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी ____ 73
4.2. साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ____ 75
4.3. भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 ____ 77
4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 79
4.4.1. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग ____ 79
4.4.2. कावेरी इंजन ____ 80
4.4.3. सैटन-2 ____ 80
4.4.4. सर्च एंड रेस्क्यू ऐड टूल ____ 80
4.4.5. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास ____ 80
5. पर्यावरण (Environment) ____ 82
5.1. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ____ 82
5.2. पवित्र उपवन ____ 84
5.3. नदी जोड़ो परियोजना ____ 87
5.4. ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 ____ 91
5.5. शहरी वायु प्रदूषण ____ 93
5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 96
5.6.1. IPBES नेक्सस असेसमेंट ____ 96
5.6.2. FAO ने 'लवण प्रभावित मृदा की वैश्विक स्थिति' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की ____ 97
5.6.3. 2024-2034 दशक के लिए स्थलरुद्ध विकासशील देशों हेतु कार्रवाई कार्यक्रम ____ 97
5.6.4. बिजनेस 4 लैंड इनिशिएटिव ____ 98
5.6.5. दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर चल रही वार्ता स्थगित ____ 99
5.6.6. चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड, 2024 ____ 99
5.6.7. ALMM आदेश, 2019 में संशोधन ____ 100
5.6.8. कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंड ____ 100
5.6.9. भारत ने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू की ____ 101
5.6.10. भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को असम में टैग किया गया ____ 102
5.6.11. रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व घोषित किया ____ 103
5.6.12. माधव राष्ट्रीय उद्यान ____ 103
5.6.13. स्पंज सिटी ____ 104
5.6.14. डेनाली फॉल्ट (भ्रंश) ____ 104
5.6.15. किलाऊआ ज्वालामुखी ____ 104
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 106
6.1. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ____ 106
6.2. बच्चों में सोशल मीडिया की लत ____ 108
6.3. हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा ____ 111
6.4. भारत में महिला श्रम बल भागीदारी ____ 113
6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 115
6.5.1. दक्षिण कोरिया बना 'सुपर-एज्ड (Super-Aged)' समाज ____ 115
6.5.2. JJM और महिला सशक्तीकरण ____ 116
6.5.3. ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर्स ____ 117
6.5.4. बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान शुरू किया गया 117
6.5.5. EAC-PM की घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट ____ 118
6.5.6. भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' ____ 120
6.5.7. वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 ____ 120
6.5.8. नो डिटेंशन नीति ____ 121
6.5.9. WFP की ग्लोबल आउटलुक, 2025 रिपोर्ट ____ 121
6.5.10. अन्न चक्र टूल ____ 122
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) _ 124
7.1. CE20 क्रायोजेनिक इंजन ____ 124
7.2. क्वांटम चिप ____ 126
7.3. हाइपरलूप ____ 128
7.4. आयुष मंत्रालय के 10 वर्ष ____ 130
7.5. दुर्लभ रोग ____ 133
7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 136
7.6.1. इसरो ने प्रोबा-3 उपग्रह लॉन्च किया ____ 136
7.6.2. एक्सिओम मिशन 4 ____ 137
7.6.3. डार्क कॉमेट ____ 137
7.6.4. FSSAI ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए एडवाइजरी जारी की ____ 138
7.6.5. हाई रिस्क फूड ____ 138
7.6.6. सूचित करने योग्य बीमारी ____ 139
7.6.7. विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2024 ____ 139
7.6.8. नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध के एजेंट के रूप में ____ 140
7.6.9. एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA ____ 141
7.6.10. मारबर्ग वायरस रोग (MVD) ____ 141
7.6.11. डायमंड बैटरी ____ 142
7.6.12. मिल्कवीड फाइबर ____ 142
7.6.13. बायो-बिटुमेन ____ 142

8. संस्कृति (Culture) ____ **144**
8.1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ____ 144
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 146
8.2.1. भौगोलिक संकेतक (GI) टैग ____ 146
8.2.2. कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, 1924 ____ 146
8.2.3. इंदिरा गांधी पुरस्कार ____ 146
8.2.4. साहित्य अकादमी ____ 147
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ **148**
9.1. सुशासन की भारतीय अवधारणा ____ 148
9.2. शांति के पहलू ____ 150
9.3. लिबर्टी यानी स्वाधीनता की अवधारणा ____ 153
9.4. प्रमुख व्यक्तित्व: तुलसी गौड़ा (1944-2024) ____ 156
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ____ **158**
10.1. समर्थ (वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण की योजना) ____ 158
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ____ **160**
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ____ **161**

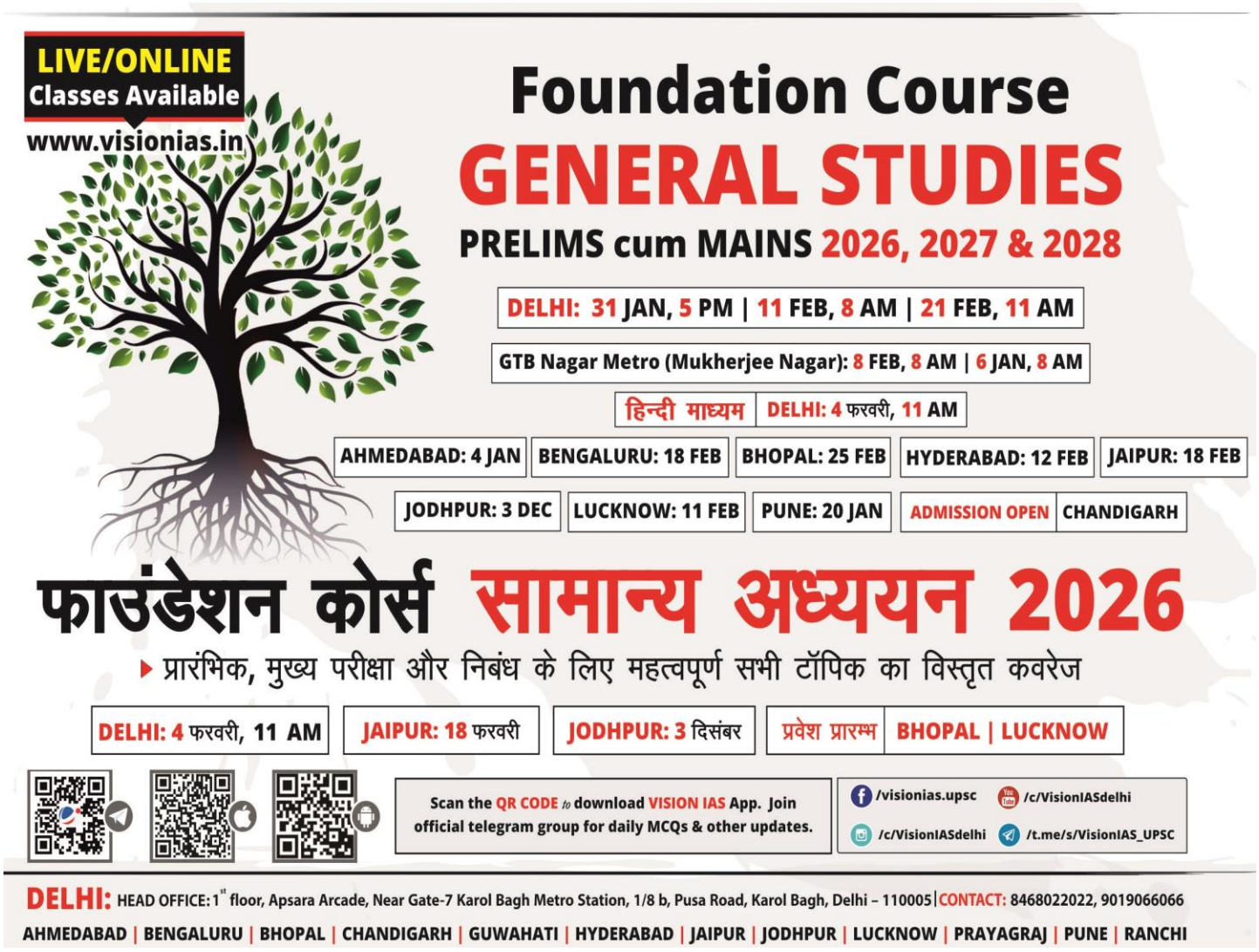

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक (One Nation, One Election Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की व्यवस्था को लागू करने से संबंधित दो विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेजा गया है। **ये दो विधेयक हैं-**

- 29वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक 2024; और
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

विधेयकों के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

129वें संविधान (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने हेतु संशोधन और नए अनुच्छेद शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन	संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा
• **अनुच्छेद 83 (संशोधन):** संसद के निम्न सदन (यानी लोक सभा) की अवधि में संशोधन। यह विधेयक इस अनुच्छेद में नवीन उपबंध जोड़ता है- ○ यदि **लोक सभा अपनी पूर्ण अवधि (5 वर्ष) से पहले भंग होती है,** तो पुनर्निर्वाचित लोक सभा केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। ○ एक नए उपबंध द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्यावधि चुनाव के बाद गठित लोक सभा को **पुरानी लोक सभा का विस्तार नहीं माना जाएगा।** • **अनुच्छेद 172 (संशोधन):** राज्य विधान सभाओं की अवधि में संशोधन किया जाएगा। ○ अनुच्छेद 83 की भांति ही अनुच्छेद 172 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। • **अनुच्छेद 327 (संशोधन):** संसद को विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। ○ "निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन" शब्दावली के बाद "समानांतर चुनावों का संचालन" जैसे पद जोड़े जाएंगे।	• **एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections):** नए अनुच्छेद के अनुसार भारत का चुनाव आयोग **लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव** कराएगा। • **लागू होने की तिथि:** राष्ट्रपति प्रस्तावित बदलावों को लोक सभा की पहली बैठक की तारीख से लागू कर सकता है। ○ नियत तारीख के बाद और लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले होने वाले किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधान सभाएं लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। • **चुनाव आयोग के अधिकार:** यदि चुनाव आयोग की राय में किसी राज्य की विधान सभा का चुनाव लोक सभा चुनाव के साथ नहीं कराया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य विधान सभा का चुनाव बाद में कराया जाए। • यदि किसी विधान सभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, तो उसकी पूर्ण अवधि आम चुनाव में निर्वाचित लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगी। • चुनाव आयोग प्रत्येक विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख उसके चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना के साथ ही घोषित करेगा।

- **केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024:** इसके जरिए **केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। ये संशोधन **विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के कार्यकाल को एक साथ चुनाव के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल के अनुरूप** करने के लिए प्रस्तावित हैं।

एक साथ चुनावों के बारे में

- एक साथ चुनाव को **एक राष्ट्र एक चुनाव** के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ** संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।
  - **हालांकि, स्थानीय निकायों से संबंधित संशोधन इस विधेयक में शामिल नहीं हैं।**
  - एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**
- ज्ञातव्य है कि पूर्व राष्ट्रपति **श्री राम नाथ कोविंद** की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने संसद, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव करवाने का रोडमैप प्रस्तुत किया था।

अन्य संस्थानों द्वारा की गई सिफारिशें:

भारतीय निर्वाचन आयोग, प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (1983): इसमें लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी।

विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट, 1999): इसने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था, लेकिन परिणामों की घोषणा विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने तक टालने की सिफारिश की थी। हालांकि, यह सुझाव भी दिया था कि चुनाव के आयोजन और परिणामों की घोषणा के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति (79वीं रिपोर्ट): इसने दो चरणों में समकालिक चुनाव कराने की सिफारिश की थी। कुछ विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के कार्यकाल की मध्यावधि में और शेष विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के कार्यकाल के अंत में।

नीति आयोग (चर्चा पत्र, 2017): इसने सिफारिश की थी कि विधान सभाओं के कार्यकाल को चरणबद्ध तरीके से लोक सभा के कार्यकाल के साथ समकालिक करना चाहिए।

विधि आयोग (ड्राफ्ट रिपोर्ट, 2018): लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए कुछ विधान सभाओं के कार्यकाल को पहले समाप्त कर देना चाहिए तथा कुछ विधान सभाओं के कार्यकाल को बढ़ा देना चाहिए। साथ ही, पांच वर्षों में दो बार चुनाव कराने चाहिए।

एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों?

- **आर्थिक बोझ को कम करना:** एक साथ चुनाव करवाने से अलग-अलग चुनाव प्रक्रियाओं से जुड़ी वित्तीय लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
  - इस मॉडल को अपनाने से **अलग-अलग चुनावों के संचालन में लगने वाले संसाधन जैसे मानवशक्ति, उपकरणों और सुरक्षा पर खर्च में कमी** होगी।
- **आर्थिक प्रभाव:** अलग-अलग समय पर बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक कार्यों में अनिश्चितता और अस्थिरता उत्पन्न होती है। इससे **आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, निवेश और आर्थिक संवृद्धि बाधित** होते हैं।
- **शासन व्यवस्था में व्यवधान और नीतिगत पंगुता:** बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता (MCC)[1] के कारण **नीतिगत पंगुता (Policy paralysis)** की स्थिति उत्पन्न होती है और विकासात्मक कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है।
- **मतदाताओं की भागीदारी से जुड़ी चुनौतियां:** बार-बार चुनावों के कारण 'मतदाताओं में थकान' (Voter Fatigue) की स्थिति उत्पन्न होती है और उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
- **प्रक्रियात्मक दक्षता और संसाधनों का समुचित उपयोग:** एक-साथ चुनावों से चुनाव संबंधी अपराध एवं विवाद कम होंगे तथा अदालतों पर बोझ घटेगा।

एक साथ चुनाव से जुड़ी समस्याएं

- **संवैधानिक चुनौतियां:** राज्यों की विधान सभाओं के कार्यकाल में एकरूपता लाने के लिए **राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जा सकता है।**
- **लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां:** 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के **96 करोड़** से अधिक मतदाताओं के लिए **1 मिलियन से अधिक मतदान केंद्रों** और व्यापक सुरक्षा संसाधनों की आवश्यकता होगी।
  - एक साथ चुनाव करवाने से प्रशासनिक क्षमता पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है।
- **संघवाद पर प्रभाव:** अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल में संशोधन करने के लिए राज्यों की अभिपुष्टि की आवश्यकता नहीं है।
  - इससे राज्यों की राय सीमित हो जाएगी।
- **मतदाता व्यवहार पर प्रभाव:** एक साथ चुनाव करवाने से स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों को वरीयता मिल सकती है। इससे मतदाता क्षेत्रीय समस्याओं की अनदेखी करके राष्ट्रीय दलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह छोटे दलों की अभिव्यक्ति को कमजोर कर सकता है।
- **कानूनी और संसदीय आवश्यकताएं:** अनुच्छेद 83, 172, 327 जैसे कई संवैधानिक प्रावधानों तथा **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में संशोधन की आवश्यकता होगी।

[1] Model Code of Conduct

- **राजनीतिक जवाबदेही:** बार-बार आयोजित होने वाले चुनाव जन-प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए रखते हैं। वहीं, निर्धारित समयावधि पर एक साथ चुनाव करवाने से स्थिरता तो मिलती है, लेकिन **प्रदर्शन की समीक्षा के बिना स्थिरता लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुनौती** दे सकती है।

निष्कर्ष

एक साथ चुनाव, संभावित लाभ और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करते हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, चुनावी खर्चों को कम कर सकती है और शासन में सुधार कर सकती है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में लॉजिस्टिक संबंधी कठिनाइयों, राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना, और क्षेत्रीय दलों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने जैसी चिंताएं बनी हुई हैं। अतः इसे लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और एक मजबूत लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी।

1.2. अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार (Atrocities against Scheduled Castes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने कई राज्यों की इस विफलता पर चिंता व्यक्त की है कि वे अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से निपटने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करने में विफल रहे हैं।

अनुसूचित जातियां (SCs) और उनकी पृष्ठभूमि क्या है?

- **संविधान के अनुच्छेद 366** में 'अनुसूचित जाति' शब्द को परिभाषित किया गया है।
- **अनुच्छेद 341** के तहत, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समूहों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित कर सकता है। संसद कानून बनाकर इस सूची में संशोधन कर सकती है।
  - **"अनुसूचित जाति"** शब्द को **पहली बार भारत शासन अधिनियम, 1935** में शामिल किया गया था।

जाति आधारित अत्याचारों से निपटने के लिए तंत्र

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - **मूल अधिकार: अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17** प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से समानता का उपबंध करते हैं।
  - **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP):**
    - **अनुच्छेद 46** में अनुसूचित जातियों के **शैक्षिक और आर्थिक उन्नति** के लिए प्रावधान किया गया है।
    - **अनुच्छेद 338** में अनुसूचित जातियों के लिए एक **राष्ट्रीय आयोग** के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **विधिक प्रावधान**
  - **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955:** यह अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है। **1976** में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR Act)** कर दिया गया था।
    - इसके तहत, **धार्मिक और सामाजिक अयोग्यताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न अस्पृश्यता को दंडनीय** बनाया गया है।
  - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह विशेष कानून SC/ ST समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों को **"अत्याचार (Atrocities)" के रूप में परिभाषित** करता है।
    - इसमें मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए **विशेष अदालतों के गठन** का प्रावधान किया गया है।
  - **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013[2]:** इस अधिनियम के तहत, हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने और इसमें शामिल लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने का उपबंध किया गया है।

[2] The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015:** इसके तहत, SC/ ST समुदाय से संबंधित महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को भी अत्याचार की परिभाषा में जोड़ा गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **SCs के खिलाफ अत्याचार रोकने में विफलता:** कुछ राज्य **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955** तथा **अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989** को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित नहीं कर सके हैं।
- **स्वच्छता कर्मी: नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/ NAMASTE)** योजना के तहत स्वच्छता से जुड़े कार्यों (सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई) में **शून्य मृत्यु दर** सुनिश्चित करने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।
- **उद्देश्यों/ लक्ष्यों का अभाव:** कई योजनाओं जैसे **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) और अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF)** में भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया है।
- **योजनाओं में धनराशि का व्यय न होना:** उदाहरण के लिए- **SCs हेतु लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (SHRESHTA) योजना** के मामले में, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा केंद्र को समय पर प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है।
- **उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) का लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई:** अनुसूचित जातियों के लिए **2025-26 तक उच्चतर शिक्षा में 27 प्रतिशत GER** का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसका कारण यह है कि कई राज्य अपनी वार्षिक कार्य योजना को कम करके प्रस्तुत कर रहे हैं या उनके प्रस्तुतिकरण में देरी कर रहे हैं।
- **प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं:** अधिक-से-अधिक गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में किया गया है।

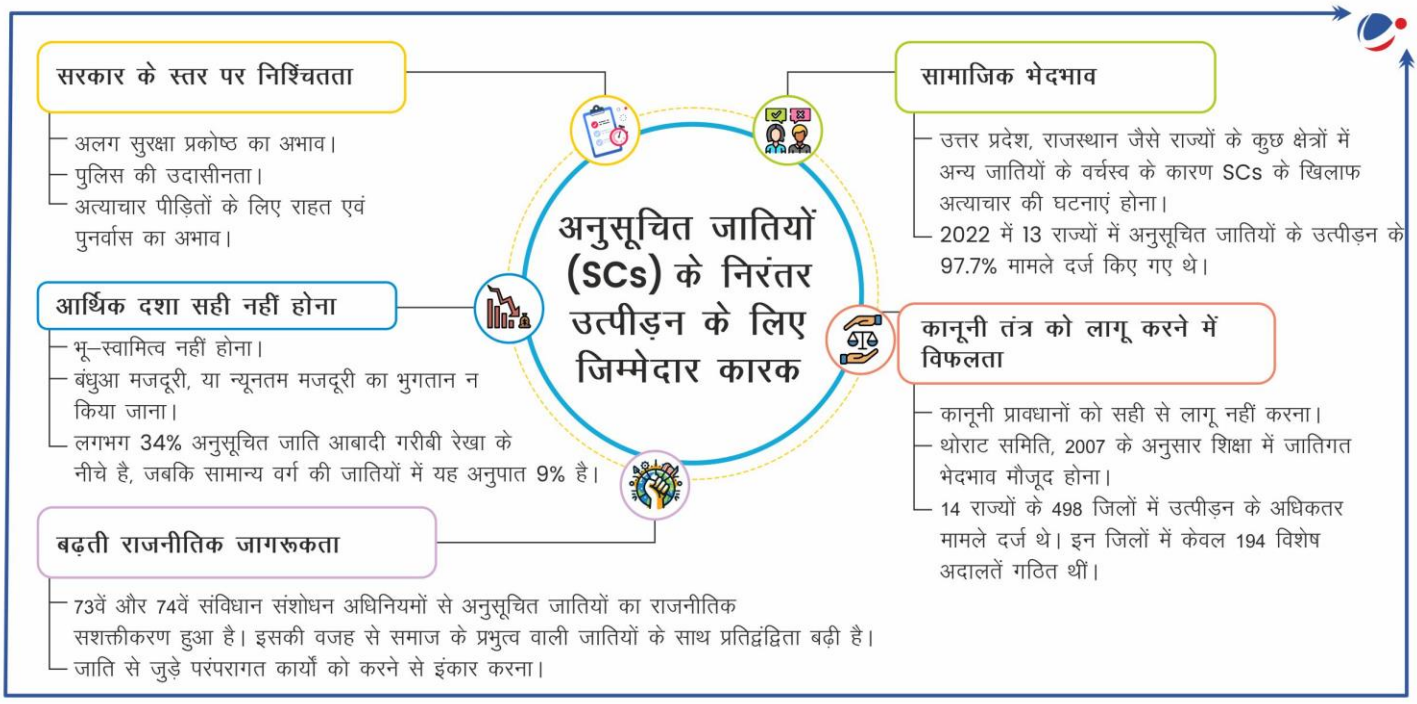

आगे की राह

- **कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग:** ऐसे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, जो कल्याणकारी योजनाओं को उचित रूप से लागू नहीं कर पाते हैं, उनसे **सख्ती से निपटना चाहिए।** साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी लाभार्थी को किसी भी योजना से वंचित न रखा जाए।
  - सहकारी संघवाद की भावना के तहत, राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अपने हिस्से के संसाधनों का सक्रिय रूप से योगदान करना चाहिए।

- **परिमाणात्मक लक्ष्य तय करना:** सभी कल्याणकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन के किसी भी चरण में राज्यों या अन्य एजेंसियों द्वारा लापरवाही न बरती जाए।
- **राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) को सशक्त बनाना:** यह संस्थान मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम; सामाजिक रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों और कमजोर वर्गों के पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करता है।
- **अनुसूचित जातियों के सबसे गरीब परिवारों की पहचान की प्रक्रिया:** विविध योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, जैसे **"स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स (SHREYAS)"** के तहत पात्र SC छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- **कौशल प्रशिक्षण: "प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (PM-DAKSH)"** जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, स्वच्छता कर्मियों और अन्य वंचित समुदायों को इसका लाभ मिल सके।

1.3. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 (Bhartiya Vayuyan Vidheyak, 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **भारतीय वायुयान विधेयक (BVV), 2024** को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य **एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934** को प्रतिस्थापित करना, भारत के विमानन क्षेत्रक का **आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा उपायों** को मजबूत करना और उन्हें **वैश्विक मानकों** के अनुरूप बनाना है।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

मानदंड	एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 से लिए गए प्रावधान	भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 में किए गए बदलाव
नियामक संरचना	यह अधिनियम **तीन प्रमुख प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है:** 1. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA); 2. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS); तथा 3. विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)। ○ **केंद्र सरकार** इन सभी संस्थाओं पर **प्रत्यक्ष नियंत्रण** रखती है।	**रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जारी करने की शक्ति दूरसंचार विभाग से DGCA को हस्तांतरित** की गई है। • यह विधेयक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को एक ही प्राधिकरण यानी **DGCA** के तहत एकीकृत करके लाइसेंस प्रदायगी को आसान बनाएगा।
विमान से संबंधित गतिविधियों का विनियमन	यह अधिनियम **विमान निर्माण, उपयोग, संचालन और व्यापार** सहित विमान से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करता है।	यह **विमानों के डिजाइन को विनियमित करने की शक्ति** प्रदान करता है।
नियम बनाने की शक्ति	**केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामलों में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है:** • **विमान** से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों पर और **लाइसेंसिंग, प्रमाणन एवं निरीक्षण** संबंधी मामलों पर विनियमन की शक्ति; • **हवाई परिवहन सेवाओं** के विनियमन की शक्ति; • **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय, 1944** के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति आदि।	केंद्र सरकार अब **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संधि के तहत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाण-पत्र और लाइसेंस** से संबंधित नियम भी बना सकती है।
अपराध और दंड	निम्नलिखित मामलों में **अधिकतम 2 वर्ष की कैद, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों** का प्रावधान किया गया है: • निषिद्ध वस्तुओं के परिवहन से संबंधित नियमों का उल्लंघन;	**विवेकाधीन दंड (Discretionary Penalties):** केंद्र सरकार को यह **निर्धारित करने की शक्ति दी गई है कि कुछ नियमों के उल्लंघन पर सिविल या आपराधिक दंड आरोपित** किया जाए। उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरे में डालना आदि।

	• विमान को ऐसे तरीके से उड़ाना, जिससे किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को खतरा हो; • DGCA और BCAS के निर्देशों का पालन न करना आदि।	
दंड का निर्धारण या अधिनिर्णयन (Adjudication of penalties)	**दंड का निर्धारण: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिनिर्णयन अधिकारी निर्णय करेगा,** जिसका पद डिप्टी सेक्रेटरी या उससे उच्च होगा। **पहली अपील: अपीलीय अधिकारी के समक्ष** की जा सकेगी। यह अधिनिर्णयन अधिकारी से उच्चतर पद पर होगा।	**दूसरी अपील:** अब एक **दूसरे अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति** की गई है। इसका पद पहले अपीलीय अधिकारी से उच्चतर होगा।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 से संबंधित चिंतनीय मुद्दे

- **DGCA की सीमित स्वतंत्रता:** दूरसंचार, बीमा और विद्युत क्षेत्रक की अन्य विनियामक संस्थाओं के विपरीत, केंद्र सरकार **DGCA** पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है।
- **अपील प्रणाली:** DGCA जैसी संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ **अपील केवल केंद्र सरकार के पास की जा सकती** है, जिससे इसकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
- **माध्यस्थम (Arbitration):** मुआवजे से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए **सरकार द्वारा एकतरफा माध्यस्थमों की नियुक्ति** किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसे संविधान के **अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन** माना जा रहा है।

भारत में विमानन प्रशासन

- भारत में विमानन उद्योग **नागर विमानन मंत्रालय (MoCA)** द्वारा शासित होता है।
  - इसका मुख्य कार्य **देश में नागर विमानन परिचालन और देश से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन परिचालन से संबंधित नीतियों, नियमों और विनियमों का निर्माण** करना है।

डेटा बैंक

भारत का विमानन क्षेत्रक

- भारत, विश्व में **9वां** सबसे बड़ा नागरिक विमानन बाजार है।
- भारत, विश्व में **तीसरा** सबसे बड़ा घरेलू हवाई यात्री बाज़ार है।
- 2024 में भारत में परिचालनरत हवाई अड्डों की संख्या **157** थी।
- वित्त वर्ष 2014 से 2020 तक घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में **14.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR)** दर्ज की गई थी।
- देश में **15% पायलट महिलाएं** हैं, जो वैश्विक औसत से लगभग **3 गुना अधिक है।**

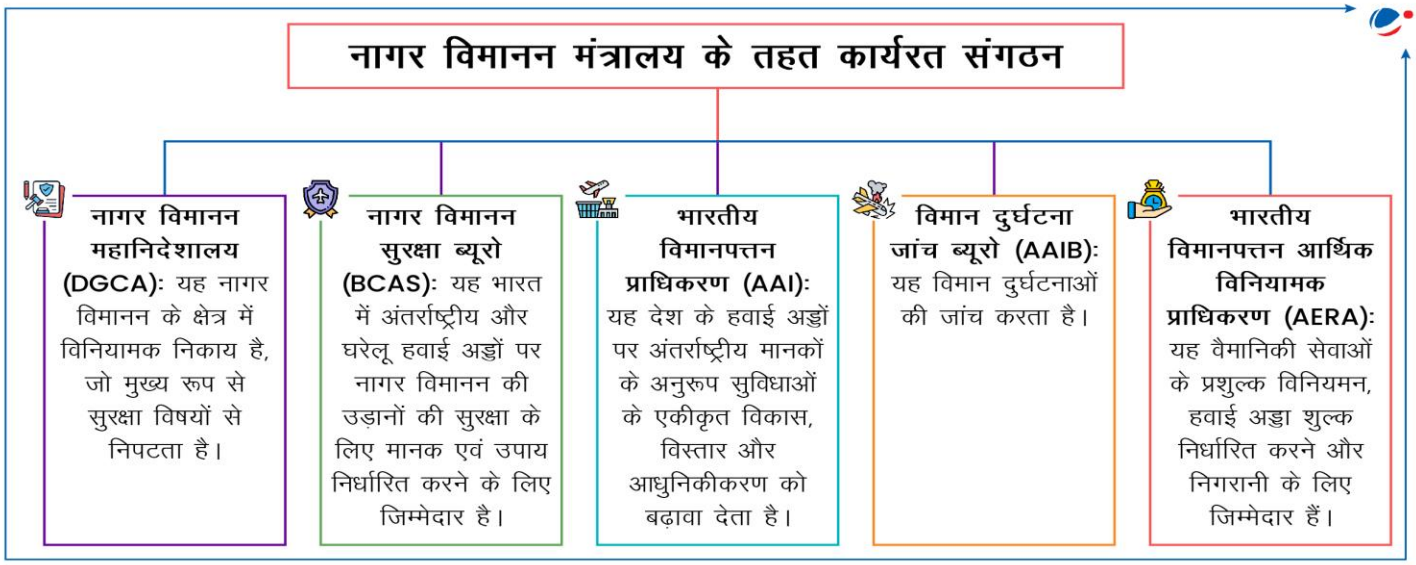

नागर विमानन से संबंधित अन्य विधान एवं व्यवस्थाएं

- **एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 (और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937):** यह नागर विमानन से संबंधित विविध गतिविधियों तथा हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग को विनियमित करता है।
- **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) अधिनियम, 2008:** यह हवाई अड्डों द्वारा दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए **शुल्क निर्धारण और प्रदर्शन मानकों की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण** का प्रावधान करता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन में 100% FDI** की अनुमति दी गई है। **49% तक FDI स्वचालित मार्ग** से और **49% से अधिक FDI सरकारी मार्ग** से स्वीकृत की गई है। इसके अलावा-
  - **NRIs** के लिए **स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति** दी गई है; तथा
  - **ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में 100% FDI** की अनुमति दी गई है।

भारत के विमानन क्षेत्रक के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

1. नीतिगत पहलें:

- **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016:** इसके तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती और सुविधाजनक बनाने; नागर विमानन क्षेत्रक एवं पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने आदि के लिए एक समग्र इकोसिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **भारत में नागर विमानन उद्योग के लिए विज़न 2040:** यह **इन्वेस्ट इंडिया** द्वारा तैयार किया गया एक **रणनीतिक रोडमैप** है। इसमें नागर विमानन क्षेत्रक के **दीर्घकालिक लक्ष्यों और रणनीतियों** को रेखांकित किया गया है।

2. योजनाएं/ पहलें:

- **RCS-UDAN योजना:** इसका पूरा नाम **रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS)-उड़ान/ UDAN (उड़े देश का आम नागरिक)** है। इसके तहत 2024 तक **1,000 उड़ान मार्गों को चालू करने और 100 अप्रयुक्त और कम-सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स तथा वॉटर एयरोड्रोम्स के पुनरुद्धार/ विकास का लक्ष्य** रखा गया है।
- **मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस (MRO): केंद्रीय बजट 2024-25 में विमानन क्षेत्रक में MRO गतिविधियों को प्रोत्साहन** देने के लिए प्रावधान किया गया है।
- **हवाई अड्डों का निजीकरण:** राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए **25 हवाई अड्डों का निजीकरण** किया जा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी आधारित पहलें:**
  - **नभ निर्माण (NABH Nirman):** यह हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि करने पर लक्षित है।
  - **डिजी यात्रा (Digi Yatra):** डॉक्युमेंट्स रहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
  - **एयरसेवा (AirSewa):** ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए आरंभ की गई है।
  - **GPS आधारित GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन (GAGAN):** इसका विकास **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और ISRO** द्वारा हवाई यातायात प्रबंधन के लिए किया गया है।

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- **नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा-पत्र (2024):** इसे दूसरे **'नागर विमानन पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMC)'** में अपनाया गया था। इसमें **नागर विमानन क्षेत्रक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा** देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है।
- **कार्बन न्यूट्रैलिटी पहलें:** इसके तहत हवाई अड्डों की **कार्बन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मानकीकरण** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - 2014 से अब तक, **दिल्ली और बेंगलुरु सहित कुल 73 हवाई अड्डों ने 100% हरित ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित** किया है।

निष्कर्ष

भारत का विमानन क्षेत्रक एक **परिवर्तनकारी दौर** से गुजर रहा है, जहां **अवसंरचना के विकास, रीजनल कनेक्टिविटी और सतत विकास** में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। **भारतीय वायुयान विधेयक, 2024** कानूनी फ्रेमवर्क में **स्पष्टता लाकर** और जटिलताओं को दूर करके इस क्षेत्रक के विकास को **प्रोत्साहित करने में सहायक** हो सकता है।

1.4. प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizen of India: OCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय ने **OCI कार्डधारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने संबंधी चिंताओं** को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान OCI नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों के बारे में:

- **OCI योजना**: OCI योजना को **2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** करके प्रस्तुत किया गया था।
- **पात्रता:**
  1. पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक;
  2. जो 26 जनवरी, 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था;
  3. जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था;
  4. जो उस क्षेत्र से संबंधित था, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया;
  5. जो ऐसे नागरिक का पुत्र/ पुत्री या पौत्र/ पौत्री या प्रपौत्र/ प्रपौत्री है;
  6. जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान है; तथा
  7. जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत की/ का नागरिक है।
  8. भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी या OCI कार्डधारक का विदेशी मूल का जीवनसाथी तथा जिनकी शादी आवेदन की प्रस्तुति से ठीक पहले लगातार दो वर्षों तक पंजीकृत व वैध रही हो।
- **विदेशी सैन्य कर्मी,** चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त, OCI प्राप्त करने के लिए **पात्र नहीं** हैं।
- 2015 में **भारतीय मूल के व्यक्ति और OCI कार्डधारकों** को एक श्रेणी **"OCI"** में मिला दिया गया था।
- 31 जनवरी 2022 तक, **40.68 लाख OCI पंजीकरण कार्ड** जारी किए गए थे।

OCI कार्डधारकों के लिए लाभ:

- भारत यात्रा हेतु जीवन भर के लिए **बहु-प्रवेश व बहु-उद्देश्यीय वीज़ा।**
- कृषि या बागान भूमि की खरीद और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर कुछ **वित्तीय, आर्थिक एवं शैक्षणिक मामलों में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के साथ समानता।**
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 5(1)(g)** के तहत OCI कार्ड धारक **5 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।**
  - बशर्ते वह आवेदन करने से पहले **पिछले 5 वर्षों में से 1 वर्ष भारत में निवास** कर चुका हो।
- OCI कार्ड धारक **NRIs के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में नामांकन करने के लिए पात्र हैं।**

OCI कार्ड धारकों से संबंधित प्रतिबंध

- OCI को **'दोहरी नागरिकता' के रूप में नहीं** समझा जाना चाहिए। OCI कार्ड **वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं** करता है।
- **OCI कार्ड धारक अग्रलिखित भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं:** राष्ट्रपति **(अनुच्छेद 58);** उपराष्ट्रपति (**अनुच्छेद 66);** उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (**अनुच्छेद 124**) और उच्च न्यायालय (**अनुच्छेद 217**) का न्यायाधीश।
- OCI कार्ड धारक **लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद** के सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होते हैं।
- लोक नियोजन यानी सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में **(अनुच्छेद 16):**
  - OCI कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़कर, **संघ या राज्य सरकार के किसी भी लोक सेवा पद के लिए पात्र नहीं** होते हैं।
- उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियों, पत्रकारिता और प्रतिबंधित/ संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए **विशेष मंजूरी की आवश्यकता** होती है।

भारतीय प्रवासियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #116- विदेशों में भारतीय प्रवासी

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.5.1. राज्य सभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया (Process For Removal of Rajya Sabha Chairperson)

विपक्षी दलों ने राज्य सभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पेश किया है।

- संविधान के **अनुच्छेद 64** के अनुसार, **भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति** होगा।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में

- **नोटिस अवधि:** पद से हटाने का संकल्प पेश करने से पहले **14 दिन का नोटिस** दिया जाना होता है। इस नोटिस में हटाने के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए।
- **प्रस्ताव पारित करना: अनुच्छेद 67(b)** के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा उसके **सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से उस संकल्प पर सहमति जताकर** पद से हटाया जा सकता है।
- जहां संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के आधारों का उल्लेख किया गया है, वहीं **उपराष्ट्रपति के मामले में आधारों का उल्लेख नहीं** किया गया है।

1.5.2. दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश (SC Guidelines on Mercy Petition)

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

- ये दिशा-निर्देश **महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े** केस में जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के **निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना; तथा
    - अनावश्यक देरी को रोकते हुए दोषियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।

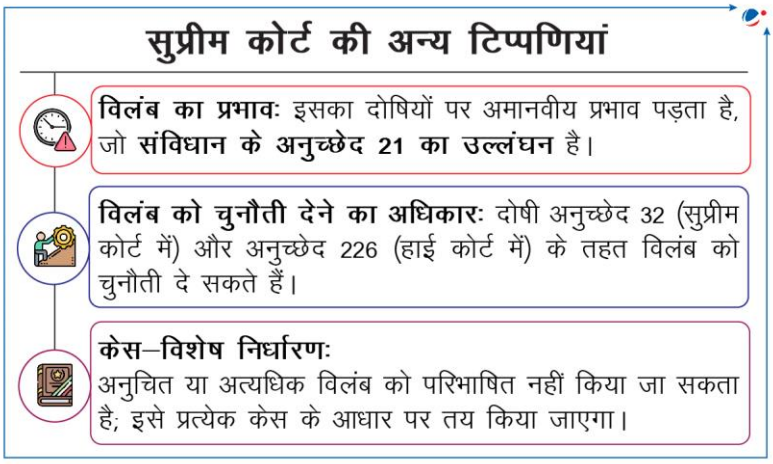

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- **दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दया याचिकाओं को संभालने और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
- **न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति:** विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा।
- **सूचना साझा करना और दस्तावेजीकरण:** जेल प्राधिकरण दया याचिकाओं को समर्पित प्रकोष्ठ में भेजेंगे तथा पुलिस थानों व जांच एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांगेंगे।
- **राज्यपाल और राष्ट्रपति सचिवालयों के साथ समन्वय:** दया याचिकाओं को आगे की कार्रवाई के लिए इन सचिवालयों को भेजना होगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक संचार:** गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे।
- **दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग:** राज्य सरकारें दया याचिकाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के विवरण वाले कार्यकारी आदेश जारी करेंगी।
- **कार्यान्वयन:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी।
- **सत्र न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश:** इन्हें ऐसे केसों का रिकॉर्ड रखना होगा और लंबित अपीलों के लिए सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना होगा।
- **एक्सेक्यूशन वारंट:** मृत्युदंड के प्रवर्तनीय होने के तुरंत बाद संबंधित **राज्य को एक्सेक्यूशन वारंट के लिए आवेदन करना होगा।**

दया याचिका के बारे में

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान ने **राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) को क्षमादान देने या सजा कम करने** की शक्ति प्रदान की है।
- **मारू राम बनाम भारत संघ (1981) केस** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा।
- **कानूनी प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 472(1)** के तहत शामिल किया गया है।

1.5.3. ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का चरण-III (E-Courts Mission Mode Project Phase III)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना' के तीसरे चरण को मंजूरी दी।

- इसका उद्देश्य न्यायालय के **संपूर्ण अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के डिजिटलीकरण** के माध्यम से न्यायालयों को डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस बनाते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कोर्ट्स परियोजना 2007** से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में सक्षम बनाना है।
- इसके **चरण-I** और **II** का क्रियान्वयन क्रमशः **2011-15** और **2015-23** के दौरान किया गया था।

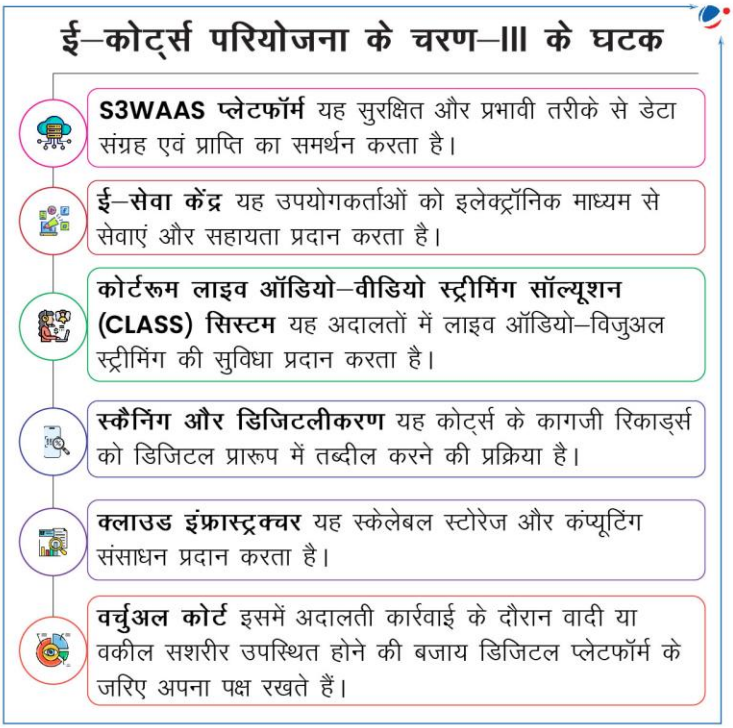

ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण-III के बारे में

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना: यह **2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित** की जाएगी। इसका परिव्यय **7,210 करोड़** रुपये निर्धारित किया गया है।

- **उद्देश्य: न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना,** ताकि न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध एवं पेपरलेस इंटरफेस उपलब्ध हो सके।
- **कार्यान्वयन: हाई कोर्ट्स** द्वारा किया जाएगा।
- **सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग (विधि मंत्रालय)** द्वारा हाई कोर्ट्स को धनराशि जारी की जाती है।
- **ई-समिति** ई-कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए **नीतिगत नियोजन, रणनीतिक निर्देश और मार्गदर्शन** का काम देखती है।

न्यायालयों के डिजिटलीकरण का महत्त्व

- **न्यायिक आधुनिकीकरण:** यह डेटा-आधारित निर्णय लेने को संभव और न्याय प्रदान करने को पूर्णतया डिजिटल बनाता है।
- **लंबित मामलों के निपटान में तेजी:** उभरती तकनीकों जैसे AI, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आदि को शामिल करके न्यायालय अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और लंबित मामलों को कम कर सकते हैं।

1.5.4. अमृत ज्ञान कोष पोर्टल (Amrit Gyaan Kosh Portal)

हाल ही में **iGOT प्लेटफॉर्म पर अमृत ज्ञान कोष पोर्टल** लॉन्च किया गया। इसे **क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत** ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल के बारे में:

- **उद्देश्य:** इस पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण आयोग का उद्देश्य **शिक्षकों को सशक्त बनाना और पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना** है।
- इसमें देश भर की **सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को संकलित** किया गया। ये पद्धतियां **17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 15 के अनुरूप** हैं।
- इसमें **स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल गवर्नेंस** जैसे विविध नीतिगत विषय भी शामिल हैं।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह सिविल सेवा अधिकारियों के लिए **ऑल-इन-वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है।
- **इसके अलावा यह:**
  - लर्निंग को मार्गदर्शन प्रदान करता है,
  - चर्चाओं को होस्ट करता है,
  - करियर का प्रबंधन करता है और
  - अधिकारियों की योग्यता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए विश्वसनीय आकलन भी करता है।

1.5.5. ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil Portal)

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने **ई-दाखिल पोर्टल के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की है।**

ई-दाखिल पोर्टल के बारे में

- इसकी शुरुआत पहली बार **2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)** ने की थी।
  - NCDRC **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत स्थापित एक **अर्ध-न्यायिक आयोग** है।
- यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो **उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया को सरल** बनाता है। उपभोक्ता इसकी मदद से भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मामलों को ट्रैक कर सकते हैं।
- यह पोर्टल **उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने** और **समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन** के रूप में उभरा है।

1.5.6. राज्य सभा में बॉयलर विधेयक, 2024 पारित हुआ (The Boilers Bill, 2024 Passed in The Rajya Sabha)

यह विधेयक कानून बनने के बाद **बॉयलर अधिनियम, 1923** की जगह लेगा। **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023** के अनुरूप इसमें भी **कुछ प्रावधानों में उल्लेखित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर** किया गया है।

- यह विधेयक **स्टीम बॉयलर्स के विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित** करेगा।

बॉयलर विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **विनियमन:** केंद्र सरकार **केंद्रीय बॉयलर बोर्ड** का गठन करेगी। इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर में लगने वाले उपकरणों के **डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उपयोग** को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा।
- **निरीक्षण:** निरीक्षण का कार्य **राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षकों या अधिकृत थर्ड पार्टियों** द्वारा किया जाएगा।
- **व्यवसाय करने में सुगमता (EoDB):** नवीन विधेयक में **केवल 4 गंभीर अपराधों (जिनमें जीवन या संपत्ति की हानि भी शामिल है) के लिए आपराधिक दंड बरकरार** रखा गया है। गौरतलब है कि **बॉयलर अधिनियम, 1923 में 7 अपराधों** के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है।
  - सभी गैर-आपराधिक कृत्यों के लिए **'फाइन' को 'पेनल्टी'** में बदल दिया गया है। इस पेनल्टी को कार्यकारी तंत्र के माध्यम से आरोपित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 1923 के अधिनियम के तहत अदालतों द्वारा फाइन लगाया जाता है।

विधेयक से जुड़ी समस्याएं

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** राज्य सरकार विधेयक से कुछ क्षेत्रों को छूट दे सकती है। इससे उन छूट वाले क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में संदेह पैदा होता है।
- **सीमित न्यायिक अधिकारिता:** विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्यों द्वारा नियुक्त **निरीक्षकों के निर्णयों को नियमित अदालतों में चुनौती नहीं** दी जा सकती। निर्णय से असंतुष्ट होने पर **संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स में रिट याचिका दायर** करनी होगी।

- **EODB में बाधा:** विधेयक में बॉयलर में परिवर्तन, उसकी मरम्मत या निर्माण के लिए निरीक्षण या अनुमोदन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बॉयलर के बारे में

- बॉयलर से तात्पर्य **उस वेसल से है, जिसमें दाब में स्टीम उत्पन्न** होती है।
- 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग **40 लाख स्टीम बॉयलर हैं।**
- बॉयलर **संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत** आते हैं।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

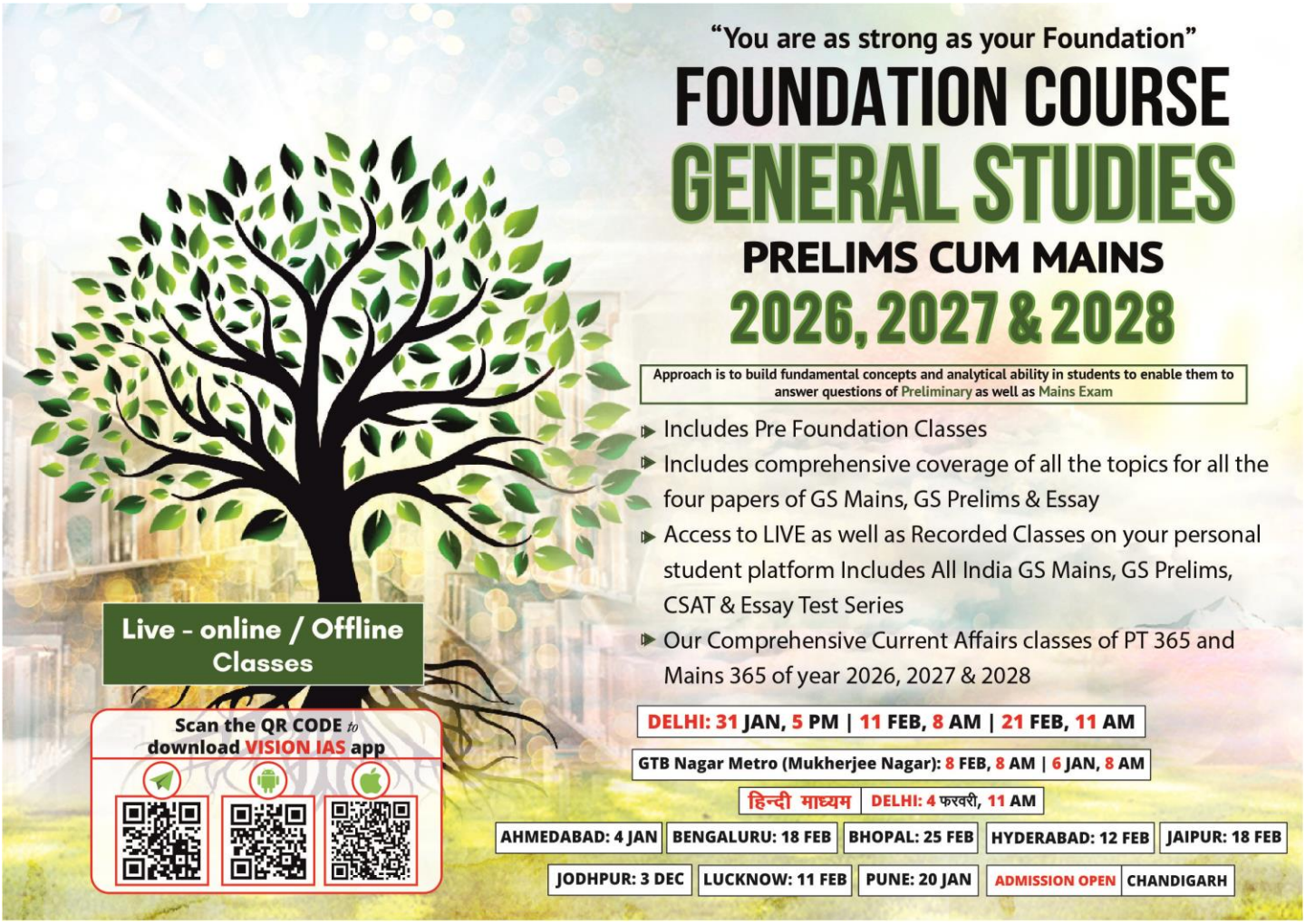

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-श्रीलंका संबंध (India-Sri Lanka relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे।

बैठक में निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई-

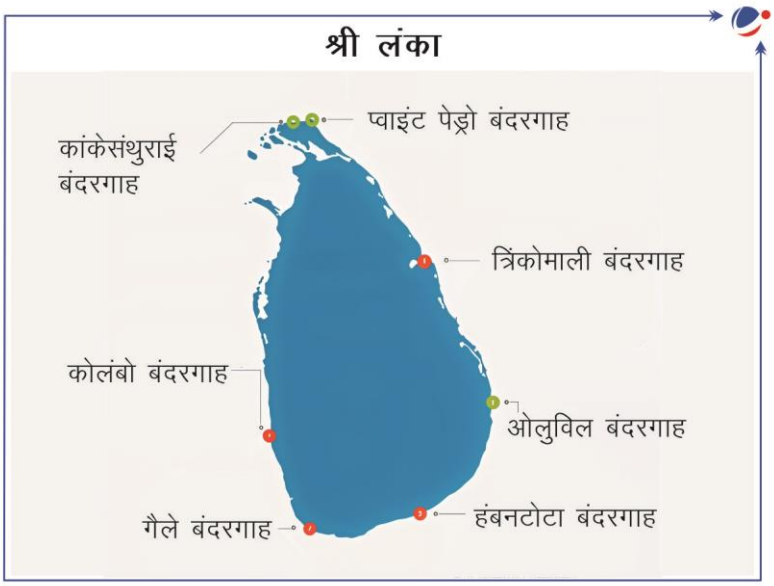

- **आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते (ETCA)**[3] पर चर्चा जारी रहेगी।
  - यह 2000 में लागू किए गए **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर आधारित** होगा।
- भारत सरकार की अनुदान सहायता से श्रीलंका में **कांकेसंतुरै बंदरगाह के पुनर्निर्माण पर संयुक्त रूप से कार्य करने की संभावना तलाशी जाएगी।**
- भारत द्वारा वित्त-पोषित **श्रीलंका की 'विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना'** को तेज़ी से लागू किया जाएगा।
- **दोहरा कराधान परिहार समझौते (DTAA) में संशोधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर** किए गए। इससे **DTAA को कर संधि के दुरुपयोग की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप** बनाया जा सकेगा।
- **अन्य घोषणाएं:**
  - **त्रिंकोमाली को एक क्षेत्रीय ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र** के रूप में विकसित करने में सहयोग करना।
  - प्रस्तावित **द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते** को शीघ्र अंतिम रूप देना।
  - **श्रीलंकाई रेलवे के माहो अनुराधापुरा खंड** में सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए **भारत द्वारा 14.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता।**
  - 100 आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए **व्यापक छात्रवृत्ति कार्यक्रम।**
  - **1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता।**

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग:**
  - भारत ने श्रीलंका के **BRICS सदस्यता आवेदन** का समर्थन किया है।
  - श्रीलंका ने **2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट की उम्मीदवारी का समर्थन** किया है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा हित:** दोनों देश पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के साथ-साथ एक स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
- **ऊर्जा सहयोग:** कई परियोजनाएं चर्चा के अलग-अलग चरणों में हैं। उदाहरण के लिए- इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी योजना, दोनों देशों के बीच बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन, LNG की आपूर्ति, तथा निर्माणाधीन सामपुर विद्युत परियोजना।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और बिम्सटेक (BIMSTEC) का हिस्सा है।
- **सैन्य सहयोग:** प्रतिवर्ष **SLINEX (नौसेना) और मित्र शक्ति/ MITRA SHAKTI (थल सेना)** जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
  - श्रीलंका भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास **'मिलन/ MILAN' में भी भाग** लेता है।

[3] Economic & Technological Cooperation Agreement

श्रीलंका के लिए महत्त्व

- **ऋण पुनर्गठन में भारत की भूमिका:**
  - **वित्तीय सहायता:** देश को आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए भारत ने **2022 और 2023** में अलग-अलग प्रकार की सहायता के रूप में लगभग **4 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान किए थे।** (इन्फोग्राफिक देखें)
  - **ऑफिशियल्स क्रेडिटर्स कमिटी (OCC):** वर्ष 2023 में **17 देशों** ने OCC का गठन किया था। यह समिति **श्रीलंकाई अधिकारियों के ऋण समाधान अनुरोध पर चर्चा** के लिए बनाई गई है। इसकी सह-अध्यक्षता **भारत, जापान और फ्रांस** करते हैं।
    - इस समिति में **पेरिस क्लब ऋणदाताओं** के साथ-साथ अन्य **आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाता** भी शामिल हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट: भारत ने वित्त-पोषण आश्वासन प्रदान करके श्रीलंका के लिए** IMF सहायता सुनिश्चित कराने में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई थी। ज्ञातव्य है कि 2023 में IMF द्वारा अनुमोदित 2.9 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज के लिए वित्त-पोषण आश्वासन एक पूर्व शर्त थी।
  - **लाइन-ऑफ-क्रेडिट को अनुदान सहायता में बदलना:** भारत ने श्रीलंका में पूर्ण हो चुकी सात लाइन-ऑफ-क्रेडिट परियोजनाओं से संबंधित भुगतानों के निपटान के लिए अनुदान सहायता के रूप में 20.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है।
    - उत्तरी प्रांत में **कांकेसंथुराई बंदरगाह के पुनरुद्धार** के लिए आगे की परियोजनाएं अब अनुदान के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।
- **आर्थिक महत्त्व:** भारत श्रीलंका का **सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, शीर्ष FDI योगदानकर्ता और पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत** है।
- **भारत से सहायता के अन्य प्रमुख क्षेत्र:**
  - भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में **श्रीलंका के लिए 'प्रथम प्रतिक्रियादाता (First responder)'** के रूप में मौजूद रहता है।
  - भारत **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव** का समर्थन करता है, जो श्रीलंका की **क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी पहलों को बढ़ावा** देता है।
  - **क्षमता निर्माण** जिसमें भारतीय अनुदान के तहत **समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC)**[4] की स्थापना शामिल है।
  - सांस्कृतिक समर्थन जैसे कि **मन्नार में तिरुकेतीस्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार** और 2012 में पवित्र **कपिलवस्तु अवशेषों** की प्रदर्शनी का आयोजन।

श्रीलंका को भारत की वित्तीय सहायता:

भारत द्वारा दी गई सहायता	**भारत के समर्थन के पीछे रणनीतिक प्रेरणा**

• **करेंसी स्वैप और व्यापार ऋण:**
  ○ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से **400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करेंसी स्वैप।**
  ○ एशियाई क्लीयरिंग यूनियन (ACU) के तहत **500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापार संबंधी देनदारियों को स्थगित** किया गया है। इससे श्रीलंका को तत्काल डिफॉल्टर होने से बचने में मदद मिली है।
• **ईंधन और खाद्य आयात: ईंधन आयात के लिए 500 मिलियन डॉलर** और खाद्य सामग्री जैसी **आवश्यक वस्तुओं के लिए 1 बिलियन डॉलर की आयात ऋण सुविधा।**
• **मानवीय सहायता: भोजन, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों** जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
	• **चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना:** चीन ने अपनी **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिये हंबनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से श्रीलंका में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।
	• **आर्थिक हितों की रक्षा करना: कोलंबो पोर्ट** भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारतीय बंदरगाहों से कंटेनर पोतांतरण (Transshipment) को सुविधाजनक बनाता है।
	• **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** भारत का लक्ष्य श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सुधारना है, जो **ऐतिहासिक रंजिशों और भारत विरोधी भावनाओं के कारण तनावपूर्ण** रहे हैं।

भारत के लिए महत्त्व

- **हिंद महासागर की सुरक्षा:** श्रीलंका **भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी** है और यह भारत की सुरक्षा/ स्थिरता के खिलाफ किसी भी क्षेत्रीय कार्रवाई को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **भारत की नीति के साथ मेल:** श्रीलंका का भारत की **'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' तथा सागर/ SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विज़न** में केंद्रीय स्थान है।
- **भारतीय मूल के तमिल:** लगभग 1.6 मिलियन भारतीय मूल के तमिल, कोलंबो के व्यवसाय क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखते हैं। ये श्रीलंका में मुख्य रूप से **चाय और रबड़ के बागानों में कार्यरत** हैं।

[4] Maritime Rescue Coordination Centre

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियां

- **श्रीलंका में चीन की सामरिक उपस्थिति:** कई घटनाक्रम भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करते हैं।
  - **वित्तीय सहायता और हंबनटोटा पोर्ट** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीन श्रीलंका पर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जिससे भारत के हित प्रभावित होते हैं।
  - **शी यान-6 और युआन वांग-5** जैसे चीनी जहाज डेटा संग्रहण गतिविधियों में संलग्न हैं। ये गतिविधियां संभावित रूप से भारत के खिलाफ भविष्य के सैन्य अभियानों में सहायक हो सकती हैं।
- **मछुआरों से संबंधित विवाद:** श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा पाक जलडमरूमध्य में बॉटम ट्रॉलर के उपयोग और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में उनके बार-बार प्रवेश का विरोध करता है। इस विरोध का कारण पर्यावरणीय क्षति और अधिक मछली पकड़ने संबंधी चिंताएं हैं।
  - **पाक खाड़ी में कच्चातिवु (Katchatheevu) द्वीप के आसपास** मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का स्रोत रहा है। ज्ञातव्य है कि संसाधन संपन्न **कच्चातिवु** द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए **1974** में एक समझौता हुआ था। इस द्वीप पर तमिल मछुआरों को कई सदियों से मत्स्यन का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था।
- **13वें संशोधन का लागू नहीं होना:** यह संशोधन **भारत-श्रीलंका समझौते (1987)** का परिणाम है। भारत नृजातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान (13वें संशोधन) के तहत राष्ट्रीय सुलह का पक्ष लेता रहा है। श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन **प्रांतों को शक्तियों के हस्तांतरण** से संबंधित है। हालांकि, अभी तक इसका **कार्यान्वयन नहीं** किया गया है।
  - **विवाद:** सिंहली राष्ट्रवादी इसे एक थोपा हुआ कदम बताकर लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं, जबकि तमिल समूह व्यापक अधिकारों की मांग करता है।
  - **भारत की भूमिका:** भारत ने शक्तियों के हस्तांतरण की वकालत की है, लेकिन भूमि और पुलिस शक्तियों के संबंध में श्रीलंका की अनिच्छा प्रगति में बाधा बन रही है।

आगे की राह

- **विश्व के प्रति भारत की फाइव "S" नीति:** सम्मान (Samman), संवाद (Samvad), सहयोग (Sahyog), शांति (Shanti); सार्वभौमिक समृद्धि (Samriddhi) के लिए परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए।
  - भारत की **'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी'** और **सागर/ SAGAR विज़न** को हिंद महासागर में तथा उसके आसपास चीन के शत्रुतापूर्ण रवैये से निपटने में मार्गदर्शक शक्ति होना चाहिए।
- **मत्स्यन समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित समाधान:**
  - **साझा मत्स्यन क्षेत्र:** भारतीय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के 5 समुद्री मील के भीतर मछली पकड़ने की अनुमति देनी चाहिए। इसके बदले में श्रीलंका को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
  - **विनियमित ट्रॉलिंग:** ट्रॉलिंग को हफ्ते में दो बार तक सीमित किया जाना चाहिए, मछली पकड़ने के घंटों को कम किया जाना चाहिए और श्रीलंकाई तट से 3 समुद्री मील की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। साथ ही, जहां तक संभव हो बॉटम ट्रॉलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
  - **कच्चातिवु को पट्टे पर देना:** श्रीलंका इस द्वीप को भारत को पट्टे पर दे सकता है तथा स्वामित्व बरकरार रखते हुए भारतीय मछुआरों को अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे सकता है।
- **13वां संशोधन:** वर्तमान श्रीलंका सरकार इस अवसर का उपयोग प्रांतों को शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए कर सकती है।

भारत की नेबरहुड पॉलिसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #108- भारत की नेबरहुड पॉलिसी: संभावनाएं और चुनौतियां

2.2. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भूटान के राजा और रानी अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। इस दौरान एक **संयुक्त वक्तव्य** जारी किया गया।

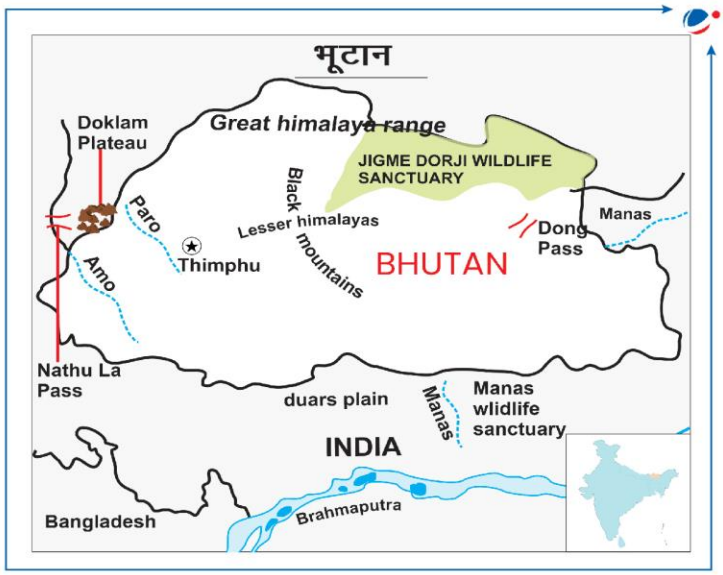

संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- भारत के प्रधान मंत्री ने भूटान नरेश को **गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना के लिए भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन** दिया। इस परियोजना से भूटान की समृद्धि बढ़ेगी।
  - यह करीब **2500 वर्ग किलोमीटर में फैली शून्य-कार्बन, सहकारी सिटी परियोजना** है। यह परियोजना वित्त, पर्यटन, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विमानन, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और आध्यात्मिकता में व्यवसायों के लिए स्थान प्रदान करेगी।
- **निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की गई-**
  - **असम के दर्रांगा में एकीकृत चेक पोस्ट खोलने** को पूर्वी भूटान में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए फायदेमंद माना गया।
  - दोनों पक्षों ने जलविद्युत क्षेत्रक में सहयोग के महत्त्व को दोहराया और **पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना** को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, **1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना** पर हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

> **क्या आप जानते है?**
> भूटान के सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** में **सर्वाधिक हिस्सा जलविद्युत की बिक्री (प्राप्त मूल्य)** का है।

- **मजबूत राजनीतिक संबंध:** इसका आधार **1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग संधि** है। इसे **फरवरी 2007** में नवीनीकृत किया गया था। यह संधि दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक संबंधों को रेखांकित करती है।
  - दोनों देशों के बीच **1968 में औपचारिक राजनयिक संबंध** स्थापित हुए थे।
- **पारस्परिक रूप से लाभकारी जल विद्युत सहयोग:** 2006 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौते और इसके 2009 के प्रोटोकॉल द्वारा जल विद्युत सहयोग को नियंत्रित किया जाता है। इससे दोनों देशों को लाभ होता है।
  - **भूटान को लाभ:** भारत भूटान को **जल विद्युत विकास के लिए वित्त-पोषण और ऊर्जा बाजारों तक पहुंच** प्रदान करता है, जो देश के **सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक** है।
    - उदाहरण के लिए- भारतीय विद्युत एक्सचेंजों में डे अहेड और रियल टाइम मार्केट्स पर व्यापार के लिए **बसोछु जलविद्युत और निकाछू जलविद्युत संयंत्रों** तक पहुंच को सुगम बनाया गया है।
  - **भारत को लाभ:** भूटान से आयातित स्वच्छ ऊर्जा संधारणीय रूप से बिजली की कमी को दूर करती है।
- **भारत-भूटान बौद्ध संबंध:** दोनों देश महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर तीर्थयात्रा को बढ़ावा देते हैं।
  - कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने 16वीं सदी के बौद्ध भिक्षु **झाबद्रुंग न्गवांग नामग्याल की प्रतिमा भूटान को उधार** दी थी। उन्हें आधुनिक **भूटान राष्ट्र का संस्थापक** माना जाता है।
- **सीमा-पार वन्यजीव संरक्षण:** उदाहरण के लिए, दोनों देश **ट्रांसबाउंड्री मानस कंज़र्वेशन एरिया (TraMCA)** के माध्यम से भारत के **मानस राष्ट्रीय उद्यान और भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान** में वन्य-जीवों की रक्षा के लिए सहयोग करते हैं।

भूटान के लिए महत्त्व:

- **मुक्त व्यापार व्यवस्था:** व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है। इस समझौते पर पहली बार **1972** में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे **2016 में संशोधित** किया गया था।
  - यह भूटानी निर्यात को तीसरे देशों में **शुल्क-मुक्त पारगमन की अनुमति** देता है।
- **विकास सहायता:** भारत ने भूटान की **13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29)** के तहत भूटान के लिए विकास सहायता राशि बढ़ाई है। साथ ही, भूटान के **आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम** का समर्थन भी किया है।

- **भारत एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में:**
  - **डोकलाम गतिरोध:** 2017 में, भारत ने **2007 की भारत-भूटान स्थायी मैत्री संधि का इस्तेमाल करके भूटान के नियंत्रण वाली उस ज़मीन पर कदम रखा,** जिस पर चीन दावा करता है, ताकि चीन को **गिपमोची** तक सड़क बनाने से रोका जा सके।
  - **IMTRAT:** भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (IMTRAT) भूटानी बलों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। IMTRAT को **1961-62** में स्थापित किया गया था।
- **अवसंरचना विकास:** भारत के **सीमा सड़क संगठन (BRO) ने परियोजना 'दंतक'** के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है।
- **भारत द्वारा समर्थन के अन्य क्षेत्र:**
  - भारत में अध्ययन करने हेतु **भूटानी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति;**
  - भारत **भूटान के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 50%** का योगदान देता है;
  - भारत भूटान में **ऑप्टिकल फाइबर** स्थापित करने के लिए **'डिजिटल ड्रुक्युल'** हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है आदि।

भारत के लिए महत्त्व:

- **व्यापार:** भारत भूटान का **सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष** में है।
- **सामरिक अवस्थिति:** भूटान भारत का एक सामरिक साझेदार है, क्योंकि यह चीन और भारत के बीच, विशेष रूप से संवेदनशील चुम्बी घाटी में एक बफर एरिया के रूप में कार्य करता है।

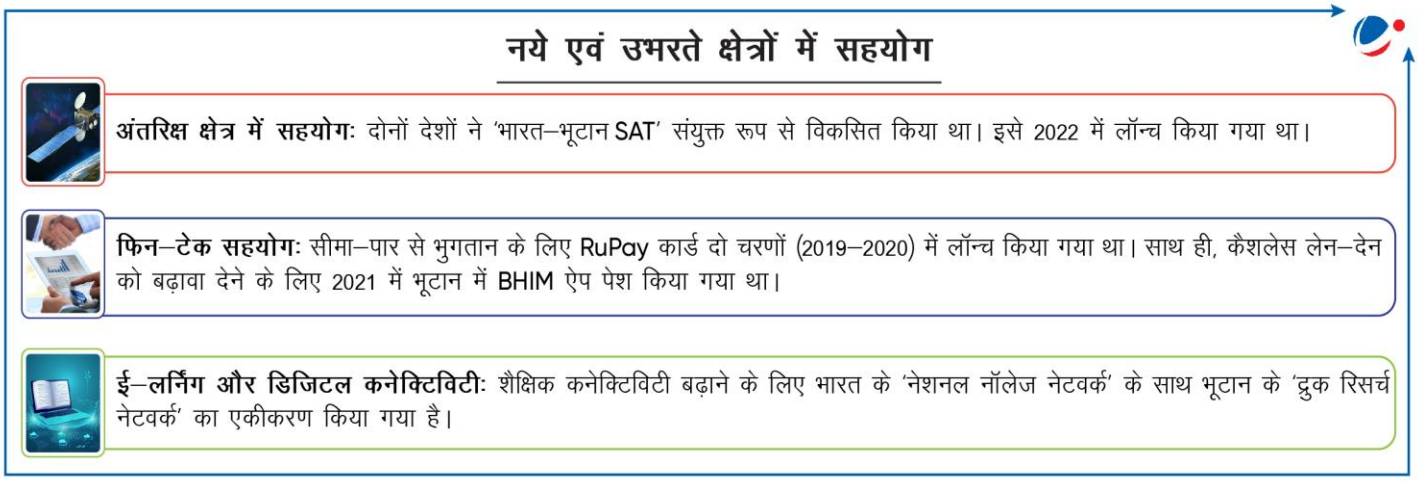

भारत-भूटान संबंधों में बढ़ती चिंताएं

- **चीन और भूटान के बीच बढ़ती नजदीकी:**
  - हालांकि, भूटान का चीन में राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी 2023 में भूटान के विदेश मंत्री ने **चीन की पहली यात्रा** की थी।
  - **चीन भूटान की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव** डालता है तथा इसके **व्यापार में 25% से अधिक का योगदान** करता है ।
  - भूटान चीन के साथ **राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने** के पक्ष में हैं।
- **चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता:** चीन भूटान को अपनी **"फाइव फिंगर पॉलिसी"** का हिस्सा मानता है। इस पॉलिसी के तहत **तिब्बत को हथेली और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान व अरुणाचल प्रदेश** को अंगुलियां माना जाता है।
- **भूटान-चीन सीमा विवाद:** भूटान और चीन ने अक्टूबर 2021 में सीमा विवाद समाधान को तेज करने के लिए **"तीन-चरणीय रोडमैप"** पर हस्ताक्षर किए थे।
  - **भारत को डर है कि चीन भूटान पर डोकलाम पठार** पर पहुंच या नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाल सकता है। इससे **भारत के सामरिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा** हो सकता है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - **उग्रवादी समूह:** भारत के उत्तर-पूर्व के विद्रोही समूह, जैसे **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (NDFB),** भूटान को अपने छिपने के स्थान के रूप में उपयोग करते हैं।
  - **रुकी हुई परियोजनाएं:** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने **BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत व नेपाल) मोटर वाहन समझौते** को रोक दिया है।

निष्कर्ष

भूटान चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत की भागीदारी भूटान की क्षेत्रीय सुरक्षा और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि दोनों देश उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए एक साथ समृद्ध होते रहें। भारत को निरंतर विकास सहायता के माध्यम से आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आपसी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा, मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले शैक्षिक सहयोग तथा गहरी जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक संबंधों की खोज के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है।

2.3. भारत-कुवैत संबंध (India-Kuwait Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने **कुवैत की यात्रा** की। यह **43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधान मंत्री की पहली यात्रा** थी।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **पुरस्कार वितरण:** भारतीय प्रधान मंत्री को कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार **'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर'** से सम्मानित किया गया।
- **रणनीतिक साझेदारी:** भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** भारत ने सतत ऊर्जा सहयोग के लिए कुवैत के ISA में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया।
- **एशियन कोऑपरेशन डायलॉग (ACD):** क्षेत्रीय सहयोग में ACD के महत्त्व पर बल दिया गया।
  - गौरतलब है कि **ACD का उद्घाटन 2001 में एशिया की सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने के उद्देश्य** से किया गया था। इसमें **35 देश शामिल** हैं। भारत **इसका संस्थापक सदस्य** है।
- **भारत-GCC सहयोग:** कुवैत ने भारत और GCC (खाड़ी सहयोग परिषद) के सदस्य देशों के बीच मजबूत संबंधों का समर्थन करने की बात कही। वर्तमान में **GCC की अध्यक्षता कुवैत** के पास है।
- **रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर:** सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कर्मियों एवं विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति आदि शामिल हैं।
- **अन्य विकास**
  - **नवीनीकृत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2025-2029)** पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम **कला, साहित्य और संस्कृति** को बढ़ावा देगा।
  - भारत ने आतंकवाद से निपटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए **चौथे दुशांबे प्रक्रिया चरण की मेजबानी** के लिए कुवैत की सराहना की।

भारत–कुवैत संबंध: एक नजर में

कुवैत एयरलिफ्ट, 1990	भारत ने **अगस्त से अक्टूबर 1990 के बीच कुवैत से 1,70,000 से अधिक भारतीयों को रिकॉर्ड एयरलिफ्ट** किया था। यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
राजनयिक संबंध	**1961 में ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट से कुवैत की स्वतंत्रता** के बाद भारत उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले **पहले देशों में से एक** था।
भारतीय समुदाय की भागीदारी	कुवैत में **1 मिलियन भारतीय** रहते हैं, इस तरह भारतीय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में CBSE **के अधीन संचालित 26 स्कूल** हैं, जिनमें **लगभग 60,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं।**
ऊर्जा व्यापार	कुवैत, भारत को **कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता** है।
ऐतिहासिक संबंध	भारत विगत कई वर्षों से कुवैत के **शीर्ष व्यापारिक साझेदार देशों में से एक** है। **1961** तक, कुवैत में **भारतीय रुपया** लेन–देन की एक वैध मुद्रा थी।
निवेश	**कुवैत निवेश प्राधिकरण** (KIA) ने भारत में अप्रत्यक्ष माध्यमों से **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश** किया है
द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौता	इसे **2003** में कुवैत के साथ **15 वर्षों की अवधि** के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इसकी अवधि **2018** में समाप्त हो गई है।

भारत-कुवैत संबंधों में भारत का हित

- **कुवैत की सामरिक अवस्थिति और भारत के हित:** क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में दोनों देशों की आपसी रुचि है। इनमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के समुद्री मार्ग शामिल हैं, जो विश्व के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से हैं।
  - इसके अलावा, **कुवैत की सामरिक अवस्थिति** भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं, जैसे कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) को बढ़ावा देगी।
- **कुवैत की पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है:** कुवैत के पास विश्व के 6% तेल भंडार और पर्याप्त प्राकृतिक गैस भंडार हैं। कुवैत को तेल से जो राजस्व प्राप्त होता है, वह उसकी कुल आय का 94% है।
  - **कुवैत भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 3.5% तक पूरा** करता है। साथ ही, उसने भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में भी रुचि दिखाई है।
  - इसके अलावा, **पेट्रोकेमिकल क्षेत्रक** सहयोग के लिए एक और आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत का तेजी से बढ़ता पेट्रोकेमिकल उद्योग **2025 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने** का अनुमान है।
- **भारत एक प्रमुख निवेश गंतव्य है:** कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (KIA) दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड (लगभग 1 बिलियन डॉलर) में से एक का प्रबंधन करती है। यह फंड **नॉर्वे, चीन और संयुक्त अरब अमीरात** के फंड के बाद चौथा सबसे बड़ा फंड है।
- **GCC के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने में भारत की रुचि (बॉक्स देखें):** कुवैत वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की **अध्यक्षता** कर रहा है।
- **भारत और कुवैत के भू-राजनीतिक हित:** भारत और कुवैत के बीच बढ़ते राजनीतिक संबंध (जो भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है), तेल व्यापार से आगे बढ़ते हुए, विकसित होते भारत-खाड़ी संबंधों को दर्शाते हैं।
  - यह **रणनीतिक नई दिशा** भारत को खाड़ी क्षेत्र में एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है।

भारत-कुवैत संबंधों में चिंतनीय मुद्दे

- **प्रवासी कल्याण और श्रम से संबंधित मुद्दे:** कुवैत में भारत का बड़ा प्रवासी समुदाय श्रम अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2024 में मंगाफ़ में लगी आग में **40 भारतीयों की मौत हो गई थी**, जो काम करने की खराब परिस्थितियों को उजागर करता है।
- **सीमित आर्थिक विविधता:** ऊर्जा क्षेत्रक व्यापारिक संबंधों का मुख्य आधार है, लेकिन अन्य क्षेत्रकों में दोनों देशों की आर्थिक भागीदारी सीमित है। इसके अलावा, भारत का कुवैत के साथ व्यापार घाटा भी है।
- **खाड़ी में भू-राजनीतिक तनाव:** खाड़ी युद्ध और यमन एवं सीरिया में चल रहे तनाव जैसे क्षेत्रीय संकटों के दौरान कुवैत का राजनयिक रुख कभी-कभी भारत की गैर-हस्तक्षेपवादी नीति से भिन्न हो सकता है।

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

- **GCC की स्थापना:** इसकी स्थापना **1981** में की गई थी।
- **GCC सदस्य:** यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें **6** सदस्य शामिल हैं: **बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।**

भारत और GCC संबंध

- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** GCC भारत के विदेश व्यापार में सबसे बड़े व्यापारिक गुटों में से एक है।
  - **उदाहरण के लिए-** 2023-24 में भारत और GCC देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 14%** था।
  - **व्यापार संतुलन मुख्यतः GCC के पक्ष** में है, क्योंकि **भारत GCC देशों से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात** करता है।
  - **निवेश:** 2000 और 2024 के बीच महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो निवेशों को छोड़कर, भारत को GCC देशों से लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल FDI प्राप्त हुआ था।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** GCC देश **भारत की कच्चे तेल आवश्यकता का 50% और प्राकृतिक गैस का 70%** आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, **कतर भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।**
- **भारतीय प्रवासी और विप्रेषण:** GCC देशों में 8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो GCC देशों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। GCC देश **संयुक्त राज्य अमेरिका** के बाद भारत के लिए विप्रेषण का **दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** भी हैं।

भारत-GCC संबंधों में चुनौतियां

- **क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता ने इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया है। इससे कूटनीतिक और आर्थिक संबंध जटिल हो गए हैं।

- **श्रम प्रवासन और सामाजिक मुद्दे:** भारत ने GCC देशों में **कफाला प्रणाली** को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के शोषण, मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दे सामने आए हैं। **कफाला** एक प्रायोजक (Sponcership) प्रणाली है। इसके तहत श्रमिक, एक अनुबंध के माध्यम से कफील (प्रायोजक) से जुड़े होते हैं, जो उनके प्रवास की स्थिति को नियंत्रित करता है।
    - **उदाहरण:** *द गार्जियन* की 2021 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि फीफा विश्व कप की मेजबानी मिलने के बाद से कतर में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के लगभग 6,500 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु हो गई है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताओं में धीमी प्रगति:** वर्तमान में जारी वार्ताओं के बावजूद, भारत-GCC FTA का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इससे गहन आर्थिक एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण पर भेदभावपूर्ण "एशियाई प्रीमियम":** ओपेक (OPEC) देशों द्वारा लगाए गए "एशियाई प्रीमियम" के परिणामस्वरूप पश्चिमी खरीदारों की तुलना में भारत सहित एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें अधिक हो जाती हैं।

निष्कर्ष

भारत की हालिया कुवैत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हुए, नवीनीकृत द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने, नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति और भर्ती एजेंटों की सख्त निगरानी को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

2.4. व्यापार का शस्त्रीकरण (Trade Weaponization)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्री ने **व्यापार के बढ़ते शस्त्रीकरण** और उसके कारण हुए रोजगार वंचन के बारे में चिंता व्यक्त की।

व्यापार का शस्त्रीकरण क्या है?

- सरल शब्दों में, व्यापार के शस्त्रीकरण का अर्थ है व्यापार को आर्थिक लक्ष्य की बजाय विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में उपयोग करना।
- यह अवधारणा **व्यापार संबंधी नीतियों और साधनों के रणनीतिक उपयोग** को व्यक्त करती है। इसमें कोई देश किसी **व्यापारिक भागीदार को उसकी आर्थिक कमजोरियों और व्यापार संबंधों में असंतुलन का लाभ उठाकर** आर्थिक नीति व कूटनीतिक संबंधों जैसे क्षेत्रकों में अपने व्यवहार को बदलने के लिए विवश करता है।
    - यद्यपि **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आम तौर पर कल्याण को बढ़ाता है, लेकिन यह असमान अंतरनिर्भरता** भी पैदा कर सकता है, जहां आर्थिक संबंध टूटने पर एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- व्यापार का एक **हथियार के रूप में इस्तेमाल** किया जा सकता है, ताकि **किसी देश को अपने सुरक्षा गठबंधनों को बदलने के लिए मजबूर** किया जा सके, जैसा कि 1973 के तेल व्यापार प्रतिबंध के मामले में हुआ था।
    - 1973 में, अरब देशों ने इजरायल के लिए अमेरिका के 2.2 बिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज के विरोध में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर तेल व्यापार प्रतिबंध लगा दिया था।

क्या आप जानते हैं?

व्यापार युद्ध समान **शक्तिशाली देशों (जैसे–चीन और अमेरिका) के बीच** आर्थिक संघर्ष है। यह प्रशुल्क और व्यापारिक बाधाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए होता है। दूसरी ओर, **व्यापार का शस्त्रीकरण** तब होता है, जब कोई **अधिक शक्तिशाली देश** कम शक्तिशाली देशों पर भू–राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए **व्यापार का उपयोग एक साधन** के रूप में करता है।

व्यापार शस्त्रीकरण के प्रमुख साधन

- **चयनात्मक आयात/ निर्यात प्रतिबंध:** उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका का **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) जो ईरान, रूस और उत्तर कोरिया को लक्षित** करता है।
- **आर्थिक निर्भरता का शोषण:** उदाहरण के लिए- **चीन 20 महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में अग्रणी** है, जो वैश्विक उत्पादन का **60%** है। साथ ही, **दुर्लभ भू-धातु प्रसंस्करण का 85%** चीन में संपन्न होता है।
    - यह रणनीतिक लाभ चीन को संभावित रूप से निर्यात को प्रतिबंधित करने या कीमतों में हेरफेर करने में सक्षम बनाता है। इससे वह वन चाइना पॉलिसी जैसे भू-राजनीतिक साधनों के माध्यम से अन्य देशों पर दबाव डालने में सक्षम हो जाता है।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं:** कस्टम क्लीयरेंस को रोकना तथा पर्यावरण, जैव सुरक्षा, बौद्धिक संपदा मानकों आदि से संबंधित बाधाएं।

- उदाहरण के लिए, **यूरोपीय संघ ने कृषि उत्पादों पर सख्त लेबलिंग और प्रमाणन आवश्यकताओं को लागू** किया है। इससे भारतीय किसानों के लिए यूरोपीय संघ के बाजार में अपने उत्पाद बेचना मुश्किल हो गया है।

- **मुद्रा में हेरफेर:** उदाहरण के लिए, **चीन पर अपनी मुद्रा के अवमूल्यन** का आरोप लगाया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में चीनी निर्यात सस्ता और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- **राष्ट्रीय एजेंडे को पूरा करना:** 2010 में चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता लियू शियाओबो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद, **चीन ने नॉर्वे के साथ व्यापार कम** कर दिया था।
  - लियू की मृत्यु के बाद **2018 में नॉर्वे के राजा की चीन यात्रा के बाद ही व्यापार में सुधार आना शुरू** हुआ था।

व्यापार शस्त्रीकरण के परिणाम

- **आर्थिक परिणाम:** आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, व्यापार में कमी और सीमित बाजार पहुंच के कारण आर्थिक संवृद्धि मंद हो जाती है, नौकरियां चली जाती हैं तथा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ये सभी परिणाम विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावित करते हैं।
- **भू-राजनीतिक परिणाम:** व्यापार विवादों से व्यापक भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इससे संभावित रूप से राजनयिक संकट पैदा हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और रूस ने जवाबी प्रतिबंध लगाए। इस आर्थिक संघर्ष ने उनके तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर दिया, जिससे शीत युद्ध जैसा माहौल बन गया।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं का कमजोर होना:** व्यापार का शस्त्रीकरण बहुपक्षवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। बहुपक्षवाद नियम-आधारित तंत्रों को स्थापित करने के लिए सहयोग पर निर्भर करता है। साथ ही, यह राष्ट्रों के बीच विश्वास को भी कम करता है।
  - उदाहरण के लिए- विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया है।

भारत के खिलाफ व्यापार के शस्त्रीकरण का उपयोग

पश्चिमी देशों ने भारत की आर्थिक और तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है। उदाहरण के लिए-

- **खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना: भारत ने 1954 में सार्वजनिक कानून (PL) 480** के तहत अमेरिका के साथ खाद्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  - हालांकि, अमेरिका ने **1960 के दशक के अंत में** सहायता रोक दी थी, क्योंकि भारत ने अमेरिका के औद्योगिक निजीकरण जैसे नीतिगत बदलावों को मानने से इनकार कर दिया था।
  - इस पृष्ठभूमि में **सी. सुब्रमण्यम ने "हरित क्रांति"** की परिकल्पना की थी, जिसने **अंततः भारत को खाद्यान्न का शुद्ध निर्यातक** बना दिया।
- **परमाणु ऊर्जा:** उदाहरण के लिए- **1974 और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे और साथ ही, स्वदेशी स्तर पर यूरेनियम की भी कमी** थी। इन सब परेशानियों को दरकिनार करते हुए भारत ने स्वदेशी **थोरियम के भंडार** का उपयोग करने के लिए एक **विशिष्ट 3-चरणीय परमाणु कार्यक्रम** विकसित किया है।

व्यापार के शस्त्रीकरण से निपटने के उपाय

- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन**
  - **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)[5]:** यह **ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान** के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। यह पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला नीति और सिद्धांतों को बढ़ावा देती है।
  - **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF):** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए IPEF की स्थापना की गई है।
  - **खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)[6]:** यह महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपूर्ति श्रृंखलाएं आधुनिक प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए आवश्यक हैं।
- **प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करना: चाइना प्लस वन; फ्रेंड शोरिंग** जैसी रणनीतियां पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
  - **चाइना प्लस वन:** एक व्यावसायिक रणनीति है, जो केवल चीन में निवेश करने से रोकती है।
  - **फ्रेंड शोरिंग:** आर्थिक और राजनीतिक सहयोगियों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर केंद्रित है।

[5] Supply Chain Resilience Initiative

[6] Mineral Security Partnerships

- **घरेलू उत्पादन को मजबूत करना:** महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए स्थानीय उद्योगों में निवेश करने से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
    - उदाहरण के लिए- भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **"मेक इन इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों को नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और व्यापार विवादों को हल करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

व्यापार का बढ़ता शस्त्रीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाकर, आर्थिक लचीलापन बढ़ाकर और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देकर, राष्ट्र इन जोखिमों को कम कर सकते हैं। साथ ही, अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.5.1. यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल हुआ (UK Joins CPTPP)

CPTPP **इंडो-पैसिफिक** क्षेत्र में एक **व्यापार समूह** है। **यूनाइटेड किंगडम (UK)** इस व्यापार समूह में शामिल होने वाला **पहला यूरोपीय देश** बन गया है।

- गौरतलब है कि 2023 में **CPTPP के पक्षकारों** और **यूनाइटेड किंगडम** के बीच **सदस्यता प्राप्ति प्रोटोकॉल यानी एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर** किए गए थे। इससे CPTPP में यूनाइटेड किंगडम के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

CPTPP के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह प्रशांत क्षेत्र का एक **मुक्त व्यापार समझौता** है। इस पर **मार्च, 2018 में चिली के सैंटियागो में मूल रूप से 11 देशों ने हस्ताक्षर** किए थे। उस समय इसे **ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP)** का नाम दिया गया था। वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका **TPP** से अलग हो गया।
    - बाद में शेष बचे सदस्य देशों ने एक अलग **CPTPP** पर समझौता किया और इसमें TPP के प्रावधानों को शामिल किया गया। इसके बाद 30 दिसंबर, 2018 को **CPTPP** लागू हुआ।
- **सदस्य: यूनाइटेड किंगडम** को मिलाकर इसमें कुल **12 सदस्य देश** शामिल हैं। इसके अन्य सदस्य हैं- **ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर** और **वियतनाम**।
- **महत्त्व:** इसके सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) **वैश्विक GDP का लगभग 15%** है। यह ट्रेड ब्लॉक **अपने सदस्य देशों के उत्पादों को 500 मिलियन से अधिक लोगों वाले विशाल बाजार तक पहुंच** प्रदान करता है।

भारत के लिए CPTPP जैसे बहुपक्षीय व्यापार समूहों का महत्त्व

- हाल ही में, नीति आयोग के CEO ने भारत को **CPTPP** और **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** जैसे व्यापार समूहों में **शामिल होने का समर्थन** किया है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:
    - **आर्थिक अवसर:** ये व्यापार समूह भारत को **नए बाजारों में प्रवेश का अवसर** प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये **"चाइना प्लस वन" रणनीति** से लाभ उठाने में भी मदद कर सकते हैं।

- **निर्यात के लिए विशाल बाजार:** ये व्यापार समूह **अपने सदस्य देशों के आयात पर कम टैरिफ** लगाते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को भी कम टैरिफ पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विस्तृत बाजार में प्रवेश का अवसर मिल जाएगा। इससे भारतीय **निर्यात को बढ़ावा** मिलेगा।
  - इसका सबसे अधिक लाभ **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक** को मिलेगा, क्योंकि भारत के निर्यात में इनकी **हिस्सेदारी लगभग' 40%** है।

2.5.2. नेपाल और चीन ने BRI सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए (Nepal and China Signed BRI Cooperation Framework)

इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर से **नेपाल में BRI परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त** होने की संभावना है। गौरतलब है कि **नेपाल 2017 में BRI में शामिल** हो गया था।

- साथ ही, दोनों देशों ने **ट्रांस-हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMDCN)** विकसित करने और सड़क, रेलवे, एविएशन एवं पावर ग्रिड संबंधी अवसंरचना में सुधार के लिए भी प्रतिबद्धता प्रकट की।
- ज्ञातव्य है कि **पाकिस्तान** और **श्रीलंका** भी BRI में शामिल हैं।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2013 में **'वन बेल्ट वन रोड'** के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से **एशिया को अफ्रीका व यूरोप से जोड़ना है।**
- **उद्देश्य:** क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट:** यह एक अंतर-महाद्वीपीय मार्ग है।
  - **समुद्री रेशम मार्ग:** यह एक समुद्री मार्ग है।

BRI को लेकर भारत की प्रमुख चिंताएं

- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** नेपाल भारत के साथ लगभग 1700 किमी की एक लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत और चीन के मध्य नेपाल एक बफर जोन के रूप में स्थित है। चीन की अवसंरचना परियोजनाएं संघर्ष की स्थिति में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों को और अधिक असुरक्षित बना देंगी।
  - उदाहरण के लिए- **पोखरा में चीन द्वारा वित्त-पोषित हवाई अड्डा, भारतीय सीमा के निकट है।**
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** चीन के आर्थिक प्रभाव से नेपाल चीन के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ सकता है। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हो सकता है।
  - **"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति:** यह चीन की रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य चीन-समर्थक देशों से भारत को घेरना है।
  - **ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy):** चीन, नेपाल पर ऋण जाल का उपयोग करके प्रभाव डाल सकता है।
- **अन्य:**
  - भारत वर्तमान में **नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत सीमा-पार ऊर्जा व्यापार में भी निवेश** कर रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव इन व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है।

2.5.3. फेवा डायलॉग (Phewa Dialogue)

हाल ही में **नेपाल और चीन ने "फेवा डायलॉग" सीरीज** शुरू की।

फेवा डायलॉग के बारे में

- इस **डायलॉग या संवाद का नाम नेपाल की प्रसिद्ध फेवा झील** के नाम पर रखा गया है।
  - यह **नेपाल की सबसे बड़ी झीलों में से एक** है। यह **पोखरा घाटी में स्थित** है।
- यह **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर नेपाल का पहला आधिकारिक थिंक टैंक फोरम** है।

2.5.4. भारतीय रासायनिक परिषद OPCW-द हेग पुरस्कार से सम्मानित (Indian Chemical Council Wins OPCW-The Hague AWARD)

OPCW द हेग पुरस्कार 2024, भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) को प्रदान किया गया।

- **रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)** का प्रतिष्ठित **द हेग पुरस्कार** भारतीय रासायनिक परिषद को **केमिकल सेफ्टी को बढ़ावा देने** और **रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के सख्त पालन के लिए** प्रदान किया गया है।
- यह **पहली बार** है कि **रासायनिक उद्योग से संबंधित किसी संस्था** को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
- 2014 में **रासायनिक हथियार निषेध संगठन** द्वारा CWC के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए द हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
- **भारत में कार्यान्वयन: नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (NACWC)** भारत में CWC के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
    - NACWC की स्थापना **रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000** के तहत की गई थी।

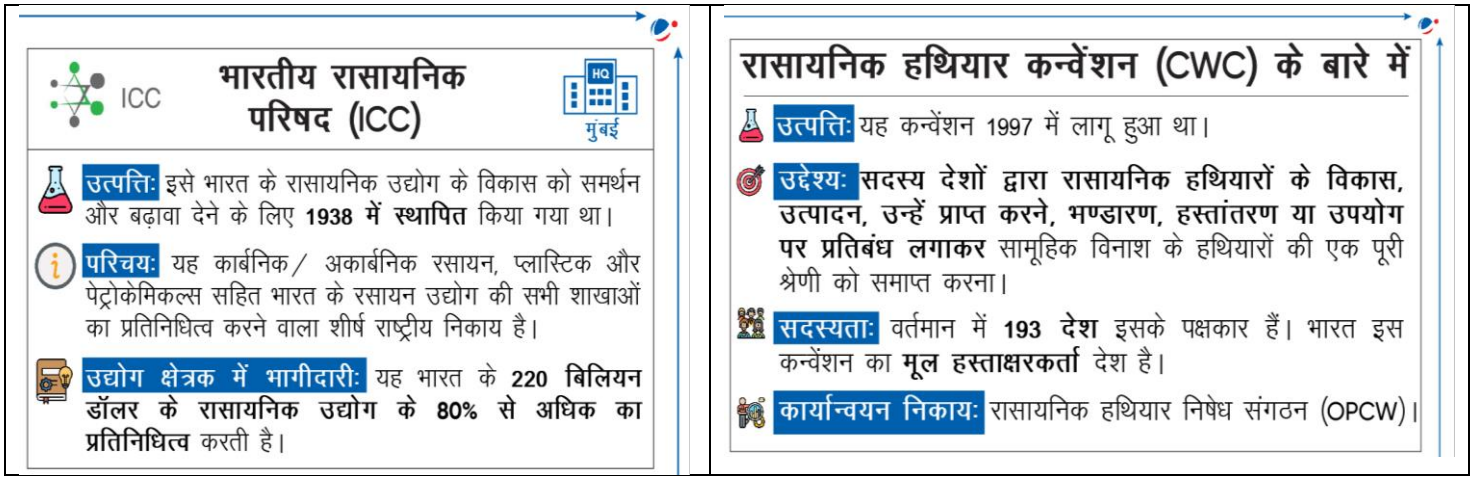

2.5.5. यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स (United Nations Disengagement Observer Force: UNDOF)

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासचिव** ने **ब्रिगेडियर अमिताभ झा** को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमिताभ झा **यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स** के तहत **गोलन हाइट्स** पर तैनात थे।

UNDOF के बारे में

- **मुख्यालय: कैंप फौआर** (सीरिया के हिस्से वाला गोलन हाइट्स)।
- इसे इजरायल और सीरिया के बीच **1974** के **डिसएंगेजमेंट ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट** के बाद **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** के **संकल्प 350 (1974)** द्वारा स्थापित किया गया था।
- **सौंपे गए कार्य:** गोलन हाइट्स में एरिया ऑफ सेपरेशन (डिमिलिटराइज्ड बफर ज़ोन) और एरिया ऑफ लिमिटेशन (इजरायली एवं सीरियाई सैनिकों के लिए निर्धारित सीमाएं) की निगरानी करना तथा युद्ध विराम को बनाए रखना।
    - **हर 6 महीने में इन कार्यों का नवीनीकरण किया जाता है।** वर्तमान में इसे जून, 2025 तक नवीनीकृत किया गया है।
- भारत, UNDOF में **तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता** है।

2.5.6. "क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" पहल ("Crossroads of Peace" Initiative)

हाल ही में **भारत-ईरान-आर्मेनिया** के बीच **त्रिपक्षीय परामर्श वार्ता** संपन्न हुई।

- इस वार्ता के दौरान **आर्मेनिया के प्रतिनिधियों** ने अपनी कनेक्टिविटी पहल, **"क्रॉसरोड्स ऑफ पीस"** के बारे में जानकारी दी।

"क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" पहल के बारे में

- यह एक महत्वाकांक्षी **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना** है। इसका उद्देश्य **आर्मेनिया को उसके पड़ोसी देशों से अलग-अलग कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ना** है।
    - आर्मेनिया के पड़ोसी देश हैं- **तुर्की, अजरबैजान, ईरान** और **जॉर्जिया**।

- **उद्देश्य:** इन देशों के बीच **सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, केबल और बिजली लाइन** जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का विकास और उनमें सुधार करना है। इससे इन देशों के बीच वस्तुओं, ऊर्जा और यात्रियों की सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस पहल का उद्देश्य **कैस्पियन सागर को भूमध्य सागर** से और **फारस की खाड़ी को काला सागर** से आसान और अधिक दक्ष परिवहन लिंक के माध्यम से जोड़ना है।

2.5.7. केर्च जलडमरूमध्य या केर्च स्ट्रेट (Kerch Strait)

हाल ही में, तूफान की वजह एक **रूसी टैंकर** टूट गया। इससे **केर्च स्ट्रेट जलमार्ग में तेल का रिसाव** हो गया।

- दो भूखंडों के बीच के संकरे जलमार्ग को **स्ट्रेट यानी जलडमरूमध्य** कहा जाता है। इस तरह का जलमार्ग **दो बड़े जल निकायों,** जैसे कि दो सागरों को जोड़ता है।
- **केर्च स्ट्रेट के बारे में**
  - **अवस्थिति:** यह क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। यह **काला सागर और आज़ोव सागर** को जोड़ता है।
  - **महत्त्व**: इसी जलडमरूमध्य के माध्यम से रूस में उत्पादित अनाज, कच्चे तेल, ईंधन, LNG आदि का मुख्य रूप से निर्यात होता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

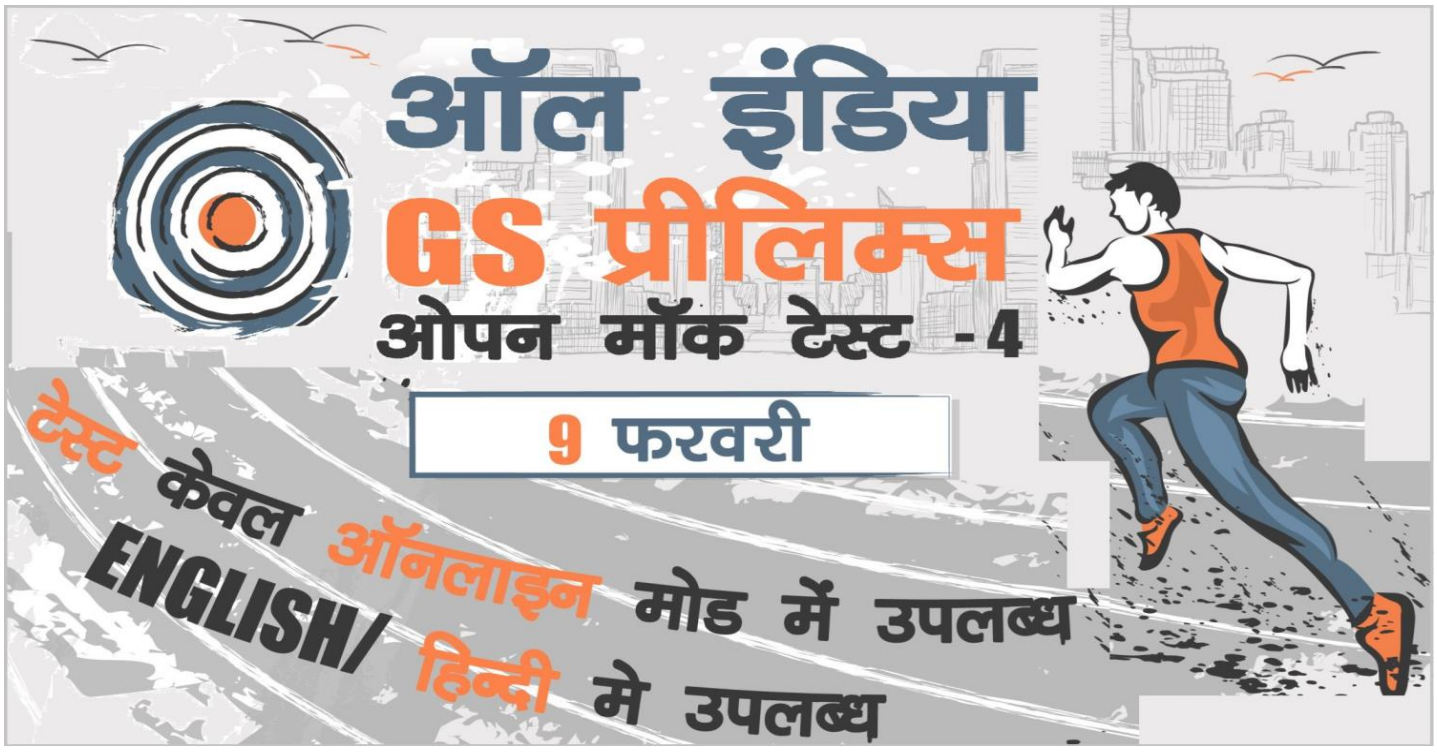

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **'राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन[7]'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम **"राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार[8]"** है।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति

- **सकल राजकोषीय घाटा (GFD)[9] में गिरावट:** राज्य सरकारों ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान अपने **सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% के नीचे** नियंत्रित रखा है।
  - भारतीय राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा **1998-99 से 2003-04** के दौरान **GDP के औसतन 4.3%** के बराबर था। यह **2004-05 से 2023-24 के दौरान से घटकर 2.7%** हो गया।
- **राजस्व घाटा:** राज्यों ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा **GDP के 0.2%** स्तर पर बनाए रखा है।
- **व्यय की गुणवत्ता में सुधार:** पूंजीगत व्यय **2022-23 में GDP का 2.2%** था, जो बढ़कर **2023-24 में 2.6%** हो गया। गौरतलब है कि पूंजीगत व्यय से **भौतिक/ वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण** होता है।
- **राज्यों का ऋण:** यह मार्च, 2004 के अंत में **GDP के 31.8%** के बराबर था, जो **घटकर मार्च, 2024 के अंत में GDP के 28.5%** पर आ गया।
  - हालांकि, अभी भी यह **20%** के उस स्तर से काफी ऊपर है, जिसकी सिफारिश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)[10] समीक्षा समिति (2017) और **FRBM अधिनियम, 2003** में की गई थी।

FRBM अधिनियम, 2003 के बारे में

- राजकोषीय प्रबंधन में सभी पीढ़ियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे जुलाई, 2004 में लागू किया गया था।
- यह राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, ताकि वर्तमान उधार का बोझ भविष्य की पीढ़ियों को नहीं उठाना पड़े।
- इसे **वर्ष 2004, 2012, 2015 और 2018** में चार बार संशोधित किया जा चुका है।
- **अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य:**
  - **राजकोषीय घाटे** को **सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित** रखना।
  - **2024-25 तक कुल सरकारी ऋण को GDP के 60%** तक सीमित रखने का लक्ष्य है, जिसमें केंद्र सरकार का ऋण GDP के **40%** और राज्य सरकार का ऋण GDP के **20%** तक सीमित रहेगा।

कुछ राज्यों का राजकोषीय घाटा अब भी अधिक क्यों है?

- **केंद्र से राज्यों को धन अंतरण में कमी:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति की समाप्ति और वित्त आयोग के अनुदानों में कमी के कारण केंद्र से राज्यों को मिलने वाले **अनुदानों में गिरावट** दर्ज की गई है।
  - उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 275(1)** के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान 2022-23 से 2023-24 के दौरान **18% से अधिक घट गए (बजट 2024-25)।**
- **बिजली क्षेत्रक में नुकसान:** विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs)[11] की कुल संचयी हानि 2022-23 तक 6.5 लाख करोड़ रुपये (GDP का 2.4%) हो गई (पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 2024)।

---

[7] State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 Report

[8] Fiscal Reforms by States

[9] Gross Fiscal Deficit

[10] Fiscal Responsibility and Budget Management

- **बढ़ता सब्सिडी बोझ:** कृषि ऋण माफी; मुफ्त/ सब्सिडी सेवाएं (जैसे कि कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बिजली सब्सिडी, मुफ्त परिवहन सेवा, आदि); किसानों, युवाओं, महिलाओं आदि को नकद अंतरण जैसी योजनाओं के कारण राज्यों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है।
- **राजकोषीय डेटा और रिपोर्टिंग की कम विश्वसनीयता:** राज्यों के रिपोर्टिंग मानक अक्सर वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप नहीं होते।
    - इससे रिपोर्टिंग में अस्पष्टता, लोक खाता मदों[12] के साथ अलग-अलग व्यवहार, असमान नामकरण और ऋण देनदारियों की रिपोर्टिंग में कमी जैसी चिंताएं देखने को मिलती हैं।

शब्दावली को जानें

- **सकल राजकोषीय घाटा:** यह दर्शाता है कि सरकार को कुल कितना ऋण लेना आवश्यक है।
  सूत्र: सकल राजकोषीय घाटा=
  कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + गैर–ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियां)
  या
  निवल घरेलू उधार + **RBI** से उधार + विदेश से उधार
- **राजस्व घाटा:** यह सरकार के रोजमर्रा के खर्चों और सामान्य संचालन लागत को कवर करने में धन की कमी को दर्शाता है।
  सूत्र: राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय – कुल राजस्व प्राप्तियां

- **राज्यों में राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी अन्य चुनौतियां:**
    - **राजकोषीय डेटा का अभाव:** कुछ राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में डेटा की अनुपलब्धता, कुछ मामलों में डेटा में देरी, आदि के कारण **त्रैमासिक डेटा जारी नहीं** किया जाता है।
    - **राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन में देरी:** इसके कारण स्थानीय सरकारी निकायों को फंड ट्रांसफर में बाधा आती है, क्योंकि ये निकाय राज्य सरकारों के फंड्स पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।
    - **केंद्र सरकार की अत्यधिक योजनाएं:** ये राज्य सरकार के खर्च करने की स्वायत्तता को कम करती हैं और सहकारी राजकोषीय संघवाद की भावना को कमजोर करती हैं।
    - **आर्थिक, जलवायु और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं:** ये राजकोषीय जोखिमों को बढ़ाती हैं, जिससे बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक राजस्व और व्यय में बड़ा अंतर हो जाता है।

राज्यों द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (FRLs):** राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम/ FRLs के कार्यान्वयन से राजकोषीय नीतिगत रणनीतियों के निर्माण, मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाओं (MTFPs)[13] के विकास और पारदर्शिता में सुधार को बढ़ावा मिला है।
- **संस्थागत सुधार:** नीति आयोग की सहायता से असम, गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों ने **"स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉरमेशन"** की स्थापना की है।
- **व्यय सुधार:**
    - **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को अपनाना:** इससे नकली/ डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने और लीकेज को रोकने में मदद मिली है।
    - **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):** पुरानी पेंशन योजना को बदलकर इसे अपनाया गया है।
    - **सिंगल नोडल एजेंसी (SNA):** इसकी स्थापना से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिली है।
- **कर सुधार:**
    - वस्तु एवं सेवा कर (GST) को अपनाया गया है।
    - ई-गवर्नेंस उपायों जैसे कि ई-पंजीकरण, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान के माध्यम से कर प्रशासन का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे कर नियमों के पालन को सरल बनाया गया और अधिक व्यवसायों को राजस्व के दायरे में शामिल किया गया।
- **बाजार से फंड जुटाने पर अधिक निर्भरता:** 2005-06 में सकल राजकोषीय घाटे (GFD) के वित्त-पोषण में बाजार उधारी की हिस्सेदारी **17%** थी, जो बढ़कर 2024-25 में **79%** हो गई।

---

[11] Distribution Companies

[12] Public account items

[13] Medium-Term Fiscal Plans

- **बिजली क्षेत्रक में सुधार:**
  - **उदय/ UDAY (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)** के माध्यम से राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।
  - पंद्रहवें वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्रक में सुधार के लिए राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)[14] के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी।

कुछ बेहतर उदाहरण या सर्वोत्तम पद्धतियां

अनुपालन को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय:

- **GST सेवा केंद्र (गुजरात):** इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकना है।
- **सुविधा प्रकोष्ठ (हरियाणा):** इसे स्टार्ट-अप्स और MSMEs को GST के पालन में सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- **ई-टेंडरिंग प्रक्रिया (असम):** यह वाइन लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।

राजस्व बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

- **हरियाणा में क्यूआर कोड आधारित ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम** लागू किया गया है। इससे शराब के डायवर्जन को रोकने में मदद मिली है।
- **दिल्ली** में **फेसलेस GST कर प्रशासन** विकसित किया जा रहा है। इसके लिए डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है।
- **ओडिशा में ड्रोन सर्वेक्षण और सैटेलाइट इमेजिंग** का खनन कार्यों की निगरानी करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और खनन क्षेत्रक से राजस्व बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

आगे की राह: रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **"नेक्स्ट जनरेशन" राजकोषीय नियम:**
  - बाहरी संकट का सामना करने के लिए प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति[15] के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।
    - उदाहरण: स्विट्जरलैंड विकेंद्रीकृत राजकोषीय शासन का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां राज्यों को राजकोषीय नियम बनाने की स्वायत्तता है।
  - **जोखिम-आधारित राजकोषीय फ्रेमवर्क अपनाना:** जैसे, अधिक ऋण स्तर और धीमी संवृद्धि दर वाले राज्यों के लिए **सख्त राजकोषीय नियम** आवश्यक हो सकते हैं।
- **मध्यम-अवधि व्यय फ्रेमवर्क (MTEF)[16] अपनाना:** यह फंड उपलब्धता के लिए अग्रिम योजना निर्माण सुनिश्चित करके और जवाबदेही में सुधार करके नीति निर्माण को बजट से जोड़ती है।
- **डेटा-आधारित राजकोषीय नीति निर्माण:** कराधान प्रणाली में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय डेटा उत्पन्न करने और प्रसार प्रक्रिया में सुधार:** उदाहरण के लिए- बकाया देनदारियों पर एक कॉमन फॉर्मेट में डेटा प्रदान किया जा सकता है।
- **DISCOMs के घाटे को कम करना:** उत्पादकता बढ़ाकर, ट्रांसमिशन और वितरण हानियों को कम करके, टैरिफ को बिजली आपूर्ति की वास्तविक लागत के अनुरूप बनाकर, और उत्पादन व वितरण का निजीकरण जैसी पहलों के द्वारा डिस्कॉम के घाटे को कम किया जा सकता है।
- **अन्य सिफारिशें:**
  - सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
  - **"गोल्डन रूल"** लागू करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी चालू/ राजस्व व्यय को चालू राजस्व से वित्त-पोषित किया जाए, जबकि **पूंजीगत व्यय** को उधारी के माध्यम से पूरा किया जाए।
  - **राज्य वित्त आयोग (SFCs) की गठन प्रक्रिया में सुधार करना** चाहिए ताकि स्थानीय निकायों को समय पर और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके।
  - **आउटकम बजटिंग:** खर्च को मापने योग्य आउटकम्स से जोड़ना चाहिए तथा जवाबदेही और लक्षित संसाधन उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **क्लाइमेट बजटिंग को अपनाना** चाहिए।

[14] Gross State Domestic Product

[15] Counter-cyclical fiscal Policy

[16] Medium-Term Expenditure Framework

निष्कर्ष

रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों ने राजकोषीय अनुशासन का प्रदर्शन किया है। हालांकि, विकासात्मक व्यय और देनदारियों के कारण राज्य वित्त पर बोझ बढ़ सकता है। इसलिए, लोक वित्त को मजबूत करने और राजकोषीय स्थिरता व प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सुधार आवश्यक हैं।

नोट: *केंद्र से राज्य को फंड ट्रांसफर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अप्रैल, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.1. देखें।*

3.2. GDP के आधार वर्ष में संशोधन (GDP Base Year Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आधार वर्ष **2011-12** से बदलकर **2022-23** करने के लिए **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)**[17] पर 26 सदस्यीय **सलाहकार समिति** का गठन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह समिति **बिस्वनाथ गोलदार** की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)** पर गठित की गई है। इस समिति का उद्देश्य नए NAS संकलन के लिए **डेटा स्रोतों की पहचान करना** और **गणना पद्धतियों को बेहतर बनाना** है।
  - **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)**[18] हर साल **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी** जारी करता है। इसमें अलग-अलग तरीकों से GDP का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।
- **NAS** पर गठित यह सलाहकार समिति GDP को मुद्रास्फीति और औद्योगिक सूचकांकों के साथ समायोजित करने हेतु डेटा स्रोतों की समीक्षा करेगी।
- इससे पहले **2015 में आधार वर्ष में संशोधन** हुआ था। तब **आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12** कर दिया गया था।
  - नई श्रृंखला में, CSO ने **कारक लागत (फैक्टर कॉस्ट) पर GDP** की गणना समाप्त कर दी थी। इसकी जगह उद्योग-वार अनुमानों को **बुनियादी मूल्य (बेसिक प्राइस) पर सकल मूल्य वर्धन (GVA)**[19] के रूप में मापने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपनाई गई है।

आधार वर्ष (Base Year) क्या है?

- आधार वर्ष वह **संदर्भ वर्ष (Reference year)** होता है जिसकी कीमतों का उपयोग राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि (मुद्रास्फीति को घटाकर) की गणना के लिए किया जाता है।
- इस प्रकार, आधार वर्ष **GDP की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेंचमार्क** है।
  - उदाहरण के लिए, यदि **2011-12** आधार वर्ष है, तो अन्य वर्षों की GDP को 2011-12 की कीमतों के आधार पर समायोजित किया जाता है।
- आधार वर्ष में संशोधन अन्य प्रमुख संकेतकों के लिए भी प्रासंगिक है, जैसे-
  - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP),**
  - **थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index: WPI),** और
  - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI)**

[17] National Accounts Statistics

[18] Central Statistics Office

[19] Gross Value Added

GDP के बारे में

- **GDP को मापने का तरीका:** GDP को सैद्धांतिक रूप से तीन तरीकों से मापा जाता है और सभी तरीकों से समान परिणाम मिलना चाहिए (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **नॉमिनल GDP:** इसे **चालू बाजार कीमतों** पर मापा जाता है। इसमें **मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं** किया जाता है।
- **रियल GDP:** इसे **आधार वर्ष की कीमतों** का उपयोग करके और मुद्रास्फीति को समायोजित कर मापा जाता है। यह **वास्तविक आर्थिक संवृद्धि** को प्रदर्शित करती है।

GDP की सीमाएं

- इसकी गणना में **गैर-बाजार आधारित गतिविधियां शामिल नहीं** होतीं हैं, जैसे- घरेलू कामकाज।
- इसमें **आय असमानता की उपेक्षा** की जाती है।
- **पर्यावरण को होने वाले नुकसान की उपेक्षा** की जाती है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के योगदान** को सही तरीके से नहीं मापा जाता है।
- यह **कल्याण या जीवन स्तर का आकलन नहीं** करती है।

GDP से जुड़े अन्य प्रासंगिक तथ्य

चेन आधारित GDP गणना

- GDP को मापने के इस तरीके में **रोलिंग आधार वर्ष[20] का उपयोग करके** आर्थिक गतिविधियों में अल्पकालिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है।
- इसमें **आधार वर्ष को नियमित रूप से** (अक्सर वार्षिक रूप से) **अपडेट** किया जाता है, जिससे एक निरंतर संवृद्धि दर की श्रृंखला प्राप्त होती है।
- यह प्रणाली **संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,** और **यूरोपीय संघ** जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित है।
- हालांकि, इसे **निम्नलिखित वजहों से भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है:**
  - कृषि उत्पादों और ईंधन की अस्थिर कीमतों के कारण यह अधिक प्रभावी नहीं हो सकती।
  - यह प्रक्रिया जटिल और अधिक संसाधन-उपयोग करने वाली है। इस तरह यह सीमित संसाधनों वाले देश के लिए चुनौतीपूर्ण है।
  - दीर्घकालिक डेटा की तुलना करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

[20] Rolling Base Year

GDP लेखांकन मानक के बारे में

- वैश्विक स्तर पर मानकीकरण और तुलना के लिए, देश **सिस्टम ऑफ नेशनल एकाउंट्स (SNA)** अपनाते हैं। इसे विस्तृत परामर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया है।
- **SNA 2008:** यह राष्ट्रीय लेखा के लिए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है, जिसे 2009 में **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग** द्वारा अपनाया गया था। यह पहले के **1993 SNA** का अपडेटेड संस्करण है।

3.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)[21] के आंकड़ों के अनुसार, **अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2024 की अवधि में भारत में कुल FDI 1 ट्रिलियन डॉलर को पार** कर गया **(1,033.40 बिलियन डॉलर)।**

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2014-24 के दशक में उसके पहले के दशक (2004-14) की तुलना में भारत में **FDI में 119% की वृद्धि** दर्ज की गई।
- 2000-01 से 2023-24 तक भारत में FDI में लगभग 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
- 2000-2024 के दौरान, भारत के **सेवा क्षेत्रक ने सबसे अधिक FDI** (115.18 बिलियन डॉलर) आकर्षित किया।

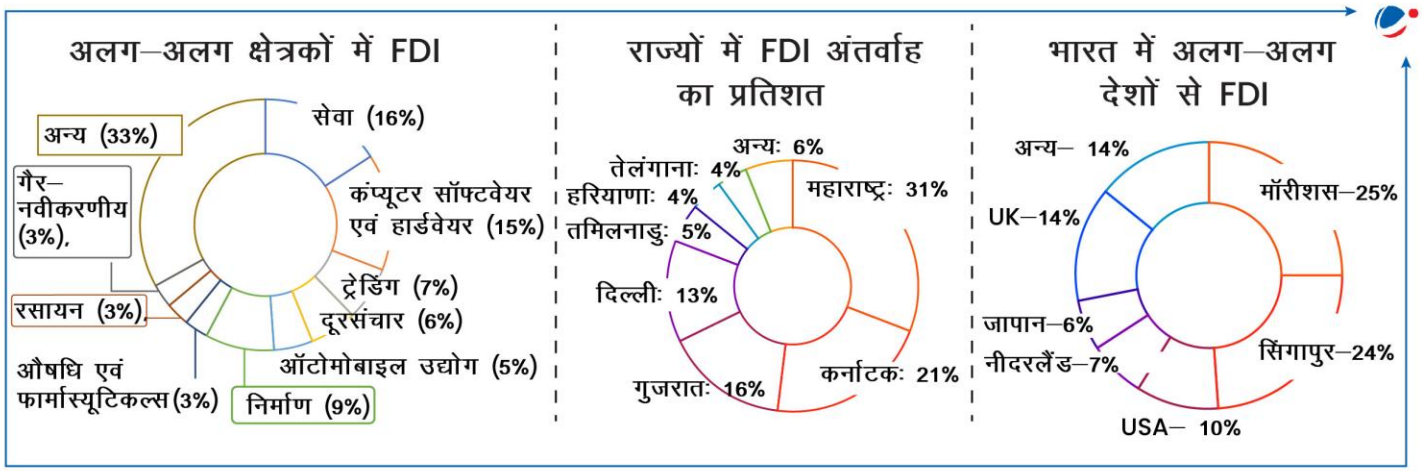

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

- **FDI** एक प्रकार का निवेश है जो भारत के बाहर के निवासियों द्वारा किया जाता है। यह दो तरीकों से किया जा सकता है:
  - किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में **पूंजीगत साधनों के माध्यम से निवेश;** या
  - IPO जारी होने के बाद किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतया डाइल्यूटेड पेड-अप इक्विटी कैपिटल के **10% या उससे अधिक में निवेश।**
    - जब कोई कंपनी **अतिरिक्त शेयर** जारी करके अपनी हिस्सेदारी को कम करती है, तो उस स्थिति में शेयर बेचकर जुटाई गई पूंजी को **पोस्ट-डाइल्यूटेड पेड-अप कैपिटल** कहा जाता है।
- FDI आमतौर पर **दीर्घकालिक निवेश** होता है और इसे **निवेश ऋण नहीं** माना जाता है।
- **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तरीके:**
  - **स्वचालित मार्ग (Automatic Route):** स्वचालित मार्ग के तहत, किसी विदेशी निवेशक को अपने निवेश के बाद केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सूचित करना होता है।

[21] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

- **सरकारी अनुमोदन मार्ग (Government Approval Route):** सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत, किसी विदेशी निवेशक को संबंधित मंत्रालय या विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होती है।

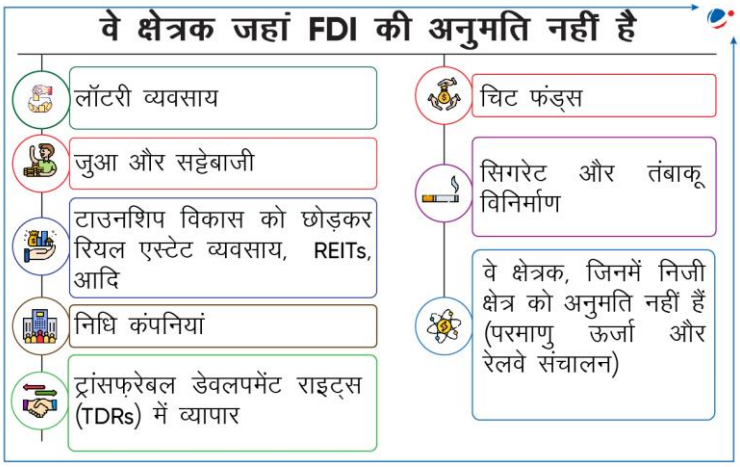

- **विनियमन:**
  - वर्तमान में, भारत में FDI को **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, 2020** और **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019** द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, **भारत में FDI की प्राथमिक विनियामक** संस्था है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक भी FDI के मामले में एक अन्य प्रमुख विनियामक संस्था है। इसके पास FDI नियमों को लागू करने का अधिकार है।

FDI बनाम FPI		
मानदंड	**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)**	**विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI)**
निवेश का स्वरूप	यह किसी विदेशी इकाई द्वारा किसी अन्य देश के **व्यावसायिक उद्यम में दीर्घकालिक निवेश** है।	यह किसी अन्य देश की **वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे- शेयर, बॉण्ड)** में अल्पकालिक लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश है।
निवेश का प्रकार	इसमें **वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों** में निवेश शामिल है, जैसे- संसाधन, प्रौद्योगिकी और प्रतिभूति में निवेश।	इसमें शेयर/ स्टॉक, बॉण्ड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है।
स्थिरता/ अस्थिरता	लंबी अवधि के उद्देश्य से निवेश करने की वजह से **स्थिरता बनी रहती है** और निवेश में उतार-चढ़ाव **कम** देखा जाता है।	यह निवेश **अत्यधिक अस्थिर** होता है क्योंकि निवेशक किसी तात्कालिक घटना से प्रभावित होकर अपना निवेश निकालकर वापस चले जाते हैं।
निवेशक का नियंत्रण	**अधिक नियंत्रण,** क्योंकि वे कंपनी के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।	कंपनियों में इनका **कम नियंत्रण** होता है। ये **पैसिव निवेशक** माने जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कम अवधि में लाभ कमाना होता है।
तरलता (लिक्विडिटी)	यह **कम तरलता** वाला होता है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है। निवेशक आसानी से परिसंपत्तियों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाते हैं।	**अत्यधिक तरल,** क्योंकि निवेशक आसानी से परिसंपत्तियां खरीद या बेच सकते हैं।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से संबंधित चुनौतियां

- **जटिल विनियमन और नीतिगत अनिश्चितता:** कर कानूनों, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे जटिल नियमों के कारण विदेशी निवेशकों को इनके पालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे कानूनी विवाद, वित्तीय नुकसान और कंपनियों द्वारा खामियों का लाभ उठाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
  - उदाहरण के लिए- वोडाफोन पर **प्रत्यक्ष कर को पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective) से लागू करने के कारण** कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ था।
- **संस्थागत कमियां:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)[22] प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों को पूर्णतः रोकने और प्रभुत्वशाली कंपनियों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में असफल रहा है। इससे भारत के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

[22] Competition Commission of India

- उदाहरण के लिए- फ्लिपकार्ट विवाद के कारण भारत को अमेरिका के **जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (GSP)** के तहत मिलने वाले वरीयता लाभ से वंचित होना पड़ा।

- **कुछ राज्यों और क्षेत्रकों को अधिक FDI प्राप्त होना:** भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्य रूप से कुछ ही क्षेत्रकों (जैसे- सेवा) और कुछ चुनिंदा राज्यों (जैसे- महाराष्ट्र, कर्नाटक) के शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा है। इससे विकास की संभावनाओं में असमानता पैदा हो रही है।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी विदेशी निवेश को आकर्षित करने में बाधा बनती है।
- **स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव:** विदेशी कंपनियों के व्यापक व्यवसाय और उनकी भारी क्रय शक्ति के कारण स्थानीय व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होती है।
  - उदाहरण- भारत में वॉलमार्ट के प्रवेश का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्थानीय व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो सकता है।

क्या आप जानते है?

➢ 2020 में जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों** (जैसे– चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान) की संस्थाओं/ नागरिकों/ निवासियों को भारत में निवेश के लिए **भारत सरकार से मंजूरी लेना (सरकारी अनुमोदन मार्ग) अनिवार्य** है।

- **श्रम बाजार पर प्रभाव:** विदेशी निवेश और कंपनियों की मौजूदगी से श्रम बाजार में नौकरी की सुरक्षा, कार्य दशा और स्थानीय श्रमिकों के विस्थापन जैसे मुद्दों को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।
  - उदाहरण- भारत में अमेजन और उबर को बदतर कार्य-दशा के कारण कानूनी कार्यवाही एवं आलोचना का सामना करना पड़ा है।

FDI के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां

- **विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ना:** विदेशी निवेश पर अधिक निर्भर रहने से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जिससे आर्थिक विस्तार की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए- वैश्विक मंदी की आशंकाएं, कुछ क्षेत्रकों में संरक्षणवादी उपाय करना और रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आर्थिक मंदी 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के कुछ कारण थे।
  - **आर्थिक मंदी निवेशकों के विश्वास को कम करती है** और पूंजी के बाहर जाने का कारण बनती है। इससे देशों को मुद्रा अस्थिरता और भुगतान संतुलन पर दबाव का सामना करना पड़ता है।
- **विकास बनाम पर्यावरण:** किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होने से यह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे आस-पास के पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिए- नियमगिरि पहाड़ियों में यूनाइटेड किंगडम की वेदांता रिसोर्सेज की खनन गतिविधियों को पारिस्थितिकी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा।
- **बौद्धिक संपदा से संबंधित चिंताएं:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा हस्तांतरण में कोई भी समस्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाई गई विशेषज्ञता का उचित उपयोग करने से रोक सकती है।
  - उदाहरण के लिए- **फार्मास्युटिकल क्षेत्रक में बायो पाइरेसी।**

भारत में FDI को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **योजनाएं:** मेक इन इंडिया (MII), स्टार्ट-अप इंडिया, पी.एम. गति शक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[23] योजना जैसी योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है।
- **व्यवसाय में सुगमता (EoDB)[24] को बढ़ावा देना:** नियमों के पालन बोझ को कम करना, भारत औद्योगिक भूमि बैंक की स्थापना, परियोजना निगरानी समूह का गठन, FDI नीति का उदारीकरण ऐसी पहलें हैं जो गवर्नमेंट टू बिजनेस (G2B) और नागरिक इंटरफेस को सरल, तर्कसंगत, डिजिटल एवं गैर-आपराधिक बनाती हैं।
  - उदाहरण के लिए- **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023** लागू करके लगभग 42,000 से अधिक नियम-कानून के पालन को कम किया गया और इनके 3,800 से अधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक प्रकृति का बना दिया गया।
- **परियोजना विकास प्रकोष्ठ (PDCs)[25]:** इसे निवेश को तेजी से बढ़ाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में एक संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है।

[23] Production Linked Incentive

[24] Ease of Doing Business

- **तकनीकी उपाय:** FDI प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए **नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS)** और FDI को सुविधाजनक बनाने के लिए **ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस** के रूप में **विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल** (FIFP)[26] लॉन्च किया गया है।
- **राज्य निवेश शिखर सम्मेलन:** गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित कर अपनी आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन कर FDI आकर्षित किया है।
    - उदाहरण के लिए- **वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन** से गुजरात को 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2002-22) की FDI आकर्षित करने में मदद मिली है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचा और कौशल बढ़ाना:** मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, मजबूत बुनियादी ढांचे (जैसे, हाई-स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे) और नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे उभरते क्षेत्रकों में कार्यबल को कौशल प्रदान करके प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना चाहिए ताकि FDI को आकर्षित किया जा सके।
- **संतुलित FDI अंतर्वाह के लिए नीतिगत सुधार: बाबा कल्याणी समिति** की सिफारिशों के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs)[27] के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए, ताकि विनिर्माण क्षेत्रक में भी **FDI** को आकर्षित करने पर पर्याप्त जोर दिया जा सके।
- **विवाद समाधान और अनुबंध को लागू करना:** पर्याप्त संख्या में मध्यस्थता और वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना करके विवाद समाधान को बढ़ावा देना चाहिए।
- **अनुबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने** से विदेशी निवेशक, कानून या नियमों के बारे में आश्वस्त रहेंगे।
- **टियर-II और टियर-III शहरों को बढ़ावा देना:** छोटे शहरों में FDI को प्रोत्साहित करना चाहिए और क्षेत्रक-विशेष में निवेश आकर्षित करने के लिए क्लस्टर-आधारित विकास (बल्क ड्रग पार्क, मेगा फूड पार्क, आदि) को अपनाना चाहिए।
- **द्विपक्षीय निवेश संधियां (BITs)[28]:** द्विपक्षीय निवेश संधियों को मजबूत और अपडेट करने से विदेशी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित हो सकती हैं तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।

भारत में निवेश के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #114- भारत में निवेश का परिदृश्य

[25] Project Development Cells

[26] Foreign Investment Facilitation Portal

[27] Special Economic Zones

[28] Bilateral Investment Treaties

3.4. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 {The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य भारत की बैंकिंग प्रणाली के गवर्नेंस मानकों में सुधार करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक में **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955;** और **बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम[29], 1970** और **1980** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
- **विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र**
  - **नकद आरक्षित के लिए पखवाड़े की परिभाषा[30]:** नकद आरक्षित (कैश रिज़र्व) के लिए पखवाड़े को प्रत्येक महीने की **1 से 15 तारीख** या 16 तारीख से महीने के अंत की तारीख के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। यह प्रावधान अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों पर लागू है।
  - **कंपनी में पर्याप्त लाभकारी हित (हिस्सेदारी):** किसी कंपनी में **पर्याप्त लाभकारी हित की सीमा** को 5 लाख रुपये (या कंपनी की पेड-अप कैपिटल का 10%, जो भी कम हो) से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है। बाद में दूसरी अधिसूचना जारी करके इसमें संशोधन किया जा सकता है।
  - **निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF)[31]:** दावा न किए गए (अनक्लेम्ड) लाभांश, शेयर, या बॉण्ड को भुनाने से प्राप्त ब्याज को IEPF में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, यह प्रावधान केवल तब लागू होगा जब इन्हें लगातार सात वर्षों तक क्लेम नहीं किया जाता।
  - **लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:** बैंकों को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का फैसला करने का अधिकार दिया गया है। पहले बैंकों को RBI-केंद्र सरकार से परामर्श लेना पड़ता था।

भारत में बैंकिंग प्रणाली के संचालन से जुड़ी समस्याएं

- **बैंकिंग लेन-देन धोखाधड़ी में वृद्धि:** RBI की **"भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति रिपोर्ट"** के अनुसार, 2023-24 में धोखाधड़ी के 18,461 मामले दर्ज किए गए जिनमें 21,367 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।
  - बैंकिंग धोखाधड़ी से बैंकों की प्रतिष्ठा कम होती है, उनका परिचालन और व्यवसाय प्रभावित होता है, ग्राहकों का विश्वास कम होता है तथा वित्तीय स्थिरता से संबंधित चिंताएं भी पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए- **PNB घोटाला (2018)।**
- **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) का संचालन और स्वायत्तता:** बैंक बोर्ड की नियुक्तियों और परिचालन मामलों में सरकारी हस्तक्षेप जैसी वजहों से PSB की स्वायत्तता कम होती है और निर्णय लेने में देरी होती है। इन सब वजहों से इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - साथ ही, PSBs पर RBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग, दोनों का नियंत्रण है। इससे **दोहरे विनियमन की समस्या** भी उत्पन्न होती है।
  - इसके अलावा, PSBs में सरकार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी के कारण बैंक जोखिम लेने से बचते हैं। साथ ही, 5C (CAG, CBI, CVC, CIC और कोर्ट) के डर के कारण निर्णय लेने में भी देरी होती है।
- **विनियामक से जुड़ी समस्या और अस्पष्टता:** RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) जैसी कई विनियामक संस्थाओं के विनियमन से अधिकारक्षेत्र के मामले में भ्रम और अस्पष्टता पैदा होती है।
  - इसके अलावा, **सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर RBI और राज्य सहकारी समिति रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण** से भी विनियमन में समस्या उत्पन्न होती है।
    - 2023 में 17 सहकारी बैंकों को बंद करना पड़ा और RBI ने रिकॉर्ड संख्या में सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए।

[29] Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act

[30] Definition of fortnight for cash reserves

[31] Investor Education and Protection Fund

- **संरचनात्मक परिवर्तन:** अब लोग **हाउसहोल्ड बचत** को बैंकों में जमा करने की बजाय म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन में निवेश करने लगे हैं। इससे बैंकों की जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वितरण में तेज वृद्धि देखी जा रही है। तरलता में यह संरचनात्मक परिवर्तन समस्या उत्पन्न कर रहा है।
  - **ऋण वितरण में राजनीतिक हस्तक्षेप,** ऋण माफी योजनाएं बैंकों द्वारा ऋण देने की पद्धति और बैलेंस शीट को बिगाड़ रही हैं, आदि।
- **साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम:** बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर बढ़ते साइबर अटैक ने आईटी प्रशासन में सुधार और चाक-चौबंद व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है।
  - **डिजिटल धोखाधड़ी:** सोशल इंजीनियरिंग अटैक में वृद्धि हुई है और म्यूल अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है।
    - म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल जालसाज अपराध से प्राप्त धन को वैध बनाने या छिपाने के लिए करते हैं। मुख्य रूप से म्यूल अकाउंट का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। जालसाज इन खातों का उपयोग अपराध से प्राप्त धन को विभिन्न खातों में स्थानांतरित करने के लिए करते हैं, जिससे पैसे के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

भारत में बैंकिंग गवर्नेंस में सुधार के लिए हाल में उठाए गए कदम

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम	RBI द्वारा उठाए गए कदम

• **PSB में सुधार:**
  ○ व्यवसाय विस्तार तथा परिचालन दक्षता और जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के कई बैंकों का विलय किया गया।
  ▪ 2019 में **10 PSBs का विलय करके 4 बैंक** बनाए गए।
  ○ इसके अलावा, **बेसल III मानदंडों को पूरा करने** के लिए **PSBs** का **पुनर्पूंजीकरण** किया गया, आदि।
• **विधायी सुधार:**
  ○ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करके गवर्नेंस में विफलता की स्थिति में RBI को बैंकों के बोर्ड का दायित्व अपने ऊपर लेने का अधिकार दिया गया है।
  ○ नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) की समस्या के समाधान को कारगर बनाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को लागू किया गया है, आदि।
• **बैंकों पर तनाव कम करना:**
  ○ 2021 में **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL)**[32] और **भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL)**[33] का गठन किया गया।
	• **जोखिम प्रबंधन पर मजबूत फ्रेमवर्क:** जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, **परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क**[34], **NPAs के समयबद्ध समाधान के लिए "तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क (2019)"** जैसे उपाय किए गए हैं।
	• **सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय सुधार:**
	  ○ बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत सहकारी बैंकों पर RBI का विनियामकीय नियंत्रण बढ़ाया गया है।
	  ○ **शहरी सहकारी समितियों के लिए अम्ब्रेला संगठन हेतु विनियामकीय मंजूरी का प्रावधान** किया गया है, आदि।

आगे की राह

- **PSBs को स्वायत्तता देना:** भारत सरकार **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **बैंक निवेश कंपनी** स्थापित कर सकती है, जो **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी के प्रबंधन के लिए एक होल्डिंग कंपनी** के रूप में कार्य करेगी **(पी.जे. नायक समिति)।**
- **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन:** बैंक के अधिकारियों के वेतन को बैंक के लाभ से जोड़ना चाहिए; मार्केटिंग, ग्राहक की संख्या बढ़ाने और परिचालन दक्षता पर केंद्रित आउटकम-आधारित अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए **(पी.जे. नायक समिति)।**
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** RBI और अन्य हितधारकों के पास प्रमुख वित्तीय मीट्रिक की रियल टाइम आधार पर रिपोर्टिंग के माध्यम से निर्णय लेने और वित्तीय डिस्क्लोजर में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।
- एक **सशक्त व्हिसलब्लोअर तंत्र स्थापित** किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों और हितधारकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संभावित मिलीभगत की बिना डरे रिपोर्ट करने की सुविधा मिले **(नरसिंहम समिति-II)।**
- **विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय:** बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रक के समग्र और प्रभावी विनियमन के लिए RBI, SEBI, IRDAI आदि के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर विनियामकीय समन्वय को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाना चाहिए **(नरसिंहम समिति-II)।**

---

[32] National Asset Reconstruction Company Ltd.

[33] India Debt Resolution Company Ltd.

[34] Prompt Corrective Action Framework

3.5. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) फ्रेमवर्क {Public-Private Partnership (PPP) Framework In India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने **"बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट"** रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के विनियामकीय परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)[35]:** केवल 19 देशों ने विशिष्ट बजटिंग, रिपोर्टिंग और लेखांकन प्रावधानों को अपनाया है।
- **पारदर्शिता में कमी:** केवल 22 प्रतिशत मामलों में ही कॉन्ट्रैक्ट में किए गए किसी प्रकार के संशोधनों का ऑनलाइन प्रकाशन किया गया।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन:** केवल 37 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाओं ने "प्रदर्शन के अनुसार भुगतान[36]" प्रणाली को अपनाया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और भारत में PPP के अलग-अलग मॉडल्स के बारे में

PPP वास्तव में **सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने या बुनियादी ढांचे के विकास** के लिए **सरकारों और निजी कंपनियों के बीच एक प्रकार का सहयोग** है।

- **आर्थिक कार्य विभाग** का **निजी निवेश प्रभाग[37]** भारत सरकार का वह विभाग है जो PPP से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है। इस प्रभाग की जिम्मेदारियों में PPP से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के विकास के साथ-साथ मॉडल रियायत समझौतों[38] का निर्माण और PPP परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियां शामिल हैं।

भारत में PPP के अलग-अलग मॉडल्स

- **बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT):** यह एक ऐसा मॉडल है, जिसमें निजी संस्था को एक निश्चित अवधि के लिए किसी सुविधा का **वित्त-पोषण, डिजाइन, निर्माण** और **संचालन** करने के लिए फ्रेंचाइजी प्राप्त होती है तथा इसके बदले उसे **उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का अधिकार** प्राप्त होता है। निश्चित अवधि के बाद इसका स्वामित्व वापस सार्वजनिक क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
  - इस प्रकार की व्यवस्था में **निजी क्षेत्रक की भागीदारी का स्तर अधिक होता** है।
- **बिल्ड ओन ऑपरेट (BOO):** यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक निजी संगठन **सरकार से कुछ प्रोत्साहन प्राप्त करके किसी परियोजना या संरचना का निर्माण करता है, स्वामित्व धारण करता है और संचालन करता** है।
  - सरकार **कर छूट** जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दे सकती है।
- **BOT-एन्युटी:** इस मॉडल में सरकार निजी क्षेत्रक को उपलब्ध सेवा और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के आधार पर नियमित रूप से भुगतान करती है, जिससे लोक सेवा की उच्च गुणवत्ता और निरंतर वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। इससे निजी क्षेत्रक की दक्षता का लाभ उठाने में मदद मिलती है।
  - इस मॉडल में निजी क्षेत्रक की संस्था सड़क (या परियोजना) का निर्माण करती है, परिचालन जोखिम उठाती है, तथा रियायत अवधि (Concession period) के दौरान अथॉरिटी या सरकार से निश्चित भुगतान प्राप्त करती है।
- **ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (सर्विस कॉन्ट्रैक्ट):** सरकार **विशिष्ट सेवाओं या परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए** किसी निजी संस्था को कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस मॉडल में अनुबंध/ कॉन्ट्रैक्ट की अवधि आमतौर पर रियायत अनुबंधों (Concession contracts) की तुलना में कम होती है।
- **इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC):** इसमें निजी संस्था किसी परियोजना के पूरे जीवनचक्र के लिए, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन से लेकर सामग्री की खरीद और निर्माण तक की जिम्मेदारी निभाती है। हालांकि, **परियोजना प्रबंधन में इसकी कोई भूमिका नहीं** होती, और इसका पूर्व वित्त-पोषण सरकार द्वारा किया जाता है।
- **हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM):** इसमें EPC (40%) और BOT-एन्युटी (60%) को शामिल किया जाता है। सरकार परियोजना लागत का 40% वित्त-पोषित करती है, जबकि निजी डेवलपर शेष 60% राशि की व्यवस्था करता है। अक्सर निजी डेवलपर कुल लागत का केवल 20-25% ही निवेश करता है, शेष राशि ऋण के माध्यम से वित्त-पोषित होती है।

[35] Public Fiscal Management System

[36] Payments linked to performance

[37] Private Investment Unit

[38] Model Concession Agreements

भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की आवश्यकता क्यों है?

- **पर्याप्त अवसंरचना नहीं:** भारत में परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास में बड़ी संख्या में अवसंरचनाओं के विकास की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- **PPP मॉडल के तहत विकसित मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट** का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करते हुए यातायात की भीड़ को कम करना और तटीय क्षेत्रों तक आवागमन को बढ़ाना है।
- **संसाधन जुटाने के लिए:** सरकार के पास अक्सर बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। ऐसे में PPP परियोजनाएं **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से वित्त-पोषण जुटाने** में सहायता करती हैं।
  - भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राज्यों का राजकोषीय घाटा **3% से अधिक** है। इस वजह से उनके पास अवसंरचनाओं के विकास के लिए फंड कम पड़ जाता है।
- **दक्षता और इनोवेशन:** निजी क्षेत्रक की भागीदारी दक्षता और इनोवेशन को बढ़ाती है।
  - उदाहरण के लिए- दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में **ऑटोमेटेड चेक-इन और बेहतर बैगेज हैंडलिंग जैसी सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग** किया गया है।
- **जोखिम साझा करना:** PPP मॉडल में नुकसान का वहन सार्वजनिक और निजी संस्था, दोनों साझा करते हैं। इससे परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है क्योंकि किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता है।
- **सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना:** अवसंरचना विकास के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए PPP मॉडल महत्वपूर्ण है।
  - SDGs प्रत्यक्ष तौर पर **सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना क्षेत्रों** से जुड़े हैं।
- **सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना:** निजी क्षेत्रक के साथ सहयोग करने से सरकार विनियमन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जिससे सेवा वितरण को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिए- भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन के पुनर्विकास में PPP मॉडल की मदद ली गई है।

भारत में PPP के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं?

- **विनियामकीय मुद्दे:** केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, **भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों, पर्यावरण मंजूरी में देरी,** आदि के कारण **449 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं** की लागत में **कुल 5.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि** हुई है (मार्च, 2024 में)।
- **वित्त-पोषण की समस्या: अवसंरचना के विकास में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है** और इसमें जोखिम भी अधिक होता है। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने में समस्या आती है।
  - उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अवसंरचना योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट संबंधी मुद्दे:** 20-30 वर्षों तक चलने वाली परियोजनाओं से "अप्रासंगिक सौदेबाजी (Obsolescing bargains)" की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतिगत या आर्थिक परिवर्तनों के कारण निजी क्षेत्रक ऐसी परियोजनाएं या कारोबार में अपनी सौदेबाजी की क्षमता को खो देता है।
- **विवाद समाधान तंत्र:** विवाद समाधान के लिए प्रभावी तंत्र नहीं होने की वजह से परियोजना की गुणवत्ता एवं हितधारकों की प्रतिबद्धता कम होती है। इससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है और यह समय पर पूर्ण भी नहीं होती है।
- **राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं की भागीदारी:** सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को अक्सर सरकारी संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। इससे PPP में इन संस्थाओं की भागीदारी कम दिखती है।

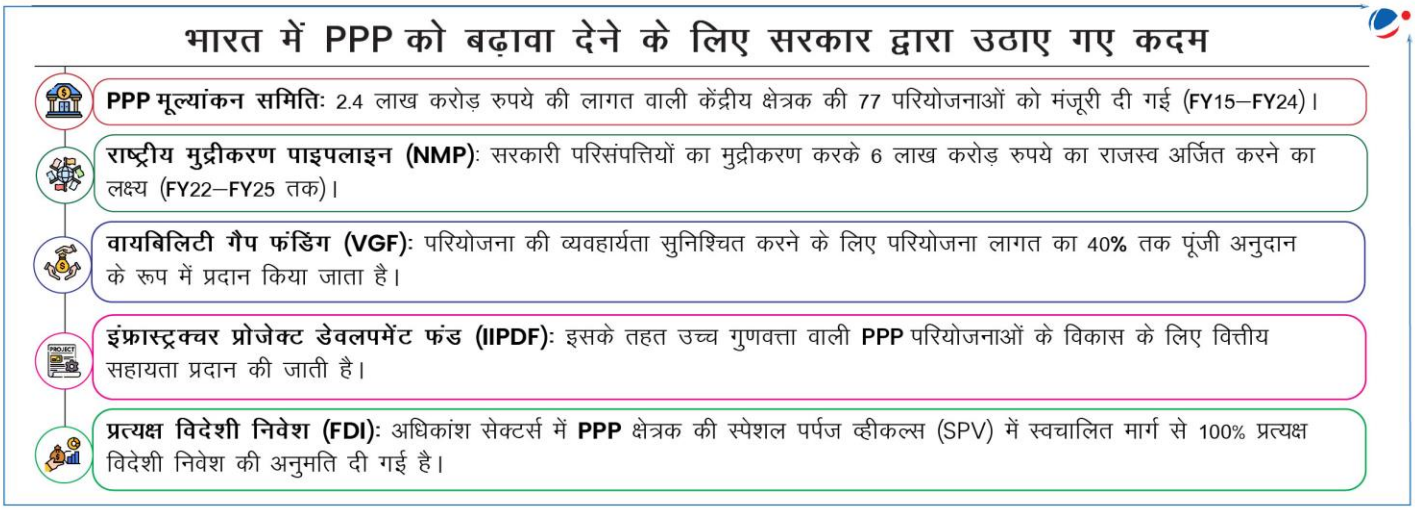

भारत में PPP में सुधार के लिए आगे की राह (विजय केलकर समिति के अनुसार)

- **सेवा वितरण पर फोकस करना:** कॉन्ट्रैक्ट में केवल वित्तीय लाभ अर्जित करने की बजाय सेवा वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **जोखिम प्रबंधन:** अत्याधुनिक मॉडलिंग अपनाकर जोखिम प्रबंधन दक्षता और परियोजना के लाभकारी होने का आकलन किया जाना चाहिए।
- **विशेषज्ञ तंत्र:** जटिल समस्याओं को सुलझाने और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए **PPP परियोजना समीक्षा समिति** और **ट्रिब्यूनल** की स्थापना की जानी चाहिए।
- **कानून में संशोधन:** निर्णय लेने में हुई वास्तविक त्रुटियों और भ्रष्टाचार के कृत्यों के बीच अंतर करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन की आवश्यकता है।
    - एक **PPP संस्थान** की स्थापना की जानी चाहिए और परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने के लिए **राष्ट्रीय सुविधा समिति**[39] का गठन किया जाना चाहिए।
- **स्वतंत्र विनियमन:** अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए एक स्वतंत्र विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही, सड़कों और बंदरगाहों से संबंधित परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने की भी जरूरत है।

3.6. मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज (Most-Favoured-Nation Clause)

सुर्ख़ियों में क्यों?

1 जनवरी, 2025 से **स्विट्जरलैंड** ने भारत के साथ अपने **दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA)**[40] में **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज** को निलंबित कर दिया है।

दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) के बारे में

- **परिचय:** यह **दो या अधिक देशों** के बीच एक ऐसी संधि होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि करदाता (व्यक्तियों या व्यवसायों) को एक ही आय पर दोनों देशों में कर का भुगतान न करना पड़े।
    - भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें विश्व की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरीशस, आदि।
- **DTAA कैसे काम करता है? मूल देश बनाम स्रोत देश**
    - **मूल देश (Residence Country):** जिस देश में करदाता रहता है या **निवास करता है** उसे मूल देश (गृह देश) कहा जाता है।
    - **स्रोत देश (Source Country):** जिस देश से **आय अर्जित की जाती है** उसे स्रोत देश (विदेशी राष्ट्र) कहा जाता है।
    - DTAA यह सुनिश्चित करता है कि एक ही आय पर दो बार कर नहीं लगाया जाए - एक बार **स्रोत देश** में (जहां यह अर्जित की गई है) और दूसरी बार **मूल देश** में (जहां करदाता निवास करता है)।

भारत-स्विट्जरलैंड DTAA-MFN मुद्दा

- भारत और स्विट्जरलैंड ने मूल रूप से **1994** में DTAA में हस्ताक्षर किए थे और बाद में **2010 में इसमें संशोधन** किया गया।
- **नेस्ले SA मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:** 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाया जिसने भारत-स्विट्जरलैंड DTAA में शामिल MFN क्लॉज की व्याख्या को प्रभावित किया। **सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की गईं**:
    - **DTAA** (और इसके अंतर्गत MFN क्लॉज) स्वतः रूप से उन कर लाभों को प्रदान नहीं करता है जो भारत कम कर दरों वाले अन्य देशों को प्रदान करता है।
    - इसकी बजाय, **दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA)** को लागू करने के लिए उसे **आयकर अधिनियम की धारा 90** के तहत अधिसूचित करना होगा।

दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में MFN क्लॉज

- **परिभाषा:** DTAA के अंतर्गत MFN क्लॉज कर संधि से जुड़ा एक प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई देश दूसरे देश को भी वही या उससे बेहतर कर लाभ प्रदान करे जो वह अपने किसी अन्य "सबसे पसंदीदा (Most favored)" संधि साझेदार को प्रदान करता है।
- यदि भारत **किसी तीसरे देश (जैसे फ्रांस)** को **लाभांश या अन्य आय** पर **कम कर दर (Tax rate) की पेशकश** करता है, तो **स्विट्जरलैंड** भी अपने करदाताओं के लिए **समान अनुकूल दर** का दावा कर सकता है।

[39] National Facilitation Committee

[40] Double Taxation Avoidance Agreement

- **MFN सिद्धांत WTO फ्रेमवर्क में भी शामिल है।**
    - **DTAA-MFN क्लॉज** संधि में हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच **कर छूट संबंधी लाभ की समानता** सुनिश्चित करता है, जबकि **WTO का MFN सिद्धांत** किसी एक WTO सदस्य को दिए गए व्यापार लाभ को सभी अन्य सदस्यों को प्रदान करके समान व्यापार व्यवहार अनिवार्य करता है।
    - **WTO का MFN सिद्धांत:** इसे **जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT)** के अनुच्छेद 1, **जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS)** के अनुच्छेद 2, और **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू (TRIPS)**[41] के अनुच्छेद 4 में संहिताबद्ध किया गया है।

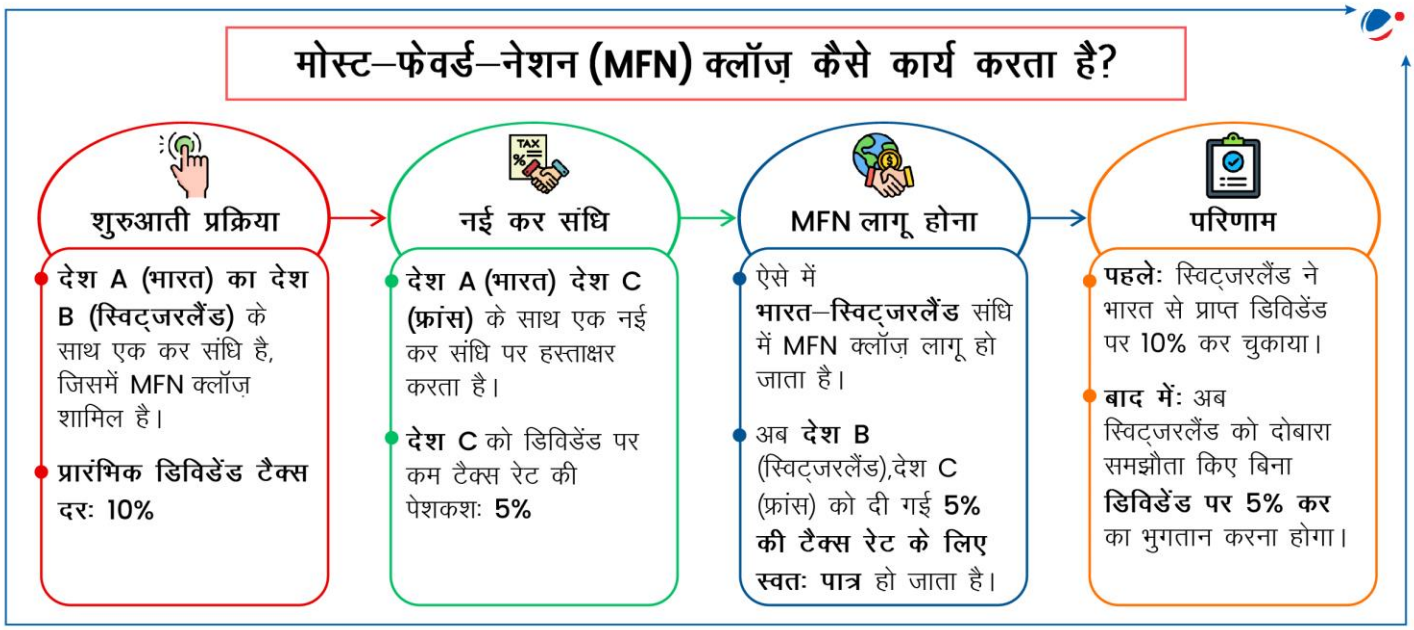

वैश्विक कर प्रशासन में DTAA का महत्त्व

- **कानूनी निश्चितता:** DTAAs करदाताओं को उनके कर दायित्वों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, कानूनी निश्चितता की भावना प्रदान करते हैं तथा वित्तीय और व्यावसायिक योजना बनाने में सहायता करते हैं।
    - **DTAA के तहत 'पारस्परिक समझौता प्रक्रिया** (MAP)[42] का प्रावधान होता है। जैसे- भारत और जापान के बीच **ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को सुलझाने के लिए** इसका इस्तेमाल किया जाता है।
        - **ट्रांसफर प्राइसिंग वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर से बचने के लिए अपनाया जाने वाला एक तरीका है।**
- **राजस्व की चोरी पर लगाम:** ये समझौते सीमा पार आय के लिए निश्चित कर अनुपालन उपाय निर्धारित करके कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद करते हैं।
    - **कुछ DTAA में एंटी-एब्यूज धाराएं शामिल की गई हैं,** जैसे कि भारत-मॉरीशस DTAA को ट्रीटी शॉपिंग और धन की राउंड-ट्रिपिंग को रोकने के लिए संशोधित किया गया है।

क्या आप जानते है?

- **ट्रांसफर प्राइसिंग:** जब कंपनियां अलग–अलग देशों में स्थित अपनी शाखाओं के बीच वस्तुओं या सेवाओं का लेन–देन करती हैं, तो उनकी **मूल्य निर्धारण प्रक्रिया** को ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह निर्धारित होता है कि कंपनी पर कितना कर लगेगा। यदि मूल्य कृत्रिम रूप से कम रखा जाए, तो **कर देनदारी** भी कम हो सकती है, जिससे **कर बचाव** की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- **ट्रीटी शॉपिंग:** यदि कोई देश 'दोहरे कराधान परिहार समझौता (DTAA)' का हिस्सा न हो, लेकिन वहां की कोई कंपनी या निवासी इस समझौते का लाभ लेने के लिए किसी अन्य देश के माध्यम से निवेश कर टैक्स बचाने का प्रयास करे, तो इसे ट्रीटी शॉपिंग कहा जाता है।

- **कर बचत:** DTAA का लाभ उठाकर व्यक्ति और व्यवसाय देशों के बीच कम कर दरों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कर बचत होगी।
- **TDS दरों में कमी:** यह समझौता भारत में प्राप्त लाभांश पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) दरों को भी कम करता है। इससे अधिक बचत हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी लाभांश आय अधिक है।

---

[41] Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[42] Mutual Agreement Procedures

DTAA की संरचना से जुड़ी हुई चुनौतियां

- **ट्रीटी शॉपिंग एवं इसका दुरुपयोग:** कंपनियां पर्याप्त व्यावसायिक परिचालन के बिना भी अनुकूल संधियों वाले देशों के माध्यम से निवेश कर टैक्स को कम करने के लिए DTAA का दुरुपयोग करती हैं। यदि कोई देश DTAA में शामिल न हो, लेकिन वहां की कोई कंपनी या रेजिडेंट इस समझौते का दुरुपयोग करते हुए निवेश के माध्यम से टैक्स से बचने का प्रयास करती/ करता है, तो उसे ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं।
  - उदाहरण के लिए- मॉरीशस का इस्तेमाल विदेशी निवेशकों द्वारा भारत-मॉरीशस DTAA के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट का दावा करने के लिए भारत में फंड भेजने के लिए किया जाता था।
- **DTAA की व्याख्या एवं इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े हुए मुद्दे:** देशों के बीच DTAA प्रावधानों की व्याख्या में मतभेद विवादों और दोहरे कराधान को जन्म देते हैं।
- **घरेलू कानूनों के साथ सामंजस्य का अभाव**: DTAA प्रावधानों का अक्सर घरेलू कर कानूनों के साथ टकराव होता रहता है। इससे भ्रम और अनुपालन संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं।
  - उदाहरण- हाल ही में चर्चा में रहा 2023 का भारत-स्विट्जरलैंड नेस्ले मुद्दा।
- **विवाद समाधान तंत्र की अक्षमता:** पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (MAP)[43] के तहत विवादों को सुलझाने में देरी और दक्षता की कमी वास्तव में करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।
  - **MAP करदाताओं के लिए कर विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध एक विकल्प है,** जो न्यायिक या आर्थिक प्रकृति के दोहरे कराधान को जन्म देता है।

निष्कर्ष

स्विट्जरलैंड द्वारा भारत-स्विट्जरलैंड DTAA के MFN क्लॉज़ को निलंबित करना उभरते वैश्विक कर मानदंडों को और बेहतर बनाने की जरूरत को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही, यह संधि की स्पष्ट व्याख्या, घरेलू कानूनों का पालन और अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप समायोजन की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

भारत-स्विट्जरलैंड संबंध: एक नज़र में

- **ऐतिहासिक संबंध:** साल 2023 में भारत और स्विट्जरलैंड ने **1948 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ मनाई** थी।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत स्विट्जरलैंड का **7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है और स्विट्जरलैंड भारत में **12वां सबसे बड़ा निवेशक** है।
  - भारत एशिया में स्विट्जरलैंड का **चौथा सबसे बड़ा** व्यापारिक साझेदार है और दक्षिण एशिया में **सबसे बड़ा** व्यापारिक साझेदार है।
  - **व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)[44]:** मार्च 2024 में, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)[45], ने TEPA[46] पर हस्ताक्षर किए। TEPA में स्विट्जरलैंड भी शामिल है।
    - यह भारत द्वारा यूरोपीय देशों के साथ किया गया **पहला व्यापक समझौता** है।
    - इस समझौते का उद्देश्य भारत में **स्विट्जरलैंड द्वारा किए जाने वाले 95% निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को कम करना** है, जिसमें चॉकलेट, घड़ियां और मशीनरी जैसे उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी शामिल है।
    - इस समझौते से भारत में **अगले 15 वर्षों में लगभग 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजन** होने की संभावना है।

- **सांस्कृतिक संबंध:** कई स्विस कलाकार और शोधकर्ता भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय रहे हैं, विशेष रूप से ली कोर्बुसिए (वास्तुकला) और एलिस बोनर (चित्रकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार)।

[43] Mutual Agreement Procedure

[44] Trade and Economic Partnership Agreement

[45] European Free Trade Association

[46] Trade and Economic Partnership Agreement/ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता

3.6.1. विकास हेतु निवेश सुविधा समझौता (Investment Facilitation For Development Agreement: IFDA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में **चीन के नेतृत्व वाले IFDA के प्रस्ताव का विरोध** किया है।

IFDA के बारे में

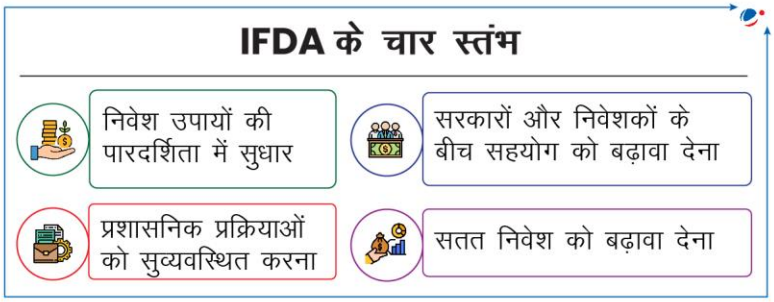

- **उत्पत्ति:** चीन तथा कुछ अन्य विकासशील एवं अल्पविकसित देशों (LDCs) ने 2017 में पहली बार WTO में IFDA का प्रस्ताव किया था। इसका लक्ष्य व्यापार एवं निवेश को **आर्थिक संवृद्धि और सतत विकास के दोहरे इंजन के रूप में मान्यता** देना है।
- **उद्देश्य:** विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और LDCs में सतत विकास को बढ़ावा हेतु, **FDI के वैश्विक प्रवाह को बढ़ाने के लिए** एक बाध्यकारी प्रावधान स्थापित करना।
- **प्लुरिलेटरल समझौता:** IFDA समझौता प्लुरिलेटरल प्रकृति का है। इसका मतलब है कि यह केवल उन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा जो इसे स्वीकार करते हैं। WTO के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं।
  - प्लुरिलेटरल समझौते से जुड़े प्रावधान WTO रूल बुक के **एनेक्स 4 में उल्लिखित** हैं।
- **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत पर आधारित:** MFN सिद्धांत के तहत सदस्यों को किसी भी एक सदस्य के उत्पाद को आयात या निर्यात के समय दिए गए सबसे अनुकूल शुल्क और विनियामक व्यवहार जैसी सुविधाएं अन्य सभी सदस्यों के "समान उत्पादों" को भी देनी होती है। यह **विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सिद्धांत** है।

भारत IFDA का विरोध क्यों कर रहा है?

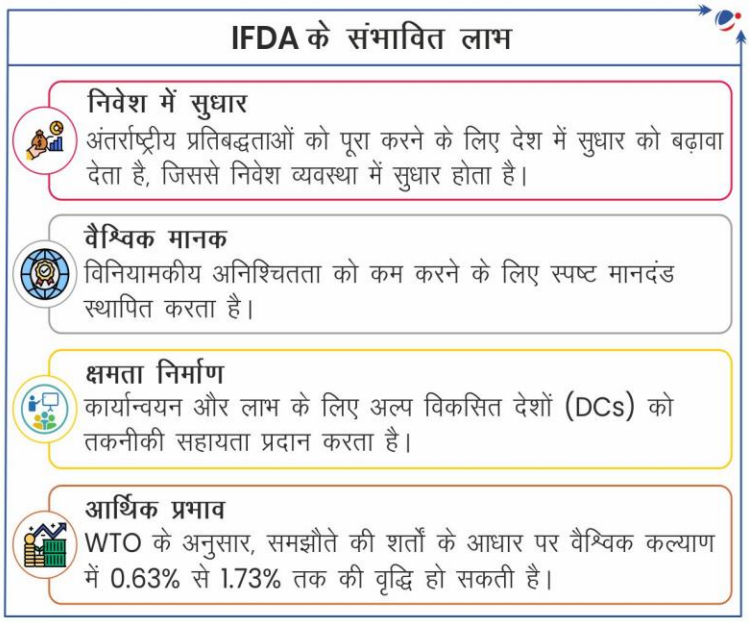

- **अधिकार क्षेत्र और संरचना को लेकर चिंता:** भारत का मानना है कि **निवेश, "व्यापार" संबंधी मुद्दा नहीं है।** ऐसे में WTO के पास निवेश मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। साथ ही, **जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज** (GATS)[47], **व्यापार संबंधी निवेश उपाय** (TRIMs)[48] जैसे समझौते पहले से ही व्यापार से जुड़े निवेश संबंधी पहलुओं को कवर करते हैं।
- **प्लुरिलेटरल का विरोध:** भारत प्लुरिलेटरल अप्रोच को WTO के मल्टीलेटरल सिद्धांत के लिए खतरा मानता है। साथ ही **प्लुरिलेटरल अप्रोच, WTO के दोहा विकास एजेंडा के भी प्रतिकूल** है क्योंकि दोहा विकास एजेंडा में किसी विषय पर स्पष्ट सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।
- **IFDA का चीन द्वारा नेतृत्व करने को लेकर चिंताएं:** चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** की वजह से कई देशों को ऋण संकट में फंसना पड़ा है। साथ ही, चीन के नेतृत्व वाली किसी पहल के पीछे हमेशा सामरिक उद्देश्य भी होता है। इसलिए भारत **IFDA** जैसी निवेश व्यवस्था को खतरनाक मानता है।
- **संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** यह समझौता विदेशी कॉर्पोरेट लॉबिंग को बढ़ावा दे सकता है और कम शक्तिशाली देशों की राष्ट्रीय विनियामक संस्थाओं की शक्तियों को सीमित करते हुए उन पर कूटनीतिक दबाव डाल सकता है। साथ ही, यह समझौता किसी देश के घरेलू हितों की अनदेखी करते हुए विदेशी निवेशकों को प्राथमिकता दे सकता है।

---

[47] General Agreement on Trade in Services

[48] Trade-Related Investment Measures

भारत की आर्थिक कूटनीति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #87- भारत की आर्थिक कूटनीति पर एक नज़र

3.7. एमब्रिज प्रोजेक्ट (mBRIDGE Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के अनुसार, प्रोजेक्ट एमब्रिज 2024 के मध्यावधि तक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP)[49] चरण तक पहुंच गया था।

शब्दावली को जानें

- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी** (CBDC): RBI के अनुसार, यह **डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई एक मुद्रा** है। यह **लीगल टेंडर** है और केंद्रीय बैंक की देयता के रूप में बैलेंस शीट पर दर्ज होती है।
- **लीगल टेंडर:** वह मुद्रा जिसे सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और जिसे सभी प्रकार के भुगतान लेन–देन में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है।

प्रोजेक्ट एमब्रिज के बारे में

- प्रोजेक्ट **एमब्रिज को 2021 में लॉन्च** किया गया था। यह एक **क्रॉस-बॉर्डर, विकेंद्रीकृत, मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (mCBDC) प्लेटफ़ॉर्म** है।
- एक नए ब्लॉकचेन **'एमब्रिज लेजर'** पर आधारित प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इसका उद्देश्य रीयल-टाइम, पीयर-टू-पीयर, सीमा-पार भुगतान और विदेशी मुद्रा लेन-देन में सहायता प्रदान करना है।
  - यह **डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT)** पर बनाया गया है। DLT एक विकेन्द्रीकृत बहीखाता (लेजर) नेटवर्क है जिसमें डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई नोड्स के संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
- **प्रतिभागी:** इसे **BIS इनोवेशन हब** के नेतृत्व में चीन, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और हांगकांग के केंद्रीय बैंकों के सहयोग से शुरू किया गया था।
  - सऊदी सेंट्रल बैंक 2024 में इसमें शामिल हुआ।
  - इसके **भारतीय रिजर्व बैंक** सहित **31 से अधिक पर्यवेक्षक सदस्य** हैं।

[49] Minimum viable product

- **mCBDC का महत्व:**
  - यह **लेन-देन की लागत को कम करती है** तथा **दक्षता और लेन-देन की गति में बढ़ोतरी करती है।**
  - यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से **सुरक्षा और पारदर्शिता में बढ़ोतरी** करती है।
  - देशों के बीच मौद्रिक **संप्रभुता, विश्वसनीयता और भरोसा** सुनिश्चित करती है।
  - यह **एकाधिकार और डिजिटल डॉलरीकरण** (अन्य मुद्राओं का अधिक प्रभुत्व वाली मुद्रा द्वारा प्रतिस्थापन) आदि को रोकती है।

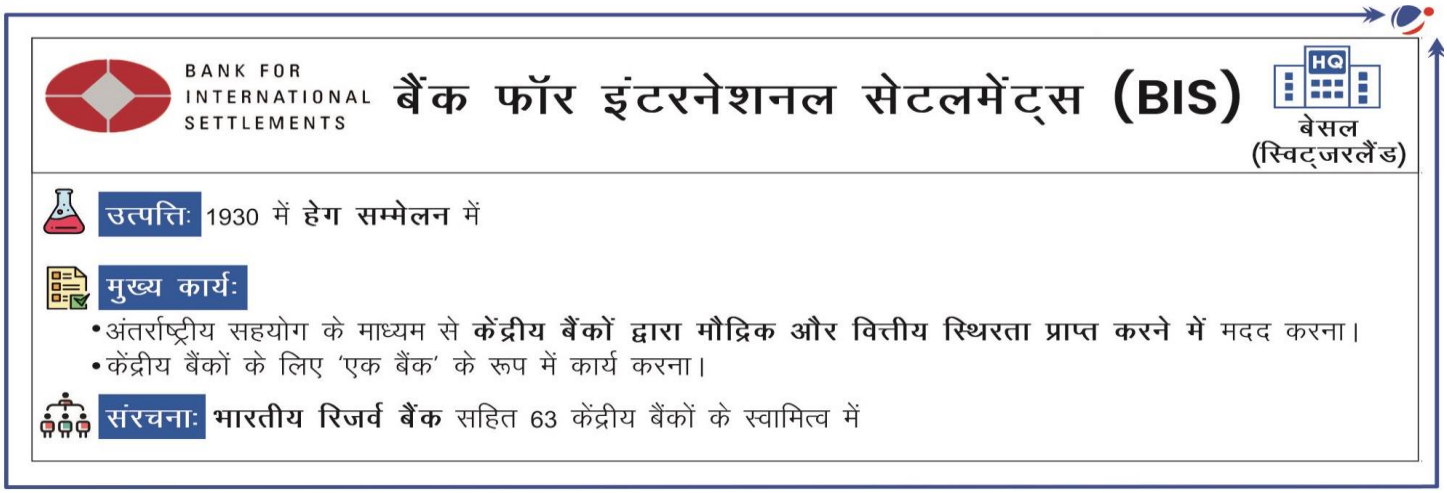

mCBDC से जुड़ी चुनौतियां

- **वैश्विक स्वीकृति और विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती है** क्योंकि BIS ने लगभग चार वर्षों तक इसमें शामिल रहने के बाद परियोजना से पीछे हटने की घोषणा की है।
- कई क्षेत्रों में **सुसंगत विनियामक फ्रेमवर्क की कमी** के कारण **विनियामकीय अनिश्चितता** की स्थिति बनी हुई है।
- डिजिटल मुद्राओं के उपयोग से जुड़ी **अस्थिरता** और **मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता से जुड़ी चिंताएं** मौजूद हैं।
- डेटा उल्लंघनों, अवैध उपयोग जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी या अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने आदि के बारे में **सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।**
- लेन-देन की **समानांतर और गैर-विनियमित संरचनाएं बनाने के जोखिम** मौजूद हैं।

एमब्रिज की तरह की गई अन्य वैश्विक पहलें

- **ब्रिक्स ब्रिज:** यह ब्रिक्स देशों द्वारा प्रस्तावित एक भुगतान प्रणाली है।
- **प्रोजेक्ट नेक्सस:** यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) की पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को आपस में जोड़ना है।

निष्कर्ष

mBRIDGE एक अधिक **बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय प्रणाली** की ओर **संभावित बदलाव की ओर संकेत** करता है। इस स्थिति में **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं** द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। mBRIDGE परियोजना, देशों को अपने वित्तीय लेन-देन पर अधिक नियंत्रण देकर आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने का आश्वासन देती है। यह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों या अन्य प्रकार के आर्थिक दबाव के जोखिम को कम करता है, हालांकि इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं।

3.8. रेलवे में सुधार (Railways Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में पारित हुआ। साथ ही रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने **"रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता"** पर केंद्रित रिपोर्ट जारी की है।

डेटा बैंक

- **68,584** किलोमीटर से अधिक की रेलवे ट्रैक की लंबाई के साथ भारतीय रेलवे **दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क** है।
- **देश में कुल माल ढुलाई का 26%** भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया जाता है।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- **सरलीकृत कानूनी फ्रेमवर्क**
  - यह विधेयक **भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करके** इसके प्रावधानों को **भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में समाहित** करने का प्रस्ताव करता है।
    - भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 में भारतीय रेलवे के प्रशासन के लिए **केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में रेलवे बोर्ड के गठन** का प्रावधान किया गया है।
  - इसका उद्देश्य रेलवे प्रशासन के लिए दो अलग-अलग कानूनों के संदर्भ लेने से बचना है।
- **रेलवे बोर्ड के गठन पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्ति:** केन्द्र सरकार निम्नलिखित निर्धारित करेगी:
  - बोर्ड के सदस्यों की संख्या,
  - सदस्यों के लिए योग्यताएं, अनुभव, सेवा की शर्तें और नियम, तथा
  - बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका।

वैसे रेलवे (संशोधन) विधेयक कानूनी फ्रेमवर्क को सरल बनाता है, लेकिन इसमें भी केंद्रीकृत व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। इससे परिचालन और वित्त से संबंधित कई चुनौतियों का समाधान नहीं हो पाएगा। हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने भी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए रेलवे प्रशासन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

मापदंड	टिप्पणी	सिफारिशें
वित्तीय	• भारतीय रेलवे की **अधिकांश आय** उसकी **माल ढुलाई सेवाओं से** आती है। ○ **2023-24 में** भारतीय रेलवे ने **माल ढुलाई से 1,68,293 करोड़ रुपये** और **यात्री सेवाओं से लगभग 70,000 करोड़ रुपये** का राजस्व अर्जित किया। • यात्री किराया से कम राजस्व के परिणामस्वरूप **बहुत कम निवल राजस्व** प्राप्त होता है।	• अलग-अलग रेलगाड़ियों और श्रेणियों में **यात्री किराये की व्यापक समीक्षा** की जानी चाहिए। ○ सामान्य श्रेणी के किराये को वहनीय रखते हुए, **एसी श्रेणी के किराये की समीक्षा** करके उसे होने वाली लागत के अनुरूप बनाना चाहिए। • **विज्ञापन और खाली जमीन के वाणिज्यिक विकास** के माध्यम से 2030 तक गैर-किराया स्रोत से 20% राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।
परिचालन	• पिछले 11 वर्षों से मालगाड़ियों की **औसत गति 25 कि.मी./घंटा** पर स्थिर बनी हुई है।	• गति, माल लदान और आय बढ़ाने के लिए नए **समर्पित माल गलियारों** के निर्माण पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।
बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण	• **निवेश** ○ सकल बजटीय सहायता में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वृद्धि** हुई। ○ पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम हो गई है, क्योंकि बाजार से उधार लेने के कारण ऋण दायित्वों को पूरा करना होता है, और इससे वित्तीय देनदारियां बढ़ जाती हैं।	• **निवेश:** रेलवे के बुनियादी ढांचे और स्टेशन पुनर्विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। • **भूमि अधिग्रहण:** भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए नीतिगत बदलावों पर विचार करना चाहिए तथा उच्च स्तर पर राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क के माध्यम से समय पर प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए।

	• **भूमि अधिग्रहण:** अनेक परियोजनाओं में देरी का एक प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण से जुड़ा विवाद है। • **रोड ओवर ब्रिज (RoBs) और रोड अंडर ब्रिज (RuBs):** पिछले तीन वर्षों में RoB/ RuB का निर्माण करने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। ○ भारतीय रेलवे ने सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग हटा दी हैं तथा मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग्स पर RoB तथा RuB स्थापित कर रही है।	• **RoBs और RuBs:** समिति ने नई नीति की सराहना की है, क्योंकि परियोजना के लिए पूरा फंड अब रेलवे प्रदान करेगा। इससे लागत-साझा करने में राज्य की निष्क्रियता के कारण रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा, तथा लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित होगा।
अनुसंधान	• **रेलवे अनुसंधान निधि का कम आवंटन और कम उपयोग** (उदाहरण के लिए 2024-25 के लिए रेलवे अनुसंधान के लिए बजट आवंटन मात्र 72 करोड़ रुपये है)	• नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा **आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने** के लिए **अनुसंधान एवं विकास का दायरा बढ़ाना चाहिए।**
सुरक्षा	• कवच/ KAVACH प्रणाली लगाने की गति धीमी है। **दक्षिण मध्य रेलवे में केवल 1,465 कि.मी. रूट** तथा **उत्तर मध्य रेलवे में 80 कि.मी. रूट** में ही कवच/ KAVACH प्रणाली स्थापित की गई है।	• भारतीय रेलवे नेटवर्क में **कवच प्रणाली को तेजी से लगाना चाहिए।**
ग्रीन रेलवे	• भारतीय रेलवे ने **2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य** रखा है। ○ इस लक्ष्य के लिए रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं।	• वित्तीय आवंटन में **'ग्रीन बजट'** पद्धति को शामिल करना चाहिए। ○ ग्रीन बजट से तात्पर्य बजटीय नीति-निर्माण साधनों के उपयोग से है, ताकि व्यय की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके, तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम बजट जलवायु और पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

हालांकि भारतीय रेलवे ने काफी प्रगति की है, फिर भी उसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने तथा संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक अप्रोच अपनाना होगा। साथ ही उसे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप परिचालन दक्षता को बढ़ाना होगा।

रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए **अमृत भारत स्टेशन योजना (2022)** और माल परिवहन की दक्षता में सुधार के लिए **राष्ट्रीय रेल योजना (2020)** इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

3.9. भारत में पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश भर के 23 राज्यों में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस पहल का उद्देश्य **अत्यधिक पर्यटकों वाले पर्यटन स्थलों पर दबाव को कम करना**, **संतुलित तरीके से पर्यटकों के वितरण को बढ़ावा** देना, पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाना, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना और **देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचनाओं का विकास करके** संधारणीय पर्यटन का विकास सुनिश्चित करना है।
- ये परियोजनाएं आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। इन परियोजनाओं का केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की **"पूंजी निवेश के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता** (SASCI)[50]" योजना के आइकॉनिक केंद्रों का विकास घटक के तहत विकास किया जा रहा है।
    - SASCI योजना की घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। इस योजना के पर्यटन घटक का उद्देश्य देश में आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने एवं वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए **राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश हेतु 50 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त दीर्घकालिक कर्ज प्रदान** करना है।

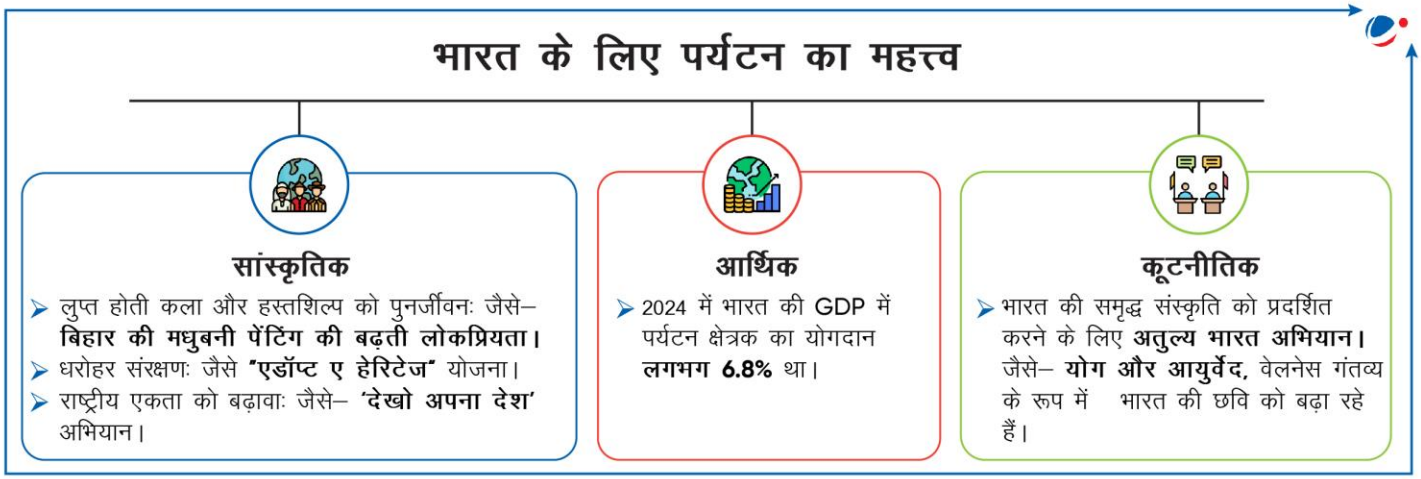

पर्यटन क्षेत्रक के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **अवसंरचना की कमी:** दूरदराज के पर्यटन स्थलों तक पर्याप्त सड़क, रेल और हवाई संपर्क नहीं है तथा पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ शौचालय, पेयजल और साइनेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, आदि।
    - उदाहरण के लिए, पर्यटन से जुड़े **41% हितधारकों** का कहना है कि भारत में **अवसंरचना की कमी** पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में एक बड़ी बाधा है। (केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का आकलन, 2023)

[50] Special Assistance to States/Union Territories for Capital Investment

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** पर्यटकों को निशाना बनाकर उनका उत्पीड़न करना, चोरी और स्कैम्स जैसी घटनाएं अक्सर रिपोर्ट की जाती हैं; महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिला पर्यटकों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अकेले यात्रा करने से रोकती हैं; आदि।
- **पर्यावरण को क्षति:** हिमालयी क्षेत्र जैसे पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक और अनियंत्रित संख्या में पर्यटकों की आवाजाही से जीव-जंतुओं के पर्यावासों को नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण फैलता है और संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
    - इसके अलावा, लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में **उचित अपशिष्ट निपटान प्रणालियों की कमी से** जलग्रहण क्षेत्रों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए, मनाली जैसे हिल स्टेशन कूड़े की समस्या से ग्रस्त हैं।
- **पर्यटन की मौसमी प्रकृति:** मौसम के अनुसार पर्यटन की गतिविधियों में उतार-चढ़ाव के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे- पीक सीजन के दौरान पर्यटन स्थलों में अत्यधिक भीड़भाड़, सेवाओं की कमी और ऑफ-सीजन में सुविधाओं का कम उपयोग, जिससे पर्यटन पर निर्भर लोग प्रभावित होते हैं।
    - **उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में चार धाम तीर्थयात्रा**।
- **कोविड महामारी के बाद की रिकवरी से जुड़े हुए मुद्दे:** संयुक्त राष्ट्र पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2024 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 2019 के स्तर के केवल 85% तक ही पहुंच पाया है।

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **अवसंरचनाओं का विकास:**
    - **स्वदेश दर्शन 2.0 योजना:** इसका उद्देश्य संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है।
    - **प्रसाद (PRASHAD) योजना:** इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों के आस-पास अवसंरचना का विकास करना है।
    - **RCS-उड़ान:** इसे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है।
- **नीतिगत और कानूनी फ्रेमवर्क: राष्ट्रीय पर्यटन नीति** जारी की गई है। यह नीति संधारणीय और समावेशी पर्यटन के विकास एवं विभिन्न श्रेणियों के तहत पर्यटकों के लिए **ई-वीजा सुविधा** आदि पर केंद्रित है।
- **विशिष्ट पर्यटन (Niche tourism): चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन** के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति; सुंदरबन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों में **इको-टूरिज्म,** हिल स्टेशनों में **साहसिक पर्यटन** आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**: इसके लिए हु**नर से रोजगार तक** कार्यक्रम को शुरू किया गया है, साथ ही **पर्यटकों को भाषा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान** करने लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, आदि।
- **अभियान: अतुल्य भारत अभियान, देखो अपना देश, भारत भ्रमण वर्ष 2023, भारत पर्व 2024,** सतत पर्यटन के लिए **ट्रैवल फॉर LiFE** जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** इसमें PPP मॉडल के माध्यम से **अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, लग्जरी ट्रेन** (पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, आदि) **का संचालन**, आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना:** ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों और शहरों को पैदल और साइकिल से चलने योग्य बनाना, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार हेतु बहुभाषी साइनेज, वाई-फाई जोन जैसी पर्यटक-अनुकूल सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है।
- **विशिष्ट पर्यटन को बढ़ावा देना:** स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में **फार्म स्टे और सांस्कृतिक पर्यटन** को बढ़ावा देना चाहिए।
    - उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों में **वेलनेस क्लस्टर** का विकास करना चाहिए; वैश्विक फिल्म उद्योग को **फिल्म शूटिंग की अनुमति देने** के लिए **सिंगल-विंडो क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान** करनी चाहिए, आदि।
- **संधारणीय पर्यटन: नक्शों और हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर भूमि उपयोग योजना तैयार करनी** चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर पर्यटन **स्थल-विशिष्ट कदम उठाया जा सके और उसका मार्गदर्शन** किया जा सके।
    - पर्यावरणीय दक्षता एवं कार्बन उत्पादन और प्रमाणन के आधार पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं का **पर्यावरणीय ऑडिट** करना चाहिए।
    - पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों और पर्यटन संबंधी **रणनीतियों, उपलब्धियों** की **सक्रिय निगरानी और सार्वजनिक रिपोर्टिंग** करनी चाहिए ताकि ये **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों** के अनुरूप रहें।

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** पर्यटन क्षेत्र में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहिए**, जो **व्यक्तिगत यात्रा योजना और रीयल-टाइम सहायता** प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए, **स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का वर्चुअल वॉकथ्रू** प्रदान करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यटक यात्रा से पहले ही डिजिटल अनुभव ले सकें।
    - पर्यटकों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी का अनुमान लगाने, बहु-जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संसाधनों का बेहतर तरीके से आवंटन करने हेतु **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा और सैटेलाइट मैपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग** करना चाहिए।

3.10. भारत में बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **वित्त संबंधी स्थायी समिति** ने संसद में **'बीमा क्षेत्रक के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन'** विषय पर टिप्पणियों और सिफारिशों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश की।

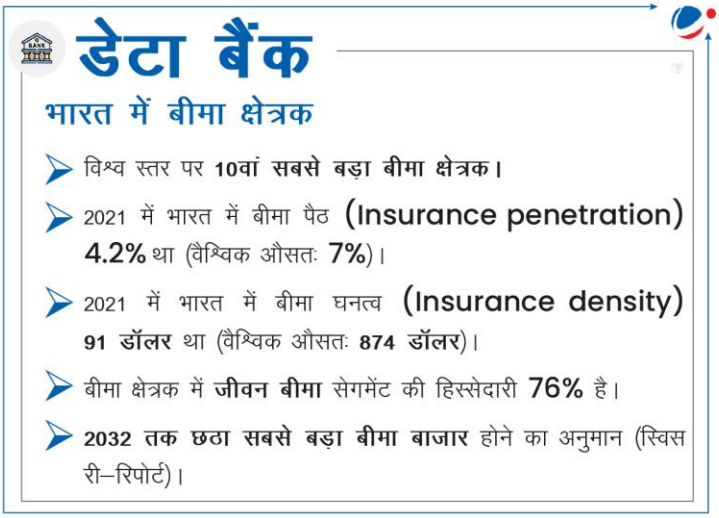

समिति की मुख्य टिप्पणियां

- **बीमा क्षेत्रक पर सरकारी नीतियां:** 18% की दर से GST लगाने और 'स्रोत पर कर कटौती' जैसे प्रावधान बीमा प्रवेश (Insurance penetration) बढ़ाने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।
    - IRDAI ने कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के समान ही बीमा को कर से छूट प्रदान करने की सिफारिश की है।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक की बीमा कंपनियां:** इन्हें अपर्याप्त पूंजी, निजी कंपनियों के साथ समान अवसर की कमी, स्वास्थ्य बीमा में अधिक एक्सपोजर (जिसकी वजह से लगभग 26,000 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ) और इन्सॉल्वेंसी अनुपात में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
    - उदाहरण के लिए, **सार्वजनिक कंपनियों को** बीमा एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन तथा पॉलिसीधारकों को देय क्लेम या बोनस पर **TDS काटना अनिवार्य है,** जबकि **निजी कंपनियों को इससे छूट दी गई है।**
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि:** साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा बाजार में **निजी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी** वित्त वर्ष 2020 में 48.03% थी, जो **वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 62.5%** हो गई।
    - भारत सरकार ने **वर्ष 2000 में निजी कंपनियों को बीमा क्षेत्रक में** कार्य करने की अनुमति प्रदान की, जिसमें FDI की सीमा 26% निर्धारित की गई। इस सीमा को **2014 में बढ़ाकर 49%** कर दिया गया और **2021 में इसे और अधिक बढ़ाकर 74%** कर दिया गया।
- **स्वास्थ्य बीमा में मध्य वर्ग की उपेक्षा:** आबादी के एक बड़े हिस्से के पास स्वास्थ्य बीमा का पर्याप्त कवरेज नहीं है। (इन्फोग्राफिक देखिए)
- **माइक्रो इंश्योरेंस: लेनदेन की उच्च लागत,** जागरूकता की कमी और मध्यवर्तियों के लिए लाभकारी व्यवसाय मॉडल नहीं होना जैसी चुनौतियां माइक्रो इंश्योरेंस के विकास में बाधक हैं।

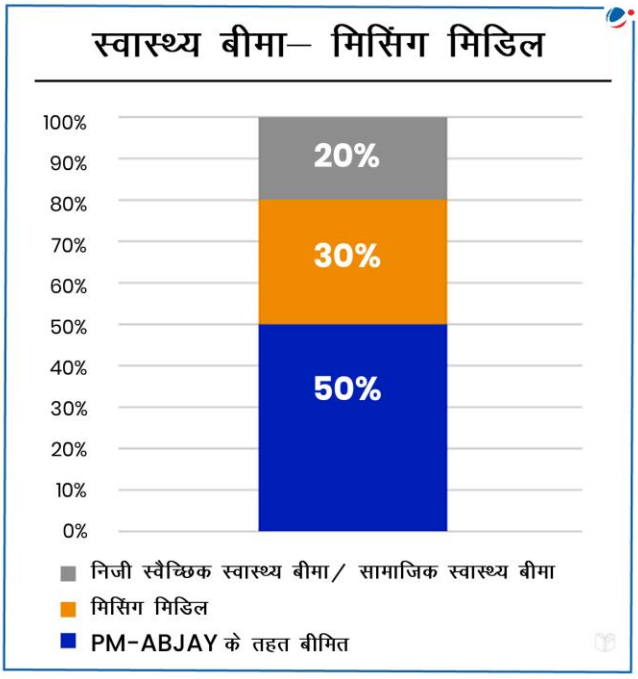

- **आपदा के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाने की जरूरत: 1900 के बाद से** दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलने के मामले में अमेरिका और चीन के बाद **भारत तीसरे स्थान पर रहा है।** आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचती है।

- **बड़ी राशि वाले क्लेम को अस्वीकार करना या उसके निपटान में देरी:** प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ **निजी कंपनियां प्रीमियम पर भारी छूट प्रदान करती हैं,** जिससे **क्लेम के निपटान के समय उनके पास पर्याप्त धनराशि शेष नहीं बच पाती** है। इसके कारण **बीमा कंपनियां जानबूझकर क्लेम के निपटान से बचती** हैं।

माइक्रो इंश्योरेंस

- **माइक्रो इंश्योरेंस** विशेष रूप से कम आय वाले लोगों की सुरक्षा के लिए है। इसके वहनीय बीमा उत्पाद इन लोगों को वित्तीय नुकसान से निपटने और उबरने में मदद करते हैं।
- **'IRDAI (माइक्रो इंश्योरेंस) विनियम, 2015' माइक्रो इंश्योरेंस के लिए पात्रता मानदंड, उत्पाद सुविधाएं, वितरण चैनल और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं** को परिभाषित करता है।
  - विनियमों के अनुसार, लाइफ या पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद के तहत **बीमित राशि 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी**।
- **चुनौतियां:** इनमें शामिल हैं; बीमा कवरेज का आकार छोटा होना, **लेन-देन** और **सेवा वितरण की उच्च लागत,** बीमा उत्पाद बेचने हेतु **मध्यवर्तियों को आकर्षित** करने **व्यावसायिक मॉडल का न होना**, **मध्यवर्तियों** के क्षमता निर्माण की कमी तथा बीमा की कार्यप्रणाली **पर बुनियादी जागरूकता और ज्ञान का अभाव**।
- वर्तमान **माइक्रो इंश्योरेंस उत्पादों** में **पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना, पी.एम. जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना आदि** शामिल हैं।

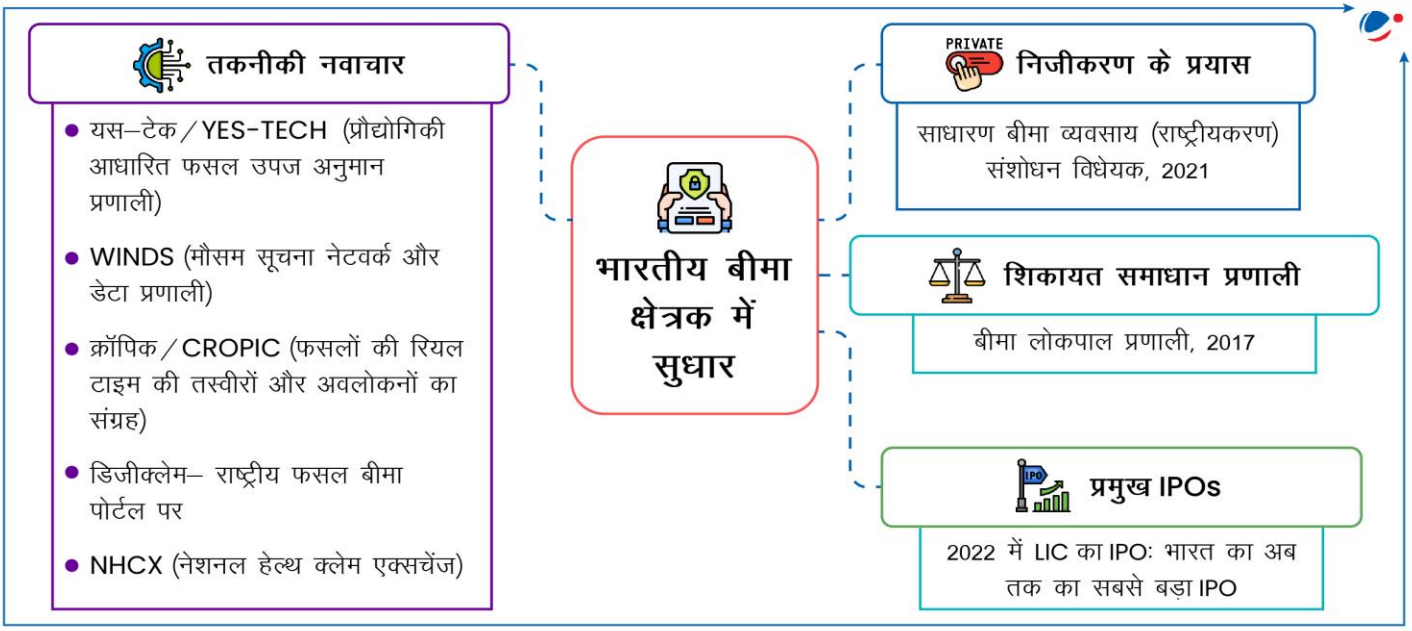

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

- **माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा देना:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु **नए बीमा उत्पाद शुरू करने** एवं लघु बीमा कंपनी स्थापित करने के लिए कम **पूंजी की आवश्यकता जैसे उपाय किए जाने चाहिए**।
  - समिति ने बीमा कंपनी शुरू करने के लिये **100 करोड़ रुपये की नियत पूंजी आवश्यकता को समाप्त करने हेतु बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन** करने का प्रस्ताव दिया है, तथा IRDAI को विनियमों के माध्यम से पूंजी संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करने में सक्षम बनाने की भी सिफारिश की है।
- **समग्र लाइसेंसिंग (Composite Licensing)**: बीमा कंपनियों को एक ही यूनिट के तहत **जीवन बीमा और अन्य बीमा उत्पादों** की पेशकश करने के लिए **संयुक्त लाइसेंसिंग की अनुमति देने** की आवश्यकता है। इससे बीमा **उत्पादों की लागत को कम किया जा सकेगा** और सब्सक्राइबर के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
- **आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में पैरामीट्रिक इंश्योरेंस:** सरकारों को विशेष रूप से आपदाओं के प्रति **संवेदनशील क्षेत्रों** के **घरों एवं संपत्तियों** को तथा **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों** को बीमा कवरेज प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य **अमेरिका के फ्लोरिडा के समान ही आपदा-प्रवण क्षेत्रों** में **सब्सिडी वाले प्रीमियम के साथ बीमा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना** चाहिए।

- **स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करना:** स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए अग्रलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है- दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए **बहु-हितधारक अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह** का गठन करना; सरल और **मानकीकृत उत्पाद विकसित** करना; **सरकारी डेटा** एवं अवसंरचनाओं को **साझा करना;** सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना; स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का **आंशिक रूप से वित्त-पोषण** करना।
- **स्वास्थ्य बीमा एवं माइक्रो इंश्योरेंस उत्पादों के लिए GST की दर को कम करना:** स्वास्थ्य बीमा उत्पादों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटेल पॉलिसी और माइक्रोइंश्योरेंस पॉलिसी (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निर्धारित सीमा, जो वर्तमान में 5 लाख रुपये है) तथा टर्म पॉलिसी पर लागू GST दरों को कम किया जा सकता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना:** न्यायसंगत बीमा उत्पादों को डिजाइन करने के लिए **व्यापक हितधारकों से परामर्श** के साथ **नीतिगत रोडमैप श्वेत पत्र**[51] तैयार किया जाना चाहिए।
- **ऐसी पॉलिसियां जिन पर कोई क्लेम नहीं किया जा रहा है**: RBI के **UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट: गेटवे टू एक्सेस इनफार्मेशन)** की तर्ज पर **अनक्लेम्ड बीमा पॉलिसी** के लिए एक **केंद्रीय पोर्टल** स्थापित किया जा सकता है, जिससे बड़ी संख्या में उन **बीमा पॉलिसी** की प्रोसेसिंग में सुधार होगा, जो वर्तमान में **वरिष्ठ नागरिक निधि (Senior Citizen Fund)** में स्थानांतरित की जा रही हैं।

शब्दावली को जानें

पैरामीट्रिक बीमा

- यह **सूचकांक–आधारित बीमा** है जो किसी घटना के वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की बजाय उस घटना (जैसे– भूकंप) के होने की **संभावना या आशंका को कवर** करता है।
- **क्लेम का भुगतान**– घटना के घटित होने या घटना की **पूर्व–निर्धारित तीव्रता सीमा को पार करने पर भुगतान किया** जाता है, उदाहरण के लिए– भूकंप की तीव्रता, चक्रवात की वायु की गति, आदि।

- **पूंजी उपलब्धता:** सरकार की ओर से **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** बीमा कंपनियों के निवेश के लिए **'ऑन-टैप' बॉन्ड** जारी कर सकता है, जिनकी परिपक्वता अवधि वर्तमान **40 वर्ष की जगह अधिकतम 50 वर्ष** तक की जा सकती है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में

- यह **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) अधिनियम, 1999** के तहत गठित **एक वैधानिक निकाय** है।
- **उद्देश्य:** पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और भारत में बीमा उद्योग का विनियमन, संवर्धन और व्यवस्थित तरीके से विकास सुनिश्चित करना।
- प्राधिकरण की **शक्तियां और कार्य IRDA अधिनियम, 1999** और **बीमा अधिनियम, 1938** में निहित हैं।
- **IRDAI '2047 तक सभी के लिए बीमा'** के **अपने विज़न को पूरा करने के लिए** कई कदम उठा रहा है। इनमें शामिल हैं; **बीमा सुगम** (ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म), **बीमा भरोसा शिकायत निवारण पोर्टल, बीमा वाहक** (महिला-केंद्रित डिस्ट्रीब्यूशन चैनल), **बीमा विस्तार** आदि।

3.11. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 {Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को राज्य सभा में पारित किया गया। इसे **तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948** में संशोधन करने के लिए लाया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक का उद्देश्य **पेट्रोलियम और खनिज तेलों का देश में ही उत्पादन करने को प्रोत्साहित करना** है, इस क्षेत्रक में निजी निवेश को आकर्षित करना तथा ऊर्जा क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है।
- **विधेयक के शामिल मुख्य प्रावधान**
  - **खनिज तेल की परिभाषा में विस्तार:** विधेयक में इस परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें अग्रलिखित को जोड़ा गया है: (i) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन, (ii) कोल बेड मीथेन, और (iii) शेल गैस/ तेल। खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं हैं।

[51] Policy Roadmap White Paper

- **पेट्रोलियम लीज की शुरुआत**: विधेयक में **'खनन पट्टे' की जगह पेट्रोलियम पट्टे' टर्म का इस्तेमाल किया गया** है। लीज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रावधान किया गया है, जैसे खनिज तेलों का अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन), पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग), उत्पादन और निस्तारण।
- **केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां:** यह विधेयक केंद्र सरकार को कई मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है, जैसे- (i) पेट्रोलियम लीज का विलय, (ii) उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाओं को साझा करना (iii) पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन में कमी (iv) वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र।
- **कुछ गतिविधियों को गैर-आपराधिक बनाना:** नियम का उल्लंघन करने पर कारावास और मामूली जुर्माने के स्थान पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **दंड का निर्णय:** केंद्र सरकार दंड संबंधी निर्णय के लिए संयुक्त सचिव या उससे उच्च रैंक वाले एक अधिकारी को नामित करेगी। इस अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड विनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम 2006** के तहत **PNGRB अधिकरण के समक्ष** की जा सकेगी। PNGRB पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग, परिवहन, भंडारण और बिक्री का विनियमन करता है।

तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक, तेल अन्वेषण के भविष्य को किस प्रकार आकार देगा?

- **देश में उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना:** वर्तमान में, भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है। पेट्रोलियम लीज की शुरुआत और विभिन्न हाइड्रोकार्बन को शामिल करने के लिए खनिज तेल की परिभाषा को व्यापक बनाने का उद्देश्य देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात को कम करना है।
- **निजी निवेश को आकर्षित करना:** इसमें मौजूदा पट्टेदारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
- **नीति को प्रासंगिक और आधुनिक बनाना:** पेट्रोलियम क्षेत्रक में गवर्नेंस में सुधार के लिए विनियामकीय प्रावधानों को ऊर्जा क्षेत्रक की वर्तमान आवश्यकताओं एवं कार्य पद्धतियों के अनुरूप बनाया गया है।
    - **कानूनों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट वितरण:** तेल क्षेत्र अधिनियम (पेट्रोलियम और खनिज तेलों के लिए) तथा खान और खनिज अधिनियम (अन्य खनिजों के लिए) के बीच स्पष्ट अंतर करता है।

नोट: *अपतटीय खनन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.8. देखें।*

3.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.12.1. GST परिषद की 55वीं बैठक (55TH GST Council Meeting)

राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई।

- इस बैठक में **कर की दरों में बदलाव करने; व्यापार करना आसान बनाने तथा GST के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने** के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

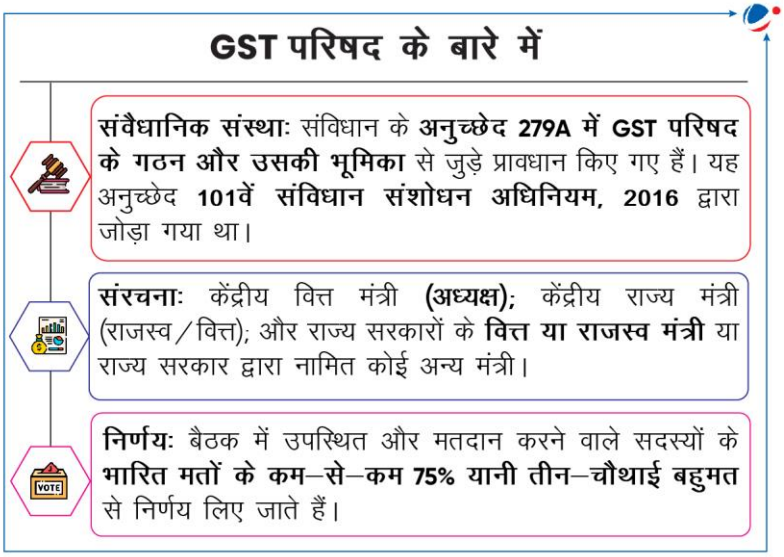

55वीं GST परिषद की मुख्य सिफारिशें

- **जीन थेरेपी को GST से पूरी छूट** दी गई है।
- **थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम** से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा **मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को GST से छूट** दी गई है।
- **फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर को कम करके 5%** कर दिया गया है।
- **अन्य निर्णय**
  - **काली मिर्च और किशमिश:** अगर ताजा हरी या सूखी **काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान** से होती है, तो उस पर **कोई GST नहीं** लगाया जाएगा।
  - **पॉपकॉर्न:** जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (जैसे कारमेल पॉपकॉर्न), तो उस पर 18% GST लगेगा

3.12.2. अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक {All-India House Price Index (HPI)}

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (AHPI) जारी किया।

- **HPI:** इसमें **वित्त-वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 4.3% की वृद्धि** हुई है, जो पिछली तिमाही में **3.3%** थी।
- **HPI के तहत बेंगलुरु** में सबसे अधिक **8.8%** की वृद्धि देखी गई है, जबकि **कानपुर में -2.0% की गिरावट** देखी गई है।

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक के बारे में

- **आधार वर्ष:** 2010-11 = 100.
- **डेटा स्रोत:** 10 प्रमुख शहरों के पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डेटा।
- **कवर किए गए शहर:** अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि।

3.12.3. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey: CCS)

RBI के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार **भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर** हुआ है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS) के बारे में

- यह अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में **आशाजनक या निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करने वाला एक आर्थिक संकेतक** है।
- यह **उपभोक्ता के नजरिये से अर्थव्यवस्था की स्थिति** का आकलन करता है। **उच्च विश्वास** आम तौर पर **उपभोक्ता व्यय में वृद्धि का संकेतक** होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **प्रत्येक दो महीनों पर CCS के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास** को मापता है।
- CCS उपभोक्ताओं के फीडबैक को **निम्नलिखित दो सूचकांकों के माध्यम से मापता है:**
  - **वर्तमान स्थिति सूचकांक (Current Situation Index: CSI):** इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है।
  - **भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (Future Expectation Index: FEI):** इसमें एक साल आगे के बारे में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों पर उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की माप की जाती है।

3.12.4. लघु वित्त बैंकों को UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन की सुविधा (SFBs To Extend Credit Line Through UPI)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **लघु वित्त बैंकों (SFBs) को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।**

UPI के माध्यम से SBFs द्वारा क्रेडिट लाइन के बारे में

- इस सुविधा के तहत कोई SFB किसी ग्राहक के लिए पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन के जरिए UPI सिस्टम के माध्यम से उसे क्रेडिट लाइन (लोन) प्रदान कर सकता है। इसके बाद ग्राहक क्रेडिट लाइन का उपयोग करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए ग्राहक की पूर्व सहमति अनिवार्य है।
    - ज्ञातव्य है कि सितंबर 2023 में, RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को **UPI के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन** की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी थी।
- **महत्त्व:** इसका उद्देश्य **वित्तीय समावेशन को बढ़ाना देना** और 'नए ऋण' लेने वाले ग्राहकों के लिए **औपचारिक ऋण को सुगम** बनाना है।

लघु वित्त बैंकों (SBFs) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इनकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2014-15** में की गई थी।
- **उद्देश्य:** निम्नलिखित के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाना:
    - मुख्य रूप से ऐसे लोगों को बचत की सुविधाएं प्रदान करना, जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे या जिनके पास बैंकिंग सेवाओं की बहुत कम उपलब्धता थी।
    - उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कम परिचालन लागत के माध्यम से लघु व्यापारिक इकाइयों; लघु और सीमांत किसानों; सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्रक की संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना।
- **पंजीकरण:** ये **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में स्थापित हैं।
- **लाइसेंस: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत** प्रदान किया जाता है।
- **पूंजी संबंधी अनिवार्यता:** मिनिमम पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल **200 करोड़ रुपये।** यह अनिवार्यता शहरी सहकारी बैंकों से लघु वित्त बैंकों में तब्दील हुए SBFs पर लागू नहीं होती है।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) हेतु मानदंड:** RBI द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को अपने **समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit: ANBC) का 75%** प्रदान करना अनिवार्य है।

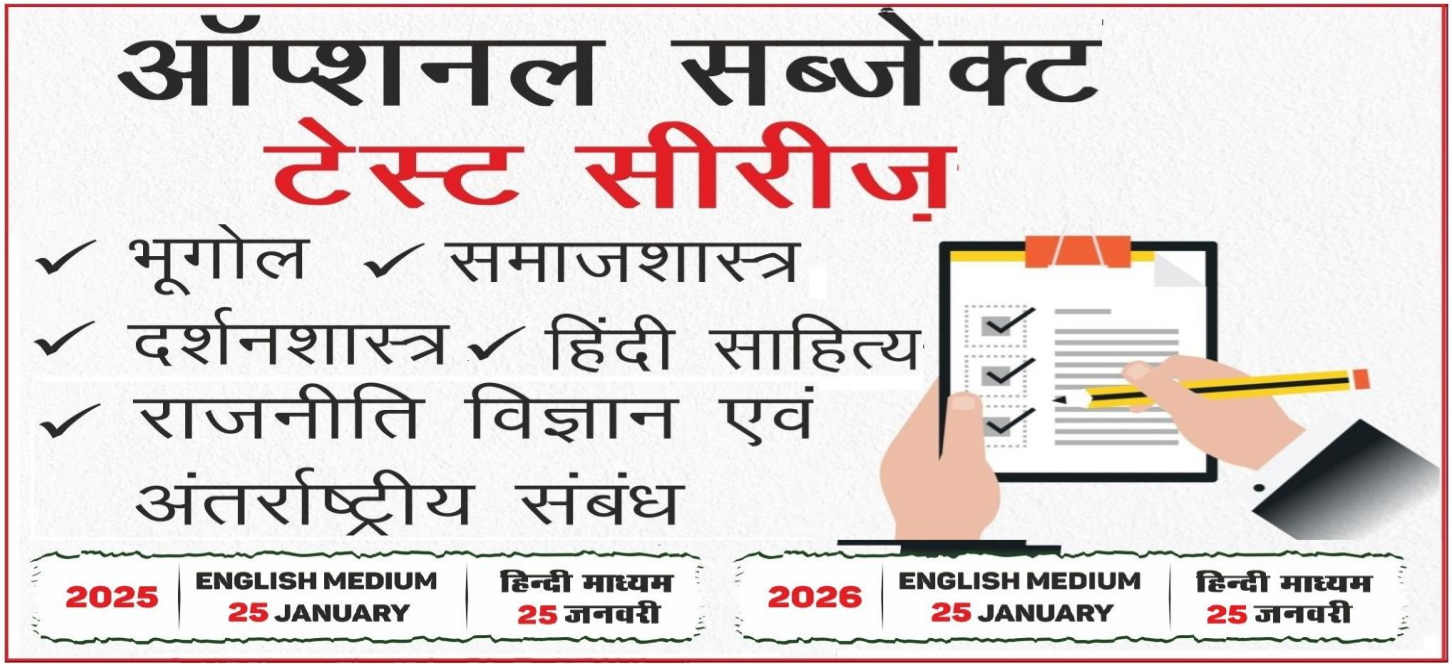

3.12.5. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) लाइट {Unified Payments Interface (UPI) Lite}

RBI ने UPI के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए UPI लाइट की लेन-देन की सीमा को **500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये** कर दिया है।

- RBI ने UPI लाइट पर **ऑफलाइन लेन-देन की कुल सीमा भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये** कर दी है।

UPI लाइट के बारे में

- यह एक **भुगतान समाधान है,** जो विश्वसनीय **'NPCI कॉमन लाइब्रेरी' एप्लीकेशन** का लाभ उठाता है, ताकि वास्तविक समय में विप्रेषक (Remitter) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना **कम मूल्य के लेन-देन को प्रोसेस** किया जा सके। साथ ही, इसमें **पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण भी प्रदान** किया जाता है।
- अपने UPI पंजीकृत ग्राहक की सहमति से, जारीकर्ता बैंक एक निर्धारित सीमा तक ग्राहक के खाते पर एस्क्रो (निलंब) बना सकता है।

3.12.6. आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (Index of Eight Core Industries: ICI)

आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में अक्टूबर 2023 की तुलना में **अक्टूबर 2024 में 3.1% की वृद्धि** दर्ज की गई थी।

'आठ कोर उद्योगों के सूचकांक' के बारे में

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के 8 कोर क्षेत्रकों के **अलग-अलग और सामूहिक प्रदर्शन** को मापता है।
  - ये 8 क्षेत्रक या उद्योग हैं- **कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत।**
- ये आठ कोर उद्योग **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** में शामिल मदों के **40.27% भारांश का प्रतिनिधित्व** करते हैं।
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का **आर्थिक सलाहकार का कार्यालय प्रति माह आठ कोर उद्योगों का सूचकांक संकलित करता है और जारी** करता है।

3.12.7. विश्व बैंक ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 जारी की {World Bank Released Annual International Debt Report (IDR) 2024}

अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 में उन निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के बाह्य ऋण के आंकड़े एवं विश्लेषण शामिल हैं, जो विश्व बैंक के **डेब्टर रिपोर्टिंग सिस्टम (DRS) को रिपोर्ट** करते हैं।

- **बढ़ता हुआ बाह्य ऋण:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों का कुल बाह्य ऋण **2023 में 2.4% बढ़कर 8.8 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था।
- **ऋणग्रस्तता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक**
  - **उच्च ब्याज दरें:** उच्च आय वाले देशों में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण ब्याज दरें **20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।**
    - **बांग्लादेश और भारत में 2023 में ब्याज भुगतान 90%** से अधिक बढ़ गया था।
  - **अन्य कारक:** इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में गिरावट तथा सशस्त्र संघर्षों और व्यापार में व्यवधान के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता शामिल हैं।
- **बढ़ते ऋण का प्रभाव:** इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आगे की राह

यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती UNCTAD) ने **संधारणीय और समावेशी ऋण समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:**

- **वैश्विक वित्तीय सुधार:** इसके तहत व्यापक ऋण संकट को रोकने और समावेशी वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए व्यापक सुधार करने चाहिए।
- **शोषणकारी ऋण से बचाव:** इसके लिए रियायती वित्त-पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सूचना संबंधी असमानता को कम करना चाहिए तथा शोषणकारी ऋण प्रणालियों को हतोत्साहित करना चाहिए।
- **संकट के दौरान लचीलापन:** संकट के दौरान पुनर्भुगतान को कुछ समय तक रोकने के लिए क्लाइमेट-रेसिलिएंट ऋण प्रावधानों और स्थगन नियमों को लागू करना चाहिए।
- **बेहतर पुनर्गठन प्रणाली:** संप्रभु ऋण प्रबंधन का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्वचालित पुनर्गठन नियम लागू करने चाहिए तथा एक वैश्विक ऋण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।

3.12.8. टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024' रिपोर्ट जारी की गई (Tax Justice Network Released 'State of Tax Justice 2024' Report)

यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान और वैश्विक स्तर पर कर संबंधी सुधारों को उजागर करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण देशों को **प्रति वर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान** हो रहा है।
  - इसमें से **दो-तिहाई (347.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों** द्वारा किया जाता है। ये कंपनियां अपने लाभ को ऐसे देशों में स्थानांतरित करती हैं, जहां कर दरें बहुत कम होती हैं, ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े।
  - **शेष एक-तिहाई (144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर)** का नुकसान उन धनी व्यक्तियों के कारण होता है, जो अपनी संपत्ति को विदेशों में छुपाते हैं।
- **43% नुकसान निम्नलिखित आठ प्रमुख OECD सदस्य देशों** के कारण होता है, जो **यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन** का विरोध कर रहे हैं:
  - **ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजरायल, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका।**
- निरपेक्ष रूप से **ग्लोबल नॉर्थ के देशों को सबसे ज्यादा कर राजस्व का नुकसान** होता है, जबकि **ग्लोबल साउथ के देशों को अपने कुल कर राजस्व के सबसे बड़े हिस्से का नुकसान** होता है।
  - इस प्रकार की कर हानि के परिणामस्वरूप **सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सीमित होती है; देशों के बीच असमानता बढ़ती है; तथा घरेलू कारोबार सीमित** हो जाता है।

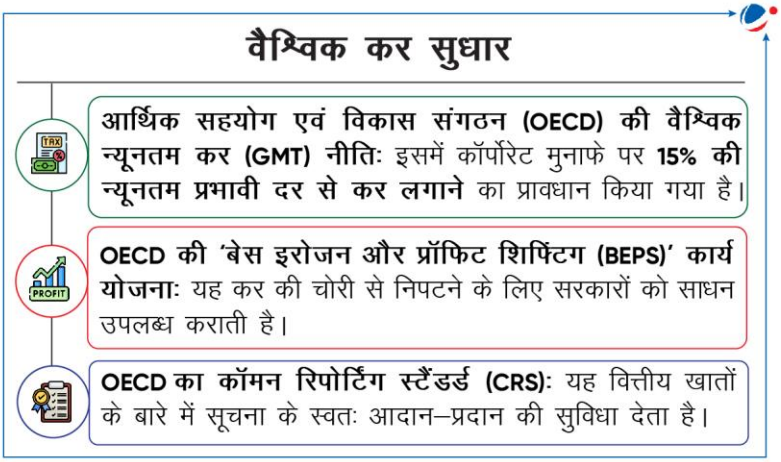

इस रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें

- **यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन** को अपनाना चाहिए। यह **वैश्विक स्तर पर समावेशी अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों की स्थापना** करेगा। साथ ही, यह सीमा-पार कर चोरी को रोकेगा और प्रगतिशील राष्ट्रीय कराधान को बहाल भी करेगा।
- **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर 2025 में वार्ता शुरू की जाएगी और 2027 में संपन्न** होगी।
- **अतिरिक्त लाभ और संपत्ति पर कर** लगाने से आर्थिक असमानता कम तथा एकाधिकार की शक्ति सीमित हो सकती है। साथ ही, इससे समाज से सबसे अधिक लाभ कमाने वाले लोगों द्वारा सामाजिक कल्याण में आनुपातिक रूप से योगदान सुनिश्चित हो सकता है।

3.12.9. ILO ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी की (Global Wage Report Released by ILO)

यह विश्व भर में वेतन की प्रवृत्तियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। साथ ही, वेतन संबंधी असमानता और वास्तविक वेतन वृद्धि में परिवर्तन को भी उजागर करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वेतन वृद्धि संबंधी रुझान**
  - **वैश्विक स्तर पर:** 2022 में गिरावट के बाद, **2023 में वैश्विक वास्तविक वेतन वृद्धि बहाल हुई है।**
  - **क्षेत्रीय स्तर पर:** शेष विश्व की तुलना में **एशिया व प्रशांत, मध्य और पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में औसत वेतन तेजी से बढ़** रहा है।
    - लगभग **9.5% भारतीय कामगार कम वेतन** पाने वाले कामगार हैं।
- **श्रम संबंधी आय असमानता के रुझान**
  - **वेतन असमानता:** कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है।
    - हालांकि, यह **निम्न आय वाले देशों में सबसे अधिक है और उच्च आय वाले देशों में सबसे कम है।**

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** वेतन वितरण के निचले स्तर पर महिलाओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अधिक है।
  - **औपचारिक रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से न बढ़ने के कारण अनौपचारिक रोजगार में निरपेक्ष रूप से वृद्धि** हुई है।
- **श्रम उत्पादकता (1999-2024):** उच्च आय वाले देशों में यह वास्तविक वेतन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।

आगे की राह

- **अनुसंधान में वृद्धि:** असमानता में परिवर्तन को मापने और उसका अनुमान लगाने के लिए बेहतर डेटा एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **वेतन में असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां:** वेतन को आर्थिक कारकों के साथ-साथ कामगारों और उनके परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही, वेतन संबंधी मानक लैंगिक समानता, समता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
- **कर और सामाजिक हस्तांतरण के माध्यम से आय का पुनर्वितरण:** इसे ऐसी नीतियों के साथ लागू किया जाना चाहिए जो उत्पादकता, गरिमापूर्ण कार्य और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने को बढ़ावा देती हो।

3.12.10. विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)

केंद्र सरकार ने **कच्चे तेल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स** को खत्म कर दिया है।

विंडफॉल टैक्स के बारे में

- सरकार उन उद्योगों पर विंडफॉल टैक्स लगाती है जो **अनुकूल आर्थिक स्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ** कमाते हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत ने **विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद जुलाई 2022 में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स** लगाया था।
- सरकार उस अतिरिक्त लाभ पर लगाए गए कर से अर्जित राजस्व का उपयोग **सरकारी परियोजनाओं को फंड देने, घाटे को कम करने या धन को पुनर्वितरित करने** के लिए करती है।

3.12.11. आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम {Atmanirbhar Clean Plant Programme (CPP)}

भारत और ADB ने **98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर** किए हैं। इस समझौते के तहत बागवानी के लिए CPP को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क और संस्थागत प्रणालियां विकसित की जाएंगी।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इस कार्यक्रम की शुरुआत **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)** के तहत की गई है।
  - MIDH बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसमें **फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फसलों** आदि को शामिल किया गया है।
- **उद्देश्य:** फसल की पैदावार में वृद्धि करने के उद्देश्य से **किसानों को वायरस-मुक्त व उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच** प्रदान करना।
- **प्रमुख घटक:**
  - **9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र (CPCs)** स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र उन्नत नैदानिक चिकित्सा विज्ञान और टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होंगे।
  - **बीज अधिनियम, 1966 के तहत विनियामक फ्रेमवर्क** द्वारा समर्थित एक प्रमाणन प्रणाली बनाई गई है।
  - अवसंरचना विकास के रूप में बड़े पैमाने पर **नर्सरी विकास** के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** इसे **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** के माध्यम से **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा लागू किया जा रहा है।
  - इसे ADB की 50% सहायता से **2024-30 तक लागू** किया जाएगा।

बागवानी क्षेत्रक के लिए अन्य प्रमुख पहलें

- **भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (चमन/ CHAMAN):** इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र और उत्पादन के आकलन हेतु वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना तथा मजबूत करना है।
- **किसान रेल सर्विस:** इसका संचालन फलों और सब्जियों सहित जल्दी खराब होने वाली जिंसों के परिवहन के लिए किया जा रहा है।
- **पूंजी निवेश सब्सिडी योजना:** इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने शुरू किया है।

भारत का बागवानी क्षेत्रक एक नजर में

- बागवानी क्षेत्रक **देश की कृषि GDP में लगभग 33% सकल मूल्य का योगदान** देता है तथा **18% कृषि भूमि** को कवर करता है।
- बागवानी क्षेत्रक **कृषि निर्यात में सालाना 4 लाख करोड़** रुपये से अधिक का योगदान देता है।
- खाद्य और कृषि संगठन **(FAO)** के अनुसार, **भारत विश्व में सब्जियों और फलों का दूसरा** सबसे बड़ा उत्पादक है।
- केला, लाइम और लेमन पपीता तथा भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है।

3.12.12. RBI ने बिना किसी गिरवी या जमानत के कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई (RBI Increases Limit For Collateral-Free Agricultural Loan)

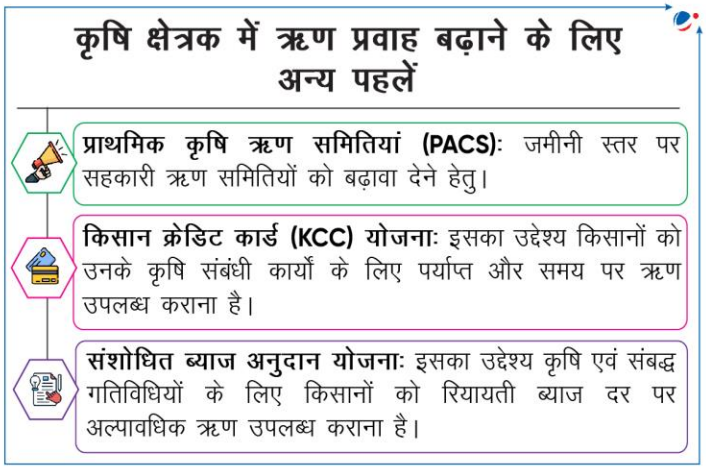

RBI के इस कदम का उद्देश्य **किसानों को बेहतर वित्तीय पहुंच** प्रदान करना है। इससे किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे **खेती-बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों** और अन्य **विकासात्मक जरूरतों** को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एवं आसानी से ऋण मिल सकेगा।

बैंकों को दिए गए प्रमुख निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित** जमानत-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को **प्रति ऋणी** मौजूदा **1.6 लाख रुपये** से बढ़ाकर **2 लाख रुपये** कर दिया गया है।
- इन संशोधित निर्देशों को **1 जनवरी, 2025 से लागू** करने की सिफारिश की गई है, ताकि किसानों को शीघ्र वित्तीय सहायता मिले।
- बैंकों को कहा गया है कि वे किसानों और अन्य हितधारकों को इन नए निर्देशों के बारे में सूचित करने के लिए **जागरूकता अभियान** चलाएं।

कृषि क्षेत्रक में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अन्य पहलें

- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS):** जमीनी स्तर पर सहकारी ऋण समितियों को बढ़ावा देने हेतु।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:** इसका उद्देश्य किसानों को उनके कृषि संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है।
- **संशोधित ब्याज अनुदान योजना:** इसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराना है।

ऋण की सीमा में वृद्धि का महत्त्व

- **ऋण की उपलब्धता में वृद्धि:** इससे विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्रक में लघु एवं सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 86% से अधिक है।
- **ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना:** ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाकर KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** इससे ग्रामीण कृषक समुदाय तक औपचारिक वित्तीय पहुंच का विस्तार होगा तथा ऋण-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे संधारणीय कृषि के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करने में भी मदद मिलेगी।

कृषि हेतु ऋण से जुड़े प्रमुख मुद्दे: इसमें अल्पकालिक फसल ऋणों पर पर्याप्त ध्यान न देना, ऋण माफी के कारण बढ़ता राजकोषीय बोझ, गैर-संस्थागत ऋण पर अत्यधिक निर्भरता आदि शामिल हैं।

3.12.13. e-NWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना {Credit Guarantee Scheme For E-Nwr Based Pledge Financing (CGS-NPF) Launched}

यह योजना किसानों को **वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA)** से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी कृषि उपज रखने के बाद **इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट (e-NWR) के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान करती है।

e-NWR के बारे में

- e-NWR पारंपरिक वेयरहाउस रिसिप्ट का डिजिटल संस्करण है, जो **वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007** द्वारा शासित है।
- इसके जरिए एक पंजीकृत गोदाम में जमा किए गए माल को स्थानांतरित या बेचा जा सकता है।
- **2019** से, WDRA ने NWR को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **मंत्रालय:** यह योजना **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के अधीन आती है।
- **कुल राशि:** फसल कटाई के बाद **वित्तीय सहायता के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है।
- **कवरेज:** कृषि प्रयोजन के लिए **75 लाख रुपये तक का ऋण तथा गैर-कृषि उद्देश्य के लिए 200 लाख रुपये** तक का ऋण।
- **पात्र संस्थान:** सभी अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक।
- **पात्र उधारकर्ता:** लघु व सीमांत किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ दिव्यांग (PwD) किसान, MSMEs, व्यापारी, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और किसान सहकारी समितियां।
- **कवर किए गए जोखिम:** क्रेडिट और वेयरहाउसमैन जोखिम।
- **गारंटी कवरेज:** योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों/ महिलाओं/ SC/ ST/ PwD हेतु 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85% तथा **3 लाख से 75 लाख** रुपये के बीच के ऋण पर **80% कवरेज का प्रावधान है**।
    - **अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75%** तक का कवरेज।

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के बारे में

- **परिचय:** यह एक **वैधानिक निकाय** है। इसे **वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007** के तहत स्थापित किया गया है।
- **उद्देश्य:** NWR प्रणाली की शुरुआत करना। किसानों को उनकी उपज को **वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और पास के गोदामों** में सुरक्षित तरीके से भंडारित करने की सुविधा प्रदान करना।
- **मुख्य कार्य:** गोदामों को विनियमित करना, वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ावा देना आदि।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

योजना का महत्त्व:

- **किसानों द्वारा किसी संकट के दौरान दबाव में आकर बिक्री करने की घटनाओं को कम करना:** यह योजना लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे किसान को संकट के समय जल्दबाजी में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी।
- योजना **क्रेडिट और वेयरहाउसमैन जोखिम दोनों से उत्पन्न होने वाले डिफ़ॉल्ट का समाधान** करेगी। इससे बैंकरों में किसानों के प्रति विश्वास पैदा होगा।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

2025 | ENGLISH MEDIUM 2 FEBRUARY | हिन्दी माध्यम 2 फरवरी
2026 | ENGLISH MEDIUM 2 FEBRUARY | हिन्दी माध्यम 2 फरवरी

3.12.14. किसान पहचान-पत्र (Kisan Pehchan Patra)

केंद्र सरकार ने राज्यों को किसानों के समावेशी, दक्ष और त्वरित पंजीकरण की सुविधा के लिए **'कैंप-मोड अप्रोच'** अपनाने की सलाह दी है।

किसान पहचान-पत्र के बारे में

- यह **आधार नंबर से जुड़ा हुआ विशिष्ट डिजिटल पहचान-पत्र** है। यह संबंधित राज्य के **भूमि रिकॉर्ड से भी जुड़ा** हुआ है।
  - इसके अलावा, इसमें **किसानों की जनसांख्यिकी, बोई गई फसल और स्वामित्व विवरण** जैसी जानकारी भी उपलब्ध होती है।
- यह पहचान-पत्र **'किसान रजिस्ट्री'** का आधार बनेगा। किसान रजिस्ट्री, **'एग्री स्टैक' की तीन रजिस्ट्रियों में से एक** है।
  - एग्री स्टैक, **डिजिटल कृषि मिशन का एक घटक** है। इस मिशन का एक अन्य घटक **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली** है
  - **एग्रीस्टैक के 3 डेटाबेस हैं:**
    - किसान रजिस्ट्री (Farmers' Registry);
    - भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र (Geo-referenced Village Maps); और
    - फसल बुआई रजिस्ट्री (Crop Sown Registry)।

3.12.15. किसान कवच (Kisan Kavach)

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) से संबद्ध वैज्ञानिकों ने किसान **कवच नामक** एक स्वदेशी **'कीटनाशक' सूट विकसित** किया है।

किसान कवच के बारे में

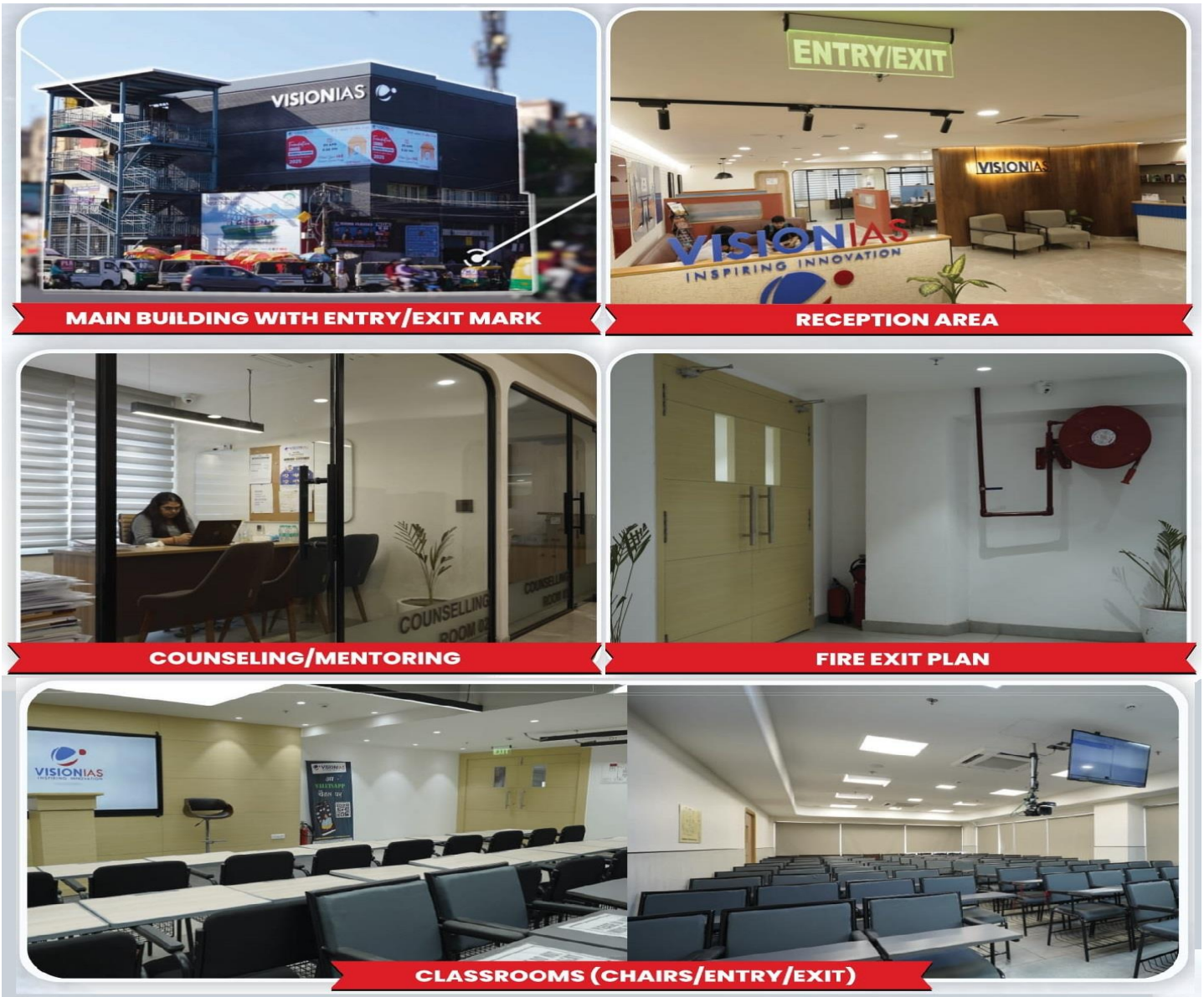

- इसे **BRIC-inStem, बेंगलुरु** ने विकसित किया है। यह किसानों की **कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद** करेगा।
  - **BRIC-inStem-** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद-स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान।
- किट में एक **ट्राउजर, पुलओवर और 'ऑक्सिम फैब्रिक'** से बना एक **फेस-कवर** शामिल है।
  - **ऑक्सीम फैब्रिक किसी भी सामान्य कीटनाशक को रासायनिक रूप से विखंडित** कर सकता है। अक्सर जब किसान खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तब कीटनाशक उनके कपड़ों या शरीर पर लग जाता है।

3.12.16. फैशन और निर्माण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नई दिशा देने की पहल (Initiative For Reshaping Supply Chains of Fashion and Construction Sectors)

हाल ही में **भारत ने सात अन्य देशों के साथ मिलकर** फैशन और निर्माण उद्योगों के लिए एक नई पहल शुरू की है।

नई पहल के बारे में

- इसे **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)** द्वारा वित्त-पोषित **"आपूर्ति श्रृंखलाओं से खतरनाक रसायनों को खत्म करने के लिए एकीकृत कार्यक्रम"** से फंड प्राप्त होगा।
    - यह 6 साल का कार्यक्रम है।
- **पहल के सदस्य:** कंबोडिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो।
- **उद्देश्य:** आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार लाकर फैशन (वस्त्र) और निर्माण उद्योगों को बदलना, ताकि इन क्षेत्रकों से **पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम** किया जा सके।
    - **यह पहल निम्नलिखित प्रयासों को बढ़ावा देगी:**
        - रिजेनरेटिव डिजाइन,
        - गैर-नवीकरणीय सामग्रियों की जगह नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग;
        - उत्पादन में संसाधन दक्षता।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains

मेंटरिंग कार्यक्रम – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

3.12.17. स्माइल कार्यक्रम (Smile Program)

भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हाल ही में SMILE कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत **350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण** पर हस्ताक्षर किए।

स्माइल/ SMILE (स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम) कार्यक्रम के बारे में

- यह भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए **ADB द्वारा समर्थित एक नीति-आधारित ऋण (PBL) कार्यक्रम** है।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स (MMLPs) में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित** करना है। इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय और योजना निर्माण के लिए संस्थागत व नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाएगा।
  - **बाह्य व्यापार लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार** करना और बेहतर सेवा वितरण के लिए **स्मार्ट व स्वचालित प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित** करना।

3.12.18. राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल {National Legal Metrology Portal (eMaap)}

उपभोक्ता कार्य विभाग **राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों और उनके पोर्टल्स को एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में समायोजित** करने के लिए eMaap विकसित कर रहा है।

- वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और तौल व माप उपकरणों के सत्यापन/ मुद्रांकन के लिए अपने स्वयं के पोर्टल्स का उपयोग कर रही हैं।

eMaap के बारे में

- **उद्देश्य:** लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने तथा प्रवर्तन व अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **लाभ:**
  - यह **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009** के तहत अनुपालन बोझ और कागजी कार्रवाई को कम करके **व्यापार करने में सुगमता तथा व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा** देगा।
  - **डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा;** प्रवर्तन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगा तथा एक मजबूत और दक्ष विनियामक फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करते हुए नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

3.12.19. मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 (Merchant Shipping Bill, 2024)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लोक सभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024 पेश किया

- इस विधेयक का उद्देश्य **वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की जगह** लेना है।
- इस विधेयक का लक्ष्य **वाणिज्य पोत-परिवहन (Merchant Shipping) से संबंधित कानून को एकीकृत और संशोधित** करना है। इससे भारत द्वारा हस्ताक्षरित **समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों का पालन** सुनिश्चित हो सकेगा।

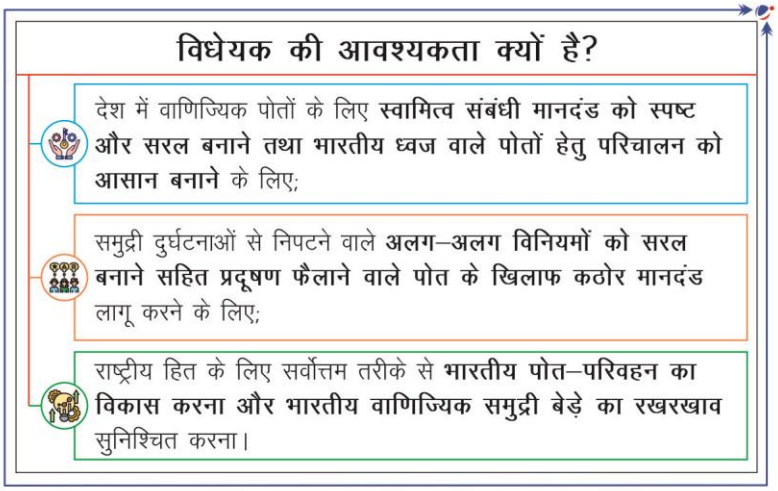

इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड की स्थापना:** यह भारतीय पोत-परिवहन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।
  - बोर्ड को अपने कार्य-संचालन के लिए **अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।**
- **समुद्री प्रशासन:** केंद्र सरकार "समुद्री प्रशासन के महानिदेशक (Director-General of Maritime Administration)" के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।
- **पोत का पंजीकरण: स्वामित्व के लिए पात्र होंगे-**
  - अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक सहित भारत के नागरिक;
  - किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी/ निकाय, जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत में हो।
- **भारतीय पोत या शेयर का हस्तांतरण:** जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को किसी भी तरह के प्रतिबंध, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आपातकाल के दौरान खतरा हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय पोत या उसके शेयर को हस्तांतरित या अधिग्रहित नहीं कर सकेगा।
- **प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण:** प्रत्येक पोत को प्रदूषण की रोकथाम हेतु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जैसे:
  - MARPOL कन्वेंशन;
  - एंटी-फाउलिंग सिस्टम कन्वेंशन, आदि।

3.12.20. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया (Coastal Shipping Bill, 2024 Introduced in the Lok Sabha)

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- तटीय पोत परिवहन को नियंत्रित करने वाले **कानूनों को एकीकृत और संशोधित करना** तथा इनमें **एकरूपता** लाना;
- तटीय **व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा** देना; तथा
- तटीय पोत परिवहन में **घरेलू हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित** करना।

भारत में तटीय पोत परिवहन का महत्त्व

- भारत की **तटरेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी** है। साथ ही, भारत की तटरेखाएं महत्वपूर्ण **वैश्विक पोत परिवहन मार्गों के निकट** हैं। ऐसे में भारत में तटीय पोत परिवहन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **तटीय व्यापार पर प्रतिबंध:** भारतीय जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के भारत के तटीय जल में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
  - भारत के **अंतर्देशीय जहाजों को तटीय व्यापार में शामिल होने की अनुमति** होगी।
- **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना:** इसका उद्देश्य तटीय पोत परिवहन का विकास, संवृद्धि एवं संवर्धन करना होगा।
- **राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डेटाबेस का निर्माण:** यह डेटाबेस प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और सूचना को साझा करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **चार्टर्ड जहाजों को लाइसेंस:** तटीय व्यापार के लिए **लाइसेंस जारी करने का अधिकार महानिदेशक** को दिया गया है। वह लाइसेंस जारी करते समय जहाज के चालक दल की नागरिकता और जहाज की निर्माण आवश्यकताओं जैसी कुछ शर्तों को ध्यान में रखेगा।
  - **लाइसेंसधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उसके लाइसेंस को न तो निलंबित या निरस्त किया जाएगा और न ही उसमें संशोधन** किया जाएगा।
- **अन्य प्रावधान:**
  - कुछ प्रकार के अपराधों में **कम्पाउंडिंग यानी सुलह करने की अनुमति** दी गई है;
  - मुख्य अधिकारी द्वारा **पेनल्टी लगाने का प्रावधान** किया गया है;
  - कुछ मामलों के संबंध में **महानिदेशक को सूचना मांगने का अधिकार** दिया गया है।

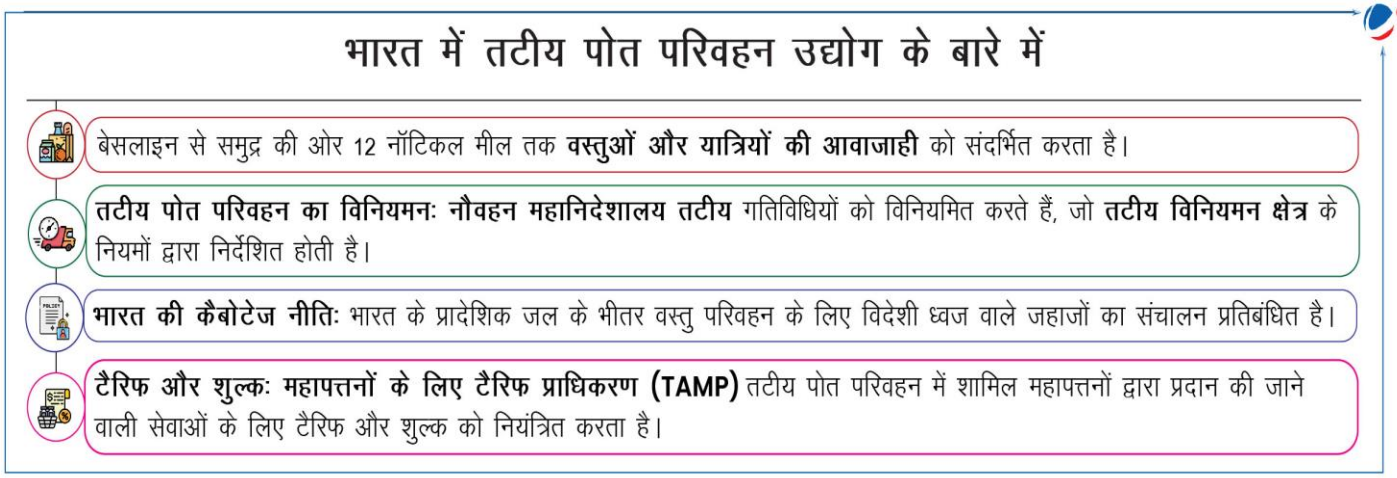

3.12.21. अंतर्देशीय जलमार्ग' को बढ़ावा देने के लिए "जलवाहक" योजना ('Jalvahak' Scheme to Boost Inland Waterways)

केंद्र सरकार ने 'अंतर्देशीय जलमार्ग' को बढ़ावा देने के लिए "जलवाहक" योजना का शुभारंभ किया। "जलवाहक" योजना का **उद्देश्य** लागत प्रभावी तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की सुरक्षित और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करना तथा व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

- साथ ही, इस योजना के तहत **राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1, NW-2** और **NW-16** पर संधारणीय एवं लागत प्रभावी परिवहन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा।

"जलवाहक" योजना के बारे में

- **मंत्रालय:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
  - इस योजना को **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** और भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी **इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (ICSL)** द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** जलवाहक योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क और रेल मार्ग के बजाए माल ढुलाई के लिए **जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देना** है। इस योजना के तहत, **800 मिलियन टन किलोमीटर** की मोडाल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए **95.4 करोड़ रुपये का निवेश** किया जाएगा।
- **समय सीमा:** यह योजना शुरू में 3 वर्ष के लिए आरंभ की गई है।
- **रूट यानी प्रमुख मार्ग:** योजना के तहत, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मार्गों पर निश्चित दिनों पर नौकायन सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए प्रमुख मार्ग निम्नलिखित हैं:
  - **NW-1: कोलकाता-पटना-वाराणसी-पटना-कोलकाता खंड के बीच,**
  - **NW-2: कोलकाता और गुवाहाटी में पांडु के बीच,** तथा
  - **NW-16: इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR)** के माध्यम से कार्गो संचालन।

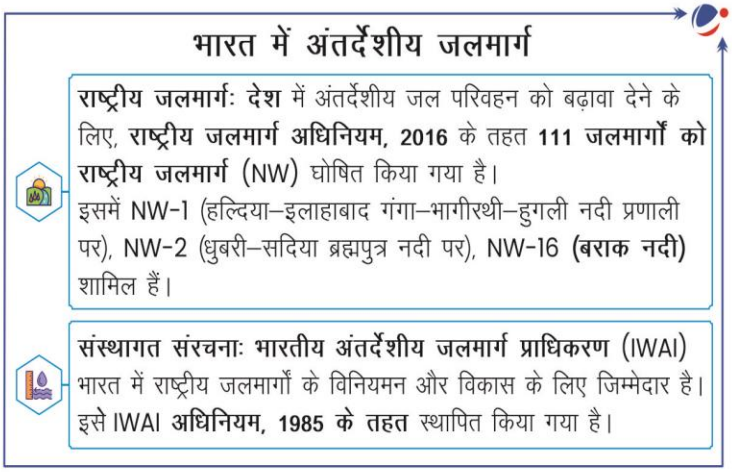

- **प्रोत्साहन:** इस योजना के तहत, कार्गो को जलमार्ग से ढोने पर होने वाले **कुल खर्च का 35 प्रतिशत हिस्सा** सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- **मानदंड:** योजना के तहत उन व्यापारिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो **300 किलोमीटर से अधिक की दूरी** के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके माल का परिवहन करती हैं।
- **योजना का महत्त्व:**
  - लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी,
  - सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़ कम होगी, और
  - संधारणीयता को बढ़ावा मिलेगा।

3.12.22. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 {Network Readiness Index (NRI) 2024}

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) के 2024 संस्करण का **औपचारिक रूप से विमोचन** कर दिया गया है।

- इस वर्ष की थीम है- **"डिजिटल कल का निर्माण: डिजिटल रेडीनेस के लिए सार्वजनिक-निजी निवेश और वैश्विक सहयोग"।**
- भारत ने **NRI 2024** में 11 रैंक का सुधार करते हुए **49वां स्थान हासिल** किया है।
- यह इंडेक्स चार अलग-अलग पिलर्स, यथा- **प्रौद्योगिकी, लोग, गवर्नेंस** और **प्रभाव** में उनके प्रदर्शन के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क-आधारित तत्परता परिदृश्य का विवरण प्रस्तुत करता है।
- इसे **पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट और सईद बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय** द्वारा मिलकर प्रकाशित किया गया है।

3.12.23. अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की पहली नीलामी (First Ever Auction of Minerals in Offshore Areas)

खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की पहली किस्त शुरू की

- यह भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** के भीतर देश के व्यापक अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज में एक बड़ा कदम है।

अपतटीय खनन नीलामी का मुख्य विवरण

- **खनिज ब्लॉक्स:** नीलामी में **अरब सागर और अंडमान सागर में मौजूद 13 खनिज ब्लॉक्स** शामिल हैं।
- **खनिजों के प्रकार और संबंधित क्षेत्रक: निर्माण क्षेत्रक में प्रयुक्त होने वाली रेत** (केरल व अरब सागर के तटों के निकट); **चूना-मिट्टी** (गुजरात व अरब सागर के तटों के निकट); **पालीमैटेलिक नोड्यूल्स और क्रस्ट्स** (ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं अंडमान सागर के तट के निकट) आदि शामिल है।

अपतटीय खनन या गहरे समुद्र में खनन

- इसमें **गहरे समुद्र नितल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर खनिज भंडार का खनन** किया जाता है।
  - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GIS) ने अपतटीय खनन की क्षमता वाले लगभग **छह लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र की पहचान** की है।

भारत के लिए अपतटीय खनन का महत्त्व

- भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ भू-तत्व** शामिल हैं, जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक हैं।
- अपतटीय खनन से **खनिजों की उपलब्धता बढ़ेगी,** जिसके परिणामस्वरूप कई **महत्वपूर्ण खनिजों में देश आत्मनिर्भर** बनेगा। इसके अलावा, इससे भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- ये खनिज **अवसंरचना के विकास, उच्च तकनीकी विनिर्माण और ग्रीन एनर्जी ट्रांजीशन** के लिए महत्वपूर्ण हैं।

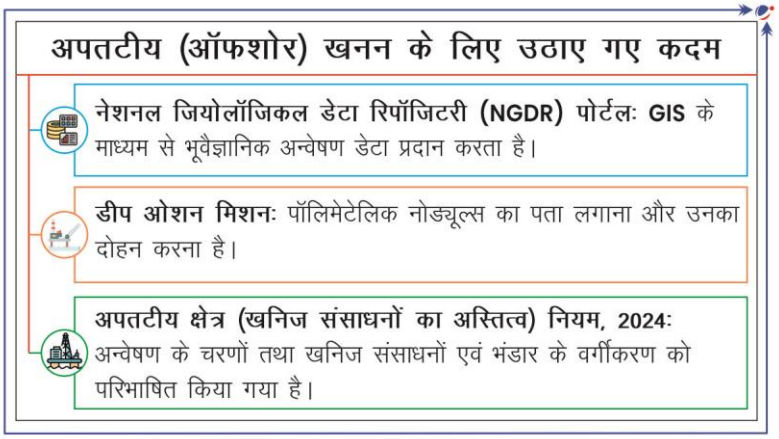

अपतटीय खनन में चुनौतियां

- निजी भागीदारी का अभाव;
- अत्यधिक कुशल श्रम और पूंजी की आवश्यकता; तथा
- पर्यावरणीय चुनौतियां, जैसे- पर्यावास का विनाश, समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र में व्यवधान आदि।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

 ©Vision IAS

4. सुरक्षा (Security)

4.1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency: NIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **अंकुश विपन कपूर बनाम NIA मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की शक्तियां केवल NIA अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने या ऐसे "अनुसूचित अपराध" करने वाले आरोपी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस निर्णय ने **पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है,** जिसमें पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी में शामिल एक आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।
- इस मामले में **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट) के तहत किए गए अपराध** शामिल थे। इन अपराधों को NIA अधिनियम में अनुसूचित अपराधों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- यह मामला **मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला चैनलों और आतंकवाद के वित्त-पोषण से जुड़ा था।**

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने NIA के प्राधिकार के पक्ष में निर्णय दिया। इससे यह साफ हो गया है कि एजेंसी **अनुसूचित अपराधों से जुड़े गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच** भी कर सकती है।
- **सुप्रीम कोर्ट ने NIA अधिनियम की धारा 8 की समग्र रूप से व्याख्या की।**
  - **NIA अधिनियम की धारा 8:** इसके तहत किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय, एजेंसी उस अन्य अपराध की भी जांच कर सकती है, जिसे आरोपी ने कथित तौर पर किया है, यदि वह अपराध कहीं-न-कहीं अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है।
- NIA निम्नलिखित शर्तों पर **किसी अन्य आरोपी की जांच भी कर सकती है, भले ही वह किसी अनुसूचित अपराध के लिए जांच के दायरे में न आता हो-**
  - **NIA की राय:** यदि NIA को लगता है कि किसी **अन्य आरोपी द्वारा किया गया अपराध अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है**, तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए।
  - **केंद्र सरकार की मंजूरी:** NIA को **अपनी राय केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत** करनी होगी, जो जांच को अधिकृत कर सकती है।
  - **संयुक्त जांच:** किसी भी अन्य आरोपी की जांच, जहां तक संभव हो, अनुसूचित अपराध से संबंधित आरोपी की चल रही जांच के साथ संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

NIA निम्नलिखित कानूनों के तहत अपराधों की जांच करती है:

1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

1A. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

2. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967
3. अपहरण-रोधी अधिनियम, 2016
4. नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 1982
5. समुद्री नौवहन और महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थिर प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 2002
6. सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005
7. सार्क अभिसमय (आतंकवाद का दमन) अधिनियम, 1993
8. **निम्नलिखित कानूनों के तहत अपराध:**
   (a) भारतीय दंड संहिता का अध्याय VI
   (b) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI की धारा 370 और 370A

(c) भारतीय दंड संहिता की धारा 489-A से 489-E (दोनों सम्मिलित)

(d) शस्त्र अधिनियम, 1959 के अध्याय V की धारा 25 की उपधारा (1AA)

(e) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय XI की धारा 66F

राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के बारे में

- **स्थापना:** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद अधिनियमित **NIA अधिनियम, 2008** के तहत की गई थी।
  - **उद्देश्य:** NIA का मुख्य उद्देश्य उन अपराधों की जांच करना और मुकदमा चलाना है जो भारत की **संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता** को खतरा पहुंचाते हैं। साथ ही, विदेशी राज्यों के साथ देश के **मित्रतापूर्ण संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित** करते हैं।
  - **अपराधों की अनुसूची:** इस अधिनियम में उन **कानूनों की एक अनुसूची शामिल है** जिनके तहत **NIA अपराधों की जांच** कर सकती है और उन पर **मुकदमा चला सकती है** (ऊपर दिए गए बॉक्स में देखें)।
- **मुख्यालय:** NIA का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है तथा **गुवाहाटी और जम्मू** में इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- **अध्यक्ष:** NIA का अध्यक्ष एक **महानिदेशक (DG)** होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- **अधिकार क्षेत्र:** NIA का अधिकार क्षेत्र **पूरे भारत में फैला हुआ है और यह निम्नलिखित पर भी लागू होता है:**
  - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर;
  - सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों;
  - भारत में पंजीकृत जहाजों और विमान में सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों;
  - उन व्यक्तियों पर जिन्होंने भारत के नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अनुसूचित अपराध किए हैं आदि।
- **NIA की शक्तियां:**
  - **जांच:** यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई अनुसूचित अपराध हुआ है, तो वह NIA को जांच करने का निर्देश दे सकती है।
  - **अभियोजन:** NIA के पास विशेष रूप से नामित NIA न्यायालयों में मामलों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।
  - **राज्य पुलिस के साथ समन्वय:** NIA जांच के दौरान राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है।
  - **राज्यक्षेत्रातीत (Extraterritorial) कार्रवाइयां:** एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों के अधीन, भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है।
- **दोषसिद्धि दर:** NIA ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक 640 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 147 मामलों में अदालतों द्वारा फैसला सुनाया गया है तथा इनमें दोषसिद्धि दर 95.23% है।

NIA की क्षमता बढ़ाने के लिए की गई पहलें

- **आतंकवाद पर डेटा संलयन और विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NTDFAC):** बिग डेटा एनालिटिक्स को सक्षम करने तथा ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019** के द्वारा **NIA** के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इसे आतंकी गतिविधियों की फंडिंग और जाली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों की जांच के लिए **केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी** बनाया गया है।
- फोरेंसिक विशेषज्ञता के क्षेत्र में NIA के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए **NIA और NFSU (राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय) के बीच समझौता ज्ञापन** संपन्न हुआ।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे NIA विकसित हो रही है, इसके लिए नए चुनौतियों का सामना करना तथा राज्य और विदेशी संगठनों के साथ समन्वय करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ताकि संगठित अपराध एवं आतंकवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

4.2. साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Cybercrime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक 'साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन'** को अपनाया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन** है।
- कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के **193 सदस्य देशों ने आम सहमति** से अपनाया है।
- **साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन को 2025 में हनोई (वियतनाम) में हस्ताक्षर** के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। **मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (UNODC)** इसके **सचिवालय** के रूप में कार्य करेगा।
- यह कन्वेंशन **40 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन के 90 दिन बाद लागू** हो जाएगा।
- **लागू होने के बाद इसका दायरा**
  - यह साइबर अपराधों की **रोकथाम, उनकी जांच करने और उन पर मुकदमा** चलाने पर केंद्रित है। इसमें **अपराध से प्राप्त आय को फ्रीज करना, उसे जब्त करना और वापस** करना भी शामिल है।
  - इसमें आपराधिक जांच के लिए **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करना और साझा** करना शामिल है।

कन्वेंशन के मुख्य प्रावधान

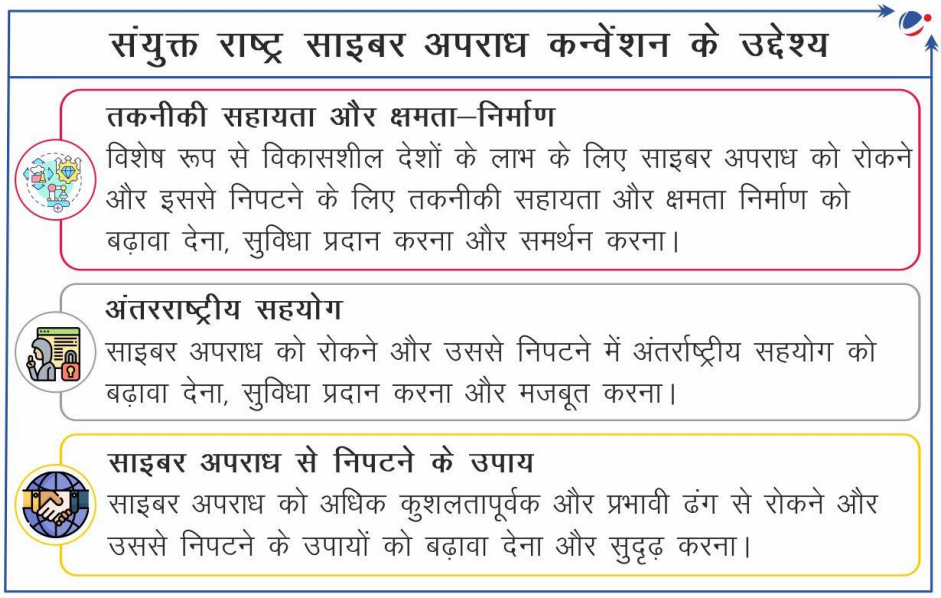

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझाकरण:** इसमें **पारस्परिक कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान** किया गया है। यह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय को जब्त करने के उद्देश्य से सहयोग को भी बढ़ावा देता है।
- **प्रक्रियात्मक उपाय:** यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संरक्षित करने, खोजने और जब्त करने सहित कानून प्रवर्तन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
- **व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा:** यह डेटा हस्तांतरण के संदर्भ में किसी राष्ट्र के गोपनीयता संबंधी कानूनों (Privacy laws) का पालन करने का प्रावधान करता है। यह उचित सुरक्षा उपायों के तहत **पर्सनल डेटा के हस्तांतरण की सुविधा के लिए देशों को द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित** करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- **मानवाधिकारों की सुरक्षा:** पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि **कन्वेंशन के तहत उनके दायित्वों का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप** हो।
- **अन्य प्रावधान:** इसमें प्रत्यर्पण, सजायाफ्ता आरोपियों का स्थानांतरण, आपराधिक कार्यवाही का स्थानांतरण, संयुक्त जांच के प्रावधान आदि शामिल हैं।

साइबर अपराध के खिलाफ यह कन्वेंशन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **बढ़ती कनेक्टिविटी और उससे उत्पन्न हुई चिंताएं:** विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक आबादी का 67% से अधिक हिस्सा अब ऑनलाइन है। इससे साइबर अपराध का बड़े पैमाने पर जोखिम पैदा हो गया है।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया **संगठित साइबर अपराध का केंद्र बिंदु** बन कर उभरा है। यहां पर संचालित होने वाली संगठित जटिल आपराधिक गतिविधियां अर्थव्यवस्थाओं एवं अवसंरचनाओं के लिए खतरा बन रही हैं।
  - साइबर अपराध का खतरा बढ़ता जा रहा है, जो आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर रहा है, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को बाधित कर रहा है और डिजिटल प्रणालियों में लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है।
- **24/7 सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय अपराध की जांच **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर निर्भर** करती है, जो अक्सर विकेन्द्रित होते हैं और अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में फैले होते हैं।
  - **साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें मिटाये जाने से बचाने के लिए उन तक त्वरित पहुंच महत्वपूर्ण है।** यह कन्वेंशन जांच व अभियोजन का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तक पहुंचने और उन्हें साझा करने के लिए फ्रेमवर्क स्थापित करता है।

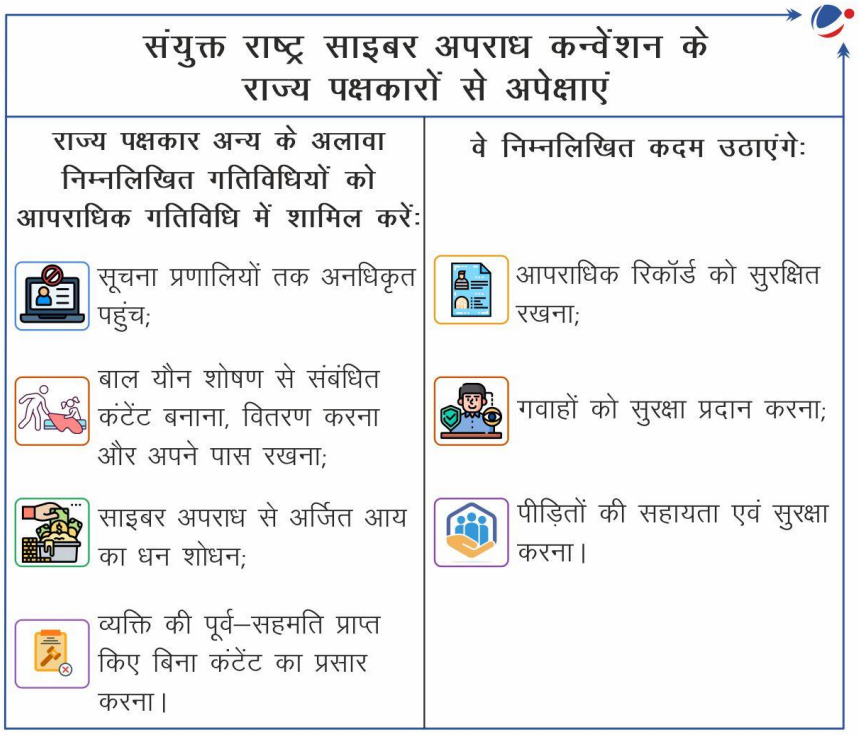

- **साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति:** साइबर अपराधों में **अक्सर सीमा-पार लेन-देन और लक्ष्यीकरण शामिल** होता है, जिसमें अपराधी एक देश से काम करते हैं और दूसरे देश में लोगों को निशाना बनाते हैं।
  - इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध करने वालों से निपटने के लिए उनके नेटवर्क को नष्ट करने और उनकी गतिविधियों के प्रसार को रोकने के लिए एक **समन्वित वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया की आवश्यकता** है।
- **तीव्र तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना:** UNIDIR के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और 3D प्रिंटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां दोहरे उपयोग के जोखिम उत्पन्न करती हैं, जिनके प्रति अनुकूलित होना नीति निर्माताओं के लिए कठिन हो सकता है।
  - **उदाहरण:** जहां 1880 के दशक के इलेक्ट्रिक ग्रिड को 100 मिलियन घरों तक पहुंचने में 50 साल लगे थे, वहीं ChatGPT (2022) ने यह उपलब्धि केवल दो महीनों में हासिल कर ली थी।
- **बच्चों की सुरक्षा:** सोशल मीडिया, चैट ऐप्स और गेम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनामता प्रदान करते हैं। इसका फायदा उठाकर अपराधी **बच्चों को बहका सकते हैं, उनका मनोबल तोड़ सकते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा** सकते हैं।
  - इन अपराधों पर अंकुश लगाकर, यह कन्वेंशन सरकारों को बच्चों की सुरक्षा करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए **अधिक सशक्त उपकरण** प्रदान करता है।
- **पीड़ितों के लिए पुनर्वास और न्याय:** यह कन्वेंशन साइबर अपराध के पीड़ितों की बढ़ती संख्या को स्वीकार करता है। साथ ही, अपराधों की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया उपायों में सुभेद्य व्यक्तियों की जरूरतों का समाधान करते हुए न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 वर्षों में पहली बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय संधि को अपनाया है। यह कदम **चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बहुपक्षवाद की सफलता को उजागर** करता है। यह कदम साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के सामूहिक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

4.3. भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 (Smuggling in India Report 2023-24)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI)**[52] ने 'भारत में तस्करी' रिपोर्ट 2023-24 जारी की है।

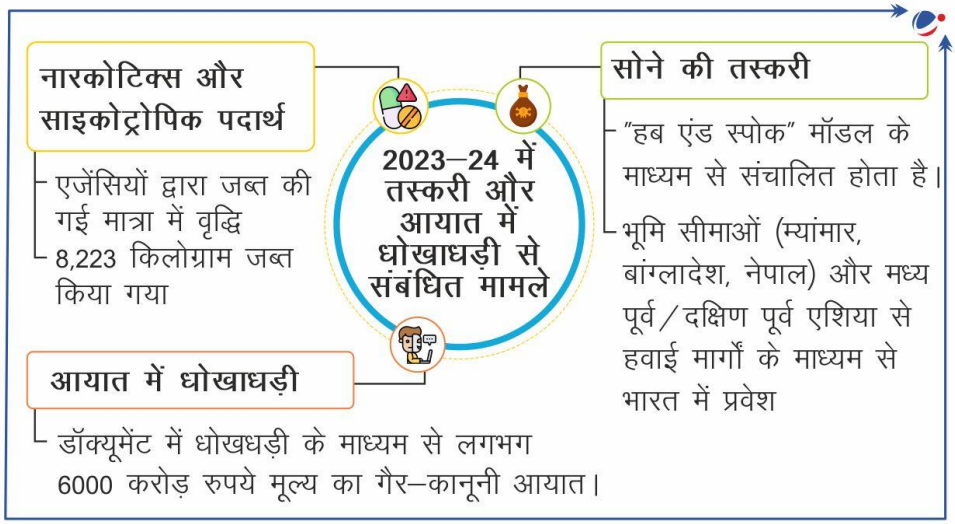

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- यह रिपोर्ट तस्करी से निपटने में शामिल **प्रवृत्तियों, चुनौतियों और उपायों** के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- DRI द्वारा **अवैध ड्रग्स, हाथी दांत (लगभग 53 किग्रा) जैसे वन्यजीव उत्पादों, विदेशी मुद्राओं, कीटनाशकों** आदि की गई जब्ती से तस्करी गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) के बारे में

- यह एक **प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी** है, जो **तस्करी से जुड़े मामलों पर कार्य** करती है।
- **कार्य:** यह केंद्रीय **वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** के अधीन कार्य करता है।
- **कार्य**
  - **अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी का पता लगाना** और रोकना,
  - वन्यजीवों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के **अवैध अंतर्राष्ट्रीय-व्यापार का पता लगाना व उसे रोकना;**
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी **वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी को रोकना।**

भारत में तस्करी के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कारक

- **भौगोलिक स्थिति और सीमाएं:** भारत की विस्तृत तटरेखा तथा बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के साथ छिद्रिल सीमाएं (Porous Borders) तस्करों की घुसपैठ को आसान बनाती हैं।
  - भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा **डेथ क्रिसेंट** (अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान) से लगती है तथा उत्तर-पूर्वी सीमा **डेथ ट्रायंगल** (म्यांमार, लाओस व थाईलैंड) से लगती है।
- **बाजार की मांग:** विशेष रूप से **संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब** जैसे खाड़ी देशों से सोने जैसी वस्तुओं की उच्च मांग अवैध व्यापार को बढ़ावा देती है।
- **अनूठी तकनीकें:** तस्कर तस्करी के सामानों को छिपाने के लिए कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों में मशीनरी के पुर्जों में ड्रग्स छिपाना, तस्करी के लिए निजी तौर पर कार्य करने वाले वाहकों (म्यूल्स) का इस्तेमाल करना आदि शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी** जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों में और बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इन तकनीकों के माध्यम से तस्कर गुमनाम तरीके से अपने कृत्यों को अंजाम देते हैं।
  - उदाहरण के लिए- राष्ट्र-विरोधी तत्व/ तस्कर पंजाब राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों/ मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं।
- **कानूनी की खामियों का दुरुपयोग:** उदाहरण के लिए- तस्कर मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का फायदा उठाते हैं और माल की उत्पत्ति के अवैध प्रमाण-पत्र व गलत विवरण प्रस्तुत करते हैं। इससे सरकार को नुकसान होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क:** तस्करों के जटिल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के कारण उनका पता लगाना और उन्हें पकड़ना चुनौतीपूर्ण होता है।

[52] Directorate of Revenue Intelligence

तस्करी और भारत के सुरक्षा जोखिमों का गठजोड़

तस्करी संबंधी गतिविधियों के कारण भारत को कई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता दोनों को खतरे में डालती हैं।

- **नार्को-आतंकवाद:** डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल के बीच भारत की अवस्थिति इसे नार्को-आतंकवाद के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। इन क्षेत्रों से मादक पदार्थों की तस्करी प्रत्यक्ष तौर पर देशद्रोही या विध्वंसक गतिविधियों को वित्त-पोषित करती है।
  - आतंकवादी संगठन अपने कृत्यों के वित्त-पोषण के लिए **ड्रग्स, हथियार, सोना और जाली मुद्राओं की तस्करी पर निर्भर** होते हैं।
- **वित्तीय अस्थिरता: विदेशी मुद्रा की तस्करी** भारत की वित्तीय प्रणाली को कमजोर करती है, जबकि **मनी लॉन्ड्रिंग व कर चोरी** बाजारों को विकृत करती है और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करती है।
  - ये गतिविधियां आपराधिक संगठनों को अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर प्रदान करती हैं, जबकि **सरकार को वैध राजस्व से वंचित** करती हैं।
- **वाणिज्यिक धोखाधड़ी:** इसमें **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)** का दुरुपयोग, **वस्तुओं का गलत वर्गीकरण** तथा **आयातों का कम मूल्यांकन** शामिल है। इसके कारण **सरकार को राजस्व का भारी नुकसान** होता है।
- **वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़े अपराध:** तस्कर लुप्तप्राय प्रजातियों का अवैध व्यापार करते हैं, खतरनाक सामग्रियों और ई-वेस्ट की तस्करी करते हैं तथा **लाल चंदन जैसे मूल्यवान वृक्षों की अवैध कटाई** करते हैं। ये गतिविधियां भारत की जैव विविधता के समक्ष गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
- **मानव तस्करी:** यह अक्सर मानव दुर्व्यापार से जुड़ी होती है, क्योंकि तस्कर विविध अवैध कृत्यों के लिए एक ही परिवहन मार्ग, दस्तावेज़ जालसाजी नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों का उपयोग करते हैं।
  - इससे संगठित अपराध का एक जटिल जाल निर्मित होता है, जो कानून प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करता है।

तस्करी और उससे जुड़े अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **भारत द्वारा उठाए गए कदम**
  - **कानून प्रवर्तन को मजबूत करना:** भारत ने अपने निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अवैध सामान जब्त किया गया है।
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन (2023):** यह संशोधन सीमा शुल्क अधिकारियों को अवैध रूप से व्यापार किए गए वन्यजीव उत्पादों को जब्त करने का अधिकार देता है।
  - **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)[53]:** DGFT को ऐसी प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार है जिनका निर्यातकों, आयातकों और लाइसेंसिंग या क्षेत्रीय प्राधिकारियों को पालन करना चाहिए।
  - **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985:** यह अधिनियम चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, व्यापार एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उदाहरण के लिए- **एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन पर डेटा एनालिटिक्स** ने प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिए लक्षित यात्री नियंत्रण को सक्षम बनाया है।
  - **सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता समझौते (CMAAs)[54]:** भारत ने तस्करी से निपटने में सूचना साझाकरण और सहयोग बढ़ाने के लिए 65 से अधिक देशों के साथ CMAAs पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से निपटने के लिए **विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)[55] और इंटरपोल** जैसे संगठनों के साथ सहयोग करता है।
    - इसके अतिरिक्त, भारत **ऑपरेशन सेशा (SESHA)** जैसे वैश्विक अभियानों में भाग लेता है, जो अवैध काष्ठ व्यापार को लक्षित करता है।
- **वैश्विक स्तर की पहलें**
  - **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)[56]:** यह संगठन अवैध ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर काम करता है।

[53] Directorate General of Foreign Trade

[54] Customs Mutual Assistance Agreements

[55] World Customs Organization

- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन:** यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने और उससे निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)[57]:** यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों और पादपों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे अपराध में वृद्धि होती जा रही है, वैसे-वैसे जटिलताएं और आधुनिकीकरण बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से बहुआयामी प्रतिक्रिया की सख्त जरूरत है। इस प्रतिक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस जैसी उन्नत पहचान तकनीकों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी एकत्र करने और उत्पन्न करने के पारंपरिक तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां:

यू.एन. कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (UNCND)

हाल ही में, भारत को पहली बार **UNCND के 68वें सत्र की अध्यक्षता** के लिए चुना गया है।

UNCND के बारे में

- **उत्पत्ति: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)[58]** के संकल्प द्वारा **1946** में कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (UNCND) की स्थापना की गई थी। इसे **अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के अनुप्रयोग के पर्यवेक्षण में ECOSOC की सहायता** करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **सदस्य:** ECOSOC द्वारा निर्वाचित **53 सदस्य देश।**
- **कार्य:** यह **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के शासी निकाय** के रूप में कार्य करता है।
- **अधिदेश:** आपूर्ति और मांग में कमी को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स की वैश्विक स्थिति की समीक्षा और विश्लेषण करता है।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (U.N. Peacebuilding Commission)

भारत को 2025-2026 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से चुना गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **2005** में हुई थी। यह एक **अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय** है।
  - यह **संघर्ष से प्रभावित देशों में शांति बहाली प्रयासों में मदद** करता है।
- **संरचना: 31** सदस्य देश। ये देश **संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने** जाते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में **सबसे अधिक वित्तीय योगदान** देने वाले देश और **सैन्य बल के रूप में योगदान** देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं।
- **कार्य और भूमिका:**
  - संसाधन जुटाने के लिए सभी हितधारक भागीदारों को एक साथ लाना;
  - संघर्ष के बाद शांति बहाली के लिए रणनीतियों पर सलाह देना और
  - समुदायों को संघर्ष से उबरने में मदद करना।
- भारत **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में वर्दीधारी कर्मियों में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश** है।
  - भारत के **6,000 से अधिक कर्मी** वर्तमान में दुनिया भर के शांति बहाली मिशनों में तैनात हैं।

***नोट:** वैश्विक शांति स्थापना में भारत की भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.1. देखें।*

---

[56] United Nations Office on Drugs and Crime

[57] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

[58] UN Economic and Social Council

4.4.2. कावेरी इंजन (Kaveri Engine)

कावेरी इंजन को **इनफ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी** दे दी गई है। यह **भारत की एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता** की दिशा में एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन को **DRDO** के तहत **गैस टरबाइन रिसर्च** प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है।

कावेरी इंजन परियोजना के बारे में

- **प्रारंभ: हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस** को शक्ति प्रदान करने के लिए **1980 के दशक के अंत में** कावेरी इंजन परियोजना शुरू की गई थी।
  - बाद में, DRDO ने कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि UAV में इसका उपयोग किया जा सके।
- **वर्तमान क्षमता:** ड्राई कावेरी इंजन 49-51 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जो **घातक स्टील्थ UCAV जैसे UAV के लिए उपयुक्त है।**
- **महत्त्व:** यह एक रणनीतिक उपलब्धि है, जो **एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी।**

4.4.3. सैटन-2 (Satan 2)

रूस अपनी RS-28 सरमत अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने के लिए तैयार है। इस मिसाइल को **'सैटन-2'** नाम दिया गया है।

'सैटन-2' के बारे में

- यह अगली पीढ़ी की **अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)** है। इसे विश्व स्तर पर **सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों** में से एक माना जाता है।
- यह **मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (MIRVs)** से लैस है। यह क्षमता इसे **एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम** बनाती है।
- इस मिसाइल की **मारक क्षमता 10000- 18,000 कि.मी.** है। यह **10 टन वजनी पेलोड** ले जा सकती है।

4.4.4. सर्च एंड रेस्क्यू ऐड टूल (Search and Rescue Aid Tool: SARAT)

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने SARAT का अत्याधुनिक संस्करण विकसित किया है।

- यह **भारतीय तटरक्षक बल** जैसी एजेंसियों को **समुद्र में भारतीय खोज और बचाव (SAR) अभियान को सटीक तरीके से चलाने में सहायता** करेगा।

SARAT के बारे में

- इसे **मेक इन इंडिया के तहत 2016** में पहली बार तैयार किया गया था।
- इसका उद्देश्य **समुद्र में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाना और संकट में फंसे व्यक्तियों या जहाजों का शीघ्र पता** लगाना है।
- यह टूल यूजर्स के लिए **मोबाइल एप्लिकेशन** के रूप में भी उपलब्ध है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** के तहत **1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित** हुआ था।
- **भूमिका:** समाज को सर्वोत्तम संभव समुद्री जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- **कार्य:** सुनामी, तूफान महोर्मि, ऊंची लहरों आदि पर **तटीय आबादी के लिए चौबीसों घंटे निगरानी और चेतावनी सेवाएं प्रदान** करना।

4.4.5. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

अभ्यास	विवरण
SAREX-24 अभ्यास	**भारतीय तटरक्षक बल (ICG) कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास और कार्यशाला (SAREX-24) का 11वां संस्करण** आयोजित करेगा। इसका आयोजन **राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव (NMSAR) बोर्ड** के तहत किया जाएगा। • **थीम:** क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से **खोज एवं बचाव क्षमताओं** को बढ़ाना।

SLINEX	श्रीलंका और भारत के बीच **द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'SLINEX 2024' पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान** में शुरू हुआ। यह 2005 में **भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** के रूप में शुरू हुआ था।
डेजर्ट नाइट	**भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** ने अरब सागर के ऊपर "डेजर्ट नाइट" युद्धाभ्यास आयोजित किया। • यह **त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास** है। इसका उद्देश्य **जटिल युद्ध स्थितियों में तीनों देशों की वायु सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल** को बढ़ावा देने का अभ्यास करना था।
हरिमाऊ शक्ति 2024	**भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास** 'हरिमाऊ शक्ति 2024' **मलेशिया** में शुरू हुआ। • **2023** में यह अभ्यास भारत के **मेघालय राज्य में उमरोई छावनी** में आयोजित किया गया था।
अग्नि वारियर	हाल ही में, **संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वारियर (XAW-2024) का 13वां संस्करण महाराष्ट्र** में संपन्न हुआ। • यह **भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों** के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है।
सिनबैक्स/ CINBAX	हाल ही में, **भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना** के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, **सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में शुरू** किया गया है। **सिनबैक्स/ CINBAX के बारे में** • यह एक योजनागत अभ्यास है। इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास** करना है। • इस अभ्यास में **सूचना संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन, HDR संचालन** आदि पर भी चर्चा की जाएगी।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 {India State Of Forest Report (ISFR) 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2023 जारी की।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के तहत देश की **कम-से-कम एक तिहाई भूमि पर वन या वृक्ष आवरण** तथा **पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दो तिहाई भूमि पर वन या वृक्ष आवरण** को बनाए रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के बारे में

- **पृष्ठभूमि**
  - इसे **भारतीय वन सर्वेक्षण**[59] द्वारा तैयार किया जाता है।
  - इसे **1987 से हर दो साल** में प्रकाशित किया जाता है।
- **आकलन की पद्धति**
  - इसमें **उपग्रह से प्राप्त डेटा** का उपयोग किया जाता है।
  - इसमें **राष्ट्रीय वन सूची के डेटा** का उपयोग किया जाता है।
  - इसमें **जमीनी स्तर पर सत्यापन (Field verification)** किया जाता है।
  - 2023 के संस्करण में **751 जिलों** को कवर किया गया है। गौरतलब है कि पिछली रिपोर्ट में **636 जिलों** को कवर किया गया था।

ISFR, 2023 में उपयोग की गई मुख्य परिभाषाएं

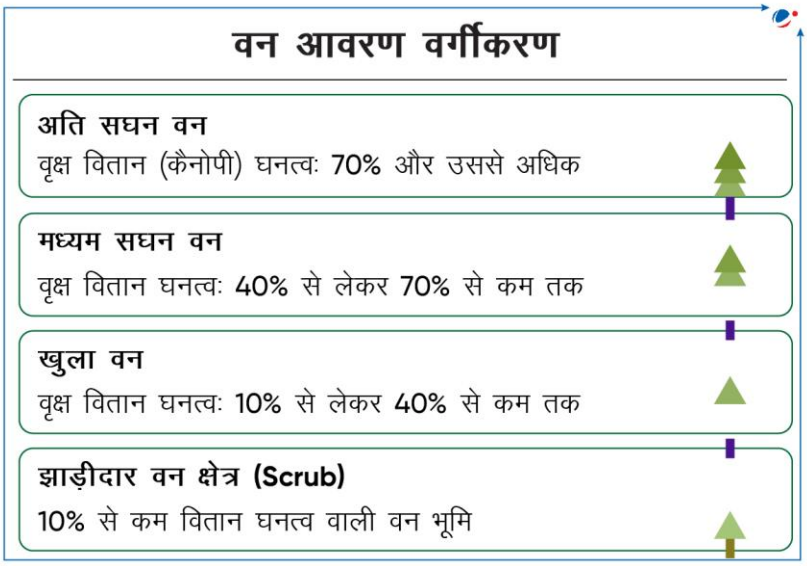

- **वृक्ष आवरण (Tree Cover):** इसमें **वन क्षेत्र के बाहर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल** वाले ऐसे सभी वृक्ष क्षेत्र शामिल हैं, जो वन आवरण के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- **वन आवरण (Forest Cover):** इसमें **एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल** की ऐसी सभी भूमियां शामिल होती हैं, जिनका **वृक्ष वितान घनत्व 10% या उससे ज्यादा** होता है। इसमें सभी **बागान, बांस और ताड़ के वृक्ष** भी शामिल होते हैं, चाहे उस भूमि का मालिकाना हक, कानूनी दर्जा और उपयोग कुछ भी हो। ऐसी भूमि का **रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया** (RFA)[60] में दर्ज होना जरूरी नहीं है।
- **वन क्षेत्र (Forest Area):** इसे **रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (RFA)** के रूप में भी जाना जाता है। इसे ऐसी सभी भूमियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें **किसी भी सरकारी अधिनियम या नियमों के तहत वन के रूप में अधिसूचित** किया गया है या सरकारी रिकॉर्ड में **'वन'** के रूप में दर्ज किया गया है।
  - इस प्रकार, **'वन क्षेत्र'** शब्द सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि के संबंध में **कानूनी स्थिति को दर्शाता है।**
  - वहीं, **'वन आवरण'** शब्द किसी भी भूमि पर **वृक्षों की उपस्थिति** को दर्शाता है।

[59] Forest Survey of India

[60] Recorded Forest Area

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

वन एवं वृक्ष आवरण

आवरण वाला क्षेत्रफल (वर्ग–किलोमीटर)

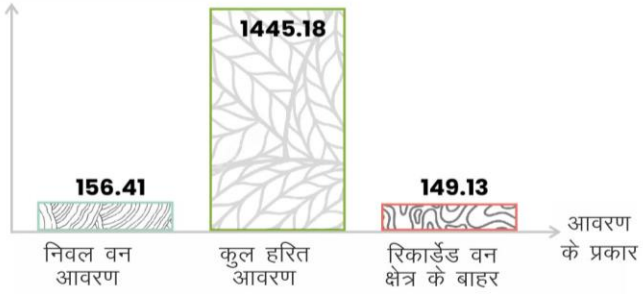

भारत में वन एवं हरित आवरण में बदलाव (2021–2023)

वन घनत्व में बदलाव

क्षेत्रफल में बदलाव (वर्ग–किलोमीटर)

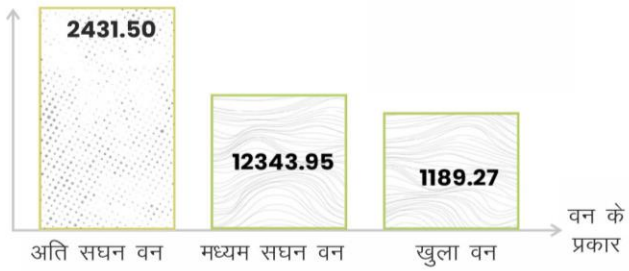

वन घनत्व में बदलाव

क्षेत्रीय रुझान

आवरण क्षेत्रफल में कमी (वर्ग–कि.मी.)

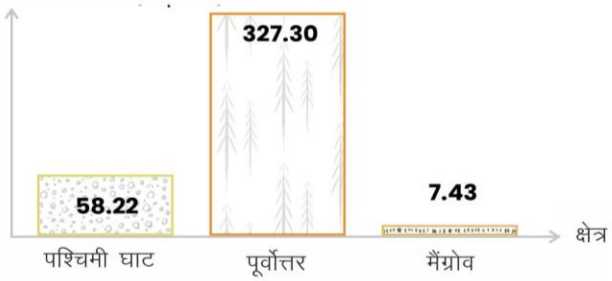

क्षेत्रवार वन आवरण और मैंग्रोव आवरण में कमी

राज्यों का प्रदर्शन

आवरण क्षेत्रफल में बदलाव (वर्ग–कि.मी.)

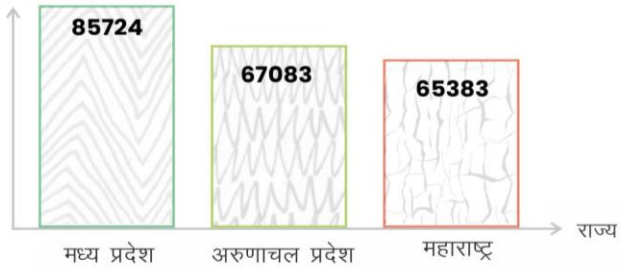

वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य

वृद्धि क्षेत्र (वर्ग–कि.मी.)

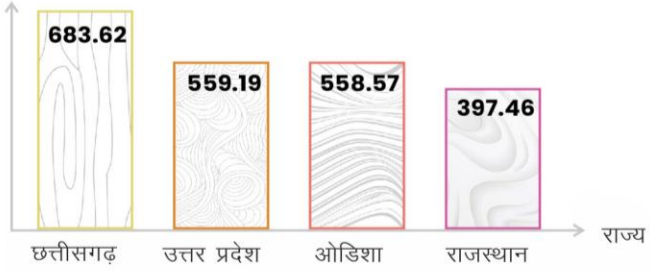

वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि

कम हुआ क्षेत्र (वर्ग–कि.मी.)

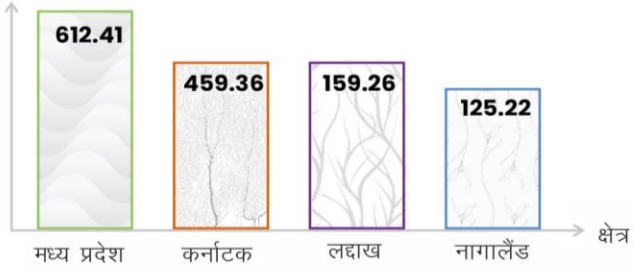

वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी

रिपोर्ट के अन्य अन्य मुख्य बिंदु

- **कार्बन स्टॉक:** पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई।
- **सबसे अधिक बांस संसाधन वाले राज्य:** मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र।
- **सबसे अधिक मैंग्रोव आवरण वाले 3 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश:** पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- **सबसे अधिक कृषि–वानिकी क्षेत्र वाले 3 राज्य:** महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा।
- **वनाग्नि:** 2021–22 के सीजन के दौरान वनाग्नि की घटनाओं में कमी दर्ज की गई।
  - **सबसे अधिक 'वनाग्नि की घटना' दर्ज करने वाले टाइगर रिजर्व:** नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (आंध्र प्रदेश), इंद्रावती टाइगर रिजर्व (छत्तीसगढ़) और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (बिहार)।

निष्कर्ष

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भारत के **वनों और हरित क्षेत्रों की निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता** को दर्शाती है। यह वनों के संसाधनों को ट्रैक और प्रबंधित करने के प्रयासों को उजागर करती है। हालांकि, रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई "वन आवरण" की व्यापक परिभाषा को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। इस परिभाषा में शहरी हरित क्षेत्र और वृक्ष आवरण को शामिल किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र के आंकड़ों को बढ़ा सकते हैं। ये क्षेत्र भले ही हरित आवरण में योगदान देते हों, लेकिन ये प्राकृतिक वनों को नहीं दर्शाते हैं। इसके अलावा, यह रिपोर्ट वनों के आंतरिक क्षरण, जैसे- जैव विविधता की हानि, वृक्षों के घनत्व में कमी या मौजूदा वनों में पारिस्थितिक असंतुलन को नहीं दर्शाती है। इससे प्रस्तुत आंकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं। इस स्थिति में, अधिक सटीक वन मूल्यांकन मानदंड की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक वनों और मानव निर्मित हरित क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके और देश के वनों की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन हो सके।

5.2. पवित्र उपवन (Sacred Groves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को **टी.एन. गोदावर्मन निर्णय (1996)** के अनुपालन में **ओरण** जैसे पवित्र उपवनों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं।

क्या आप जानते हैं?

टी. एन. गोदावर्मन निर्णय में **"वन" की परिभाषा का विस्तार** करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया:

- स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के निरपेक्ष, **किसी भी सरकारी (संघ और राज्य) रिकॉर्ड में "वन" के रूप में दर्ज** सभी क्षेत्र।
- वे सभी क्षेत्र जो '**शब्दकोश**' में वन के अनुरूप हैं।
- वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित **विशेषज्ञ समितियों द्वारा "वन" के रूप में निर्धारित किया** गया है।

पवित्र उपवन के बारे में

- पवित्र उपवन **वनों या प्राकृतिक वनस्पतियों के ऐसे क्षेत्र** होते हैं, जो स्थानीय समुदायों के लिए गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्त्व रखते हैं।
- ये स्थान **स्थानीय समुदायों द्वारा उनकी धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण संरक्षित** किए जाते हैं।
- IUCN के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग **100,000 से 150,000 पवित्र उपवन हैं।**
- **मेघालय का पवित्र उपवन लिविंग रूट ब्रिज (जिंग कींग ज्री) यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल** की अस्थायी सूची में शामिल है।

भारत के 'पवित्र उपवन' का भौगोलिक वितरण

पवित्र उपवन देश भर में पाए जाते हैं, जिन्हें अलग–अलग नामों से जाना जाता है

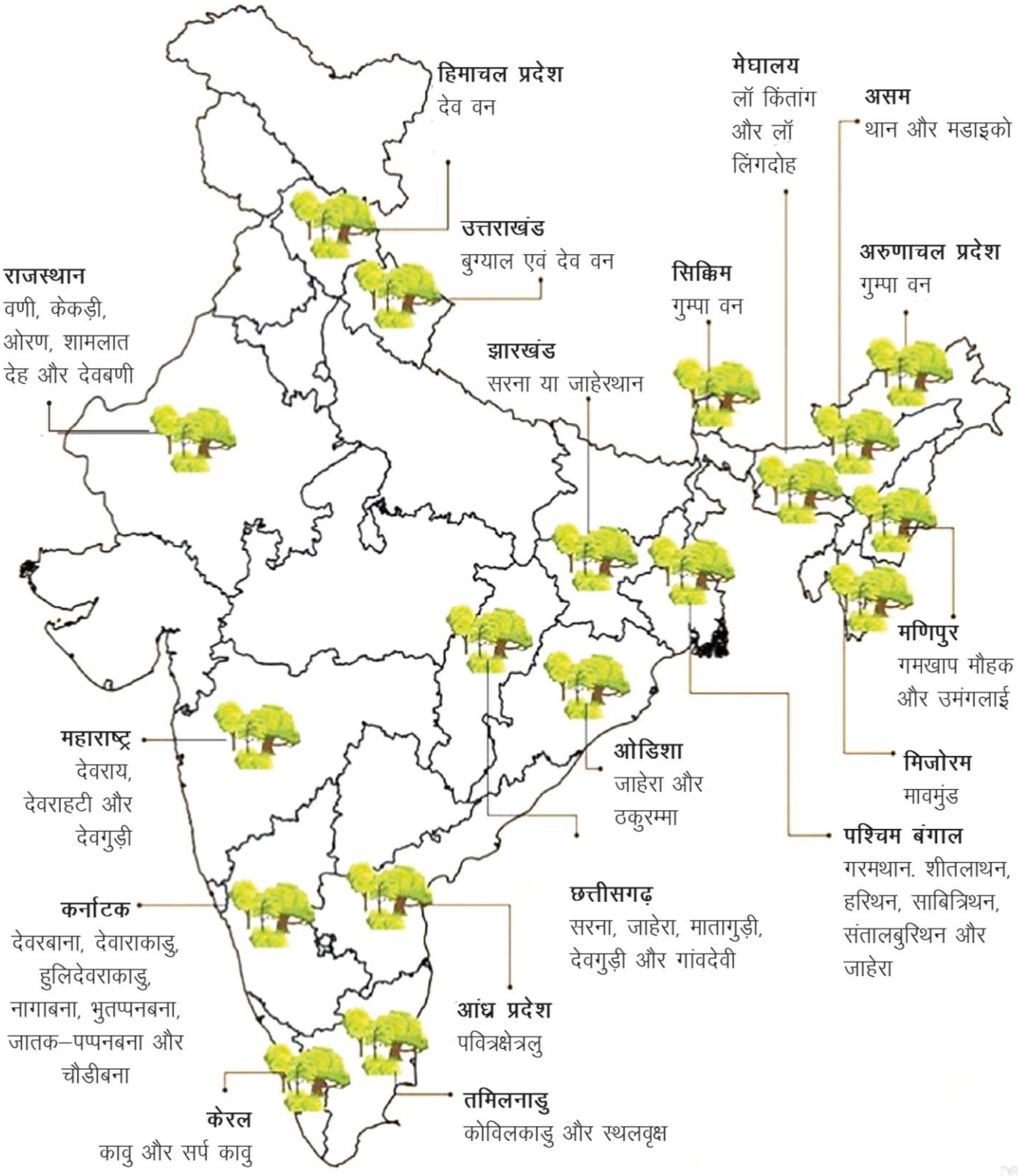

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश/ सुझाव

- **पवित्र उपवन को कानूनी संरक्षण:** पवित्र उपवनों को **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के अंतर्गत विशेष रूप से **धारा 36(c) के तहत सामुदायिक रिजर्व** घोषित करके संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
- **व्यापक नीति: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** पवित्र उपवनों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगा।
- **सर्वेक्षण:** पर्यावरण मंत्रालय **पवित्र उपवनों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए एक योजना भी विकसित करेगा,** जिसमें उपवनों के क्षेत्र और विस्तार की पहचान की जाएगी।
- **सामुदायिक भागीदारी:** पर्यावरण मंत्रालय को ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाने चाहिए, जो संबंधित **समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करें और उन्हें पवित्र उपवनों एवं वनों के संरक्षण में शामिल भी करें।**
  - सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पारंपरिक समुदायों** को संरक्षक के रूप में मान्यता दे कर उन्हें सशक्त बनाने का सुझाव भी दिया है।
- **पिपलांत्री गांव जैसे मॉडल का प्रचार:** सरकारों को संधारणीय विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पिपलांत्री मॉडल जैसी पहल को अन्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
  - **पिपलांत्री गांव** राजस्थान के **राजसमंद जिले** में स्थित है। इसे अपने अनोखे मॉडल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस मॉडल के तहत गांव में **हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़** लगाए जाते हैं।

पवित्र उपवनों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- **सांस्कृतिक:** पवित्र उपवन **सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़े** होते हैं। इन्हें अक्सर उन देवी-देवताओं के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें स्थानीय समुदाय इसलिए पूजते हैं कि ये देवी-देवता संबंधित समुदाय और उपवनों की रक्षा करते हैं। इन उपवनों की भूमिका **त्यौहारों, शादियों और युवाओं के मेलजोल में भी महत्वपूर्ण** होती है।
  - जैसे- केरल में **सबरीमाला** और गढ़वाल में **हरियाली।**
- **जैव विविधता का संरक्षण:** ये उपवन अक्सर क्षेत्र की **दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के लिए अंतिम शरणस्थली** के रूप में काम करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **मेघालय** की कम-से-कम **50 दुर्लभ और लुप्तप्राय पादपों की प्रजातियां** केवल पवित्र उपवनों में ही पाई जाती हैं।
- **मृदा संरक्षण:** पवित्र उपवनों का वनस्पति आवरण **मृदा की स्थिरता को बढ़ाता** है। इससे क्षेत्र में **मृदा अपरदन भी कम** होता है।
  - उच्चभूमि के उपवन **(जैसे- पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र)** मृदा संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।
- **आर्थिक और औषधीय लाभ:** पवित्र उपवनों से स्थानीय समुदायों को **खाद्य फल, पत्ते, रेशे, गोंद, रेजिन और औषधीय गुण वाले पौधे** भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्र उपवन **कई आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधियों की नर्सरी व भंडारगृह** के रूप में होते हैं।
- **पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का विकास:** राजस्थान के **बाड़मेर जिले** में लगभग 41% पशुधन पवित्र उपवनों **"ओरण"** पर निर्भर हैं।

पवित्र उपवनों के समक्ष खतरे और चुनौतियां

- **पारंपरिक आस्था का लुप्त होना:** पवित्र उपवनों के लिए आधारभूत रहीं पारंपरिक आस्था धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। अब ऐसी प्रथाओं और अनुष्ठानों को अंधविश्वास माना जाने लगा है।
- **विकासात्मक गतिविधियां:** सड़क, रेलवे, बांध और वाणिज्यिक वानिकी सहित तेजी से शहरीकरण एवं विकासात्मक परियोजनाओं के कारण देश के कई हिस्सों में **पवित्र उपवनों का विनाश** हुआ है।
  - **उदाहरण के लिए-** पश्चिमी घाट में **एम्बी वैली टाउनशिप परियोजना** जैसी विकास परियोजनाओं ने स्थानीय समुदाय के स्वामित्व वाली कई एकड़ भूमि को नष्ट कर दिया है।
  - अतिक्रमण के कारण शुष्क पर्णपाती और प्रकाश प्रिय प्रजातियां इस क्षेत्र में पहुंच रही रही हैं। इससे पुष्प संरचना के साथ-साथ सूक्ष्म-जलवायु (Microclimate) में भी बदलाव हो रहे हैं।

- **पशुधन:** पशुओं द्वारा **अत्यधिक चराई और उनके खुरों से मृदा अपरदन** होता है। **चरने वाले पशु स्थानीय शाकाहारी पशुओं के लिए आहार संबंधी संसाधनों की कमी** पैदा कर सकते हैं। इससे स्थानीय पशुओं के समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो सकता है।
    - **पंजाब में अत्यधिक चराई और कृषि विस्तार** के कारण पवित्र उपवनों का क्षेत्रफल काफी कम हो गया है।
- **आक्रामक प्रजातियां: विदेशी खरपतवारों का आक्रमण,** वृक्षों की स्थानिक प्रजातियों के समक्ष एक गंभीर खतरा है।
    - **यूपेटोरियम ओडोरेटम, लैंटाना कैमरा और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा** ने देशज जैव विविधता के समक्ष खतरा पैदा कर दिया है।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम दिशा-निर्देशों के साथ, निम्नलिखित कदम भी उठाए जा सकते हैं:

- **निगरानी: 'जैव-विविधता निगरानी समितियों'** के माध्यम से पवित्र उपवनों की निगरानी की जानी चाहिए।
- **सुरक्षा:** पवित्र उपवनों के चारों ओर **बाड़ लगाकर तथा "बफर जोन" स्थापित करके उनकी** सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **सामुदायिक भागीदारी:** ग्रामीण समुदायों द्वारा **युवाओं** को वन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए **शिक्षित और निर्देशित** किया जा सकता है। साथ ही, **वन संरक्षण कार्यक्रमों में युवाओं के लिए छोटे-छोटे प्रोत्साहनों** के प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं।
- **पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार:** जीर्णोद्धार गतिविधियों में **देशी प्रजातियों का रोपण; अंकुरित पादपों और पौध की सुरक्षा करना; दुर्लभ व स्थानिक पादपों के लिए नर्सरी की स्थापना करना; मृदा व जल संरक्षण के उपाय करना** आदि शामिल किए जा सकते हैं।

5.3. नदी जोड़ो परियोजना (River Linking Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना** की आधारशिला रखी।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** यह भारत की **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP)[61] का हिस्सा है। इसका उद्देश्य केन बेसिन से अधिशेष जल को बेतवा बेसिन के जल अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों में पहुंचना** है। इसे **2030** तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **स्थान:** यह **मुख्य रूप से सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र पर केंद्रित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश** में विस्तृत है।
- **मुख्य घटक:**
    - **चरण I:**
        - सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए **पन्ना टाइगर रिजर्व में दौधन बांध** (77 मीटर ऊंचा)।
        - **केन-बेतवा लिंक नहर** (221 किमी) से जल स्थानांतरित किया जाएगा।
    - **चरण II:**
        - बेतवा बेसिन में पानी की कमी को दूर करने के लिए **लोअर ओर्र बांध (Lower Orr dam), बीना कॉम्प्लेक्स और कोटा बैराज का निर्माण** किया जाएगा।

[61] National River Linking Project

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) के बारे में

- **पृष्ठभूमि:**
  - नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले **1850 के दशक में सर आर्थर कॉटन** द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तत्पश्चात इसे पुनः **1972** में तत्कालीन भारत के बिजली और सिंचाई मंत्री **के.एल. राव** ने उठाया था।
  - इसकी शुरुआत **1980 के दशक में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)**[62] के तहत की गई थी। वर्ष **1982** में नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)** की स्थापना की गई थी।
    - **2021** में, केंद्र ने NPP के लिए सर्वोच्च कार्यान्वयन निकाय के रूप में और **NWDA को प्रतिस्थापित** करने के लिए **राष्ट्रीय नदी इंटरलिंकिंग प्राधिकरण (NIRA)**[63] का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल को स्थानांतरित** करना है। इससे संभावित रूप से **30 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई** हो सकेगी तथा **20,000-25,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न** होगी।
  - इसे **बाढ़ और सूखे का शमन करने, ग्रामीण आय बढ़ाने और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा** देने के रूप में देखा जा रहा है।
- **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने निम्नलिखित घटकों की पहचान की है:**
  - **हिमालयी नदियों का विकास:** इसमें **गंगा और ब्रह्मपुत्र** जैसी उत्तरी नदियों पर **14 रिवर लिंक** की पहचान की गई है।
  - **प्रायद्वीपीय नदी विकास:** इसमें केन-बेतवा लिंक सहित **16 रिवर लिंक** की पहचान की गई है।
  - **अंतर्राज्यीय लिंक:** राज्य के भीतर जल प्रबंधन के लिए।

नदी जोड़ो परियोजनाओं के समक्ष चुनौतियां

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **वन्यजीव पर्यावासों में व्यापक व्यवधान:** केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसी परियोजनाओं के कारण **पन्ना टाइगर रिजर्व का 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न** हो गया है। इससे बाघ, घड़ियाल और विभिन्न प्रजातियों के समक्ष खतरा पैदा हो गया है।
  - **वनों की व्यापक कटाई** के कारण स्थानीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
  - IIT-बॉम्बे द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, **जल स्थानांतरण के कारण वर्षा की कमी** हो सकती है।
- **आर्थिक चिंताएं:**
  - **उच्च कार्यान्वयन लागत** इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर सवाल उठा रही है। जैसे- केन-बेतवा परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपये है।
  - रखरखाव संबंधी **अत्यधिक लागत** के कारण वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
- **सामाजिक निहितार्थ:**
  - स्थानीय आबादी का **बड़े पैमाने पर विस्थापन।**
  - **पुनर्वास और मुआवजे** जैसी जटिल चुनौतियां समुदायों को प्रभावित करती हैं।
  - **परंपरागत आजीविका** और सामाजिक संरचनाओं में व्यवधान पैदा हो सकता है।
- **तकनीकी चुनौतियां:**
  - विशेषकर गैर-बारहमासी नदियों में जल की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता बरकरार है।
  - नदी प्रणालियों के बीच जल के स्थानांतरण के दौरान **जल की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं** भी मौजूद हैं।
  - यह वर्षा जल संचयन जैसे संधारणीय **विकल्पों बनाम बड़े पैमाने पर रिवर लिंकिंग के मध्य बहस का मुद्दा** बना हुआ है।

---

[62] National Perspective Plan

[63] National Interlinking of Rivers Authority

प्रस्तावित अंतर बेसिन वाटर ट्रांसफर या जल अंतरण लिंक

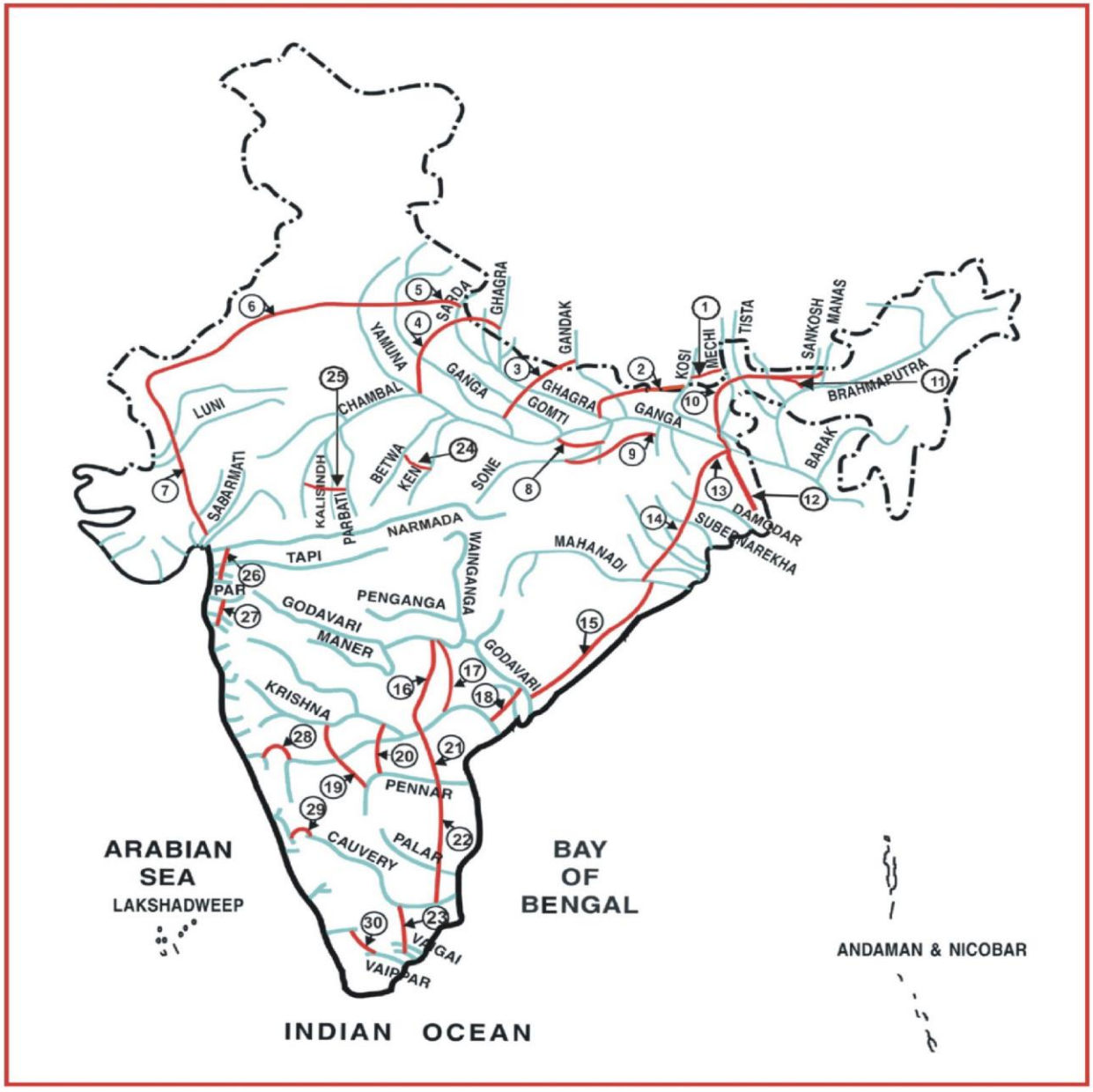

हिमालयी घटक

1. कोसी–मेची
2. कोसी–घाघरा
3. गंडक–गंगा
4. घाघरा– यमुना *
5. सारदा–यमुना *
6. यमुना –राजस्थान
7. राजस्थान – साबरमती
8. चुनार–सोन बैराज
9. सोन बांध –गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
10. मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा
11. जोगीघोपा तीस्ता फरक्का (वैकल्पिक)
12. फरक्का–सुंदरबन
13. गंगा (फरक्का) – दामोदर – स्वर्णरेखा

*** व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है**

प्रायद्वीपीय घटक

15. महानदी (मणिभद्र)–गोदावरी (दौलीस्वरम)*
16. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुन सागर)*
17. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलीचिंतला)*
18. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा)*
19. कृष्णा (अलमाटी) – पेन्नार *
20. कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार *
21. कृष्णा (नागार्जुन सागर) – पेन्नार (सोमासिला) *
22. पेन्नार (सोमासिला)–पलार–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) *
23. कावेरी (कट्टलाई) – वैगई – गुंडार *
24. केन–बेतवा *
25. पार्वती–कालीसिंध–चंबल *
26. पार–तापी–नर्मदा *
27. दमनगंगा – पिंजल *

क्षेत्रीय जल असमानता को दूर करने के लिए आगे की राह

- **अंतर्राज्यीय सहयोग:**
  - राज्यों के बीच **जल के बंटवारे के लिए** स्पष्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए।
  - प्रभावी **विवाद समाधान तंत्र स्थापित** करना चाहिए।
  - विलंब को रोकने के लिए **नियमित तौर पर अंतर्राज्यीय परामर्श** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **हितधारक सहभागिता:**
  - ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, स्थानीय आबादी के साथ संबंधित जानकारी का पारदर्शी संचार किया जाना चाहिए।
  - जल प्रबंधन में देशज ज्ञान को शामिल करना चाहिए।
- **तकनीकी एकीकरण:**
  - **स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों** और रियल टाइम में निगरानी करने वाले साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - उन्नत जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - **मंगल टरबाइन** जैसे संधारणीय समाधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
    - **मंगल टरबाइन** का आविष्कार **बुंदेलखंड** के किसान मंगल सिंह ने **1987** में किया था। यह टरबाइन डीजल या बिजली का उपयोग किए बिना बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई के लिए पानी को लिफ्ट करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:**
  - **व्यापक जल विज्ञान अध्ययनों के साथ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** (EIA)[64] को मजबूत बनाना चाहिए।
  - पारिस्थितिक क्षति के लिए **प्रभावी क्षतिपूर्ति उपायों को लागू** किया जाना चाहिए।
  - पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए **निगरानी प्रणालियां विकसित** करनी चाहिए।

[64] Environmental Impact Assessment

5.4. ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 (Draft Solid Waste Management Rules, 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2024 का मसौदा जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वैधानिक प्रावधान:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 में संशोधन और विस्तार** करते हैं।
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के अंतर्गत जारी** किए जाते हैं।
  - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs) EPA, 1986 के तहत नियमों सहित प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देशों** को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **कार्यान्वयन तिथि:** ये नियम **हितधारकों को ट्रांजिशन अवधि प्रदान करते हुए 1 अक्टूबर, 2025** से लागू होंगे।

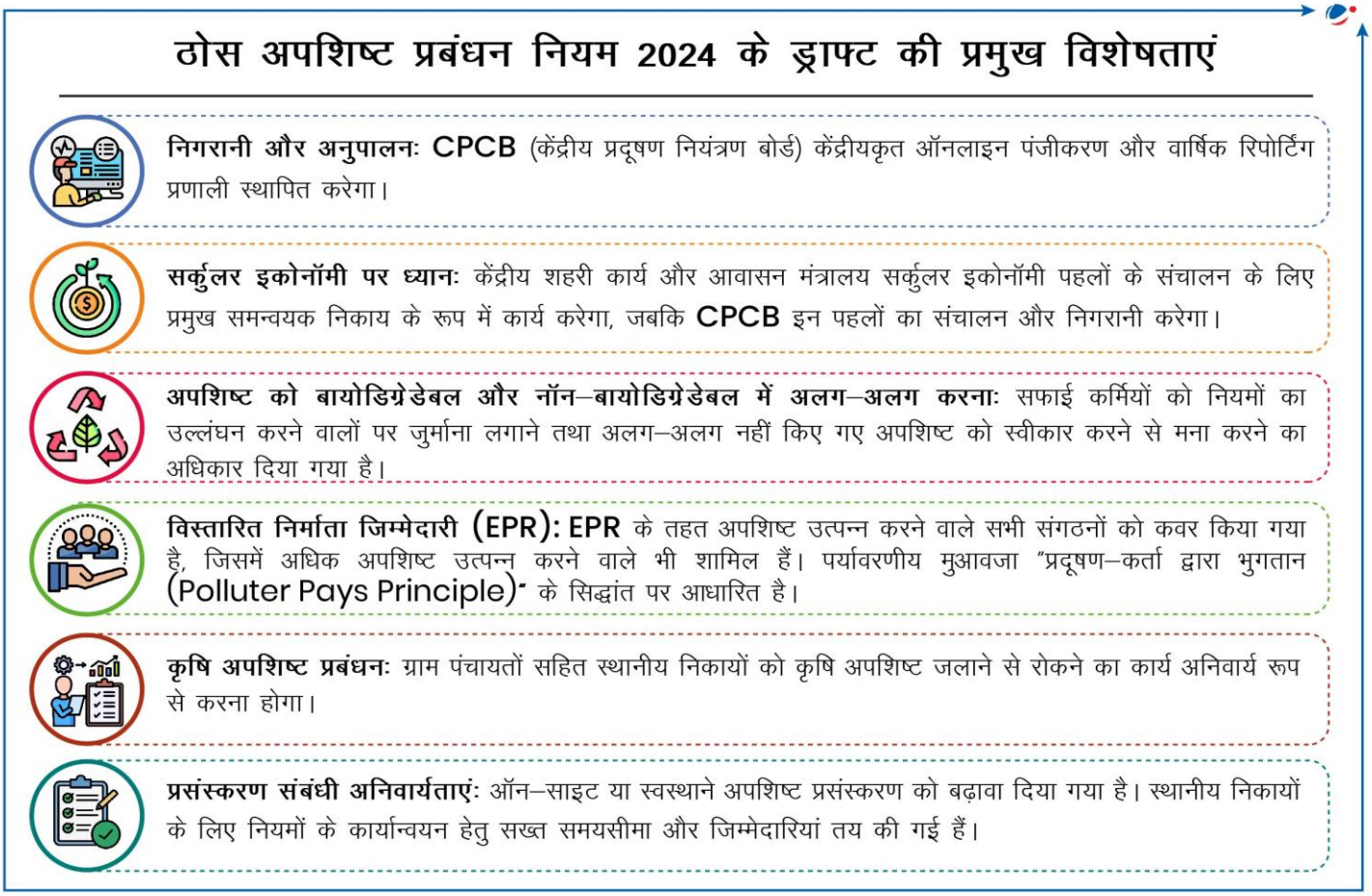

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में

- **परिभाषा:** इसमें अपशिष्ट, कचरा और कूड़ा सहित कोई भी परित्यक्त सामग्री शामिल है।
- **वर्गीकरण:** भारत में कानूनी तौर पर **अपशिष्ट को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:** नगरपालिका अपशिष्ट, हानिकारक या परिसंकटमय अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और कंस्ट्रक्शन अपशिष्ट।
- **TERI के अनुसार वर्तमान स्थिति:**
  - **अपशिष्ट की वार्षिक मात्रा:** 62 मिलियन टन से अधिक।

- **अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा:** लगभग 43 मिलियन टन।
- **उपचारित अपशिष्ट की मात्रा:** केवल 12 मिलियन टन।
- शेष **31 मिलियन टन अपशिष्ट वेस्ट-यार्ड में फेंक** दिया जाता है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष चुनौतियां

- **बुनियादी सेवा संबंधी मुद्दे**
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रह प्रणाली खराब है।
  - स्रोत पर अपशिष्ट का पर्याप्त रूप से पृथक्करण न किया जाना।
  - प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी।
  - उचित निपटान के बारे में जनता में जागरूकता का अभाव है।
  - निपटान के लिए सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण अवैध डंपिंग को बढ़ावा मिलता है।
- **वित्तीय बाधाएं**
  - स्थानीय निकाय सीमित बजट से जूझ रहे हैं।
  - असुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन सहित अप्रासंगिक पद्धतियों का प्रचलन।
- **क्षेत्राधिकार के संबंध में अस्पष्टता**
  - कई एजेंसियां निगरानी का दायित्व साझा करती हैं।
    - उदाहरण के लिए, **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) नियम और दिशा-निर्देश तैयार** करता है, जबकि **आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) जमीनी स्तर पर इन नियमों एवं दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन को देखता** है। इससे समन्वय, वित्त-पोषण और प्रवर्तन में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल**
  - आधुनिक समाधान (ब्लॉकचेन, IoT, AI आदि) मौजूद हैं, लेकिन उनका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।
  - उच्च लागत और कम जागरूकता इसे अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।

प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलें

- **भारत में शुरू की गई पहलें:**
  - **स्मार्ट सिटीज़ मिशन:** 60 से अधिक शहर प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, अपशिष्ट संग्रह वाहनों की GPS ट्रैकिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग, अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता व दैनिक प्रबंधन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं।
  - **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** इस मिशन का **चरण-II ग्राम स्तर पर** ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन पर केंद्रित है।
  - **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):** इसे पूरे भारत में **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन** के लिए **2014** में शुरू किया गया था।
    - **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0** का लक्ष्य **2026 तक सभी शहरी क्षेत्रों को "अपशिष्ट मुक्त"** बनाना है।
- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:**
  - **जापान में UNEP-अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी केंद्र (IETC):** इसका कार्य विकासशील देशों में निर्धारित अपशिष्टों (इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि बायोमास व प्लास्टिक) के उचित उपचार पर केंद्रित है।

भारत में प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आगे की राह

- **नीतिगत कार्यान्वयन:** स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ **नए नियमों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित** करना चाहिए तथा **स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्त-पोषण के साथ सहायता प्रदान** करनी चाहिए।
- **तकनीकी नवाचार:** उदाहरण के लिए, **भोपाल नगर निगम (मध्य प्रदेश) ने घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण के लिए एक GPS-एनेबल्ड वाहन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित** की है।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए **निजी क्षेत्रक की क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए।**
    - **उदाहरण के लिए- मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु** आदि शहरों ने **कॉम्पोस्ट संयंत्र** स्थापित करने के लिए **निजी क्षेत्रक के साथ अनुबंध** किए हैं।
- **निगरानी प्रणाली को मजबूत करना:** जैसे- CPCB और SPCBs जैसे विनियामक निकायों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मचारियों और कानून प्रवर्तकों के साथ मजबूत बनाने से निगरानी प्रणाली बेहतर हो सकती है।
- **जन जागरूकता: SBM जैसी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन** किया जाना चाहिए। इसने **अपशिष्ट पृथक्करण, उचित निपटान** आदि के लिए **जागरूकता और सामुदायिक स्तर पर सहभागिता** पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

5.5. शहरी वायु प्रदूषण (Urban Air Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूएन-हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024: सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट** जारी की गई है। इसके अनुसार, शहरी वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 6.7 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। इसलिए, शहरी वायु प्रदूषण बीमारी और असामयिक मृत्यु के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम कारक बन गया है।

क्या आप जानते हैं?

➢ उत्तर प्रदेश **एयरशेड प्रबंधन अपनाने वाला देश का पहला राज्य** है। इसके तहत 2027 तक PM2.5 के स्तर को कम करके 45 pg/m3 तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **IQAir द्वारा जारी की गई छठी वार्षिक 'विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट' में नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर** बताया गया है।
    - दुनिया के **10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत** में हैं।

भारत में शहरी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक

- **मौसम संबंधी और भौगोलिक कारक:**
    - **कम वर्षा और पवन:** सितंबर-अक्टूबर में कम वर्षा और सर्दियों के मौसम में मंद गति वाली पवन उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर को संकेंद्रित करती है या बनाए रखती है।
    - **पवन की दिशा:** क्षेत्रीय वायु प्रदूषण पवन के पैटर्न के माध्यम से फैलता है। उदाहरण के लिए- दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का 50% हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है।
    - **धूल भरी आंधी:** सहारा और थार रेगिस्तान से आने वाली धूल में **नाइट्रेट** होता है, जो धरातलीय ओज़ोन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है।
        - गुरुग्राम में धूल भरी आंधी के दौरान, 57% दिनों में धरातलीय ओज़ोन का स्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) की सीमा से अधिक दर्ज किया जाता है।
    - **स्थलाकृति:** उत्तरी भारत के निचले इलाकों में प्रदूषक संकेंद्रित हो जाते हैं, तथा हिमालय इनके बिखराव को अवरुद्ध करता है।
    - **तापमान प्रतिलोमन:** सर्दियों के दौरान धरातल के नजदीक ठंडी हवा की मौजूदगी से प्रदूषक तत्वों का फैलाव अवरुद्ध हो जाता है।
- **कृषि पद्धतियां:** पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से विषाक्त धूम्र-कोहरा उत्पन्न होता है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- **शहरी और औद्योगिक कारक:**
    - **निर्माण कार्य और डेमोलिशन (ध्वंस) संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट:** इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली धूल में अधिक मात्रा में **कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter: PM) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक** होते हैं।
    - **वाहनों का उच्च घनत्व:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार बेचे गए वाहनों की कुल संख्या 2010-11 में लगभग 178 लाख थी, जो बढ़कर 2019-20 में लगभग 215 लाख हो गई थी।
    - **अपशिष्ट का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान:** खुले में अपशिष्ट जलाने और लैंडफिल में आग लगने से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए- मुंबई की लैंडफिल में आग लगने से प्रतिवर्ष 22,000 टन प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।

- **औद्योगिक उत्सर्जन: लोहा व इस्पात, सीमेंट, चीनी** और अन्य उद्योग प्रमुख प्रदूषक हैं। **राजकोट (42%) और पुणे (30%) औद्योगिक PM2.5 उत्सर्जन** से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

- **अतिरिक्त स्रोत**
  - **बायोमास जलाना:** लकड़ी या कोयले से खाना पकाने वाले चूल्हे, ईंट भट्टे और कारखानों से निकलने वाला धुआँ स्थानीय वायु प्रदूषण में योगदान देता है।
  - **सांस्कृतिक और उत्सव संबंधी प्रथाएं:** दिवाली के दौरान पटाखों का उपयोग बढ़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।
    - नवंबर 2024 में, दिल्ली में PM2.5 का समग्र स्तर 401.1 ug/m3 था, जो 24 घंटे की अवधि के लिए WHO की स्वीकार्य सीमा 15 ug/m3 से लगभग 26 गुना अधिक है।

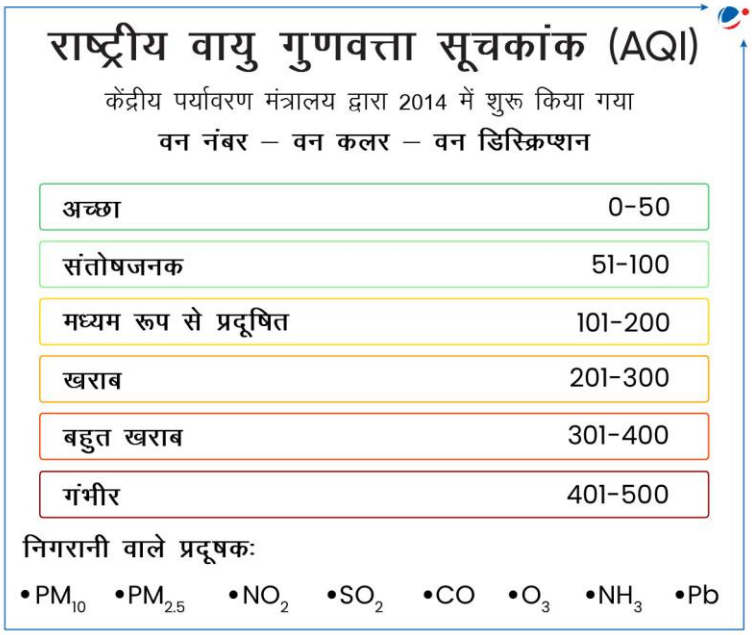

शहरी वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताएं और मुद्दे

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** शहरी वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी संक्रमण, फेफड़ों की बीमारियां और हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं।
  - अकेले दिल्ली में, वायु प्रदूषण के कारण सालाना लगभग 30,000 से अधिक मौतें होती हैं। देश भर में वायु प्रदूषण से लगभग 2 मिलियन मौतें होती हैं।
- **आर्थिक नुकसान:** विश्व बैंक के अनुसार, समय से पहले होने वाली मौतों और रुग्णता के कारण सालाना लगभग 36.8 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो 2019 में भारत की GDP का 1.36% था।
- **मटेरियल और संरचनाओं को नुकसान:** SO_2 और NO_2 के उत्सर्जन से वनस्पतियों, जीव-जंतुओं एवं मटेरियल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे प्रतिष्ठित इमारतों और भवनों को क्षति पहुंचती है।
  - उदाहरण के लिए- औद्योगिक SO_2 उत्सर्जन और अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है।
- **शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island: UHI) प्रभाव:** शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट युक्त निर्माण (भवन, पुल, सड़कें आदि) के कारण अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। इस कारण शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश की तुलना में अधिक तापमान होता है। इससे शहरी तापमान में वृद्धि होती है।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र और जैव विविधता का ह्रास:** वायु प्रदूषण के कारण **झीलों का अम्लीकरण व यूट्रोफिकेशन तथा जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में पारे का संचय** हो जाता है।
  - **पादपों पर प्रभाव:** अम्लीय वर्षा के चलते नाइट्रोजन के जमाव के कारण पत्तियों झड़ने लगती हैं, उनका रंग उड़ने लगता है, वृक्षों की शाखाएं कमजोर होने लगती हैं तथा उनकी कीटों के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाती है।
  - **धरातलीय ओज़ोन द्वारा क्षति:** यह **प्रकाश संश्लेषण को कम** करती है और पौधों की वृद्धि को बाधित करती है। इससे वनस्पति के समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (इन्फोग्राफिक्स देखें)**
- **नीतिगत और विनियामकीय फ्रेमवर्क**
  - **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP), 2019:** इसका उद्देश्य **131 शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को 40% तक कम** करना है।
  - **ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP):** यह **दिल्ली-NCR** में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय है।
  - **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):** इसे **2021** में स्थापित किया गया था। इसे **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** में बेहतर वायु गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।
  - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):** यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट दहन आदि से निपटने के लिए **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986** के तहत निर्देश जारी करता है।

- **वायु गुणवत्ता निगरानी और जागरूकता: वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल** लोक जागरूकता व शमन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी अपडेट प्रदान करता है।
- **प्रदूषण नियंत्रण और संधारणीय परिवहन**
  - **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020:** इसका उद्देश्य **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम/ FAME इंडिया) योजना** के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
  - **वाहन से प्रदूषण को नियंत्रित करना:** इसके तहत स्वच्छ ईंधन (CNG, LPG व BS-VI मानक), इथेनॉल मिश्रण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना शामिल है।
- **स्वच्छ ऊर्जा पहलें (Clean Energy Initiatives):** इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के तहत **2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली उत्पादन का लक्ष्य और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण परिवारों में LPG के उपयोग को बढ़ावा** देना शामिल है।

भारत में शहरी वायु प्रदूषण को रोकने के तरीके

- **शहरी नियोजन और हरित पहलें:**
  - **हरित क्षेत्र:** शहरी उद्यानों व वृक्षारोपण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटा जा सकेगा और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
  - **स्वच्छ वायु क्षेत्र:** उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में सख्त उत्सर्जन मानकों के साथ स्वच्छ वायु क्षेत्र स्थापित करने चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- लंदन के अल्ट्रा-लो एमिशन ज़ोन (ULEZ) में NO_2 के स्तर में 44% और PM2.5 के स्तर में 27% तक कमी आई है।
- **संधारणीय परिवहन:** कुछ सड़क मार्गों की जगह को फिर से आवंटित करना, सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना, केवल पैदल यात्रियों के लिए क्षेत्र निर्धारित करना और साइकिल चलाने की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना।
  - उदाहरण के लिए, **कोपेनहेगन** के साइकिल मार्गों पर **ग्रीन वेव तकनीक** साइकिल चालकों को **लगातार ग्रीन सिग्नल** मिलने में मदद करती है, **यदि वे लगभग 20 कि.मी./ घंटा की गति बनाए** रखते हैं। इससे उन्हें **बार-बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे साइकिल चलाना आसान, तेज और सुविधाजनक** हो जाता है।
- **तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान:**
  - **प्रौद्योगिकी में बदलाव:** फ्यूल सेल वाहन, सल्फर की अत्यंत कम मात्रा वाले ईंधन, या मेथनॉल (ब्राजील) और हाइड्रोजन ईंधन (जापान) जैसे वैकल्पिक ईंधन संबंधी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए।
  - **क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा:** इसमें **सिल्वर आयोडाइड** जैसी सामग्री का बादलों में छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड नाभिक के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में धरती पर बरसती है। इससे प्रदूषकों और स्मॉग के स्तर को कम करने में मदद मिलती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** लैंडफिल अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए जैव-उपचार (अपशिष्ट में से नमी को हटाना) और बायोमाइनिंग जैसी विधियों का उपयोग करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- कोलकाता के धापा लैंडफिल से लैंडफिल में आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं तथा वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- **एकीकृत नीति दृष्टिकोण:**
  - **एयरशेड प्रबंधन:** अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदूषकों के प्राकृतिक प्रवाह और फैलाव पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करके प्रदूषण का समग्र रूप से समाधान करना चाहिए।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** क्षेत्रीय साझेदारों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के साथ सीमा-पार प्रदूषण से निपटने के लिए माले घोषणा-पत्र (1998) जैसे समझौतों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए।

संबंधित तथ्य

ICIMOD द्वारा वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड (Air Quality Dashboard)

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने एक **वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड** का अनावरण किया है।

वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड के बारे में:

- यह **स्थानीय, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पैमाने** पर वायु प्रदूषण की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है। इस कार्य के लिए यह **सैटेलाइट इमेजरी के साथ ग्राउंड सेंसर डेटा को एकीकृत** करता है।
- यह **रसायन विज्ञान के साथ मिलकर मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल (WRF-Chem)**[65] द्वारा संचालित है।

[65] Weather Research and Forecasting model coupled with Chemistry

- यह मॉडल **लाहौर, नई दिल्ली और कोलकाता** जैसे हॉटस्पॉट्स सहित संपूर्ण क्षेत्र में **PM2.5** की सांद्रता का खुलासा करता है।

PM 2.5 और PM 10 के बारे में

- **PM10:** वे कण हैं, जिनका **व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम** होता है।
- **PM2.5:** ऐसे कण हैं, जिनका **व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम** होता है।

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.6.1. IPBES नेक्सस असेसमेंट (IPBES Nexus Assessment Report)

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) ने 'नेक्सस असेसमेंट' रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट को **"जैव विविधता, जल, खाद्य और स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंधों पर आकलन रिपोर्ट"** भी कहा जाता है।
- यह रिपोर्ट **जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन** जैसे पांच आपस में जुड़े घटकों के जटिल संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। साथ ही, इससे मिलने वाले लाभों को बढ़ाने के लिए संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है।

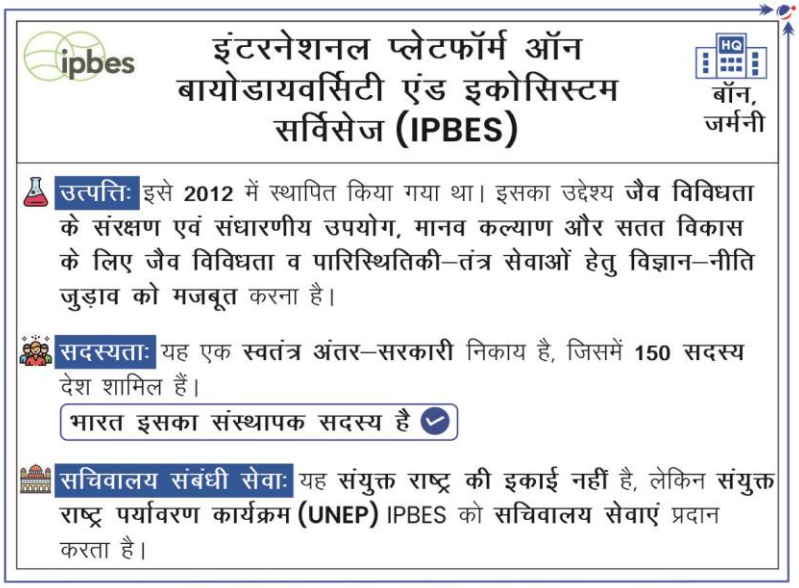

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नेक्सस (परस्पर जुड़े) घटकों को प्रभावित करने वाली वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की **अनदेखी लागत (Unaccounted-for costs) प्रति वर्ष कम-से-कम 10-25 ट्रिलियन डॉलर है।**
  - ऐसी अनदेखी लागतों के साथ-साथ प्रत्यक्ष सार्वजनिक सब्सिडी की मौजूदगी से भी **प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक गतिविधियों में निजी वित्तीय निवेश को बढ़ावा** मिलता है।
- पिछले 30-50 वर्षों में **प्रति दशक जैव विविधता में 2-6% की गिरावट** आई है। इससे पारिस्थितिकी-तंत्र की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है।
- पिछले 50 वर्षों में जैव विविधता की हानि के लिए जिम्मेदार अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक कारक प्रत्यक्ष कारकों **(जैसे भूमि और समुद्र उपयोग में परिवर्तन, प्रदूषण तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार)** में वृद्धि कर रहे हैं।
  - अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक कारकों में **बढ़ता कचरा, अति-उपभोग, जनसंख्या वृद्धि** आदि शामिल हैं।
- **ताजे जल की असंधारणीय तरीके** से निकासी, आर्द्रभूमि के क्षरण तथा वनों की कटाई ने जल की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की उसकी क्षमता को कम कर दिया है।
- **लगभग 50% उभरती संक्रामक बीमारियां पारिस्थितिकी-तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच के परस्पर जुड़ाव** से होती हैं।

आगे की राह

- वन, मैंग्रोव जैसे कार्बन-समृद्ध पारिस्थितिकी-तंत्रों की पुनर्बहाली के लिए **समन्वित दृष्टिकोण अपनाना** चाहिए।
- पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए **जैव विविधता का प्रभावी प्रबंधन** करना चाहिए।
- **अन्य सुझाव:**
  - शहरी क्षेत्रों में प्रकृति-आधारित समाधान अपनाने चाहिए;
  - देशज समुदायों के ज्ञान का उपयोग करना चाहिए;
  - संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए;
  - "वन हेल्थ" दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए आदि।

5.6.2. FAO ने 'लवण प्रभावित मृदा की वैश्विक स्थिति' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की (Global Status of Salt-Affected Soils Report by FAO)

यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** द्वारा विगत 50 वर्षों में लवण-प्रभावित मृदा (Salt-Affected Soils) की स्थिति का पहला बड़ा वैश्विक आकलन है।

- लवण प्रभावित मृदा में या तो **घुलनशील लवण यानी सैलाइन सॉइल या एक्सचैंजेबल सोडियम आयन यानी सोडिक सॉइल की उच्च मात्रा** होती है।
- **लवणीय मृदा की मात्रा को विद्युत चालकता के आधार पर मापा** जाता है। जितनी अधिक विद्युत चालकता होगी, मृदा में लवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

मृदा के लवणीकरण और सोडिफिकेशन को बढ़ाने वाले कारक

- **मानव-जनित कारक:**
  - **कृषि पद्धतियों में दक्षता की कमी:** इसके उदाहरण हैं- उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, सिंचाई के लिए जलभृतों (Aquifers) का अत्यधिक दोहन, समुचित जल निकासी प्रणाली का अभाव आदि।
  - **वनों की कटाई:** गहरी जड़ों वाली वनस्पतियों को काटने से मृदा में लवण की मात्रा बढ़ती है। यह वास्तव में **शुष्क भूमि में लवणीकरण का उदाहरण** है।
  - **अन्य कारक:** तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल पंप करना, खनन गतिविधियां आदि भी मृदा में लवण की मात्रा बढ़ाती हैं।
- **प्राकृतिक कारक:** जलवायु संकट से **शुष्कता का बढ़ना; पर्माफ्रॉस्ट पिघलना** जैसे कारक भी मृदा की लवणता को बढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विश्व में मृदा लवणीकरण**
  - **कवरेज:** विश्व में लगभग **1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि** यानी विश्व का **कुल लगभग 10% क्षेत्रफल लवणीकरण से प्रभावित** है। इसमें भविष्य में **24-32% वृद्धि की आशंका** जताई गई है।
  - **सबसे अधिक प्रभावित देश:**
    - कुल क्षेत्रफल के मामले में **ऑस्ट्रेलिया लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित** होने वाला देश है।
    - **कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में ओमान** लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित देश है। ओमान का **93.5 प्रतिशत** भू-क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है।
- **भारत में लवणता से प्रभावित मृदा:**
  - **कवरेज:** भारत का **लगभग 6.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित** है। यह **भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.1%** है।
  - **सबसे अधिक प्रभावित राज्य (क्षेत्रफल के अनुसार):** सबसे अधिक प्रभावित राज्य **गुजरात** है। उसके बाद **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान** का स्थान है।
  - सिंचाई के लिए **खारे भूजल (Brackish groundwater) के उपयोग** के कारण भारत की **कुल सिंचित कृषि भूमि का लगभग 17% हिस्सा लवणीकरण** से प्रभावित है।
- **संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियां:**
  - लवणीकरण की समस्या से निपटने के लिए रिपोर्ट में संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-**
    - **मल्चिंग** अपनाना,
    - **लवण-सहिष्णु पादप किस्में** विकसित करना,
    - **बायोरिमेडिएशन तकनीक** अपनाना, आदि।

5.6.3. 2024-2034 दशक के लिए स्थलरुद्ध विकासशील देशों हेतु कार्रवाई कार्यक्रम (Programme of Action for Landlocked Developing Countries for Decade 2024-2034)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने '2024-2034 दशक के लिए स्थलरुद्ध विकासशील देशों हेतु कार्रवाई कार्यक्रम' अपनाया।

- यह कार्यक्रम **वियना कार्रवाई कार्यक्रम (2014-2024) और अल्माटी कार्रवाई कार्यक्रम (2003)** पर आधारित है। इन दोनों कार्यक्रमों ने **स्थलरुद्ध विकासशील देशों (LLDCs)** के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक आधार के रूप में काम किया है।

- '2024-2034 दशक के लिए कार्रवाई कार्यक्रम' ने **5 प्राथमिकताओं की पहचान की है** (इन्फोग्राफिक देखें) और इनके अंतर्गत अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

'2024-2034 दशक के लिए कार्रवाई कार्यक्रम' के मुख्य लक्ष्यों पर एक नजर

- 2034 तक सभी क्षेत्रकों में **श्रम उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को 50% तक बढ़ाना।**
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क** आदि विकसित करने के लिए **सहायता प्रदान** करना।
- 2034 तक मनमानी और अनुचित **गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त** करना तथा LLDCs के **वैश्विक व्यापारिक निर्यात को दोगुना** करना।
- सभी LLDCs में **व्यापार सुविधा पर WTO समझौते का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित** करना।

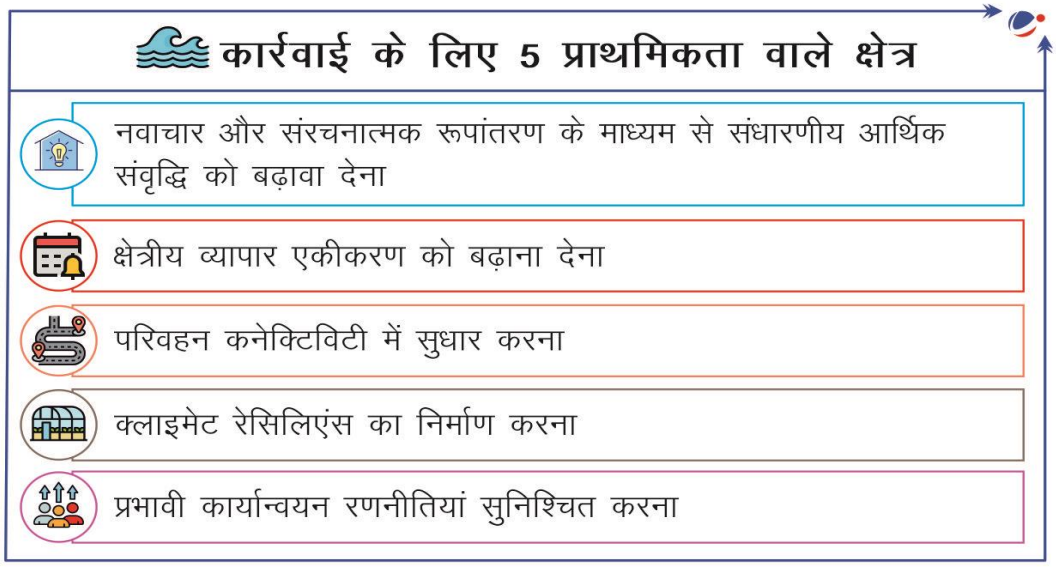

- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क** का पूर्ण कार्यान्वयन करके LLDCs में आपदा जोखिम को कम करना।

स्थलरुद्ध विकासशील देश (LLDCs) के बारे में

- स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं, जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है यानी जिनका कोई समुद्र तट नहीं होता। विश्व में कुल **32** LLDCs हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग **570 मिलियन** हैं।
- **लिकटेंस्टाइन और उज्बेकिस्तान** दोहरे स्थलरुद्ध (अन्य स्थलरुद्ध देशों से घिरे हुए) देश हैं।

LLDCs के समक्ष चुनौतियां

- **व्यापार में बाधाएं:** LLDCs व्यापार के लिए पारगमन देशों पर निर्भर हैं। इससे व्यापार लागत अधिक होती है, लॉजिस्टिक्स संबंधी देरी होती है और वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।
- **धीमी आर्थिक संवृद्धि:** सीमित व्यापार और निर्यात अवसर, कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि इसके लिए जिम्मेदार हैं।
  - 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार **LLDCs से वैश्विक व्यापारिक निर्यात कुल वैश्विक निर्यात का केवल 1.1%** रहा है।

5.6.4. बिजनेस 4 लैंड इनिशिएटिव (Business4land Initiative)

UNCCD के COP-16 में बिजनेस 4 लैंड फोरम ने संधारणीय भूमि उपयोग को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्रक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

- UNCCD (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय) को **1994** में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला **कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।**

बिजनेस 4 लैंड फोरम (2024) के बारे में

- यह **UNCCD की मुख्य पहल** है। इसका उद्देश्य **संधारणीय भूमि और जल प्रबंधन में निजी क्षेत्रक को शामिल** करना है।
- **उद्देश्य:** 2030 तक **1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल** करना, **भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) का समर्थन** करना और **सूखा प्रतिरोधकता में सुधार** करना।

5.6.5. दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर चल रही वार्ता स्थगित (Plastic Pollution Treaty Negotiations Adjourn in Busan, South Korea)

दक्षिण कोरिया के बुसान में **प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** अपनाने हेतु पांचवां सत्र आयोजित हुआ था। यह सत्र भी **संधि पर देशों के बीच अंतिम सहमति बनाए बिना समाप्त** हो गया।

- ज्ञातव्य है कि **2022 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संकल्प के तहत प्लास्टिक प्रदूषण संधि का स्वरूप तैयार करने करने के लिए वार्ता** की जा रही है।
- इस संधि में **प्लास्टिक के पूर्ण उपयोग चक्र के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान** किए जाने हैं। इस चक्र में **प्लास्टिक का उत्पादन, डिजाइन और निपटान** शामिल हैं।

संधि को अंतिम रूप देने में समस्याएं

- **प्लास्टिक के उत्पादन की अधिकतम मात्रा तय करना: यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश** संधि में प्लास्टिक उत्पादन की अधिकतम मात्रा संबंधी लक्ष्य शामिल करने के **पक्ष** में हैं। **भारत और चीन** जैसे देश इसका **विरोध** कर रहे हैं।
- **अस्पष्ट परिभाषा:** कुछ प्लास्टिक रसायनों और उत्पादों के उपयोग की समाप्ति पर परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं।
    - संधि के ड्राफ्ट में प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, लेकिन इसमें **माइक्रोप्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलिमर और रीसाइक्लिंग की स्पष्ट परिभाषाएं नहीं** दी गई थीं।

संधि के प्रति भारत का रुख

- **विकास अवरुद्ध हो सकता है:** भारत ने **प्राइमरी प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन** को कम या प्रतिबंधित करने वाले किसी भी प्रावधान का **समर्थन करने में असमर्थता** जताई है। भारत का तर्क है कि इससे राष्ट्रों के विकास करने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
- **प्रतिबंध के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना:** भारत का कहना है कि संधि का दायरा **केवल प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने तक ही सीमित** होना चाहिए। पर्यावरण पर अन्य बहुपक्षीय समझौतों के प्रावधानों एवं विषयों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए।
- **चरणबद्ध समाप्ति अवधि:** भारत इस संधि में **प्लास्टिक उत्पाद के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति तिथि (फेज आउट) से जुड़ी कोई भी सूची** शामिल करने के पक्ष में नहीं है।
- **सहायता:** संधि के प्रावधानों में किसी देश की परिस्थितियों और क्षमताओं का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों को **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता** के प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए।

5.6.6. चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड, 2024 (Champions of Earth Award, 2024)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने **चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड, 2024** के विजेताओं की घोषणा की।

- **2024 की लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी** में यह पुरस्कार भारतीय पारिस्थितिकीविद् **माधव गाडगिल** को दिया गया है।
    - उन्हें यह पुरस्कार अनुसंधान और सामुदायिक संपर्क के माध्यम से **मनुष्यों एवं पृथ्वी की रक्षा** करने के लिए प्रदान किया गया है।
- श्री गाडगिल भारत के **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र में** अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं।
    - पश्चिमी घाट एक विशिष्ट **वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट** है।

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड के बारे में

- यह **संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान** है। इसकी **शुरुआत 2005** में हुई थी। तब से यह **पुरस्कार प्रतिवर्ष** दिया जाता है।
- 2024 का पुरस्कार **भूमि को वापस उपजाऊ बनाने, सूखा-प्रतिरोधी बनाने और मरुस्थलीकरण को रोकने** के लिए अभिनव एवं संधारणीय समाधानों पर कार्य करने वाले **व्यक्तियों व संगठनों** को दिया गया है।
- **यह पुरस्कार निम्नलिखित चार श्रेणियों में दिया जाता है:**
    - नीतिगत नेतृत्व (Policy Leadership),
    - प्रेरणा और कार्रवाई (Inspiration and Action),
    - उद्यमशील दृष्टिकोण (Entrepreneurial Vision), तथा
    - विज्ञान और नवाचार (Science and Innovation).

5.6.7. ALMM आदेश, 2019 में संशोधन (Amendment to ALMM Order, 2019)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ALMM आदेश, 2019 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

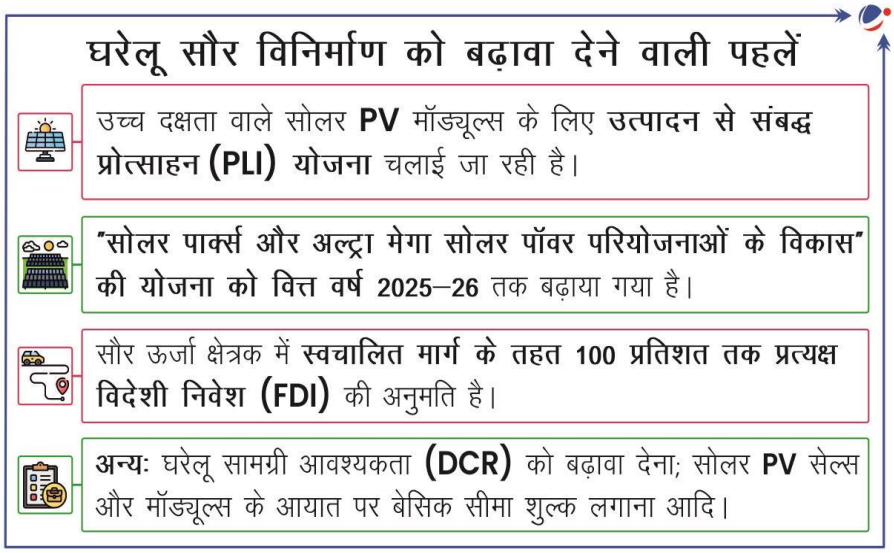

- मंत्रालय ने **सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (ALMM) आदेश, 2019 के स्वीकृत मॉडल्स और मैन्युफैक्चर्स** में संशोधन की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू सौर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

संशोधन की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:

- **ALMM सूची-II (सोलर PV सेल्स) का परिचय:** सभी सरकार समर्थित परियोजनाओं, नेट-मीटरिंग परियोजनाओं और ओपन-एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में उपयोग किए जाने वाले सोलर PV मॉड्यूल्स को ALMM सूची-II में सूचीबद्ध सोलर सेल्स से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  - ज्ञातव्य है कि **ALMM फ्रेमवर्क के तहत सूची-I को 2021 में** जारी किया गया था। इसमें अनिवार्य किया गया था कि PV मॉड्यूल्स को केवल सूची-I में शामिल मॉडल्स और विनिर्माताओं से प्राप्त किया जाएगा।
- **छूट:** उन परियोजनाओं को छूट दी गई है, जो **इस आदेश के जारी होने से पहले ही आवंटित** की जा चुकी हैं या फिर जिनकी बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- **प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना:** एकीकृत सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों में निर्मित थिन-फिल्म सौर मॉड्यूल्स को सूची-II से सौर PV सेल्स का उपयोग करने की आवश्यकता के अनुपालन में माना जाएगा।
- **कार्यान्वयन: 1 जून 2026** से।

भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता:** भारत **चीन (62%), वियतनाम, मलेशिया** आदि से सौर उपकरण आयात करता है।
- महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए **किफायती प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच सौर सेल एवं मॉड्यूल उत्पादन में बाधा** डालती है।
- **अन्य:** कम अनुसंधान एवं विकास, कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई, कुशल श्रमिकों की कमी आदि।

5.6.8. कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंड {Corporate Average Fuel EFFICIENCY (I) Norms}

केंद्र सरकार **कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडों** का उल्लंघन करने की वजह से कुछ कार विनिर्माताओं पर जुर्माना लगा सकती है।

CAFE मानदंडों के बारे में

- इन मानदंडों को पहली बार सरकार ने **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत **2017 में अधिसूचित** किया था।
- **उद्देश्य:**
  - CO_2 उत्सर्जन को कम करके **ईंधन की खपत को कम करना,**
  - कच्चे तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना।

- CAFE मानदंड **उत्सर्जन मानकों का एक समूह** है जो एक वित्तीय वर्ष में किसी कार विनिर्माता के सभी वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की मात्रा को निर्धारित करता है।
    - जैसे मारुति सुजुकी के सभी वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 107.28 ग्राम CO_2 उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की गई थी।
- **किन पर लागू है:** पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी से चलने वाले **3,500 किलोग्राम से कम सकल भार वाले वाहन।**

5.6.9. भारत ने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू की (India Launched The World's First Green Steel Taxonomy)

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने **ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी (या वर्गीकरण) शुरू** की है।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की मुख्य विशेषताएं

- **ग्रीन स्टील की परिभाषा:** स्टील की **ग्रीननेस को प्रतिशत के रूप में व्यक्त** किया जाएगा। यह इस डेटा पर आधारित होगा कि स्टील प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO2e) उत्सर्जन तीव्रता, **प्रति टन फिनिश्ड स्टील से 2.2 टन CO2e उत्सर्जन की सीमा से कितनी कम** है।
- **स्टार रेटिंग सिस्टम:** यह फिनिश्ड स्टील की ग्रीननेस पर आधारित होगी। स्टार रेटिंग के लिए **उत्सर्जन सीमा की समीक्षा हर तीन साल** में की जाएगी। **वर्तमान सीमा इस प्रकार है:**
    - **फाइव स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील:** प्रति टन फिनिश्ड स्टील से **1.6 टन CO2e से कम उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।**
    - **फोर स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील:** प्रति टन फिनिश्ड स्टील से **1.6 और 2.0 टन के** बीच CO2e की उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।
    - **थ्री स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील:** प्रति टन फिनिश्ड स्टील से **2.0 और 2.2 टन के बीच CO2e** की उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।
- **नोडल एजेंसी: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (NISST)** माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) तथा ग्रीननेस सर्टिफिकेट (प्रतिवर्ष जारी) एवं स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का महत्त्व

- **राष्ट्रीय ग्रीन स्टील मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक:** यह शीघ्र जारी होने वाली **'ग्रीन स्टील नीति'** के तहत 15,000 करोड़ रुपये के व्यय वाला **प्रस्तावित मिशन** है। इसका उद्देश्य **स्टील उद्योग के विकार्बनीकरण (Decarbonisation) में मदद** करना होगा।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी:** यूरोपीय संघ की **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CABM)** जैसी वैश्विक नीतियों के तहत अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उत्पादों के आयात पर उच्च कर लगाए जा रहे हैं। ग्रीन स्टील अपनाने से भारतीय स्टील को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।
    - साथ ही, यह **टैक्सोनॉमी भारत को ग्रीन स्टील निर्माण में अग्रणी** बनाएगी।
- **नवाचार और विकास को बढ़ावा देगी:** यह ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी स्टील उत्पादन में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करेगी। इससे **नवाचार को बढ़ावा** मिलेगा, और भारत में **कम कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों के लिए एक बाजार** तैयार होगा।

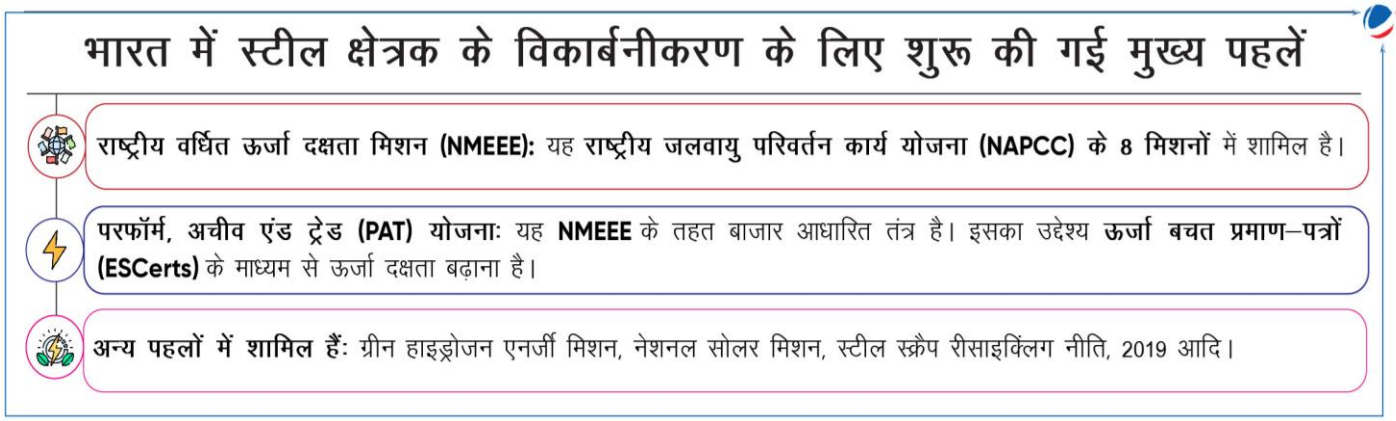

5.6.10. भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को असम में टैग किया गया (India Conducts First-Ever Ganges River Dolphin Tagging in Assam)

हाल ही में, **असम की कुलसी नदी में एक स्वस्थ नर रिवर डॉल्फिन को टैग** किया गया। बाद में उसे नदी के जल में छोड़ दिया गया। **कुलसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी** है।

- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन** के तहत नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है।
- टैगिंग के तहत जानवर पर एक **डिवाइस, मार्कर या टैग** लगाया जाता है, ताकि उसकी **पहचान** की जा सके या उसे **ट्रैक** किया जा सके।

टैगिंग पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** टैगिंग से नदी डॉल्फिन के **प्रवास पैटर्न, रेंज, प्राप्ति क्षेत्र और पर्यावास के उपयोग को समझने में मदद** मिलेगी। विशेष रूप से इससे मानव गतिविधियों की वजह से नदी के अपवाह में किसी भी तरह के बदलाव का नदी डॉल्फिन पर प्रभाव को समझा जा सकता है।
- टैगिंग का कार्य **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्य को **असम वन विभाग** के सहयोग से **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** ने पूरा किया है।
- टैगिंग कार्य को **राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)** से फंड प्राप्त हुआ था।
    - राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण की स्थापना **प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम, 2016** के तहत गई है।
    - यह प्राधिकरण **राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि** का प्रबंधन करता है। यह निधि भारत के **लोक लेखा** के तहत स्थापित की गई है।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में

- यह **केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित** एक परियोजना है। यह **प्रोजेक्ट टाइगर** की तर्ज पर **2020 में शुरू** की गई थी।
- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य **गंगा नदी डॉल्फिन** के साथ-साथ **नदी के पारिस्थितिकी-तंत्र का भी संरक्षण** करना है।

गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) के बारे में

- इसे **"भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal)"** घोषित किया गया है। यह **भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक (एंडेमिक) प्रजाति** है।
- **पर्यावास क्षेत्र:** यह **केवल ताजे जल** में पाई जाती है। यह **नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी तंत्र** में पाई जाती है।
    - वर्तमान में, **विश्व की 90% गंगा नदी डॉल्फिन भारत** में मिलती है।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** एंडेंजर्ड

नोट: *गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.6. देखें।*

5.6.11. रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व घोषित किया (Ratapani Wildlife Sanctuary Declared As Tiger Reserve)

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया

- मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिज़र्व **कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय-दुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती** हैं।

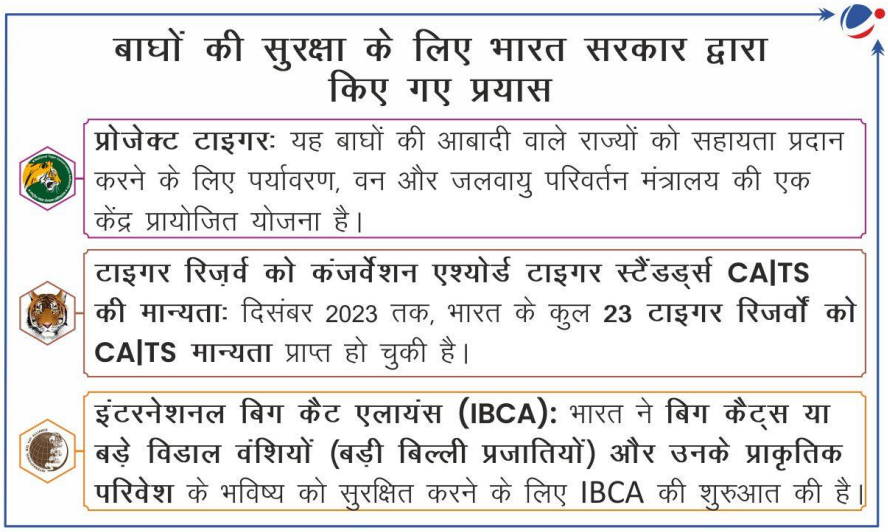

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों** में स्थित है।
- **प्रमुख स्थल:** इसमें विश्व धरोहर स्थल **"भीमबेटका शैलाश्रय"** और कई अन्य स्थल जैसे गिन्नौरगढ़ का किला, PoW कैंप, केरी महादेव, झोलियापुर बांध आदि शामिल हैं।
- **वनस्पति और जीव:**
  - रातापानी में **शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती** प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वन के लगभग **55 प्रतिशत क्षेत्र पर सागौन** के वृक्ष मौजूद हैं।
  - **प्रमुख प्राणियों** में बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण आदि शामिल हैं।

भारत में टाइगर रिज़र्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों** के अनुसार **टाइगर रिजर्व** अधिसूचित करती हैं। इसके लिए **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** से सलाह ली जाती है।
- **अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:**
  - **राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V** के अंतर्गत **NTCA** विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
  - **NTCA** समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
  - **राज्य सरकार** संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करती है।

5.6.12. माधव राष्ट्रीय उद्यान (Madhav National Park)

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को **मध्य प्रदेश के नवीनतम टाइगर रिजर्व** के रूप में मंजूरी दे दी है।

- **NTCA प्रोजेक्ट टाइगर** को प्रशासित करने के लिए **एक वैधानिक निकाय** है। इसका गठन **2006** में संशोधित **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972** के तहत किया गया था।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति:** यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में **शिवपुरी जिले (ऊपरी विंध्य पर्वत)** में स्थित है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - यह क्षेत्र **मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं की शिकारगाह** था। आजादी के बाद **1958** में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था।
- **जीव-जंतु:** बाघ, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर आदि।

- **वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन** के साथ-साथ **शुष्क कांटेदार वन** भी पाए जाते हैं।
- **अन्य विशेषता:** इस राष्ट्रीय उद्यान में **साख्य सागर और माधव सागर नामक दो झीलें** हैं।
    - **मड़ीखेड़ा बांध** उद्यान के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।

5.6.13. स्पंज सिटी (Sponge City)

"स्पंज सिटीज़" की नई अवधारणा और इस अनुरूप शहरों का विकास **शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका** है।

स्पंज सिटी के बारे में:

- स्पंज सिटी वास्तव में **शहरी विकास की संधारणीय पद्धति** है। इसमें **बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार और प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र संरक्षण के लिए संधारणीय तरीका** अपनाया जाता है।
    - उदाहरण के लिए- **हरित छतें, कृत्रिम आर्द्रभूमियां (Constructed wetlands), वृक्ष आवरण में वृद्धि** आदि।
- **स्पंज सिटीज़ के लाभ:**
    - ये **वायु की आद्रता** बढ़ाती हैं;
    - **शहरी सूक्ष्म जलवायु यानी स्थानीय जलवायु** को प्रभावित करती हैं; तथा
    - **लोक स्वास्थ्य जोखिमों को कम** करती हैं।
- **दुनिया भर में स्पंज सिटीज़ के उदाहरण:**
    - **अल्बानिया में तिराना** शहर वायु को स्वच्छ रखने के लिए एक **रिंग फॉरेस्ट** बना रहा है;
    - **बर्लिन में हरित छतों और वर्टिकल गार्डन्स** को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5.6.14. डेनाली फॉल्ट (भ्रंश) (Denali Fault)

नए शोध से पता चलता है कि **डेनाली फॉल्ट के समानांतर तीन साइट्स किसी समय लघु संयुक्त भूगर्भिक स्थलाकृति** थी।

- **अवस्थिति:** डेनाली फॉल्ट **अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका)** में स्थित एक प्रमुख **स्ट्राइक-स्लिप** फॉल्ट है। यह **प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पेटी की व्यापक टेक्टॉनिक गतिशीलता** का हिस्सा है।

फॉल्ट (भ्रंश) और उसके प्रकार:

- भ्रंश पृथ्वी की भूपर्पटी की **चट्टानों में तीव्र दरार** है।
- **प्रकार:**
    - **नॉर्मल फॉल्ट:** यह तब बनता है, जब फॉल्ट के ऊपर की चट्टान नीचे की चट्टान के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है।
    - **रिवर्स फॉल्ट:** इसमें **फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर** हो जाता है और नीचे के ब्लॉक के ऊपर चला जाता है।
    - **स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट:** यह तब बनता है, जब दो **प्लेट्स क्षैतिज रूप से (हॉरिजॉन्टली) एक-दूसरे से आगे** बढ़ती हैं।
    - **ओब्लिक स्लिप फॉल्ट:** इस भ्रंश के दोनों तरफ एक-एक ब्लॉक्स एक साथ दो अलग-अलग दिशाओं में संचालित होते हैं तथा **स्ट्राइक-स्लिप घटक के साथ नॉर्मल या रिवर्स फॉल्टिंग** दोनों को जोड़ते हैं।

5.6.15. किलाऊआ ज्वालामुखी (Kilauea Volcano)

हाल ही में, **हवाई के बिग आइलैंड** पर **किलाऊआ ज्वालामुखी** में विस्फोट हुआ है।

- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैसों का लगभग **99% हिस्सा जलवाष्प (H_2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), और सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** से बना होता है।
- शेष 1% में अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि शामिल होते हैं।

किलाऊआ ज्वालामुखी के बारे में

- यह विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- **स्थान:** यह USA के हवाई द्वीप के बिग आइलैंड के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है।
- **विशेषताएं:**
  - ज्वालामुखी का शिखर ढहकर एक **काल्डेरा** (एक विस्तृत और उथला गड्ढा) बन गया है।
  - इसकी **ढलानें** हवाई के **वोल्केनो नेशनल पार्क** में स्थित ज्वालामुखी **मौना लोआ** के साथ लगती हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (Digital Content Creators: DCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनेस्को के **"बिहाइंड द स्क्रीन"** सर्वेक्षण ने **डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (DCC)** के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया है। साथ ही, इस सर्वेक्षण में कंटेंट क्रिएटर्स की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाए हैं।

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (DCC) के बारे में

- वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, TikTok जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, पॉडकास्ट, इंटरैक्टिव मीडिया जैसे **डिजिटल कंटेंट का निर्माण और उन्हें साझा करते** हैं।
- डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स व्यापक **क्रिएटर इकोनॉमी (या ऑरेंज इकोनॉमी)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल हैं। ये सांस्कृतिक या कलात्मक जड़ से जुड़े गुड्स, सेवाओं और कंटेंट का निर्माण करते हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD)** की रिपोर्ट **"क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक 2024"** के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर, क्रिएटिव इकॉनमी **हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर** से अधिक का वार्षिक राजस्व और **दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है।**
  - भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री लगभग **30 बिलियन डॉलर मूल्य का है** और यह **भारत के 8% कार्यबल को रोजगार दिए हुआ है।**

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा उत्पन्न जोखिम एवं प्रभाव

- **सामाजिक एवं नैतिक जोखिम:**
  - **दुष्प्रचार और फेक न्यूज का प्रसार:** डिजिटल कंटेंट बनाना आसान है और यह तेजी से दुष्प्रचार का माध्यम भी है। यह लोगों की राय को प्रभावित कर सकता है, उन्हें भड़का सकता है और किसी व्यक्ति या विषय के बारे में लोगों के भरोसे को खत्म कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए, **62% डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जानकारी साझा करने से पहले तथ्यों का सही से और सावधानीपूर्वक जांच नहीं करते हैं** (बिहाइंड द स्क्रीन रिपोर्ट)।
  - **निजता का उल्लंघन:** कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को साझा करते हैं। वे या तो अपने कंटेंट से लोगों को जोड़ने के लिए **जानबूझकर ऐसा करते हैं या जागरूकता की कमी के कारण ऐसा करते हैं**। इससे निजता का उल्लंघन हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए, **कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल (2018) मामले** से पता चलता है, कि फेसबुक ने लाखों यूजर्स के डेटा को एकत्रित किया था, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स का डेटा भी शामिल था। इस डेटा का उपयोग राजनीतिक विज्ञापनों को लक्षित करने और चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया।
  - **एल्गोरिद्मिक एम्पलीफिकेशन:** सोशल मीडिया एल्गोरिदम अक्सर सटीक जानकारी देने की बजाय अधिक लोगों से जुड़ने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे **एक इको चैंबर का निर्माण होता है। इसमें दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया जाता है और भ्रामक धारणाओं को बल प्रदान किया जाता है।**

    - जब क्रिएटर्स लोकप्रियता को प्राथमिकता देते हैं तो इससे कंटेंट क्रिएटर्स को सत्यापित जानकारी की बजाय सनसनीखेज कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
    - **41.6% क्रिएटर्स वास्तव में अपने पोस्ट पर लाइक्स और व्यूज को कंटेंट की विश्वसनीयता का मापदंड मानते हैं।**
  - **प्रशिक्षण और साक्षरता की कमी:** डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को **अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती** है। साथ ही, वे अपने कंटेंट से संबंधित कानूनी प्रावधान (जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट कानून आदि) से भी अनभिज्ञ होते हैं।
  - **अन्य मुद्दे:** अवास्तविक मानकों को बढ़ावा देना; स्पॉन्सर्ड कंटेंट में पारदर्शिता की कमी; ऑनलाइन उत्पीड़न; आदि।
- **विनियामकीय चुनौतियां:**
  - **एकीकृत विनियामक व्यवस्था का अभाव:** हालांकि **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** और **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाले कानून हैं, फिर भी इनके लिए ऐसा कोई एकीकृत फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जो विशेष रूप से क्रिएटर इकोनॉमी की चुनौतियों का समाधान कर सके।
  - **विनियामक संस्थाओं के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) जैसी अलग-अलग एजेंसियां डिजिटल कंटेंट को विनियमित करती हैं।
- **आर्थिक जोखिम:**
  - **पारंपरिक मीडिया को घाटा:** न्यूज़ देखने/ पढ़ने वाले वर्ग अब पारंपरिक मीडिया (प्रिंट, टीवी) की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे पारंपरिक मीडिया को वित्तीय नुकसान पहुंचा है।
    - ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म **पत्रकारिता** पर उचित प्रशिक्षण, संपादकीय जाँच-पड़ताल या समाचार सत्यापन जैसे **मानकों में निवेश किए बिना** पारंपरिक मीडिया कंटेंट का लाभ उठाते हैं। इससे पारंपरिक मीडिया को नुकसान उठाना पड़ता है।

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के तरीके

- दुष्प्रचार से निपटने के लिए **मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों** और **फैक्ट-चेक जैसी पहलों को बढ़ावा देना चाहिए।**
  - **उदाहरण के लिए, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव (GNI):** गूगल ने दुनिया भर के फैक्ट-चेकिंग संगठनों के साथ साझेदारी करके पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को जानकारी एवं तथ्यों को सत्यापित करने के लिए प्रशिक्षण और टूल प्रदान प्रदान किया है।
- **डेटा संरक्षण कानून को लागू करना चाहिए और निजता का सम्मान करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए को प्रशिक्षित करना चाहिए।**
  - **उदाहरण, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR):** यूरोपीय संघ में GDPR के जरिए सख्त डेटा संरक्षण नियम लागू किया गया है, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिएटर्स को यूजर्स डेटा को जिम्मेदारीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है।
  - **उदाहरण; भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** इसका उद्देश्य यूजर्स की निजता की सुरक्षा करना और डेटा उल्लंघन के लिए प्लेटफ़ॉर्म को जवाबदेह ठहराना है।
- **उचित राजस्व-साझाकरण मॉडल स्थापित करना** और **पारंपरिक मीडिया को समर्थन प्रदान करना चाहिए।**
  - **उदाहरण; ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड:** यह गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अनिवार्य करता है कि वह पारंपरिक मीडिया के कंटेंट के उपयोग के लिए समाचार प्रकाशकों को भुगतान करे।
- डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के **'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार'** तथा **'प्रतिबंधों के माध्यम से कंटेंट को विनियमित करने के राज्य के अधिकार'** के बीच **विधायी संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए।**
  - **उदाहरण; प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण** वापस ले लिया गया, और सुझावों के बाद फिर से तैयार किया गया।
- **विज्ञापन विनियमों को लागू करना चाहिए** और **स्पष्ट तरीके से डिस्क्लोजर जारी करने को बढ़ावा देना चाहिए।**
  - **उदाहरण; भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)[66] ने** प्रमोशनल पोस्ट में साफ शब्दों में **#ad** या **#sponsored** जैसे डिस्क्लेमर का उपयोग नहीं करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जवाब-तलब किया।
- **जनता का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए एथिकल कंटेंट क्रिएशन और पारदर्शिता** को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए, यूनेस्को का मीडिया और सूचना साक्षरता (MIL)[67] कार्यक्रम**: यूनेस्को ने कंटेंट क्रिएटर्स और जनता को मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच पर शिक्षित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है।

[66] Advertising Standards Council of India

- **उदाहरण:** भारत का **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (बॉक्स देखें)।**

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

- यह **डिजिटल मध्यवर्तियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्तियों** और **डिजिटल मीडिया प्रकाशकों** के गवर्नेंस के लिए विनियमों का एक व्यापक सेट है।
- इन्हें **डिजिटल मीडिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और यूजर्स के अधिकारों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए लागू किया गया है।**
- **नियमों के मुख्य पहलू:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स को यह सूचित करना होगा कि वे **गैर-कानूनी कंटेंट** को होस्ट या साझा न करें, जिनमें **अपमानजनक, अश्लील या बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट शामिल हों।**
  - उन्हें यूजर्स की शिकायतों के समाधान करने के लिए **एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति** करनी होगी तथा शिकायत दर्ज होने के **15 दिनों के भीतर (कुछ शिकायतों के मामले में 72 घंटे) समाधान करना होगा।**
  - **समाचार एवं करेंट अफेयर्स:**
    - प्रकाशकों को **केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995** के अंतर्गत **पत्रकारिता आचरण के मानदंडों** और **कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा।**
      - इसके अलावा, कानून द्वारा **प्रतिबंधित कंटेंट प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।**

नोट: *सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अगस्त, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 9.2. देखें।*

6.2. बच्चों में सोशल मीडिया की लत (Social Media Addiction in Children)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास कर लिया है। ऐसा करने वाला **ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश** है।

ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान

- **सोशल मीडिया उपयोग करने की न्यूनतम आयु: एज रिस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म** सुनिश्चित करना होगा। इन प्लेटफॉर्म्स को 16 वर्ष से कम आयु के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी:** कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगी कि निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकें।
- **नियम का पालन न करने पर जुर्माना:** इस कानून के तहत, तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना होगा, अन्यथा उन्हें 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

बच्चों में सोशल मीडिया की लत के कारण

- **साथियों का प्रभाव:** बच्चे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पोस्ट पर मिलने वाले लाइक, **कमेंट, शेयर** से प्रभावित होते हैं।
- **तत्काल संतुष्टि:** सोशल मीडिया, मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर को सक्रिय करके डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जो आत्मतुष्टि की भावना पैदा करता है। इससे बच्चों में इन तात्कालिक अवार्ड्स या संतुष्टि को हासिल करने की लालसा बढ़ जाती है।
- **माता-पिता:** आधुनिक समाज में, खासकर शहरी समाज में माता और पिता, दोनों कामकाजी होते हैं। इससे माता-पिता बच्चे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण "आईपैड किड" जैसी आधुनिक परिघटना सामने आई है।
- **पलायनवाद:** बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्याओं **जैसे अकेलेपन और तनाव से बचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा** लेते हैं। इसके कारण उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भावनात्मक निर्भरता बढ़ जाती है।

---

[67] Media and Information Literacy

- **एल्गोरिथम-आधारित लगाव:** एल्गोरिदम कंटेंट को इस तरह से तैयार करते हैं कि बच्चे लंबे समय तक सोशल मीडिया से जुड़े रहें। इससे सोशल मीडिया का उपयोग न करना लगभग असंभव हो जाता है।

बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में तर्क

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क	प्रतिबंध के विपक्ष में तर्क
• **साइबरबुलिंग:** सोशल मीडिया हानिकारक कंटेंट भी प्रसारित सकता है। इससे बच्चों में अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्महत्या की भावना भी प्रबल हो सकती है। • **अत्यधिक स्क्रीन टाइम:** यह शारीरिक गतिविधि में कमी, नींद नहीं आना, और स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य समस्याओं का कारण बनता है। • **एकाग्रचित्तता कम होना और शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ना:** अलग-अलग डिजिटल कंटेंट के बीच लगातार स्विच करने से **ध्यान भटकता** है। यह **स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करती** है। • **सामाजिक कौशल में कमी:** सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग सामूहिक संवाद या परिचर्चा को सीमित करता है। इससे सामाजिक लगाव और भावनात्मक समझ में कमी आती है। ○ **उदाहरण के लिए,** सोशल मीडिया पोस्ट फिल्टर और फोटोशॉप का उपयोग सच्चाई का झूठा एहसास दिलाता है। • **खतरनाक वायरल ट्रेंड: "ब्लैकआउट चैलेंज"** (सांस रोकना) और **"डेवियस लिक"** (चोरी करना) जैसी जोखिम भरी वायरल चैलेंज के चलते शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है एवं अन्य हानिकारक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।	• **सोशलाइजेशन और लर्निंग:** सोशल मीडिया किशोरों को देश-दुनिया और मित्रों से कनेक्टेड रहने, होमवर्क में सहयोग करने और **क्रिएटिविटी** व **समस्या समाधान जैसे कौशल** विकसित करने में मदद करता है। • **प्रतिबंध का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना:** सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना कठिन है और यह किशोरों को **डार्क वेब जैसे असुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता** है। • **सोशल मीडिया उपयोग के लिए आयु सीमा का व्यावहारिक नहीं होना:** सोशल मीडिया के उपयोग हेतु **आयु सीमा (जैसे 13 या 16) निर्धारित करना यह सुनिश्चित नहीं करता कि उससे अधिक उम्र के लोग मानसिक रूप से तैयार हैं,** क्योंकि हर बच्चे में परिपक्वता का स्तर **अलग-अलग होता है।** • **प्लेटफॉर्म्स को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना:** सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बजाय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को **सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल** बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। • **गलतियों से सीखना:** सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से किशोर **ऑनलाइन खतरों से निपटने के तरीके** सीखने से वंचित रह सकते हैं। इससे डिजिटल दुनिया में **आत्मविश्वास और चुनौतियों को सामना करने की उनकी क्षमता कम हो सकती** है।

बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी पहलें

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 67B:** यह बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट को ऑनलाइन प्रकाशित करने, प्रसारित करने या देखने पर कठोर दंड का प्रावधान करती है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** यह डेटा फ़िड्युसरी के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए "माता-पिता का सत्यापन के आधार पर सहमति" प्राप्त करना अनिवार्य करता है।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[68]:** इसने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है।

[68] National Commission of Protection of Child Rights

बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैश्विक कदम

देश	नीति/विनियमन	विवरण
संयुक्त राज्य अमेरिका	चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (COPPA) (1998) और चिल्ड्रन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट (CIPA) (2000)	COPPA 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए **माता-पिता की सहमति अनिवार्य करता है।** • CIPA स्कूलों और पुस्तकालयों में **अनुचित कंटेंट पर प्रतिबंध** लगाता है।
यूरोपीय संघ	जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)	16 वर्ष से कम आयु के **बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति** आवश्यक है, हालांकि सदस्य देश उस आयु सीमा को घटाकर 13 वर्ष कर सकते हैं।
ब्रिटेन	ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट (2023)	फेसबुक, यूट्यूब और टिक टॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए **सख्त मानक निर्धारित करता है, जिसमें एक निश्चित आयु से पहले उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल हैं।**

आगे की राह

- **सेफ्टी आधारित डिज़ाइन:**
  - **डिफॉल्ट (स्वतः) प्राइवेसी सेटिंग:** सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की निजता की सुरक्षा के लिए डिफॉल्ट सेटिंग प्रदान करनी चाहिए, विशेष रूप से बच्चों के डेटा संग्रह करने के मामलों में। उदाहरण के लिए, **यूनाइटेड किंगडम का आयु अनुरूप डिज़ाइन कोड।**
  - **हानिकारक कंटेंट का AI द्वारा पता लगाना:** बच्चों की फीड्स में हानिकारक इंटरएक्शन या अनुपयोगी कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए AI टूल का उपयोग करना चाहिए।
- **विनियम:**
  - **टेक कंपनियों की जवाबदेही:** आयु संबंधी प्रतिबंध लगाने की बजाय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल स्पेस बनाने की जिम्मेदारी तकनीकी कंपनियों पर डाली जानी चाहिए।
    - मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म **बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयु सीमा (13+)** निर्धारित करते हैं।
  - **बाल इंटरनेट में निवेश:** सरकारें "बाल इंटरनेट (Children's Internet)" विकसित कर सकती है। यह सुरक्षित और शैक्षिक वातावरण वाला स्पेस होगा, साथ ही यह मेनस्ट्रीम सोशल मीडिया के खतरों से मुक्त होगा।
- **डिजिटल कौशल और शिक्षा में सुधार:** बच्चों और माता-पिता को जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल साक्षरता और **स्व-विनियमन के बारे में शिक्षित करना चाहिए।**
  - उदाहरण के लिए, **केरल के डिजिटल डि-एडिक्शन (D-DAD) केंद्र** डिजिटल व्यसन का सामना कर रहे बच्चों के लिए मुफ्त काउंसलिंग प्रदान करते हैं।
- **माता-पिता की भागीदारी और नियंत्रण:**
  - **एक साथ अकाउंट बनाएं:** अपने बच्चे के साथ सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, ताकि आवश्यक प्राइवेसी सेटिंग्स, अति सुरक्षित पासवर्ड और उपयोगी कंटेंट सुनिश्चित की जा सके।
  - **स्क्रीन टाइम को निर्धारित करना:** स्क्रीन टाइम को प्रबंधित करने के लिए उपलब्ध सेटिंग्स लागू करना चाहिए, ताकि स्वस्थ डिजिटल आदतों को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **सोशल मीडिया गतिविधि पर निरंतर निगरानी:** अपने बच्चे की सोशल मीडिया गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए, ताकि किसी संदेहास्पद गतिविधि की तुरंत पहचान की जा सके।
    - **व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना:** अपने बच्चे को यह सिखाएं कि व्यक्तिगत जानकारी (पता, फोन नंबर) को निजी रखें ताकि इसे ऑनलाइन सार्वजनिक होने से रोका जा सके।

- **अवांछित इंटरैक्शन की रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें:** अपने बच्चे को साइबरबुलिंग और उत्पीड़न से बचाने के लिए हानिकारक अकाउंट की रिपोर्ट करना या ब्लॉक करना सिखाएं।

अन्य संबंधित सुर्खियां: ब्रेन रोट

"ब्रेन रॉट" को **ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, 2024** घोषित किया गया है।

ब्रेन रोट के बारे में

- यह **मानव मस्तिष्क की अति उत्तेजना का परिणाम** है।
- यह **विशेष रूप से सोशल मीडिया पर हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट** में अधिक समय खपाने की वजह से **मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट** को दर्शाता है।
- यह **ध्यान केंद्रित करने में कमी, आलोचनात्मक सोच में कमी** और **मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जैसी चिंताओं से जुड़ा हुआ** है।

6.3. हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने **डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2023) मामले** में 'हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग' पर जारी किए गए अपने प्रत्येक दिशा-निर्देश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2023) मामले में जारी निर्देश

- सुप्रीम कोर्ट ने **केंद्र और राज्यों** को देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सफाई करने की खतरनाक पद्धतियों को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किए थे।
- **केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों** को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सीवेज की सफाई करने वाले श्रमिकों और इस दौरान मृत श्रमिकों के परिवार/संतान के **पूर्ण पुनर्वास के उपाय** किए जाएं। **पूर्ण पुनर्वास** के तहत परिवार के सदस्य को रोजगार, बच्चों की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।
- सीवेज की सफाई करते हुए होने वाली मौतों के मामले में **मुआवजा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये** किया जाए।
  - **सीवेज** की सफाई के दौरान दिव्यांग होने की स्थिति में **मुआवजा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाए।**
- **राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा में शामिल लोगों **की पहचान करने के लिए एक वर्ष के भीतर एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण** आयोजित करें।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)[69], राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)[70], राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)[71] और केंद्र सरकार को **'हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'** के तहत जिला और राज्य स्तर की एजेंसियों के लिए **सूचना और उपयोग हेतु प्रशिक्षण व शिक्षा मॉड्यूल** तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही इन सब के बीच समन्वय बनाना भी जरूरी है।

'हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा' के बारे में

- **हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (PEMSR) अधिनियम, 2013** के अनुसार, मैनुअल स्कैवेंजिंग से तात्पर्य किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय या शुष्क शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने, उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित करना है।

[69] National Commission for Safai Karamcharis

[70] National Commission for Scheduled Castes

[71] National Commission for Scheduled Tribes

- **'हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्ति के नियोजन और शुष्क शौचालय का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993'** के तहत **हाथ से मैला उठाने** को आधिकारिक तौर पर 1993 से प्रतिबंधित किया हुआ है।
- **31 जुलाई, 2024 तक** देश के 766 जिलों में से **732 जिलों** ने खुद को "हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा से मुक्त" घोषित कर दिया है।

'हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा' को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **विधायी उपाय**
  - **हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:** यह हाथ से मैला उठाने के लिए व्यक्तियों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है तथा इसमें शामिल व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।
    - इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती है।
  - **हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्ति के नियोजन और शुष्क शौचालय का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993:** इस अधिनियम में हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों को नियोजित करने वाले लोगों के साथ-साथ शुष्क शौचालयों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है।
  - **अन्य अधिनियम:** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; आदि लागू किए गए हैं।
- **योजनाएं**
  - **नेशनल एक्शन फॉर मेकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/NAMASTE योजना) 2023:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। इस योजना को **केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तहत **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
    - इस योजना का उद्देश्य असुरक्षित तरीके से सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
  - **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0):** राज्य को छोटे शहरों में सीवेज की सफाई हेतु मशीनें खरीदने और मशीनीकरण हेतु 371 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- **समर्पित संस्थाएं**
  - **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK):** शुरुआत में इसे 1994 में तीन वर्ष के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित गया था। हालांकि इस अधिनियम की अवधि समाप्त होने के बाद यह आयोग केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक **गैर-सांविधिक संस्था बन गया।**
  - **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (1997):** यह निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में कार्य करता है। यह ऋण और गैर-ऋण आधारित अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कार्य करता है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव के अनुसार**
  - 2013 के अधिनियम में **सफाई कर्मचारियों और हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के** बीच अंतर करना आवश्यक है।
  - **डी-स्लेजिंग बाजार का पैनल** बनाना और इसके संचालन को विनियमित करना।
  - **सीवेज सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण** उपलब्ध कराना और **जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए।**
  - खतरनाक अपशिष्ट की सफाई के लिए तकनीकी नवाचार विकसित करने वालों को **वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।**

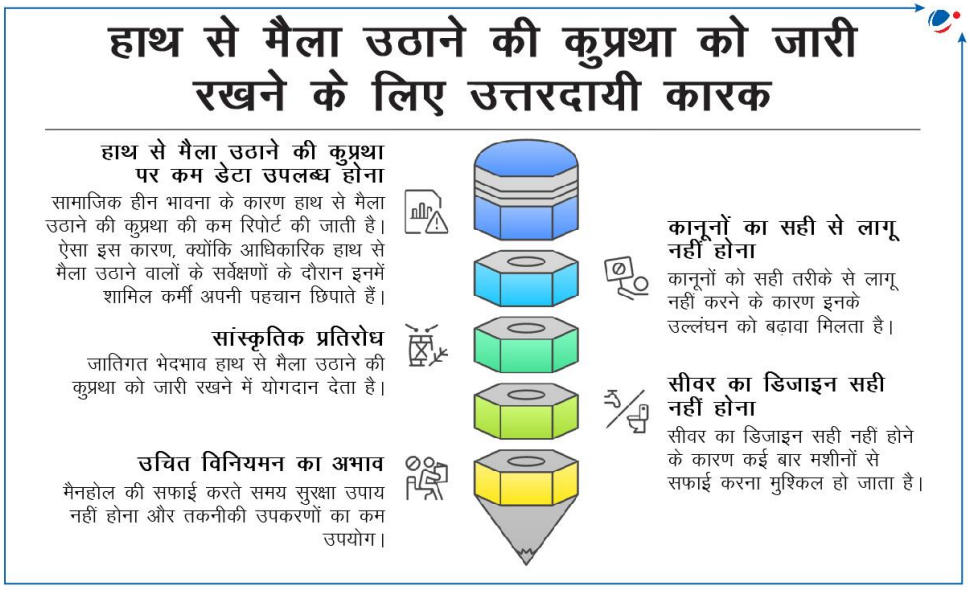

- **प्रौद्योगिकी आधारित उपाय:** सीवर सफाई हेतु स्वचालित मशीन और रोबोट जैसी आधुनिक स्वच्छता प्रौद्योगिकियां सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मानव श्रम पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए, **केरल का रोबोट स्केवेंजर बैंडिकूट (Robotic scavengers Bandicoot)**।
- **स्वच्छता अवसंरचना में सुधार करना:** स्वच्छता अवसंरचना के सुधार करने में निवेश करना, जिसके तहत सीवेज और सीवेज उपचार प्रणाली में सुधार करना शामिल है।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स का सर्वेक्षण और पहचान:** भारत भर में मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि वे पुनर्वास योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकें। **पिछला सर्वेक्षण 2018 में किया गया था।**

6.4. भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labor Force Participation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने एक कार्य पत्र जारी किया है। इसमें **महिला श्रम बल भागीदारी दर** (LFPR)[72] में हुई **नाटकीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया** है।

मुख्य निष्कर्ष

- **ग्रामीण महिला LFPR:** यह 2017-18 के 24.6% से बढ़कर 2023-24 में 47.6% हो गई, जो कि **लगभग 69% वृद्धि को दर्शाता है।**
- **शहरी महिला LFPR:** यह 20.4% से मामूली रूप से बढ़कर 25.4% हो गई, जो लगभग 25% वृद्धि को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय भिन्नता:** बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में महिला LFPR कम है।
  - इसके विपरीत, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में महिला LFPR में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

शब्दावली को जानें

$$\text{LFPR} = \frac{\text{नियोजित व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

महिला LFPR को प्रभावित करने वाले कारक

इस कार्य पत्र में तीन प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया है:

- **आयु:** महिला LFPR **घंटी के आकार के वक्र (Bell-shaped curve) का अनुसरण** करता है, जो 20-30 वर्ष की आयु के बीच बढ़ता है तथा 30-40 वर्ष के दौरान अपने चरम पर होता है। इसके बाद यह तेजी से घटता है।
  - इसके विपरीत, पुरुषों में LFPR **30-50 वर्ष की आयु तक उच्च (~ 100%) रहता है**, तथा उसके बाद धीरे-धीरे कम होने लगता है।
- **विवाह:** विवाह के बाद महिला LFPR में उल्लेखनीय रूप से कमी आती है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गिरावट अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
  - इसका मुख्य कारण **घरेलू जिम्मेदारियां** हैं, जो शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं।
- **मातृत्व:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की उपस्थिति महिला LFPR को काफी कम कर देती है, खासकर 20-35 वर्ष की आयु की महिलाओं में और **शहरी क्षेत्रों में यह अधिक स्पष्ट है।**
  - इससे पता चलता है कि **कार्यबल में शामिल होने के महिलाओं के फैसले में** बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं: उदाहरण के लिए,** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के दर्ज मामलों की संख्या 2018 में 402 से बढ़कर 2022 में 422 हो गई।

[72] Labor Force Participation Rate

- **दोहरा बोझ: आर्थिक सर्वेक्षण 2024** से पता चलता है कि महिलाओं का अवैतनिक देखभाल कार्य **सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% योगदान** देता है, जबकि पुरुषों के अवैतनिक देखभाल कार्य का GDP में योगदान केवल 0.4% है।
- **शिक्षा:** हाल के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[73] के आंकड़ों से पता चलता है कि 37.94% महिलाएं अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कार्यबल से बाहर रहती हैं।
- **डिजिटल डिवाइड:** उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** (2019-2021) में पाया गया कि भारत में **केवल 33% महिलाएं** इंटरनेट का उपयोग करती हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा**: उदाहरण के लिए, **ई-श्रम डेटाबेस** (मार्च 2022) से पता चलता है कि 287 मिलियन पंजीकृत असंगठित श्रमिकों में से 52.7% महिलाएं हैं, जो इस क्षेत्रक में पुरुषों की संख्या से अधिक है।
- **घरेलू आय में वृद्धि:** जैसे-जैसे घरेलू आय बढ़ती है, महिलाएं श्रम बल से बाहर होती जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, यह माना जाता है कि घरेलू गैर-बाजार कार्य को बाजार कार्य की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त है।

LFPR बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

क्षेत्र	योजना	विवरण
महिलाओं की उत्तरजीविता और शिक्षा	• **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** • **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020**	• इसका उद्देश्य **बालिकाओं के जीवित रहने की दर, सुरक्षा और शिक्षा में सुधार लाना,** घटते लिंगानुपात पर ध्यान देना और जागरूकता बढ़ाना है। • शिक्षा में लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।**
सुरक्षित और सुविधाजनक आवास	**कामकाजी महिला छात्रावास**	यह कामकाजी महिलाओं के लिए **शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेकेयर सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवास** प्रदान करता है।
हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना	**वन स्टॉप सेंटर (OSC) और महिला हेल्पलाइन**	OSC का उद्देश्य परिवार, समुदाय और कार्यस्थल के भीतर, निजी और सार्वजनिक स्थानों पर **हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन** करना है।
श्रम कानूनों का संहिताकरण	**श्रम संहिता (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ)**	यह नौकरी चाहने वालों, श्रमिकों और नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए 29 श्रम कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाता है। इसका उद्देश्य **रोजगार को बढ़ावा देना और अनुपालन को आसान बनाना है।**
समान अवसर और कार्य वातावरण	• **महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान** • **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**	• **इसमें 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश**, बड़े प्रतिष्ठानों में शिशु-गृह सुविधाएं तथा नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों के प्रावधान शामिल हैं। • यह **कार्यस्थल पर** महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाता है।
आर्थिक सशक्तीकरण	• **महिला शक्ति केंद्र (MSK)** • **नमो ड्रोन दीदी**	• ये पहल **सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त** बनाती हैं। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य **15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना** है, जिन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए किराए पर लिया जा सकता है।

[73] Periodic Labor Force Survey

आगे की राह

- **सामाजिक मानदंड और शिक्षा:** परिवारों को **लड़कियों की शिक्षा**, विशेष रूप से STEM और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने से महिलाओं को कार्यबल में आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
  - **उदाहरण के लिए, "गर्ल्स हू कोड" (अंतर्राष्ट्रीय NGO)** लड़कियों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करता है, ताकि तकनीकी क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को समाप्त किया जा सके।
- **सुरक्षा और बुनियादी ढांचा:** सुरक्षित सड़कें, विश्वसनीय परिवहन और बाल देखभाल कामकाजी माताओं को सहायता प्रदान करते हैं।
  - बुर्किना फासो में **मोबाइल क्रेच** माताओं को काम करने की सुविधा देते हैं, जबकि उनके बच्चे सुरक्षित रूप से खेलते हैं।
- **डिजिटल डिवाइड को पाटना:** डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसरों तक पहुँचने में सशक्त बनाता है।
  - **उदाहरण के लिए, गूगल का इंटरनेट साथी कार्यक्रम,** ग्रामीण भारत में महिलाओं को दूसरों को इंटरनेट के बारे में सिखाने के लिए प्रशिक्षित करता है।
- **वेतन अंतर को समाप्त करना:** समान वेतन और लचीली कार्य नीतियां कामकाजी महिलाओं की सहायता कर सकती हैं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना:** अनौपचारिक क्षेत्रक की महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने से कार्य स्थितियों में सुधार होता है।

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.5.1. दक्षिण कोरिया बना 'सुपर-एज्ड (Super-Aged)' समाज (South Korea Becomes 'Super-Aged' Society)

हाल ही में, दक्षिण कोरिया की **इंटीरियर एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री** ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि **दक्षिण कोरिया एक 'सुपर-एज्ड' समाज बन गया है।** इसका मुख्य कारण यह कि दक्षिण कोरिया की आबादी का **20% से अधिक हिस्सा 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का हो गया है।**

- इसलिए अब **जापान** के बाद **दक्षिण कोरिया** एशिया में **'सुपर-एज्ड' समाज वाला दूसरा देश बन गया** है।
- **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किसी देश को:**
  - **'एजिंग (Aging)'** का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में **65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 7% से अधिक** हो जाए;
  - **'एज्ड (Aged)'** का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में **65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 14% या उससे अधिक** हो जाए; तथा
  - **'सुपर-एज्ड (Super-aged)'** का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की **जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 20% से अधिक** हो जाए।

वृद्धजनों की स्थिति

विश्व स्तर पर

- वैश्विक स्तर पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या **2020 में एक अरब** थी। अनुमान है कि यह **2050 तक बढ़कर 2.1 अरब** हो जाएगी।
- जनसंख्या में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी प्रारंभ में **जापान जैसे उच्च आय वाले देशों में** देखी गई थी। हालांकि, अब वृद्धजनों की आबादी **निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि **2050 तक** इन देशों में वृद्ध जनसंख्या की हिस्सेदारी **दो-तिहाई** तक पहुंच सकती है।

भारत में

- **UNFPA 2023** के अनुसार, **2050 तक** भारत की **कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की आबादी 20% से अधिक हो सकती है।**

किसी देश में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी से जुड़ी चुनौतियां

- **आर्थिक:** जैसे- कार्यबल में कमी, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि, आदि।
- **सामाजिक:** इसके कारण वृद्धजनों की देखभाल करने में परिवारों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उनके देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को अधिक समय निकालना पड़ता है, जनरेशन गैप को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है और साथ ही सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने की भी आवश्यकता पड़ती है।
- **अवसंरचना:** वृद्धजनों की आबादी बढ़ने से शहरों को अपनी परिवहन व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है ताकि बुजुर्गों को आसानी से और सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिल सके।

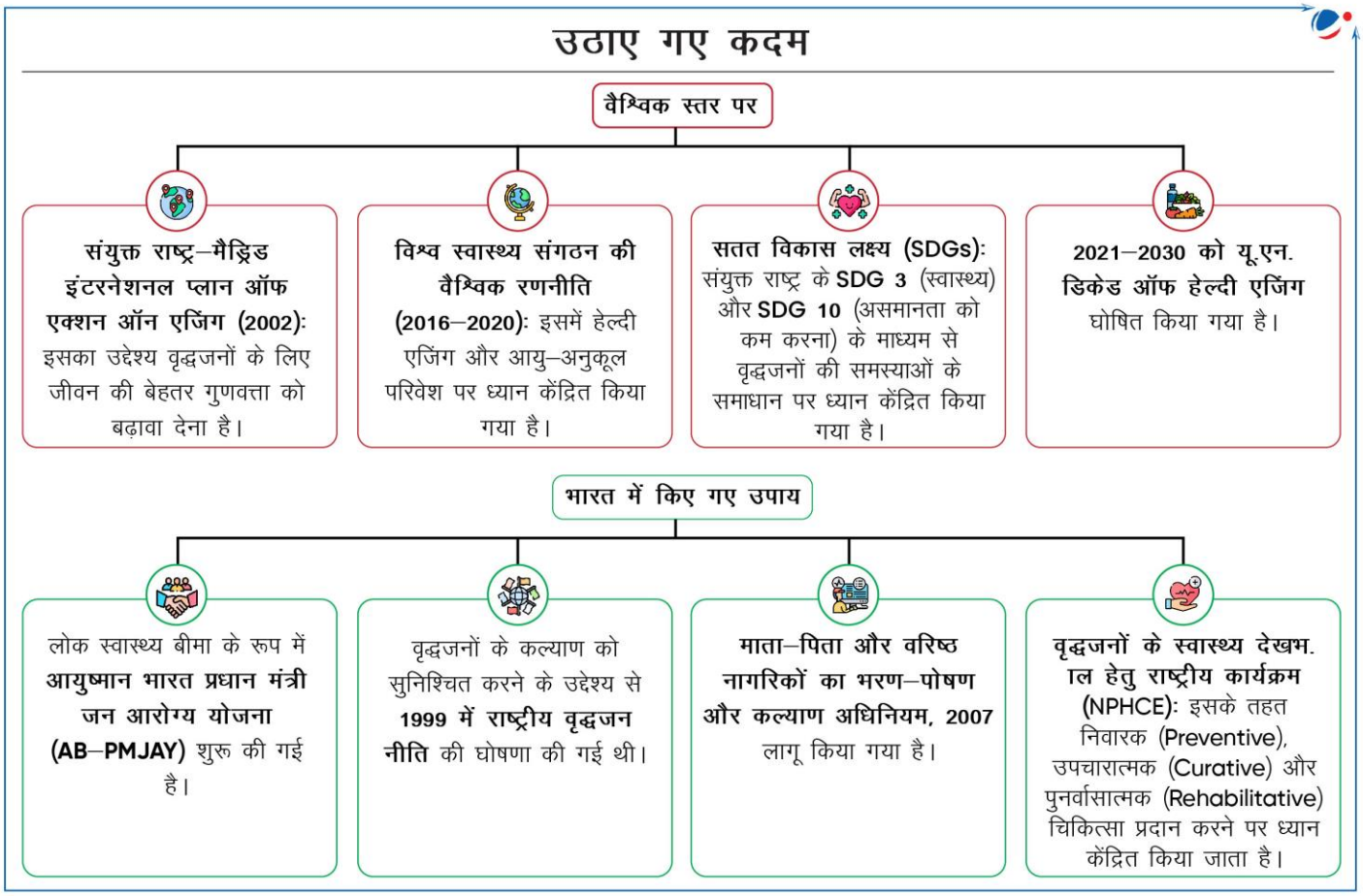

भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #84- भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण

6.5.2. JJM और महिला सशक्तीकरण (JJM and Women Empowerment)

प्रधान मंत्री ने कहा जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना रहा है।

- इससे पहले SBI की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि **'जल जीवन मिशन: हर घर जल'** पहल के कारण **9 करोड़ महिलाओं को अब बाहर से पानी लेने नहीं जाना पड़ता है।**

महिला सशक्तीकरण के लिए जल जीवन मिशन (JJM) का महत्त्व

- **कौशल विकास:** घर पर पानी की उपलब्धता महिलाओं को **कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने** का अवसर प्रदान करती है।
  - इसके अलावा, समय की बचत से **कृषि और व्यवसाय** में महिलाओं की भागीदारी में **7.4 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।

- **नेतृत्व:** JJM के तहत गांव की **जल एवं स्वच्छता समितियों में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य** है। इसका उद्देश्य जल नियोजन में महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना और उनमें नेतृत्व की भूमिका को बढ़ाना है।
- **रोजगार के अवसर:** JJM के तहत **59.9 लाख प्रत्यक्ष रोजगार** सृजित होने की उम्मीद है। इससे महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

जल जीवन मिशन: हर घर जल पहल के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य:** 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और विश्वसनीय नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य: 'WASH के प्रति जागरूक गांवों'** का विकास करना, जहां स्थानीय समुदायों को सभी के लिए दीर्घकालिक और सुनिश्चित जलापूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
  - **WASH: जल, साफ-सफाई और स्वच्छता।**
- **बच्चों पर ध्यान:** स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से जलापूर्ति करना।
- **प्रमुख घटक:**
  - जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
  - बॉटम-अप प्लानिंग;
  - स्रोत संबंधी संधारणीयता;
  - ग्रे वाटर प्रबंधन;
  - कौशल विकास और रोजगार आदि।
- **प्रमुख उपलब्धियां:** ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल कनेक्शन का कवरेज **2019 के 17% (3.23 करोड़ घरों) से बढ़कर 79.31%** हो गया है।

6.5.3. ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर्स {Global One-Stop Centres (OSC)}

सरकार ने **संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए 9 ग्लोबल OSCs** को मंजूरी दी है।

ग्लोबल OSCs के बारे में

- **उद्देश्य: खराब परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता** प्रदान करना, उनकी तत्काल जरूरतों का समाधान करना और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना।
- इनमें **आश्रय गृहों के प्रावधान वाले सात OSCs- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब (जेद्दा व रियाद) तथा बिना आश्रय गृहों वाले दो OSCs- टोरंटो एवं सिंगापुर** शामिल हैं।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)** संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  - ICWF का विस्तार विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों तक किया गया है। इसकी स्थापना **2009** में की गई थी।

6.5.4. बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान शुरू किया गया (Bal Vivah Mukt Bharat Campaign Launched)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने "बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान शुरू किया।

- बाल विवाह की समाप्ति पर केंद्रित **"बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य कई मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस अभियान में **सभी नागरिकों से सक्रिय रूप से आगे बढ़कर बाल विवाह का विरोध** करने का आह्वान किया गया है।

"बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान के बारे में

- **फोकस के क्षेत्र:** इस अभियान के तहत **सर्वाधिक बाल विवाह वाले सात राज्यों और लगभग 300 जिलों पर अधिक ध्यान दिया** जाएगा।

- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से **2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक एक्शन प्लान** तैयार करने का आह्वान किया गया है।
- **बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल:** यह एक इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी मदद से नागरिक बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद से आम नागरिक **देश भर में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों (CMPOs) के बारे में जानकारी भी प्राप्त** कर सकते हैं।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

- **बाल विवाह में कमी: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS-5** के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी आई है। **2005-06 में 47.4%** लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाता था, जो **2015-16 में घटकर 26.8%** पर आ गया।
- **गरीबी और बाल विवाह: NFHS-5** के अनुसार, निम्नतम आय वर्ग यानी सबसे गरीब 20% परिवारों में 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि उच्चतम आय वर्ग यानी सबसे अमीर 20% परिवारों में यह आंकड़ा केवल 8% है।

- **सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना।

बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 (PCMA):** इस कानून के जरिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु **18 वर्ष** और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु **21 वर्ष** निर्धारित की गई है।
- **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन:** भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):** यह अपने मूल कार्यों के साथ-साथ बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs):** भारत ने SDG 5 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक बाल विवाह या कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है।
- **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW)[74]:** भारत ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है।

नोट: *भारत में बाल विवाह के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 6.2. देखें।*

6.5.5. EAC-PM की घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट (Domestic Migration Report By EAC-PM)

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट जारी की

- इस रिपोर्ट का शीर्षक **'400 मिलियन ड्रीम्स'** है। इसमें **2011 की जनगणना के बाद से भारत में प्रवासन के बदलते पैटर्न पर चर्चा** की गई है।
- **आंतरिक/ घरेलू प्रवास** से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लोगों की आवाजाही से है।
    - **प्रतिकर्ष कारक (Push factors):** रोजगार के अवसरों की कमी, प्राकृतिक आपदा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी, आदि।
    - **अपकर्ष कारक (Pull factors):** आर्थिक अवसर, उच्च जीवन स्तर, शांति और स्थिरता, आदि।

[74] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर के नजर

- **घरेलू प्रवासियों की संख्या में कमी:** घरेलू प्रवासियों की संख्या में **लगभग 12 प्रतिशत की कमी** होने का अनुमान है। यह संख्या **2011 की 45.57 करोड़ की तुलना में 2023 में घटकर 40.20 करोड़** रह गई थी। प्रवासन दर लगभग **38% से घटकर लगभग 29%** रह गई है।
- **प्रवासन गतिशीलता:**
  - रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू प्रवासन में लोग **अधिकतर कम दूरी तक ही प्रवास** करते हैं। दूरी श्रम गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - प्रवासन मुख्य रूप से **दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों** से होता है
- **प्रमुख प्रवास मार्ग:** उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश, बिहार-दिल्ली (राज्य स्तर)।

- **प्रवासी हिस्सेदारी में वृद्धि: पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक** में आने वाले प्रवासियों के प्रतिशत में **वृद्धि** देखी गई है।
- **प्रवासी हिस्सेदारी में कमी: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश** में आने वाले कुल प्रवासियों की संख्या में **गिरावट** दर्ज की गई है।

प्रवासी संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण

- **मूल स्थान पर बेहतर अवसंरचनाओं** (जैसे सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन आदि) का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जाल इत्यादि।
- **स्थानीयकृत आर्थिक संवृद्धि** के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक ही रोजगार सृजन हो रहा है।

6.5.6. भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' ('Right to Disconnect' in India)

वर्क-लाइफ संतुलन से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की मांग बढ़ रही है। **कार्य संबंधी तनाव के कारण एक युवा महिला कर्मचारी की मृत्यु** के चलते भारत में अलग-अलग वर्गों ने **'राइट टू डिस्कनेक्ट' पर कानून लाने** की मांग की है।

- **'राइट टू डिस्कनेक्ट'** का अर्थ है कि **कर्मचारी वर्किंग ऑवर के बाद नियोक्ता द्वारा की गई कॉल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे** और ऐसे कर्मचारी पर नियोक्ता द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की आवश्यकता क्यों हैं?

- **मनोसामाजिक प्रभाव:** अधिक कार्य के बोझ से सामाजिक बंधन कमजोर होते हैं और अलगाव की स्थिति पैदा होती है। यहां तक कि इससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, हृदय संबंधी बीमारियों आदि का खतरा भी बढ़ सकता है।
- **महिलाओं पर प्रभाव:** एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑडिटिंग, आई.टी. और मीडिया जैसी **पेशेवर नौकरियों में भारतीय महिलाएं सप्ताह में 55 घंटे से अधिक काम** करती हैं।
- **अन्य:** इसमें उत्पादकता की हानि; लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने के कारण अनिद्रा, नींद के चक्र में व्यवधान आदि शामिल हैं।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की स्थिति

वर्तमान में भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट को मान्यता देने वाले **कानूनों का अभाव है।**

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 38:** यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
  - **अनुच्छेद 39(e):** यह राज्य को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश देता है।
- **न्यायिक निर्णय:**
  - **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997:** इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया गया था।
  - **रविंद्र कुमार धारीवाल और अन्य बनाम भारत संघ, 2021:** इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को तार्किक सुविधा प्रदान करने तथा उनके लिए एक अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु फैसला दिया गया था।
- **हालिया पहल:** 2018 में, लोक सभा में एक गैर-सरकारी विधेयक (Private Member's Bill) पेश किया गया था। इसका उद्देश्य **वर्किंग ऑवर के बाद 'राइट टू डिस्कनेक्ट' को स्पष्ट रूप से परिभाषित** करना था।

6.5.7. वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 (Global Report on Trafficking in Persons 2024)

मादक पदार्थ एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने 'वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट, 2024' जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- 2022 में, दुनिया भर में मानव तस्करी के ज्ञात पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। यह संख्या **2019 की कोविड महामारी से पहले की संख्या से 25% अधिक** है।
- 2022 में मानव तस्करी के **61% पीड़ित महिलाएं और लड़कियां** थीं।

UNODC के बारे में

- इसकी **स्थापना 1997** में हुई थी।
- इसका **मुख्यालय वियना** में है।

6.5.8. नो डिटेंशन नीति (No Detention Policy)

शिक्षा मंत्रालय ने **केंद्र के तहत आने वाले स्कूलों हेतु कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो डिटेंशन' नीति को समाप्त** करने का निर्णय लिया है।

- 'नो डिटेंशन' नीति के तहत **कक्षा 5 और 8 के छात्र को अंतिम परीक्षा में फेल नहीं** किया जाता था। यह नीति **2009 के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम** के तहत 2010 में लागू की गई थी। केंद्र ने अब इस नीति को समाप्त कर दिया है तथा स्कूल अब **कक्षा 5 और 8** के छात्रों को फेल कर सकते हैं। यह निर्णय **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) (संशोधन) नियम, 2024** के तहत लिया गया है।
- चूंकि, शिक्षा **राज्य सूची** का विषय है, इसलिए **16 राज्य और दिल्ली सहित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश पहले ही 'नो डिटेंशन' नीति समाप्त** कर चुके हैं।

नई नीति (निर्णय) से संबंधित मुख्य तथ्य

- यद्यपि **2019 में RTE अधिनियम से नो-डिटेंशन नीति को हटा** दिया गया था, परन्तु, **2023 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)** के जारी होने तक इसके कार्यान्वयन में देरी हुई।
    - नई नीति के तहत यदि कोई छात्र प्रमोशन (उत्तीर्ण) होने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे **परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर अतिरिक्त निर्देश** दिया जाएगा। इसके बाद उसे **एक पुन: परीक्षा देने का अवसर** मिलेगा।
    - किसी भी बच्चे को **प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला** जा सकता।

डिटेंशन के पक्ष में तर्क

- **सीखने के परिणामों में गिरावट:** 2023 में कक्षा 10 और 12 में 65 लाख छात्र असफल रहे थे।
- **प्रोत्साहन की कमी:** स्वचालित प्रमोशन के कारण छात्र कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं तथा शिक्षकों की जवाबदेही भी कम हो जाती है।

डिटेंशन के विपक्ष में तर्क

- **हीन भावना और उच्च ड्रॉपआउट दर:** परीक्षा में **फेल होने का भय या फिर से उसी कक्षा में बैठने की मजबूरी के चलते कई बार छात्र स्कूल जाना बंद** कर देते हैं।
- **बाल केंद्रित शिक्षा:** केवल **शैक्षणिक प्रदर्शन** के आधार पर मूल्यांकन करने की बजाय बच्चों के समग्र विकास को महत्त्व देने वाली शैक्षिक प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

RTE अधिनियम, 2009 के बारे में

- **86वें संविधान संशोधन अधिनियम** के तहत संविधान के **अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** का अधिकार दिया गया है। इसी के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार सरकारी स्कूल सभी बच्चों को **निःशुल्क शिक्षा प्रदान** करेंगे और स्कूलों का प्रबंधन **स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs)** द्वारा किया जाएगा।

6.5.9. WFP की ग्लोबल आउटलुक, 2025 रिपोर्ट (WFP Global Outlook For 2025)

WFP ने 'ग्लोबल आउटलुक, 2025 रिपोर्ट' जारी की।

- यह **वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में मौजूदा जानकारी प्रदान** करती है। साथ ही, इसमें खाद्य संकटों का सामना करने तथा भुखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए WFP द्वारा समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक भुखमरी संकट:** 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1.9 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं।
- **प्रमुख कारक: सूडान, गाजा आदि 16 भुखमरी वाले क्षेत्रों में से 14 में सशस्त्र हिंसा** एक प्रमुख कारण है। अन्य कारकों में **खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाएं** आदि शामिल हैं।
  - **65% गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोग संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों** में रहते हैं।
- **वित्तीय आवश्यकता:** विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को 123 मिलियन सबसे सुभेद्य लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए **16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।**
- **इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु:**
  - **विश्व भर के कुपोषित लोगों में से एक-चौथाई लोग भारत में रहते हैं।**
    - लगभग **21.25% जनसंख्या प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम** पर जीवन यापन करती है।
  - **6-59 महीने की आयु के 38% बच्चे गंभीर कुपोषण** से जूझ रहे हैं।

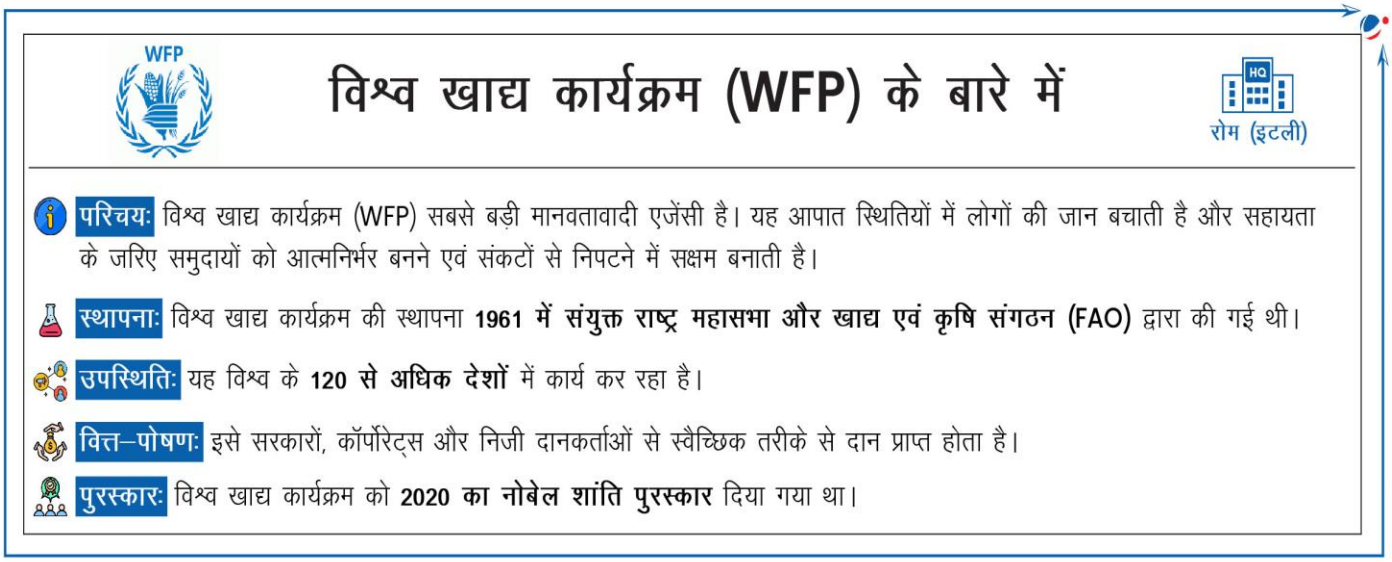

भुखमरी से निपटने के लिए WFP का दृष्टिकोण

- दीर्घकालिक समाधान के लिए **स्थानीय पौष्टिक खाद्य विकल्पों, फूड फोर्टिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना चाहिए।**
- बेहतर आजीविका, जलवायु संरक्षण आदि के माध्यम से **सुभेद्य समुदायों को आघातों का सामना करने के लिए सक्षम** बनाना चाहिए।
- **अन्य:** इसमें **स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता को बढ़ाना, खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाली लैंगिक असमानताओं का समाधान** करना आदि शामिल है।

6.5.10. अन्न चक्र टूल (Anna Chakra Tool)

केंद्रीय **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** ने **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल 'अन्न चक्र' तथा स्कैन (SCAN) पोर्टल** लॉन्च किया। इन्हें **PDS प्रणाली को आधुनिक बनाने** के लिए लॉन्च किया गया है।

अन्न चक्र के बारे में

- यह एक **PDS आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण** है। यह परियोजना **अधिकतम विकल्पों की पहचान करने** और आपूर्ति श्रृंखला नोड्स में **खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही** सुनिश्चित करने के लिए **उन्नत एल्गोरिदम** का लाभ उठाएगी।

- यह **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD)** की एक पहल है। इसे **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और IIT-दिल्ली** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसे **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)** के माध्यम से **पी.एम. गति शक्ति प्लेटफॉर्म और रेलवे के FOIS (फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल** के साथ एकीकृत किया गया है।

SCAN (NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल के बारे में

- यह पोर्टल राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने, दावों की जांच करने और त्वरित निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए DFPD द्वारा अनुमोदन हेतु एकल खिड़की प्रदान करेगा। साथ ही, यह सभी प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक के वर्कफ़्लो का स्वचालन भी सुनिश्चित करेगा।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025

28 जनवरी 2025

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 7 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 7 माह का कार्यक्रम)

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. CE20 क्रायोजेनिक इंजन (CE20 Cryogenic Engine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के CE20 क्रायोजेनिक इंजन ने सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर किए गए परीक्षण (Sea-level Test) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह इसकी प्रणोदन (Propulsion) प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अन्य संबंधित तथ्य

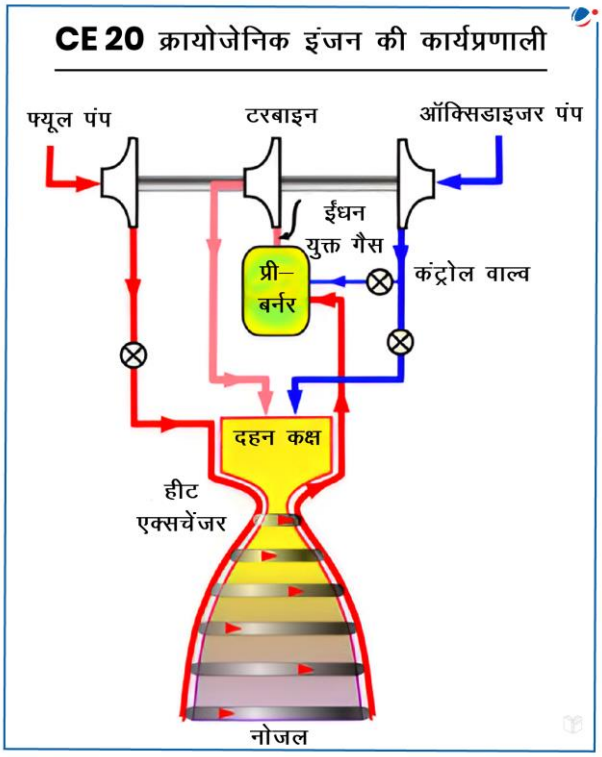

- सी लेवल टेस्ट में नोजल के भीतर **फ्लो सेपरेशन** जैसी समस्याओं को मैनेज करने के लिए **'नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम'** को शामिल किया गया। फ्लो सेपरेशन जैसी समस्याएं कंपन, ओवर हीटिंग और नोजल में क्षति का कारण बन सकती है। **सी लेवल टेस्ट के तहत समुद्री सतह पर पड़ने वाले सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर इंजन को परखा जाता है।**
- इसरो **भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन,** गगनयान के लिए इस इंजन पर काम कर रहा है।
- **परीक्षण स्थल:** तमिलनाडु के महेंद्रगिरि **में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स।**
  - इस परीक्षण में **नवीन 'नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम' को शामिल किया गया है, ताकि** इंजन को रीस्टार्ट करने की क्षमता के समक्ष तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- इससे पहले, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने 2023 में बेंगलुरु में एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण सुविधा भी स्थापित की है।

क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम करता है?

- **कार्य-प्रणाली संबंधी सिद्धांत:** इसमें थ्रस्ट **आंतरिक दहन/ दबाव अंतर** द्वारा उत्पन्न होता है।
  - इसमें **न्यूटन का 'गति का तीसरा नियम'** लागू होता है - "प्रत्येक क्रिया की एक समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है"।
- **उपयोग:** क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जैसे रॉकेट के अंतिम चरण (या अपर स्टेज) में किया जाता है।
  - क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सिडाइजर दोनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बहुत कम तापमान पर द्रव या तरल में रूपांतरित किया जाता है।
- **ईंधन:** क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त ईंधन और ऑक्सिडाइजर तरलीकृत (Liquefied) गैसें हैं, जिन्हें अत्यंत निम्न तापमान पर भंडारित किया जाता है
  - सामान्यतः **-253° सेल्सियस पर तरलीकृत हाइड्रोजन का** उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तथा **-183° सेल्सियस पर तरलीकृत ऑक्सीजन का** उपयोग ऑक्सिडाइजर के रूप में किया जाता है।

नोट: सेमी-क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन के स्थान पर परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है। परिष्कृत केरोसिन का वजन तुलनात्मक रूप से कम होता है और इसे सामान्य तापमान पर स्टोर किया जाता है।

क्रायोजेनिक इंजन के लाभ

- **दक्षता और थ्रस्ट:** सॉलिड और अर्थ-स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट स्टेज की तुलना में, क्रायोजेनिक प्रणोदन **काफी अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करता है।** ऐसा इसलिए हैं क्योंकि इसमें ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले तरल ऑक्सीजन (LOX) और तरल हाइड्रोजन (LH2) अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं और केवल जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं।

- **ईंधन दक्षता:** क्रायोजेनिक इंजन कम ईंधन का उपयोग करते हैं। इसरो का PSLV विकास इंजन प्रति सेकंड 3.4 किलोग्राम ईंधन का दहन करता है, जबकि क्रायोजेनिक इंजन को समान थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए प्रति सेकंड केवल 2 किलोग्राम ईंधन की आवश्यकता होती है। क्रायोजेनिक इंजन का विशिष्ट आवेग (Specific impulse) 450 सेकंड तक होता है, जबकि ठोस प्रणोदकों का विशिष्ट आवेग 260 सेकंड तक ही जाता है।
- **पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी:** हाइड्रोजन-ऑक्सीजन के दहन से केवल जल वाष्प उत्सर्जित होती है, जिससे क्रायोजेनिक प्रणोदन एक स्वच्छ, कार्बन मुक्त विकल्प बन जाता है।
- **भारी पेलोड और अंतरिक्ष मिशन:** क्रायोजेनिक ईंधन की उच्च दक्षता इसे भारी पेलोड और गगनयान एवं चंद्रयान जैसे लंबी अवधि के मिशनों के लिए आदर्श बनाते हैं।

क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी के समक्ष कुछ चुनौतियां

- **जटिल प्रौद्योगिकी:** इसमें **रॉकेट के ठोस या अन्य द्रव प्रणोदक चरणों की तुलना में** अत्यंत निम्न तापमान पर भंडारित प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है, जिसके चलते तापीय एवं संरचनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत एडवांस्ड इंजीनियरिंग उपायों की जरूरत होती है।
- **उच्च तापीय प्रवणता और तापीय तनाव:** इसके चलते इंजन के डाइवर्जेंट आउटर में दरारें, ईंधन के प्रवाह मार्ग में व्यवधान और नोज़ल के आकर में गड़बड़ी आ सकती है। साथ ही, इंजन के रोटेट होते पार्ट्स के अचानक रुक जाने से इंजन की दक्षता भी प्रभावित हो सकती है।
- **उच्च परिचालन दबाव:** क्रायोजेनिक इंजन में थ्रस्ट चैंबर के कूलेंट सर्किट और थ्रस्ट से जुड़े दबावों को झेलने के लिए हाई-स्ट्रेंथ सुपर अलॉय का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक महंगे होते हैं। यह इंजन के कुल वजन को भी बढ़ा देता है, जिससे इसे हल्का और अधिक कुशल बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **निम्न तापमान बनाए रखना:** क्रायोजेनिक ईंधन को अत्यंत कम तापमान (-253°C तक) पर रखा जाता है। सबसे बड़ी चुनौती थ्रस्ट चैंबर के प्रदर्शन को थर्मल क्षमता के साथ संतुलित बनाए रखना है। डीप थ्रॉटल पर इंजन का संचालन करना मुश्किल होता है क्योंकि इस दौरान कूलेंट फ्लो कम हो जाता है, जिससे इंजन अधिक गर्म हो सकता है। अगर सही संतुलन नहीं रखा गया तो यह इंजन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- **क्रायोजेनिक इंजन के विकास की उच्च लागत:** 1994 में क्रायोजेनिक अपर स्टेज (CUS) परियोजना का बजट 300 करोड़ रुपये था।

CE20 के बारे में

- **विकासकर्ता:** इसे केरल के वलियामाला में स्थित द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) द्वारा विकसित किया गया है।
- **आउटपुट:** इसे 20 टन का थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा, यह भविष्य में C32 स्टेज के लिए **22 टन थ्रस्ट उत्पन्न करने में भी सक्षम है।**
  - **C32** एक नया और भारी क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। यह C20 इंजन का एक प्रकार है, जो कम क्षमता वाले C25 स्टेज का स्थान लेगा।
- **सफल मिशन: इसने चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और दो वाणिज्यिक वनवेब मिशनों** सहित लगातार छह LVM3 मिशनों का सफलतापूर्वक संचालन करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।
  - **LVM3 (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk III)** तीन चरणों वाला यान है, जो 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है।

क्रायोजेनिक इंजन की अन्य इंजनों से तुलना

विशेषताएं	क्रायोजेनिक इंजन	जेट इंजन	ठोस प्रणोदक इंजन	द्रव प्रणोदक इंजन
एयर इनटेक	**इसमें एयर इनटेक की आवश्यकता नहीं होती है।**	**इसमें एयर इनटेक आवश्यक होता है।**	**इसमें ऑक्सिडाइजर के रूप में एयर इनटेक आवश्यक होता है।**	**इसमें ऑक्सिडाइजर के रूप में एयर इनटेक आवश्यक होता है।**
ईंधन	इसमने सामान्यतः सुपर कूल्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है।	इसमें (जेट A-1, केरोसीन), केरोसीन-गैसोलीन का मिश्रण, एविएशन गैसोलीन (avgas), बायो-केरोसीन का उपयोग होता है।	इसमें मिश्रित प्रणोदकों के लिए ईंधन के रूप में मेटैलिक पाउडर का इस्तेमाल होता है, जिनमें एल्यूमीनियम सबसे आम है।	इसमें हाइड्राजीन, मोनो-मिथाइल हाइड्राजिन (MMH), अनसिमेट्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्राजिन (UDMH) आदि का उपयोग होता है।

ईंधन का तापमान	**ईंधन का तापमान बहुत कम होना चाहिए।**	इसमें ईंधन भंडारण के लिए कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है।	इसमें ईंधन भंडारण के लिए कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है।	इसमें ईंधन भंडारण के लिए कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है।
दक्ष कार्य-प्रणाली	यह तब दक्षता से कार्य करता है, जब निम्न तापमान पर भंडारित ईंधन एक दम सटीक तरीके से रूपांतरित और मिश्रित होकर प्रज्वलित होता है।	यह सुपरसोनिक गति पर दक्षतापूर्वक कार्य करता है। सुपरसोनिक गति पर दहन से पहले हवा (एयर इनटेक) अत्यंत संपीडित हो जाती है।	यह तभी दक्षतापूर्वक कार्य करता है, जब ईंधन को पर्याप्त ऑक्सिडाइजर उपलब्ध होता है।	यह तभी दक्षतापूर्वक कार्य करता है, जब ईंधन को पर्याप्त ऑक्सिडाइजर उपलब्ध होता है।
उद्देश्य	**रॉकेट के तीसरा चरण या स्टेज/ अंतिम चरण में उपयोग करना।**	**हवाई जहाज आदि में उपयोग किया जाता है।**	**प्रारंभिक लिफ्टऑफ में बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है।**	**बूस्टर के अलग होने के बाद रॉकेट के मुख्य चरण के रूप में कार्य करना।**

निष्कर्ष

CE20 क्रायोजेनिक इंजन, ISRO की क्रायोजेनिक तकनीक में प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ते हुए, ISRO, ट्राई-इथाइल-एल्युमिनियम और ट्राई-इथाइल-बोरॉन जैसे स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल्स का उपयोग कर सकता है, ताकि इग्निशन की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाया जा सके।

7.2. क्वांटम चिप (Quantum Chip)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गूगल ने **अपनी नवीनतम क्वांटम चिप विलो (Willow) का अनावरण किया है। यह** क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है।

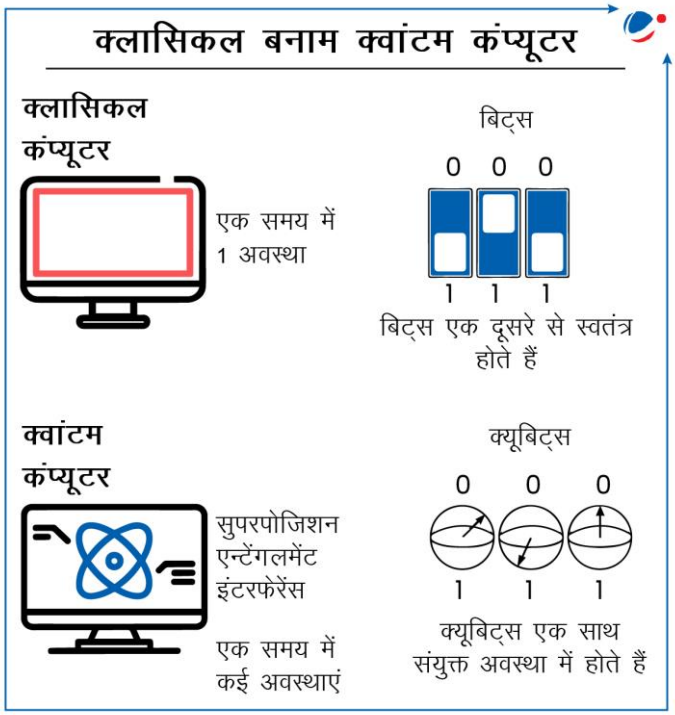

अन्य संबंधित तथ्य

- विलो ने **रैंडम सर्किट सैंपलिंग (RCS) बेंचमार्क पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है,** जिससे दो प्रमुख उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
  - प्रथम, अधिक क्यूबिट के उपयोग के साथ विलो **त्रुटियों को भी तेजी से कम कर सकता है।**
  - दूसरा, विलो ने **पांच मिनट से भी कम समय में एक मानक बेंचमार्क गणना को पूरा किया,** जिसे करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को भी 10 सेप्टिलियन (अर्थात 10^{25}) वर्ष लगेंगे।
- **विलो ने बेहतर कोहरेंस टाइम** का भी प्रदर्शन किया है। बेहतर कोहरेंस टाइम से आशय यह है कि क्यूबिट अपनी क्वांटम अवस्था को लम्बे समय तक बनाए रख सकते हैं।

क्वांटम चिप्स के बारे में

- पारंपरिक चिप इन्फॉर्मेशन को 0 या 1 (बिट्स) के रूप में प्रोसेस करती हैं। इनके विपरीत, क्वांटम चिप्स इन्फॉर्मेशन को क्यूबिट्स के रूप में प्रोसेस करती हैं।
  - पारंपरिक बिट केवल 0 या 1 अवस्था में ही मौजूद हो सकता है। **हालांकि, क्यूबिट सुपरपोजिशन को हासिल कर सकते हैं, जो 0, 1 और इनके बीच की सभी अवस्थाओं में हो सकते** हैं। इसमें क्यूबिट की कुल **तीन अलग-अलग अवस्थाएं (0, 1 और इनके बीच की कोई अवस्था) हो सकती हैं।**

- यद्यपि क्यूबिट तीन अलग-अलग अवस्थाओं में हो सकते हैं, **फिर वे आउटपुट बाइनरी सिस्टम में ही प्रदान करते हैं।**
- इसके अलावा, **दो क्वांटम बिट्स को एक दूसरे के साथ सह-सम्बद्ध (Correlated) भी किया जा सकता है,** ताकि एक क्वांटम बिट की अवस्था दूसरे क्वांटम बिट की अवस्था पर निर्भर हो। इसे **एंटेंगलमेंट** कहते हैं।

- पारंपरिक कम्प्यूटर की तरह, क्वांटम कम्प्यूटर भी **क्वांटम गेट्स** नामक **फिजिकल ऑपरेशंस का एक समूह हैं।** क्वांटम गेट्स गणना करने के लिए क्यूबिट की अवस्थाओं को परिवर्तित कर देते हैं।
  - पारम्परिक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का प्रवाह बिट्स (0 और 1) के रूप में होता है, और इन्हें नियंत्रित व परिवर्तित करने के लिए गेट ऑपरेशन (Gate Operations) का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए- 'AND' गेट इस प्रकार कार्य करता है:
    - यह दो इनपुट लेता है (हर इनपुट 0 या 1 हो सकता है)।
    - यदि दोनों इनपुट 1 हैं, तो आउटपुट भी 1 होगा।
    - अन्य सभी स्थितियों में आउटपुट 0 होगा।

उभरती प्रौद्योगिकियों पर क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रभाव

- **क्वांटम AI का डोमेन:** इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के लाभों के साथ AI एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर विकसित करना शामिल है।
  - AI मॉडल विकसित करने का एक प्रमुख पहलू इसे विशाल मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित करना है। इस स्थिति में, क्वांटम कंप्यूटर बहुत मददगार हो सकते हैं क्योंकि यह **डेटा को तेजी से कंप्यूट करने में मदद करता है।**
  - क्वांटम कंप्यूटर AI मॉडल्स के लिए प्रशिक्षण डेटा एकत्र करने में सक्षम होंगे जो वर्तमान में **पारंपरिक कंप्यूटर्स के लिए लगभग असंभव है।**
- **एन्क्रिप्शन पर प्रभाव:** एक पूर्णतः कार्यात्मक क्वांटम कंप्यूटर में कोड-ब्रेकिंग क्षमताएं भी हो सकती हैं, जो RSA एन्क्रिप्शन वाले किसी भी सिस्टम में सभी प्रकार के ऑनलाइन एन्क्रिप्शन के प्रति अविश्वसनीयता पैदा कर देगा।
  - **RSA (रिवेस्ट, शमीर, एडलमैन एल्गोरिथम)** एक पब्लिक-की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। इसक उपयोग डिजिटल प्रमाण-पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर, ई-मेल एन्क्रिप्शन, आदि में होता है।
  - 1994 में अमेरिकी गणितज्ञ **पीटर शोर ने** दिखाया था कि एक निश्चित क्षमता तक बढ़ाया गया क्वांटम कंप्यूटर डिस्क्रीट लॉगरिद्मिक प्रॉब्लम को हल कर सकता है।
- **क्रिप्टोकरेंसी पर प्रभाव:** क्वांटम कंप्यूटर के पास एल्गोरिदम और एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता होगी, जिससे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की आधारशिला क्रिप्टोग्राफी को खतरा हो सकता है।

चुनौतियां

- **नाजुक क्वांटम अवस्थाएं:** क्यूबिट अत्यंत संवेदनशील होते हैं और मामूली व्यवधान से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इससे इनके द्वारा सूचना को भंडारित करने का समय और क्वांटम कंप्यूटर की स्केलेबिलिटी दोनों सीमित हो सकती है।
- **क्यूबिट में नॉइज़ की समस्या:** क्यूबिट्स किसी भी इंटरफेरेंस या व्यवधान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उनमें मौजूद इन्फॉर्मेशन आसानी से नष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाखों क्यूबिट्स होने के बावजूद भी सिस्टम की कार्यक्षमता कम हो जाती है।
- **तापमान नियंत्रण:** गणना संबंधी त्रुटियों का कारण बनने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए क्यूबिट को लगभग शून्य तापमान तक ठंडा रखना होता है।
- **उच्च लागत:** क्वांटम प्रणालियों को कई महंगी कोएक्सियल केबलों और जटिल CMOS नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिससे व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप इनका विस्तार करना कठिन हो जाता है।
- **चिप आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे:** महामारी, व्यापार संबंधी तनाव और प्राकृतिक आपदाओं जैसी बाधाओं ने चिप उत्पादन को प्रभावित किया है।

निष्कर्ष

क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए **सेमीकंडक्टर सामग्री** जैसे सिलिकन, गैलियम, या जर्मेनियम का उपयोग करने **पर अनुसंधान करना जरूरी है**, ताकि क्यूबिट्स और अधिक प्रभावी हो सकें। क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN), क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेज जैसी **पहलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग एवं इससे संबंधित उच्च लागत के चलते निवेश में वृद्धि बहुत आवश्यक**

है। इस क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा विकास के मार्गदर्शन के लिए **स्पष्ट नीतियों और विनियमों को सुनिश्चित किया जाना होगा**। साथ ही, क्वांटम सिद्धांत, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान में प्रतिभा विकसित करना प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #69- भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: भावी संभावनाओं की खोज

7.3. हाइपरलूप (Hyperloop)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, IIT मद्रास की 'आविष्कार हाइपरलूप टीम' ने TuTr नमक स्टार्टअप के साथ सहयोग से 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया है। यह भारत में हाइपरलूप तकनीक के संबंध में पहला प्रयोग है।

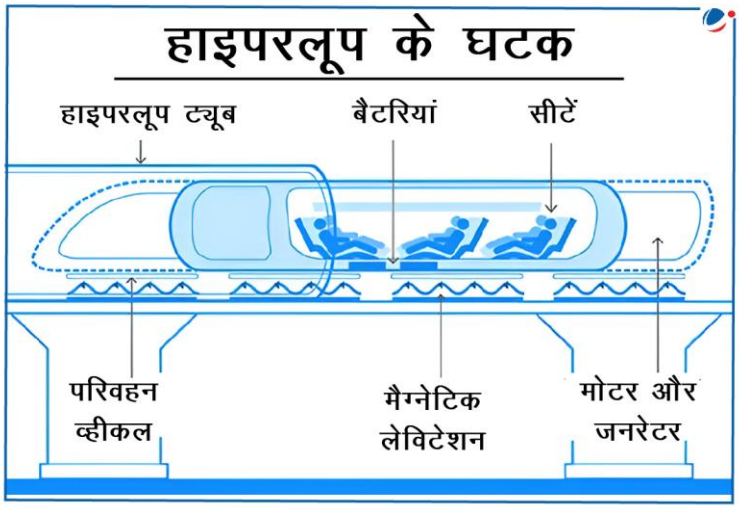

हाइपरलूप तकनीक क्या है?

- **अवधारणा:** 2013 में, स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने हाइपरलूप नामक **अल्ट्रा-हाई-स्पीड रेल (UHSR) की अवधारणा को ओपन-सोर्स के रूप में प्रस्तुत किया** था।
- **हाइपरलूप:** यह एक **उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है।** इसमें सील्ड और मानव के लिए आवश्यक वायुमंडलीय दबाव से युक्त पॉड्स निम्न दबाव वाली ट्यूब्स में अत्यधिक तीव्र गति से चलते हैं।
  - यह प्रौद्योगिकी काफी हद तक एक **बहुत पहले व्यक्त किए गए विचार पर आधारित है, जिसे "ग्रेविटी वैक्यूम ट्यूब", "ग्रेविटी वैक्यूम ट्रांजिट" या "हाई स्पीड ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन" के रूप में जाना जाता** है। यह विचार मूल रूप से 1865 में व्यक्त किया गया था।
- **यह कैसे कार्य करता है?**
  - हाइपरलूप मूलतः एक **चुंबकीय उत्तोलन (मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्लेव) ट्रेन प्रणाली** है। इसमें चुम्बकों का एक सेट पॉड्स को ट्रैक से कुछ ऊपर बनाए रखते हैं, इसे **होवर** स्थिति कहते हैं। चुम्बकों के दूसरे सेट का उपयोग पॉड्स को ट्रैक पर आगे धकेलने के लिए किया जाता है।
  - हाइपरलूप प्रौद्योगिकी में यात्रा **निम्न दबाव वाली स्टील ट्यूब जैसे संरचना के अंतर्गत होती है। इस ट्यूब** में से सारी वायु निकाल कर लगभग निर्वात (Vacuum) की स्थिति बनाई जाती है।
  - इस अवधारणा के अनुसार, ट्यूब में पॉड 1,200 किमी/ घंटा की सैद्धांतिक गति से यात्रा कर सकते है।
- **सुगम्यता: हाइपरलूप तकनीकी** का उद्देश्य यात्रा के समय को **काफी कम** करना है, जिससे लोग लंबी दूरी को भी **बहुत तेजी से** और कम समय में तय कर सकें। इससे लोग काफी दूर-दूर स्थित शहरों के मध्य भी काफी तेजी से आ-जा सकेंगे।

हाइपरलूप के घटक

- **ट्यूब:** दो स्टील ट्यूब को एक साथ वेल्ड किया जाता है, ताकि कैप्सूल या पॉड्स दोनों दिशाओं में यात्रा कर सकें। ट्यूब के अंदर अपेक्षित वायु दबाव लगभग 100Pa बनाए रखा जाता है।
- **कैप्सूल या पॉड:** कैप्सूल या पॉड्स में यात्री बैठते हैं। कैप्सूल को गति देने के लिए मैग्नेटिक लीनियर एक्सीलरेटर का उपयोग किया जाता है।
- **कंप्रेसर:** यह कैप्सूल के सामने की ओर होता है और कैप्सूल को ट्यूब की दीवारों एवं कैप्सूल के बीच यात्रा करने वाले वायु प्रवाह को बाधित किए बिना कम दबाव वाली ट्यूब से गुजरने में सक्षम बनाता है।
- **निलंबन:** विश्वसनीयता और सुरक्षा के उद्देश्य से इसमें एयर बेयरिंग सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है।

- **प्रणोदन:** कैप्सूल को गति देने और धीमा करने के लिए स्थायी मेग्नेट मोटर की जगह लीनियर इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। इससे सामग्री की लागत कम हो जाती है तथा कैप्सूल का वजन भी कम बना रहता है।

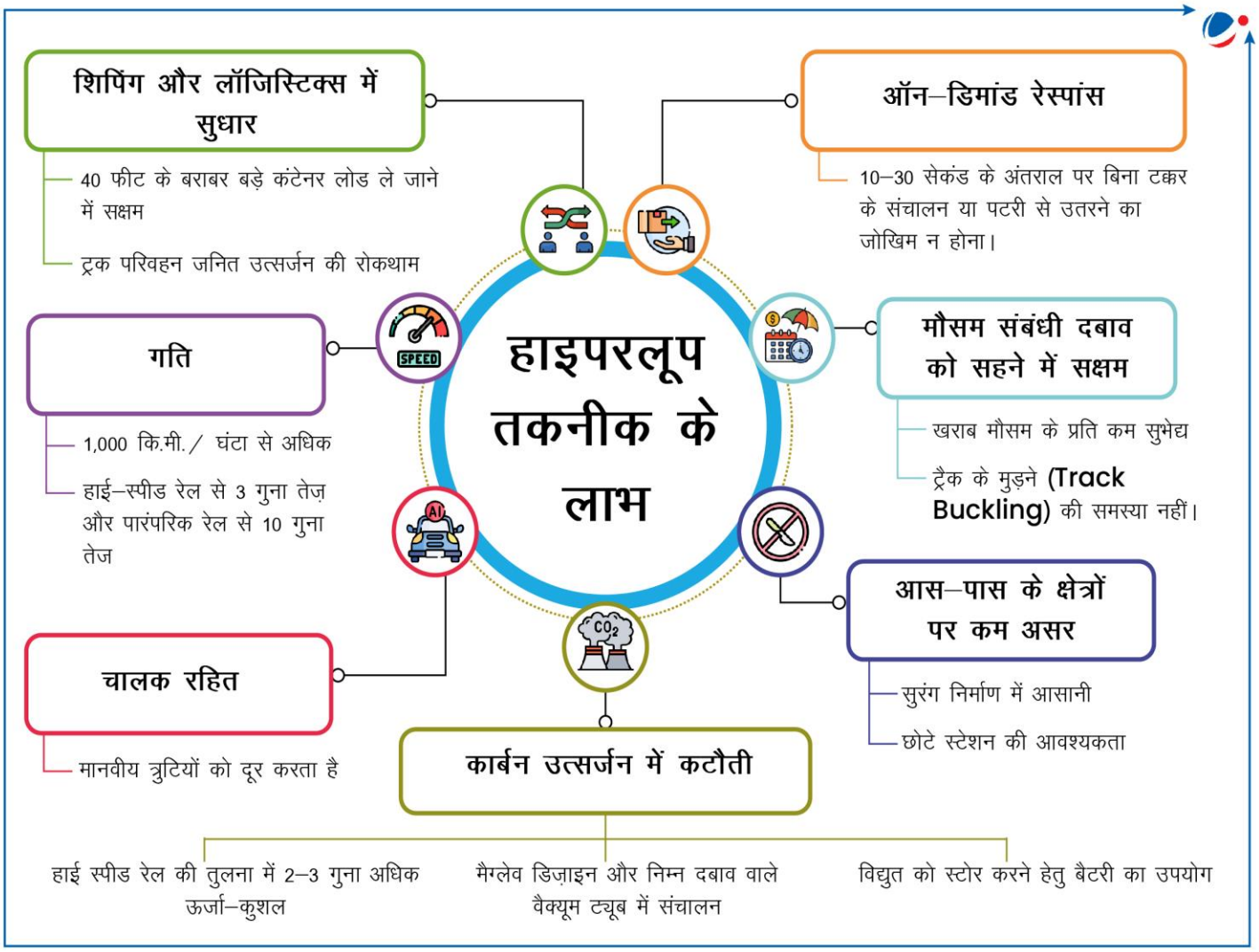

हाइपरलूप प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुछ समस्याएं

- **लागत:** नासा द्वारा हाइपरलूप की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण को छोड़कर, **केवल प्रौद्योगिकी के लिए प्रति मील लागत 25-27 मिलियन डॉलर आएगी।**
- **हाइपरलूप संबंधी सुरक्षा:** इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं जैसे आग लगना, कैप्सूल में संचार प्रणाली संबंधी चुनौतियां आदि शामिल हैं।
  - यद्यपि निम्न दबाव की स्थिति ट्यूब्स में आग लगने से रोकती है, लेकिन **पॉड्स के अंदर आग लगना एक वास्तविक खतरा है।**
  - **किसी दुर्घटना की स्थिति में हाइपरलूप प्रणाली से बाहर निकलना कठिन है,** क्योंकि ट्यूब्स में सीमित संख्या में निकास द्वार होते हैं।
- **ट्यूब में निर्वात को बनाए रखने की चुनौती: सैकड़ों किलोमीटर** तक ट्यूब में निर्वात बनाए रखना काफी कठिन है और ट्यूब को डिप्रेशराइज्ड करने में भी बहुत अधिक ऊर्जा लगती है।
- **त्वरण का व्यापक प्रभाव: पार्श्व या ऊर्ध्वाधर दिशा में 2 m/s^2** से अधिक का कोई भी त्वरण (Accelerations) मनुष्यों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप घबराहट और उल्टी आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - हाइपरलूप का वर्तमान त्वरण जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रणाली के अधिकतम त्वरण से सात गुना अधिक है।
- **ट्यूब का निर्माण यथा संभव एक सीध में करना:** कम-से-कम मोड़ के साथ लम्बी दूरी तक उच्च गति को बनाए रखने और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सम्पूर्ण मार्ग में एक स्थिर और मजबूत अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता होती है।

अन्य उभरती आधुनिक परिवहन प्रणालियां

- **ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर:**
  - **विकास: एयरबस ने अपने 'वाहना इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग' (eVTOL)** का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य eVTOL विमानों का एक बेड़ा तैयार करना तथा उन्हें प्रमुख शहरों में इमारतों की छतों पर तैनात करना है। इससे यात्रियों को घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों में जाने में सुविधा होगी, जहां सड़क यातायात अवरुद्ध रहता है।
- **स्मार्ट सड़कें**
  - यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित पुर्तगाल की इस योजना के तहत देश में लगभग 1,000 किलोमीटर स्मार्ट सड़कें बनाई जाएंगी।
  - इस पहल के तहत मार्ग पर **अत्याधुनिक परिवहन प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला स्थापित की जाएगी। इससे सड़क-आधारित अवसंरचना के नोड्स और स्मार्ट कारों के बीच वायरलेस संचार की सुविधा मिलेगी।**
  - **स्वीडन ने** हाल ही में एक पायलट परियोजना पूरी की है, जिसके तहत दो किलोमीटर सड़क को विद्युतीकृत ट्रैक में परिवर्तित किया गया है। यह विद्युत चालित कारों और ट्रकों जैसे परिवहन के साधनों को चलाते समय रिचार्ज करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना:**
  - मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) **भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना है।**
  - भारत **मुंबई और अहमदाबाद** के बीच अपनी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापानी शिंकानसेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
  - राष्ट्रीय **हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL)** की स्थापना भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई है।

आगे की राह

- **निजी कंपनियों और सरकारों से पर्याप्त वित्तीय सहायता:** ट्यूब्स को कुशलतापूर्वक डिप्रेशराइज्ड करने जैसे समाधान खोजने के लिए अनुसंधान और विकास हेतु काफी अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता आवश्यक है।
  - हाइपरलूप प्रौद्योगिकी **बाजार का आकार 2023 में 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था। यह **2031 तक 36.6% के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 24.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।**
- **निरंतर अनुसंधान एवं विकास: विशेष रूप से** कुशल प्रणोदन के लिए **लीनियर इंडक्शन मोटर्स (LIMs)** जैसे क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान एवं विकास आवश्यक है।
- **बुनियादी अवसंरचना:** न केवल पॉड संबंधी अवसंरचना बल्कि **हाइपरलूप स्टेशनों से संबंधित अवसंरचना की भी आवश्यकता** है। इसके लिए कई परियोजनाओं की आवश्यकता होगी और इसे सड़कों, रेल प्रणालियों और एविएशन नेटवर्क में भी जोड़ना होगा।
- **मानकों और सुरक्षा के लिए विनियमन की आवश्यकता:** भारत यूरोपीय देशों की तर्ज पर नीति तैयार कर सकता है। **2020 में** यूरोपीय देश एक साथ आए और **हाइपरलूप के संबंध में JTC 20 नामक एक संयुक्त तकनीकी समिति (JTC) बनाने पर सहमत हुए।**

7.4. आयुष मंत्रालय के 10 वर्ष (10 Years of Ministry of Ayush)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने अपनी **10वीं वर्षगांठ मनाई।**

अन्य संबंधित तथ्य

- 2014 में स्थापित आयुष मंत्रालय का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्यों** और **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करते हुए प्राचीन चिकित्सा संबंधी ज्ञान को पुनर्जीवित करना है।**
- **1995 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग**[75] का गठन किया गया था। **2003** में इसका नाम बदलकर **आयुष विभाग** कर दिया गया था। 2014 में एक अलग आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था।

[75] Department of Indian System of Medicine & Homoeopathy

- "आयुष" भारत में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त नाम है: **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध** और **होम्योपैथी (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy: AYUSH)**।

पिछले दशक में आयुष मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

- **आयुष अवसंरचना का विस्तार:** भारत में 755,780 से अधिक पंजीकृत आयुष चिकित्सक एवं 886 स्नातक और 251 स्नातकोत्तर कॉलेज हैं।
  - इसके अतिरिक्त, आयुष क्षेत्रक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए **तीन उन्नत राष्ट्रीय आयुष संस्थान[76] स्थापित किए गए हैं।**
- **अनुसंधान और नवाचार:** आयुष अनुसंधान पोर्टल पर 43,000 से अधिक अध्ययन उपलब्ध हैं।
  - कोविड-19 प्रबंधन के लिए **आयुष-64** और **काबासुर कुदिनीर** जैसे प्रमुख उपाय किए गए थे।
- **आर्थिक प्रभाव:** आयुष चिकित्सा संबंधी बाजार 2014 के 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि निर्यात 1.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण: आयुष ग्रिड, ई-संजीवनी** और आयुष टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY):** इसे 2024 में 24.53 करोड़ प्रतिभागियों के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त हुयी है।
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM): इसे** 2014 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission: NAM) के बारे में

- इसे **पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों: आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी** को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - आयुष चिकित्सा संबंधी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना
  - इन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना
  - आयुष के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाना
  - आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना
- **मिशन की अवधि:** 2026 तक।

पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अलग-अलग देशों के साथ 24 समझौता ज्ञापन और संस्थान स्तर के 48 समझौता ज्ञापन तथा चिकित्सा पर्यटन के लिए **आयुष वीज़ा** और **हील इन इंडिया** पोर्टल शुरू किए गए हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन:** आयुष चिकित्सा संबंधी उत्पादों के लिए **आयुष मार्क** और आयुष **प्रीमियम मार्क प्रमाणन कार्यक्रम शुरू** किए गए हैं।
  - सरकार ने 31 आयुर्वेदिक दवा विनिर्माताओं को 'फार्मास्युटिकल उत्पादों के प्रमाण-पत्र' (COPP)[77] हेतु WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज-सर्टिफाइड विनिर्माण इकाइयां प्रदान की हैं। इसका उद्देश्य आयुष आयुर्वेदिक दवाओं के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है।
- **WHO के साथ सहयोग: भारत ने** 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ गुजरात के जामनगर में **WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM) की** स्थापना के लिए WHO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **क्षमता-निर्माण:** आयुष क्षेत्रक में **कुशल मानव संसाधन विकसित करने और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन सेक्टर सेवा योजना** (CSSS) शुरू की गई है।
- **शिक्षा में सुधार: NCISM अधिनियम, 2020 के तहत, सरकार ने शिक्षा** और **प्रैक्टिस मानकों** में सुधार के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM)[78] और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH)[79] की स्थापना की है।

---

[76] National Ayush Institutes

[77] Certificate of Pharmaceutical Products

- **आयुर्ज्ञान योजना:** यह योजना आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्षेत्रक की क्षमता को बढ़ाने और विकसित करने के लिए शुरू की गयी है।
- **नीतिगत समर्थन:** आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और अनुसंधान के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** आयुष क्षेत्रक में निवेश को सुगम बनाने के लिए **रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो (SPFB)**[80] की स्थापना की गयी है।

आगे की राह

- **गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण:**
    - **उन्नत प्रयोगशालाओं** और परीक्षण प्रोटोकॉल में निवेश करना चाहिए।
    - आयुष औषधियों से संबंधित **प्रतिकूल घटनाओं** की रिपोर्टिंग के लिए प्रणालियां विकसित करना चाहिए।
    - सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए **मार्केटिंग के बाद** नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
    - आयुष गुणवत्ता मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे **वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना चाहिए।**
- **अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित प्रैक्टिस**
    - आयुष चिकित्सा पर **नैदानिक अनुसंधान** के लिए वित्त-पोषण में वृद्धि करना, दीर्घकालिक (Chronic) रोगों और उनकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के साथ **व्यापक पैमाने पर महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों** के लिए स्थानीय हेल्थ डेटा का उपयोग करना चाहिए।
- **एकीकरण संबंधी कमियों को दूर करना**
    - आयुष और एलोपैथिक प्रणालियों के बीच **रेफरल पाथवे** और कोलैबोरेशन प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए।
    - आयुष चिकित्सकों को **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था** और सामुदायिक स्वास्थ्य अभियानों में एकीकृत करना चाहिए।

---

[78] National Commission for Indian System of Medicine

[79] National Commission for Homeopathy

[80] Strategic Policy & Facilitation. Bureau

- **विलंब का समाधान करना:** यह **आयुष स्वास्थ्य और आयोग्य केंद्रों (AHWCs)[81] के लिए कार्य योजनाएं** बनाकर, प्रशिक्षण, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके और प्रौद्योगिकी के साथ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके हासिल किया जा सकता है।
- **उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना**
  - **आयुष दवाओं के संबंध में जिम्मेदारीपूर्ण विज्ञापन को** बढ़ावा देना और उनके सुरक्षित उपयोग के बारे में **रोगियों को जागरूक करना चाहिए।**
  - जहाँ तक संभव हो **निजी बीमा कंपनियों को पंचकर्म** जैसे आयुष उपचारों को कवर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

नोट: *राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 6.4. देखें।*

7.5. दुर्लभ रोग (Rare Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)[82] ने **दुर्लभ रोगों के लिए पहली एंटी-कंप्लीमेंट थेरेपी** को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में **दुर्लभ रोगों के लिए उपचार संबंधी अवसंरचना** सुधार लाने **और आवश्यक वित्त-पोषण** के उद्देश्य से केंद्र सरकार को कई निर्देश दिए थे।
  - इसके अलावा, **मास्टर अर्नेश शॉ बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों, विशेषकर बच्चों को केवल महंगी दवाओं या इलाज की अत्यधिक लागत की वजह से उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- कोर्ट ने आगे यह दोहराया था कि **स्वास्थ्य का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।** इसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें दुर्लभ रोगों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

➢ दुर्लभ बीमारियां "ऑर्फन डिजीज" की श्रेणी में भी आती हैं। ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाओं को "ऑर्फन ड्रग" कहा जाता है क्योंकि इन दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है और यह दवा विनिर्माताओं के लिए बड़ा बाजार भी नहीं है।

दुर्लभ रोग क्या हैं?

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार,** दुर्लभ **रोग प्रति 1000 लोगों में से 1 में या उससे भी कम लोगों में पाया जाता** है। यह रोग ऐसी बीमारी या विकार होता है जो आजीवन बना रह सकता है और व्यक्ति को कमजोर बना सकता है। उदाहरण के लिए, फैनकोनी एनीमिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस आदि।
  - हालांकि, देशों की अपनी जरूरतों, जनसंख्या, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और संसाधनों के अनुसार दुर्लभ रोगों की अपनी-अपनी परिभाषाएं हैं।
- वर्तमान में, **63 दुर्लभ रोगों को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021[83] के तहत सूचीबद्ध किया गया है।** इन्हें 3 समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - वैज्ञानिक प्रगति और **केंद्रीय तकनीकी समिति द्वारा दुर्लभ रोगों** के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर इन समूहों में रोगों की सूची को **समय-समय पर अपडेट** किया जाता है।

---

[81] Ayush Health and Wellness Centres

[82] Central Drugs Standard Control Organisation

[83] National Policy for Rare Disease (NPRD), 2021

भारत में दुर्लभ रोगों का वर्गीकरण (NPRD 2021 के अनुसार)		
समूह 1 **एक बार के रोगनिरोधी उपचार योग्य।**	**समूह 2** **अपेक्षाकृत कम लागत और प्रमाणित लाभों के साथ दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता वाले रोग।**	**समूह 3** ऐसे रोग जिनका **निश्चित उपचार उपलब्ध है,** लेकिन **उच्च लागत, आजीवन उपचार की आवश्यकता और उपयुक्त रोगियों के चयन की चुनौती** बनी रहती है।
उदाहरण के लिए- अंग प्रत्यारोपण के कारण होने वाले विकार, जैसे- **यूरिया चक्र विकार, फैब्री रोग** आदि।	उदाहरण के लिए- विशेष आहार माध्यमों से प्रबंधित विकार, जैसे- **फेनिलकेटोनुरिया, होमोसिस्टीनुरिया,** आदि।	उदाहरण के लिए- **गौचर रोग, पोम्पे रोग** आदि।

दुर्लभ रोगों से निपटने के लिए की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर**
  - **WHO का फेयर प्राइसिंग फोरम**: यह विनियामकों, बीमा कंपनियों, दवा कंपनियों और रोगी समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है, ताकि ऑर्फ़न ड्रग्स के साथ-साथ अन्य दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
    - ऑर्फ़न ड्रग्स का उपयोग किसी दुर्लभ रोग के इलाज में किया जाता है।
  - **रेयर डिजीज इंटरनेशनल (RDI):** यह सभी देशों के सभी प्रकार के दुर्लभ रोगों से पीड़ित लोगों का एक वैश्विक गठबंधन है।
- **भारत में**
  - **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (National Policy for Rare Diseases), 2021:** इसका उद्देश्य एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के आधार पर दुर्लभ रोगों के मामलों और प्रसार को कम करना है।
    - **दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए अधिसूचित उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs)** में इलाज के लिए **प्रत्येक रोगी को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
    - दुर्लभ रोगों के लिए अनुसंधान गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए **नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थेराप्यूटिक्स फॉर रेयर डिजीज (NCRDTRD)** स्थापित किया गया है।
  - **राष्ट्रीय आरोग्य निधि:** इसके तहत दुर्लभ रोग से पीड़ित निर्धन रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - व्यक्तिगत उपयोग और उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) के माध्यम से दुर्लभ रोगों के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर **वस्तु एवं सेवा कर (GST) और बेसिक कस्टम ड्यूटी पर व्यय विभाग द्वारा छूट** प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य इलाज के लिए दवाओं की लागत को कम करना है।
  - **भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI)[84] का सर्कुलर**: नए ड्रग्स और क्लीनिकल ट्रायल्स नियम, 2019 के नियम 101 के तहत, CDSCO ने दुर्लभ बीमारियों के लिए उन नई दवाओं के लिए भारत में स्थानीय क्लीनिकल ट्रायल्स की अनिवार्यता हटा दी है, जो पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में मंजूर हो चुकी हैं।

भारत में दुर्लभ रोगों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं

- **उच्च प्रसार दर:** वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों से पीड़ित एक-तिहाई लोग भारत में ही हैं और अब तक 450 से अधिक दुर्लभ बीमारियों की पहचान की जा चुकी है।
- **सीमित क्लीनिकल ट्रायल्स:** दुनिया भर में दुर्लभ रोगों के लिए 8000 से अधिक क्लीनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। इनमें से केवल 80 ट्रायल्स भारत में किए जा रहे हैं, जो इनके प्रतिशत के मामले में 0.1% से भी कम है।
- **परिभाषा का अभाव:** भारत में अभी तक दुर्लभ रोगों के लिए एक मानक परिभाषा नहीं है। साथ ही, इसके लिए पर्याप्त महामारी विज्ञान (Epidemiological) संबंधी डेटा की भी कमी है।

[84] Drugs Controller General of India

- **कम बजटीय सहायता:** 2023-24 के बजट में दुर्लभ रोगों के लिए 93 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो कि निरंतर वृद्धि के बावजूद अभी भी कम है।
- **उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा निधियों का कम उपयोग:** 11 उत्कृष्टता केंद्रों को वित्तीय सहायता के लिए 71 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। हालांकि, इसमें से 47 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है।

दुर्लभ रोगों से जुड़ी अन्य चुनौतियां			
निदान में देरी/ गलत निदान	**उपचार के सीमित विकल्प**	**सीमित अनुसंधान एवं विकास**	**रोगियों पर प्रभाव**
• **स्क्रीनिंग/ नैदानिक सुविधाओं की कमी** • विविध लक्षण • प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों में कम जागरूकता	• 95% दुर्लभ रोगों के लिए अनुमोदित/ स्वीकृत उपचार उपलब्ध नहीं है।	• दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित मरीजों की सीमित संख्या के चलते डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को इन बीमारियों पर पर्याप्त क्लीनिकल अनुभव नहीं मिल पाता है।	• **वित्तीय अभाव (ऑफ़लेन ड्रग्स/ दवा की उच्च लागत)** • तनाव, एंग्जायटी, और सामाजिक अलगाव जैसे **मनोसामाजिक प्रभाव।**

आगे की राह

- **दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया निर्णय के प्रमुख निर्देशों को लागू करना:**
  - **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष (NFRD)[85] की स्थापना:** इसमें वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 974 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना है।
    - आवंटित फंड को बिना उपयोग किए वापस नहीं किया जा सकेगा या यह व्यपगत भी नहीं होगा।
    - NFRD का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) में एक या अधिक नोडल अधिकारियों से युक्त **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ (National rare disease cel)** द्वारा किया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति (NRDC)[86]** 2023 में गठित की गई थी। यह समिति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)[87] के महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना कार्य अगले पांच वर्षों तक जारी रखेगी।
  - रोगियों, डॉक्टरों और आम जनता के लिए **केंद्रीकृत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सूचना पोर्टल 3 महीने के भीतर विकसित और संचालित** किया जाना चाहिए। इसमें रोगियों की रजिस्ट्री, उपलब्ध उपचार जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
  - **भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI)** और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को **स्थानीय और वैश्विक क्लिनिकल ट्रायल्स की निगरानी** करते हुए **निर्देश दिया जाए ताकि** अधिक-से-अधिक रोगियों को इन ट्रायल्स में शामिल किया जा सके।
  - दुर्लभ रोगों की दवाओं और उपचार के लिए **समर्पित फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया** बनाई जाएगी।
  - दुर्लभ रोग उपचारों का आयात करने वाली दवा कंपनियों को भारत में स्थानीय विनिर्माण/वितरण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 90 दिनों के भीतर MoH&FW और राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति (NRDC)[88] के समक्ष विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी।
  - कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में दुर्लभ बीमारियों के लिए दान को शामिल करके सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों सहित कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)[89] के जरिए योगदान को संभव बनाना चाहिए।
  - NRDC की सिफारिश के अनुसार, समूह 3 श्रेणी में दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD), 2021 के तहत 50 लाख रुपये की ऊपरी सीमा में बदलाव** करना चाहिए।
- **उठाये जाने योग्य अन्य कदम**
  - दुर्लभ रोगों की परिभाषा निर्धारित करने के लिए **महामारी विज्ञान और इन रोगों के प्रसार संबंधी डेटा अनुसंधान को मजबूत** करना चाहिए।

---

[85] National Fund for Rare Diseases

[86] National Rare Diseases Committee

[87] Indian Council of Medical Research

[88] National Rare Disease Committee

[89] Corporate Social Responsibility

- **राष्ट्रीय रजिस्ट्री का निर्माण करना:** पूरे भारत में दुर्लभ रोगों पर महामारी विज्ञान डेटा एकत्र करने के लिए अस्पताल-आधारित राष्ट्रीय रजिस्ट्री शुरू की जानी चाहिए। इससे आवश्यक डेटा की कमी को दूर किया जा सकेगा।
- विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम हैं वहां पर **उत्कृष्टता केन्द्रों (CoEs) का विस्तार** करना चाहिए। इससे रोगियों का समय पर निदान होगा और उपचार तक बेहतर सुविधा मिलेगी।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना** के तहत **संबंधित दवाओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए।**

7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.6.1. इसरो ने प्रोबा-3 उपग्रह लॉन्च किया (ISRO Launches Proba-3 Satellites)

इसरो ने PSLV-C59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 उपग्रहों को लॉन्च किया।

PSLV-C59 के बारे में

- PSLV-C59 ने प्रोबा-3 मिशन को एक **अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा (Highly Elliptical Orbit)** में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन था।
- इसे **श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR)** से लॉन्च किया गया है।
- यह **2001 में प्रोबा-1 मिशन के बाद** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का भारत से किया गया पहला प्रक्षेपण है।
- **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है।
  - यह चार चरणों वाला यान है, जिसमें एक से अधिक उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता है।

प्रोबा-3 मिशन

- यह एक **इन-ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन (IOD) मिशन है।**
- **उद्देश्य:** एक अभिनव सैटेलाइट फॉर्मेशन के माध्यम से सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करना।
- यह विश्व का **पहला प्रिसाइज फॉर्मेशन उड़ान मिशन है।**
  - इसमें दो उपग्रह एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए एक साथ उड़ान भरेंगे।
    - फॉर्मेशन उड़ान द्वारा **लक्षित कक्षीय पथ को बनाए** रखा जाता है।
  - इसमें **कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट (CSC) और ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट (OSC)** शामिल हैं।

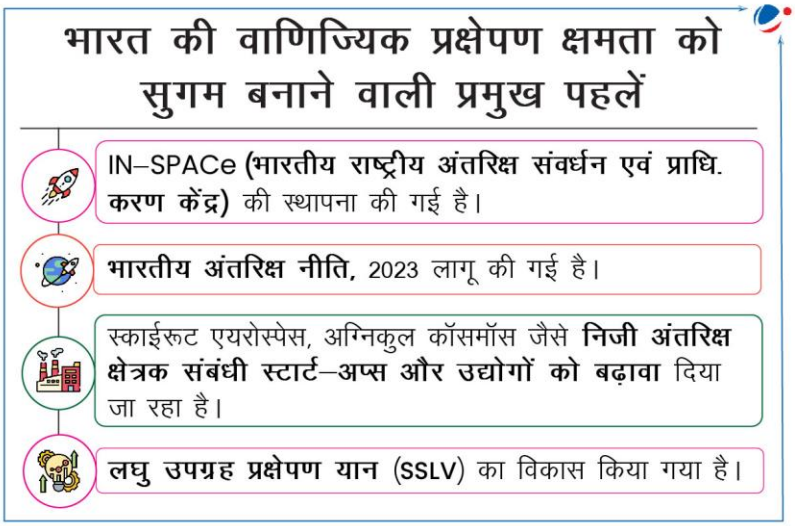

भारत के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लाभ

- **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ना:** वर्तमान में, कुल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 2-3% हिस्सेदारी है।
- **राजस्व सृजन:** विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत ने 2022 तक 279 मिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित किया था।
- **सॉफ्ट पावर:** वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण को सॉफ्ट पावर का एक घटक माना जाता है।
  - इसे भू-राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **अन्य:** इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुगम हो सकता है, आदि।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में

- अंतरिक्ष विभाग ने इसरो की वाणिज्यिक गतिविधियों को संभालने के लिए **2019** में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की थी।
- इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी **भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां शुरू** करने में मदद करना है।
- इसके अलावा, यह इसरो को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाता है।

7.6.2. एक्सिओम मिशन 4 {Axiom Mission 4 (AX-4)}

- **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के आगामी एक्सिओम-4 मिशन** के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है।
- **एक्सिओम मिशन 4 (AX-4)**
  - Ax-4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए **चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन** है।
    - यह मिशन **स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च** किया जाएगा। यात्री ISS तक पहुंचने के लिए रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किए जाने वाले **ड्रैगन अंतरिक्ष यान** का उपयोग करेंगे।
  - **एक्सिओम मिशन** को **नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सिओम स्पेस** द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया गया है।
    - Ax-1 **पहला पूर्ण-निजी मिशन** था, जिसे **2022** में लॉन्च किया गया था।

7.6.3. डार्क कॉमेट (Dark Comet)

नासा के शोधकर्ताओं ने अधिक **डार्क कॉमेट्स यानी ओउमुआमुआ जैसे खगोलीय पिंडों** की खोज की है। **ओउमुआमुआ का अर्थ है- "दूर से एक दूत पहले आ रहा है।"**

डार्क कॉमेट्स के बारे में

- ये ऐसे **खगोलीय पिंड** होते हैं, जो देखने में **क्षुद्रग्रहों** जैसे लगते हैं, लेकिन वे **धूमकेतुओं** की तरह व्यवहार करते हैं। पदार्थ हेतु सतह क्षेत्र कम होने की वजह से इनकी पूंछ नहीं होती है।
- ये आमतौर पर **अपनी कक्षाओं से विचलित** हो जाते हैं। इस विचलन को **यार्कोव्स्की इफेक्ट द्वारा नहीं समझाया** जा सका है।
  - **यार्कोव्स्की इफेक्ट** एक ऐसी परिघटना है, जो **खगोलीय पिंडों के मार्ग को ऊष्मा ऊर्जा के असममित विकिरण के कारण बदल** देती है।
- डार्क कॉमेट्स **काफी तेजी से घूमते** हैं और निकलने वाली गैस व धूल को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, जिससे वे कम दिखाई देते हैं।
- डार्क कॉमेट्स **दीर्घ व अण्डाकार पथों पर गमन** करते हैं। यह पथ उन्हें सौर मंडल के सबसे दूर तक पहुंचने से पहले सूर्य के नजदीक लाता है।

7.6.4. FSSAI ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए एडवाइजरी जारी की {FSSAI Issues Advisory for E-Commerce Food Business Operators (FBOS)}

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी एडवाइजरी का उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जा रहे **खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित** करना है।

एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विनियामक अनुपालन:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य उत्पाद **खाद्य संरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम 2020** का अनुपालन करते है।
  - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किए जाने वाले सभी दावे **भौतिक लेबल** (फिजिकल पैकेजिंग) पर लिखे गए दावों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि **उपभोक्ताओं को गुमराह न** किया जा सके।
- **खाद्य संरक्षा और स्वच्छता:** प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए **लास्ट-माइल डिलीवरी कर्मियों को प्रशिक्षित** करना होगा कि डिलीवरी कर्मचारी खाद्य संरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।
- **शेल्फ-लाइफ आवश्यकताएं:** डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की **शेल्फ लाइफ उनकी कुल शेल्फ लाइफ की कम-से-कम 30% तक बाकी** होना, या **डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी में कम-से-कम 45 दिन बाकी होना अनिवार्य है।**
- **विक्रेता की जवाबदेही:** प्लेटफॉर्म्स को **FSSAI लाइसेंस और विक्रेताओं के पंजीकरण नंबर तथा खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स की स्वच्छता रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित** करना होगा।

7.6.5. हाई रिस्क फूड (High Risk Food)

FSSAI ने **पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को 'हाई रिस्क फूड'** श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

हाई रिस्क फूड के बारे में

- हाई रिस्क फूड का आशय खाने के लिए तैयार ऐसे खाद्य पदार्थों से हैं, जिनमें **रोगजनक बैक्टीरिया का गुणन** होता हैं। इसके अलावा, यह फूड सेहत के लिए **हानिकारक साबित** हो सकता है।
- इनमें डेयरी उत्पाद जैसे- **पोल्ट्री सहित मांस उत्पाद; मछली और मछली उत्पाद,** आदि शामिल हैं।
- हाई रिस्क फूड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों को **अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण के अधीन** किया जाता है।
- हाई रिस्क वाली खाद्य श्रेणियों के तहत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता/ प्रोसेसर्स को **प्रतिवर्ष FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना** होगा।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
2025 | ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY | हिन्दी माध्यम 25 जनवरी
2026 | ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY | हिन्दी माध्यम 9 फरवरी

7.6.6. सूचित करने योग्य बीमारी (Notifiable Disease)

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने **सर्पदंश (Snakebite) के मामलों और इससे होने वाली मौतों को 'सूचित करने योग्य बीमारी'** के रूप में नामित किया है।

- इससे पहले, मंत्रालय ने **सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE)** जारी की थी। इसका उद्देश्य **2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामलों को आधा** करना है।

सूचित करने योग्य बीमारियां क्या हैं?

- कानून के तहत ऐसी बीमारियों के किसी भी नए मामले के बारे में **सरकारी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक** है।
  - किसी भी **बीमारी को अधिसूचित घोषित** करने और उसके **क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार** की होती है।
  - बीमारियों पर सूचना एकत्र होने से सरकारी एजेंसियों को **बीमारी के प्रसार पर निगरानी रखने और संभावित प्रकोप** की प्रारंभिक चेतावनी देने में मदद मिलती है।
- **अन्य अधिसूचित बीमारियां हैं:** एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, आदि।
- **WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों** के अनुसार, बीमारी के किसी नए मामले के बारे में **WHO को रिपोर्ट करना आवश्यक** है।
  - इससे बीमारियों के प्रसार पर **वैश्विक निगरानी रखने और उस पर सलाह जारी करने में मदद** मिलती है।

7.6.7. विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2024 (World Malaria Report 2024)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2024 जारी की गई।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- वैश्विक स्तर पर, **मलेरिया के मामले 2023 में बढ़कर 263 मिलियन** हो गए थे। **मलेरिया की घटनाएं जोखिमग्रस्त प्रति 1000 की आबादी पर बढ़कर 60.4** तक हो गई हैं, जो 2022 में **58.6 थीं।**
- **WHO द्वारा मलेरिया के कुल वैश्विक मामलों का 94% अफ्रीकी क्षेत्र में** दर्ज किया गया है।
- **इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - **मलेरिया के मामलों में कमी:** भारत में मलेरिया के मामले **2017 के 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन** रह गए थे। यह अंतराल **69% की कमी** को दर्शाता है।
  - **मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी: 2017 में मलेरिया के कारण 11,100 मौतें** हुई थीं, जो **2023 में घटकर 3,500** रह गई थीं। यह अंतराल **68% की कमी** को दर्शाता है।
  - 2024 में **भारत आधिकारिक तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) समूह से बाहर** हो गया था।

मलेरिया के बारे में

- मलेरिया एक प्राण-घातक बीमारी है, जो **प्लाज्मोडियम परजीवियों** के कारण होती है। यह बीमारी **संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर** के काटने से मनुष्यों में फैलती है।
- **भौगोलिक प्रसार:** इसका प्रसार मुख्य रूप से **उष्णकटिबंधीय देशों** में है।

- **लक्षण:** बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान आदि।
- **प्लाज्मोडियम प्रजातियां: 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियों** के कारण मनुष्यों को मलेरिया होता है। ये प्रजातियां हैं- **पी. फाल्सीपेरम, पी. विवैक्स, पी. मलेरिया, पी. ओवले और पी. नॉलेसी।**
  - इनमें से **पी. फाल्सीपेरम और पी. विवैक्स** मलेरिया रोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं।
- **मलेरिया की वैक्सीन:**
  - **RTS,S/AS01 वैक्सीन:** WHO ने 2021 में पहली वैक्सीन को मंजूरी दी थी।
  - **R21/ Matrix-M वैक्सीन:** WHO ने 2023 में दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी थी।

मलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू की गई पहलें

- **मलेरिया के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030:** यह मलेरिया से प्रभावित देशों के लिए तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसे 2021 में अपडेट किया गया था।
- **भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना:** मलेरिया उन्मूलन 2023-27 पर लक्षित है।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) मच्छरों के बारे में: प्रभावी मच्छर नियंत्रण** के उद्देश्य से इन्हें **प्रयोगशाला** में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इन मच्छरों में **दो प्रकार के जीन** होते हैं:
  - **सेल्फ-लिमिटिंग जीन:** यह जीन मादा मच्छर संततियों (offsprings) को वयस्क अवस्था तक जीवित रहने से रोकता है।
  - **फ्लोरोसेंट मार्कर जीन:** इस जीन से युक्त मच्छर एक विशेष लाल बत्ती के नीचे चमकता है, जिससे उसकी पहचान संभव हो जाती है।

7.6.8. नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध के एजेंट के रूप में (Nanoplastics as Agents of Antibiotic Resistance)

एक अध्ययन में बताया गया है कि **सिंगल-यूज प्लास्टिक बॉटल्स (SUPBs) से निकलने वाले नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) के प्रसार में योगदान** करते हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **नैनोप्लास्टिक्स और सूक्ष्मजीव मानव आंत सहित अलग-अलग परिवेश में सह-अस्तित्व** में रहते हैं।
- पॉलीएथिलीन टेरिफ्थेलैट बॉटल-डिराइव्ड नैनोप्लास्टिक (PBNP) हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर (HGT) प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग प्रजातियों के मध्य जीन ट्रांसफर को संभव कर सकता है। जैसे- **ई. कोलाई से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस में जीन ट्रांसफर। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, मानव आंत माइक्रोबायोटा** में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लाभकारी बैक्टीरिया है।
  - HGT **जीवों के बीच आनुवंशिक सूचना या सामग्री के संचलन की प्रक्रिया** है। यह संचलन पारंपरिक वंशानुगत स्थानांतरण (माता-पिता से संतान तक) से भिन्न है।
- PBNPs के माध्यम से **एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) जीन स्थानांतरण की सुविधा के दो मुख्य तंत्र निम्नलिखित हैं:**
  - **डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे:** इसमें PBNPs भौतिक वाहक की भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत वे **AR प्लाज्मिड को बैक्टीरिया झिल्ली में ले** जाते हैं।
  - **आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल (OMV)- इंड्यूस्ड ट्रांसफर पाथवे:** इसमें PBNPs **ऑक्सीडेटिव तनाव** उत्पन्न करते हैं। यह तनाव **बैक्टीरिया की सतहों को नुकसान** पहुंचाता है। इससे **OMV स्राव बढ़ता** है, जिससे जीन स्थानांतरण में आसानी होती है।

नैनोप्लास्टिक्स के बारे में

- नैनोप्लास्टिक्स **सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर के ठोस कण** होते हैं। इनका आकार **1 nm (नैनोमीटर) और 1000 nm** के बीच होता है।

- **स्रोत:** प्राथमिक स्रोत जैसे **सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स,** और द्वितीयक स्रोत जैसे- **माइक्रोप्लास्टिक के टूटने और विखंडन** से उत्पन्न होते हैं।
- **प्रभाव:** ये **आकार में छोटे** होने के कारण, नैनोप्लास्टिक्स कोशिकाओं और ऊतकों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये मुख्यतः **मानव रक्त, यकृत और फेफड़ों की कोशिकाओं तथा प्रजनन ऊतकों** में पाए गए हैं।

7.6.9. एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA {Extrachromosomal DNA (ECDNA)}

अध्ययनों से पता चला है कि **ecDNA किस प्रकार कैंसर की प्रगति और दवा प्रतिरोध को बढ़ाता है।**

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA (ecDNA) के बारे में

- ये **गुणसूत्रों से अलग होकर नाभिक में स्वतंत्र** रूप से मौजूद रहते हैं। ये सूक्ष्म चक्रीय DNA खंड हैं।
- **उत्पत्ति: ये DNA क्षति (जैसे, क्रोमोथ्रिप्सिस) या DNA प्रतिकृति के दौरान त्रुटियों के कारण** निर्मित होते है।
- **कैंसर में ecDNA की भूमिका:**
  - यह कुछ **ट्यूमर प्रकारों में 90%** तक पाया जाता है। इन ट्यूमर्स के प्रकारों में **ब्रेन ट्यूमर, लिपोसारकोमा और स्तन कैंसर** शामिल हैं।
  - **ecDNA** में प्रायः अनेक **ऑन्कोजीन** होते हैं, जो **ट्यूमर वृद्धि और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा** देते हैं।
    - **ऑन्कोजीन** उत्परिवर्तित जीन होते हैं। ये **कैंसर उत्पन्न** करने में सक्षम होते हैं तथा ट्यूमर के विकास को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7.6.10. मारबर्ग वायरस रोग (MVD) (Marburg Virus Disease)

हाल ही में, रवांडा में मारबर्ग वायरस रोग (MVD) के प्रकोप से कम-से-कम 15 लोगों की मौत हो गई है और कम-से-कम 66 लोग इसके वायरस से संक्रमित हैं।

MVD या मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर (रक्तस्रावी बुखार) के बारे में

- **कारक: ऑर्थोमारबर्गवायरस मारबर्गेंस** प्रजाति के **मारबर्ग वायरस (MARV) और रेवन वायरस (RAVV) हैं।**
- मानव को MVD संक्रमण **रूसेटस फ्रूट बैट्स** विशेष रूप से **इजिप्शियन फ्रूट बैट्स (रूसेटस एजिपियाकस)** की बसावट वाली खानों या गुफाओं में लंबे समय तक काम करते रहने से होता है।
- **संक्रमण का प्रसार:** मानव-से-मानव में संक्रमण का प्रसार मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, शरीरिक स्राव, अंगों, या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क (क्षतिग्रस्त त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से) में आने से होता है।
- **लक्षण: मारबर्ग बुखार के लक्षण अचानक शुरू होते हैं,** जैसे- तेज बुखार, तेज सिरदर्द, तीव्र घबराहट, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द आदि।

7.6.11. डायमंड बैटरी (Diamond Battery)

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UKAEA के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली **कार्बन-14 डायमंड बैटरी** बनाई है। यह बैटरी **संधारणीय ऊर्जा का स्रोत** है, जो हज़ारों सालों तक कार्य कर सकती है।

डायमंड बैटरी के बारे में

- इसमें मानव-निर्मित हीरे का उपयोग किया गया है। यह **बिजली पैदा करने के लिए कार्बन-14 के रेडियोएक्टिव क्षेत्र का उपयोग** करती है।
    - कार्बन-14 **रेडियोकार्बन डेटिंग** में इस्तेमाल किया जाने वाला एक **आइसोटोप** है।
        - **कार्बन-14 की अर्द्ध-आयु (हाफ लाइफ) लगभग 5,730** साल है।
- सोलर पैनल की तरह, यह बैटरी भी **ऊर्जा को परिवर्तित** करती है। हालांकि, यह बैटरी **प्रकाश की बजाय रेडियोएक्टिव क्षय** के तेज़ गति वाले **इलेक्ट्रॉन्स** का उपयोग करती है।
- इस पर **हीरे की लेप** चढ़ाई गई है। यह कम दूरी के विकिरण को सुरक्षित तरीके से अवशोषित करती है, और **बिना लीकेज के कम क्षमता वाली बिजली** पैदा करती है।

संभावित उपयोग

- यह बैटरी **पेसमेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी डिवाइसेज को बिजली** प्रदान कर सकती है।
- यह **अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त** है, क्योंकि यह सैटेलाइट्स को लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकती है।
- यह **परमाणु अपशिष्ट से कार्बन-14 को निकालकर रेडियोएक्टिविटी और भंडारण लागत कम** कर सकती है। इससे परमाणु अपशिष्ट का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है।

7.6.12. मिल्कवीड फाइबर (Milkweed Fiber)

वस्त्र मंत्रालय द्वारा मिल्कवीड फाइबर सहित नए प्राकृतिक रेशों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मिल्कवीड फाइबर के बारे में

- यह एक अनोखा **प्राकृतिक रेशा** है। इसे **मिल्कवीड पौधों (एस्क्लेपियास सिरिएका एल) के बीज कोष** से प्राप्त किया जाता है।
    - यह पौधा **उत्तरी अमेरिका का स्थानिक** पादप है। भारत में यह **राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में जंगली पौधे** के रूप में पाया जाता है।
- **गुण:** इसमें **तैलीय पदार्थ और लिग्निन** होता है, जो इसे कताई के लिए बहुत भंगुर बनाता है। **लिग्निन विशेष रूप से पादपों की कोशिकाओं व कोशिका भित्तियों** में पाया जाता है।
    - इसमें **एम्फीफिलिक गुणों** को दिखाने वाली सामग्री पाई जाती है, जो **हाइड्रोफिलिक** (जल को अवशोषित करने वाले) और **हाइड्रोफोबिक** (जल-विकर्षक/ प्रतिरोधी) दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सकती है।
- **उपयोग:** इसका अवशोषक सामग्री, जल-सुरक्षा उपकरण (लाइफ जैकेट और बेल्ट) आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

7.6.13. बायो-बिटुमेन (Bio-Bitumen)

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने **राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नागपुर-मनसर बाईपास सेक्शन पर बायो-बिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन** किया।

- **बिटुमेन कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त एक काला पदार्थ** है। यह **चिपचिपा** होता है।
    - इसका उपयोग **मुख्य रूप से सड़क बनाने और जलरोधक बनाने** में किया जाता है।

बायो-बिटुमेन के बारे में

- यह **कार्बनिक तत्वों** से बना होता है। इस तरह यह बिटुमेन का **पेट्रोलियम-मुक्त विकल्प** है।
  - बायो-बिटुमेन के उदाहरण हैं: **बायो-चार, पराली, लिगिन, बायो-ऑयल,** आदि।
- इसका उपयोग **बिटुमेन के बदले या फिर बाइंडर मिश्रण में बिटुमेन की मात्रा को कम** करने के लिए किया जा सकता है।
- **लाभ:** बिटुमेन के **आयात में कमी** आएगी, पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी, बायो-इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा, आदि।
- **सड़क निर्माण के लिए अन्य संधारणीय तरीके:** कॉपर स्लैग, जियोटेक्सटाइल, कोल्ड अस्फाल्ट मिश्रण, आदि।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party of India: CPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2025 में **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)** का **100वां स्थापना दिवस** मनाया जा रहा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भारत के बाहर CPI का गठन (1920): वर्ष 1920 में ताशकंद में सात लोगों** के एक समूह ने बैठक की थी। इसमें **एम. एन. रॉय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक** जैसे प्रमुख नेता भी शामिल थे। इस बैठक में उन्होंने **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी** का गठन करने का निर्णय लिया था।
    - ताशकंद, सोवियत संघ के तत्कालीन **तुर्किस्तान गणराज्य** की राजधानी था।
  - **CPI के गठन के लिए जिम्मेदार कारण:**
    - **असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी** के कारण हुई पैदा हुई निराशा और असंतोष;
    - **1917 की अक्टूबर क्रांति** से मिली प्रेरणा, जिसने **रूस** में दुनिया के पहले **श्रमिक शासन (साम्यवादी सरकार)** की स्थापना की थी आदि।

> **क्या आप जानते हैं?**
>
> 1920 से 1929 तक, तीन प्रसिद्ध मुकदमे हुए: **पेशावर षड्यंत्र केस** (1922–27), **कानपुर बोल्शेविक केस** (1924), **और मेरठ षड्यंत्र केस (1929–1933)।** ये मुकदमे कई कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने के प्रयास थे। हालांकि, ये मुकदमे इतने प्रसिद्ध हुए कि इसने **भारत और विदेश, दोनों जगहों पर कम्युनिस्टों के बीच एकजुटता पैदा की।**

- **भारत में CPI का गठन: दिसंबर 1925 में 'कानपुर कम्युनिस्ट सम्मेलन'** के दौरान CPI के गठन की घोषणा करने वाला एक संकल्प अपनाया गया था। इस संगठन के तहत ब्रिटिश भारत में सक्रिय अलग-अलग **कम्युनिस्ट समूहों** को एकजुट किया गया था।
  - **प्रथम अध्यक्ष:** मलयपुरम सिंगारवेलु चेट्टियार।
    - **मई 1923** में, उनके नेतृत्व में **भारत में पहला मई दिवस** मनाया गया था।
  - **प्रथम महासचिव:** एस. वी. घाटे और जे. पी. बगरहट्टा।
  - **पार्टी के संस्थापक सदस्य:** सत्यभक्त, एम .एन. रॉय, ई. टी. रॉय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी आदि।
- **प्रमुख नेता:** एम. एन. रॉय, एवलिन ट्रेंट-रॉय (एम. एन. रॉय की पत्नी), अबनी मुखर्जी, रोजा फ़िटिंगोव, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, ए. के. गोपालन, एस. ए. डांगे, ई. एम. एस. नंबूदरीपाद, पी. सी. जोशी, अजय घोष, पी. सुंदरराय आदि।
- **विचारधारा:** वे **मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधाराओं** को मानते थे।
  - मार्क्सवाद-लेनिनवाद एक **राजनीतिक विचारधारा और शासन प्रणाली है, जो कार्ल मार्क्स तथा व्लादिमीर लेनिन के विचारों पर आधारित है।**
  - यह **मार्क्सवादी समाजवाद को लेनिनवादी वैंगार्डिज्म** के साथ जोड़ता है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर जोर दिया गया है, जो एक क्रांति का नेतृत्व करती है, ताकि एक **समाजवादी राज्य की स्थापना हो सके और अंततः एक साम्यवादी समाज स्थापित हो सके।**
- **CPI द्वारा समर्थित प्रकाशन: गणवाणी** (बंगाली साप्ताहिक), **मेहनतकश** (लाहौर से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक) और **क्रांति** (बॉम्बे से प्रकाशित मराठी साप्ताहिक)।
- **CPI के प्रमुख लक्ष्य:** बैंकों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों और किसानों के अधिकार, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, समाजवादी राज्य की स्थापना आदि।
- **CPI के इतिहास की प्रमुख घटनाएं:**
  - **प्रतिबंध:** ब्रिटिश सरकार ने **जुलाई 1934 में CPI को गैर-कानूनी** घोषित कर दिया था। **1942 में प्रतिबंध हटा** लिया गया था।
  - **विभाजन: 1964** में सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण CPI का विभाजन हुआ था। एक गुट **CPI (सोवियत समर्थक गुट) और दूसरा CPI (मार्क्सवादी) (चीन समर्थक गुट)।**

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में CPI की भूमिका

- **जनता को लामबंद करना:** CPI ने अलग-अलग संगठनों के माध्यम से **समाज के सभी वर्गों** को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया था। **1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन तथा महिला संगठनों** के जरिए CPI ने जनता को एकजुट किया था तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी बढ़ाई थी।

- असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में **महिलाओं, किसानों, श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग** की बड़ी भागीदारी देखी गई थी।

- **सामाजिक सुधार:** CPI ने दलितों के अधिकारों, हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता तथा औपनिवेशिक दमन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र (संगठित देश) के गठन का समर्थन करके सामाजिक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
  - **केरल: ए. के. गोपालन और पी. कृष्ण पिल्लई** जैसे CPI के नेताओं ने **गुरुवायुर में मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश की मांग** के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
  - **महाराष्ट्र: मार्च 1927 में आर. बी. मोरे** के नेतृत्व में CPI कार्यकर्ताओं ने **महाड़ में अम्बेडकर के नेतृत्व में चवदार तालाब सत्याग्रह** का आयोजन किया था।
- **पूर्ण स्वतंत्रता की मांग:** CPI ने ही सर्वप्रथम **1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन** में तथा फिर **1922 में गया अधिवेशन** में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक खुले पत्र के रूप में घोषणा-पत्र (मेनिफेस्टो) भेजा था।
  - बाद में इस विषय पर एक संकल्प को **1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया** गया था।
- **वैचारिक प्रभाव: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन** जैसे संगठनों के माध्यम से कम्युनिस्टों ने **क्रांतिकारी गतिविधियों** के जरिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के विचार का प्रचार किया था।
  - ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता से **बहुत चिंतित** थी और इसी कारण उन्होंने **मेरठ षडयंत्र केस, 1929** में कम्युनिस्ट नेताओं को निशाना बनाकर गिरफ्तार किया।
- **संघर्षों का समर्थन:** CPI और इसके नेताओं ने भारत में कई प्रमुख किसान और श्रमिक संघर्षों का समर्थन किया था। **(इन्फोग्राफिक देखिए)**
- **संविधान निर्माण में CPI की भूमिका:**
  - **संविधान का विचार: 1934 में एम. एन. रॉय ने ही औपचारिक रूप से संविधान का विचार** प्रस्तुत किया था। इसी तरह, CPI ने भी **संविधान सभा** के विचार को सामने रखा था।
  - **संविधान के आदर्श:** CPI ने संविधान में शामिल **पंथनिरपेक्षता, न्याय, समता, सार्वभौमिक मताधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, भूमि सुधार** जैसे आदर्शों का समर्थन किया था।

CPI द्वारा समर्थित प्रमुख विद्रोह

विद्रोह	विवरण
तेलंगाना पीपल्स विद्रोह (1946–1951	जमींदारी उन्मूलन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा द्वारा तेलंगाना क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष शुरू किया गया था।
तेभागा संघर्ष (1946–1949)	कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें **बंटाईदारों के लिए भूमि की उपज के दो–तिहाई और जोतदारों के लिए एक तिहाई भाग** की मांग की गई थी।
पुन्नपरा–वायलार संघर्ष (1946)	यह आंदोलन **अल्लापुझा (अब केरल)** में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कॉयर कार्यकर्ता, खेत मजदूर और श्रमिक वर्ग के अन्य वर्ग द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन राज्य पर **क्रूर और निरंकुश तरीके** से शासन करने वाले तथा **भारत में विलय से इंकार करने वाले दीवान** के खिलाफ आरंभ किया गया था।
त्रिपुरा आदिवासियों का संघर्ष (1948–1950)	**त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद** ने AIKS के साथ मिलकर **गण शिक्षा आंदोलन** के नाम से आदिवासी किसानों के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन **भूमि हस्तांतरण, "टाइटुन" प्रणाली** और अन्य मांगों के खिलाफ किया गया था।
वार्लियों का विद्रोह, महाराष्ट्र (1945–47)	यह आंदोलन **जमींदारों द्वारा वारली आदिवासियों के अमानवीय शोषण** के खिलाफ शुरू किया गया था। यह **महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कम्युनिस्ट महिला नेता गोदावरी पारुलकर** के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने आरंभ और संगठित किया था।
CPI के प्रभाव वाले अन्य विद्रोह	सूरमा घाटी संघर्ष (1936–1948), रॉयल इंडियन नेवी (**RIN**) विद्रोह (1946) आदि।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. भौगोलिक संकेतक (GI) टैग {Geographical Indication (GI) Tag}

गुजरात की पारंपरिक विवाह की साड़ी 'घरचोला' को GI टैग दिया गया है।

- यह साड़ी **लाल, मैरून, हरे और पीले** जैसे शुभ रंगों में तैयार की जाती है। पारंपरिक रूप से इसे **हिंदू और जैन विवाहों** के अवसर पर पहना जाता है।

GI टैग के बारे में

- GI एक प्रतीक है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** होती है तथा इस विशिष्ट **भौगोलिक उत्पत्ति के कारण** उनमें विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- भारत में यह **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के तहत दिया जाता है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण **10 वर्षों की अवधि के लिए वैध** होता है, जिसे **बाद में नवीनीकृत** कराया जा सकता है।
- **लाभ:** यह विशेष उत्पाद के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, उस उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है तथा उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।

8.2.2. कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, 1924 (1924 Belgaum Congress Session)

26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी (पहले बेलगाम/ बेलगांव) में **कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन (1924)** का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है।

1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में

- यह **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन** था। यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता **महात्मा गांधी** ने की।
- **बेलगाम अधिवेशन का महत्त्व:**
  - इस अधिवेशन में **गांधीजी** ने **'स्वराज'** और **'सर्वोदय'** के विचार पर चर्चा की।
  - इस अधिवेशन में **कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार** किया गया, सदस्यता शुल्क में 90% की कटौती की गई तथा सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - बेलगाम में **अस्पृश्यता के खिलाफ** अलग से सम्मेलन आयोजित किया गया था।
  - **हिंदू-मुस्लिम एकता, सार्वजनिक सेवा हेतु पारिश्रमिक और खादी के अनिवार्य उपयोग** पर बल देने के लिए मजबूत प्रस्ताव पारित किया गया।

8.2.3. इंदिरा गांधी पुरस्कार (Indira Gandhi Prize)

चिली की पूर्व राष्ट्रपति **मिशेल बाचेलेट** को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए **इंदिरा गांधी पुरस्कार, 2024 से सम्मानित** किया जाएगा।

- यह पुरस्कार उन्हें **लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार** के लिए उनके कार्य हेतु प्रदान किया जाएगा।

इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार **हर साल उन व्यक्तियों और संगठनों** को दिया जाता है जो **अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण** आदि को बढ़ावा देने की दिशा में रचनात्मक प्रयास करते है।
- पुरस्कार के तहत **10 मिलियन रुपये और प्रशस्ति पत्र के साथ एक ट्रॉफी** दी जाती है।
- पुरस्कार के लिए प्रस्तावों की जांच और अंतिम चयन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नामित एक जूरी द्वारा किया जाता है। यह **जूरी 5 से 9 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर** बनती है।

8.2.4. साहित्य अकादमी (Sahitya Akademi)

नागालैंड की लेखिका ईस्टरीन किरे की रचना "स्पिरिट नाइट्स" को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है।

साहित्य अकादमी के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसका औपचारिक रूप से **1954 में उद्घाटन** किया गया था। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत है।
- **मंत्रालय:** यह **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन एक **स्वायत्त निकाय** है।
- **भूमिका:** अकादमी **24 भाषाओं (22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी व राजस्थानी) में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन** करती है।
  - इसे **'भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी'** के रूप में सम्मानित किया गया है।
- **इसके प्रमुख पुरस्कार:** साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान आदि।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

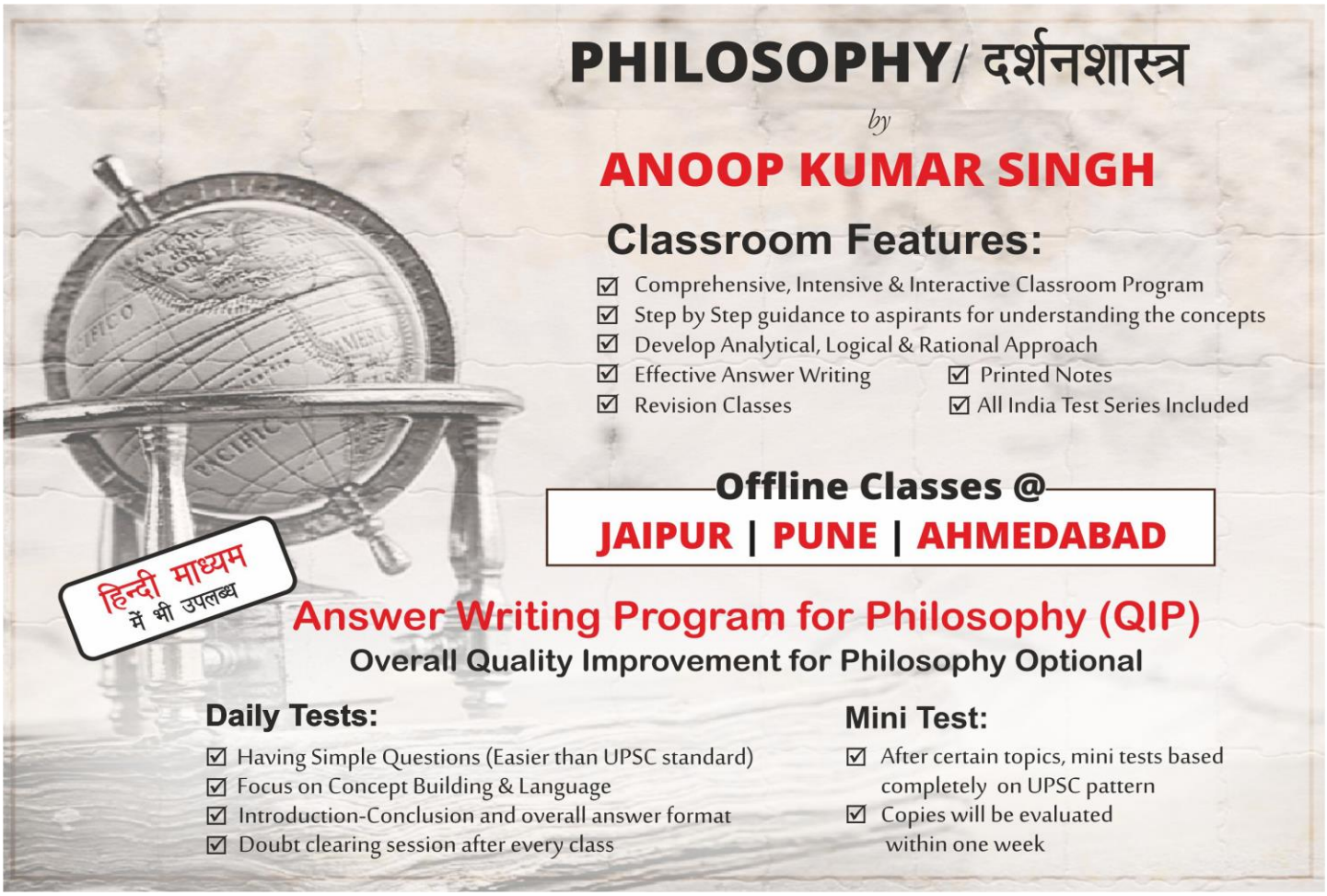

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सुशासन की भारतीय अवधारणा (Indic Idea of Good Governance)

परिचय

हाल ही में, भारत में P2G2[90] या जनहितकारी सुशासन के सिद्धांत पर बल देने के लिए कदम उठाया गया। साथ ही, अमेरिका में **गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग** की स्थापना की गई। दोनों ही देशों द्वारा उठाए गए ये कदम बेहतर और जनोन्मुखी प्रशासन की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में, भारत की प्राचीन परंपराओं को पुनः समझना आवश्यक हो गया है, जिनमें न्याय, निष्पक्षता और जनकल्याण पर आधारित **"राजधर्म"** की अवधारणा निहित थी।

शब्दावली जानें

धर्म अपने व्यापक अर्थों (आध्यात्मिक, नैतिक, नीतिशास्त्रीय और लौकिक) में एक कानून है। **प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह शासक हो या प्रजा, अपने स्वयं के धर्म द्वारा शासित होता है।**

— कौटिल्य (अर्थशास्त्र)

सुशासन (Good Governance) के बारे में

- **शासन** सत्ता के उपयोग का वह तरीक़ा है, जिससे यह तय होता है कि देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का विकास के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाता है।
    - यह एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज सुनी जाए** तथा **वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं।**
- **संयुक्त राष्ट्र** के अनुसार, **सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएं हैं**:
    - **सहभागिता (Participatory)**
    - **सर्वसम्मति आधारित (Consensus-Oriented) निर्णय**
    - **जवाबदेही (Accountable)**
    - **पारदर्शिता (Transparent)**
    - **प्रतिक्रियाशीलता (Responsiveness)**
    - **प्रभावशीलता (Effectiveness)**
    - **न्यायसंगतता (Equitability)**
    - **समावेशिता (Inclusiveness)**

      इसके साथ ही, सुशासन के लिए **विधि के शासन (Rule of Law)** का पालन करना आवश्यक होता है।
- **सुशासन के समक्ष मौजूद चुनौतियां:**
    - भ्रष्टाचार
    - जवाबदेही की कमी
    - न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब होना
    - कानूनों का खराब कार्यान्वयन
    - सार्वजनिक सेवाओं की अपर्याप्त आपूर्ति

सुशासन की भारतीय अवधारणा

- **बृहदारण्यक उपनिषद:** इसमें राजा के लिए इस कर्तव्य पर बल दिया गया है कि वह **धर्म** की रक्षा करे और लोक-कल्याण सुनिश्चित करे, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सके और कमजोर वर्गों का शोषण न हो।

[90] Pro-People Good Governance

- **मुण्डक उपनिषद:** सुप्रसिद्ध **"सत्यमेव जयते"** वाक्यांश इसी ग्रंथ से लिया गया है, जिसका अर्थ है **"सत्य की विजय होती है"**। यह सुशासन की अवधारणा का एक मौलिक तत्व है।
- **रामायण:** इसमें **"रामराज्य"** की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो आदर्श शासन का प्रतीक है। साथ ही, इसमें नेतृत्व के महत्वपूर्ण कौशल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। रामराज्य की अवधारणा के तहत, राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह केवल अपने लिए धन-संपत्ति एकत्र करने में व्यस्त रहने के स्थान पर, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखे।
  - रामायण के **अयोध्या कांड** में सुशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की व्याख्या की गई है। रामराज्य में **भूख, पीड़ा, अन्याय और भेदभाव** से मुक्ति का प्रावधान समाहित था।

क्या आप जानते हैं?

छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजसत्ता के प्रति उपभोगशून्य स्वामी का दृष्टिकोण अपनाया था। यह दृष्टिकोण बिना किसी भी व्यक्तिगत उत्थान के प्रजा के संपूर्ण स्वामित्व की बात करता है।

- **भगवद गीता:** इसमें **"अधिष्ठान"** की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो किसी भी शासन प्रणाली की नींव होती है।
  - अधिष्ठान (वह स्थान जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं) का अर्थ है **जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ निर्णय लेना**, ताकि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।
- **अथर्ववेद:** अथर्ववेद में **'भूमि सूक्तम्'** नामक एक मंत्र है, जो पृथ्वी को समर्पित है। इस मंत्र में पृथ्वी को सार्वभौमिक माता के रूप में दर्शाया गया है, जो सभी प्राणियों का पोषण करती है। यह मंत्र प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- **तिरुक्कुरल:** यह ग्रंथ समाज के **सुव्यवस्थित विकास** पर बल देता है। इसमें **प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उनके दोहन और संरक्षण के मध्य संतुलन** बनाए रखने की आवश्यकता से संबंधित नियम शामिल हैं।
- **कौटिल्य का अर्थशास्त्र:** इसमें **योगक्षेम** अर्थात् नागरिकों के कल्याण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसमें **राजधर्म** का वर्णन करते हुए राजा को **जनता का सेवक** बताया गया है, जिसका कर्तव्य है कि वह **बीमारों, बच्चों, वृद्धों आदि की समुचित देखभाल** करे।
- **अंत्योदय:** यह महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। इसमें समाज के **सबसे दुर्बल वर्ग** के कल्याण के जरिए **सर्वोदय (सभी का विकास)** का लक्ष्य रखा गया है।

सुशासन की भारतीय अवधारणा की वर्तमान प्रासंगिकता

- **वैश्वीकरण के अनुरूप ढलना:** वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया है। इससे **बहुराष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों** का प्रभाव बढ़ा है। ऐसी स्थिति में, **सुशासन की भारतीय अवधारणा** को अपनाने से **लोक व्यवस्था और जनकल्याण** के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **वसुधैव कुटुंबकम** (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) की अवधारणा वैश्विक एकता और समावेशिता को बढ़ावा देती है।
- **संधारणीय जीवन (Sustainable living):** अथर्ववेद में प्रस्तुत भारतीय अवधारणा में संधारणीय विकास प्रथाओं पर विशेष बल दिया गया है। **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** और **मिशन LiFE**[91] के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में इन सिद्धांतों की झलक देखी जा सकती है।
- **लोकतंत्र की रक्षा:** सरकार और नागरिक समाज/ नागरिकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करके यह प्राप्त किया जा सकता है।
  - इन्हीं विचारों पर आधारित **"मिशन कर्मयोगी"** सरकारी अधिकारियों में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई है।
- **सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय (Welfare for All): अंत्योदय** का विचार, **समावेशी विकास (Inclusive Development) की आधुनिक अवधारणा** के अनुरूप ही है।
  - उदाहरण के लिए, **MGNREGA, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), आयुष्मान भारत** जैसी योजनाएं हाशिए पर मौजूद समुदायों का स्तर ऊपर उठाने में सहायक हैं।
- **कूटनीतिक संबंधों में सुधार: कौटिल्य** के व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुसार, अन्य देशों के साथ डील करते हुए विदेश नीति में अवसरों, खतरों और जोखिमों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।
  - यह नीति-निर्माण को **रणनीतिक और वास्तविकतावादी दृष्टि** प्रदान करती है।
- **संघर्ष समाधान (Conflict Resolution):** न्यायशास्त्र की न्यायिक प्रणाली में**, न्याय, निष्पक्षता और मध्यस्थता** पर बल दिया जाता है। यह प्रतिकूल कानूनी प्रणालियों के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करती है।
  - आधुनिक प्रशासन में इस दृष्टिकोण को अपनाकर न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सकता है और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है।

[91] Lifestyle for Environment

निष्कर्ष

वर्तमान में सुशासन की अवधारणा की मूलभूत विशेषताएं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित प्रशासनिक संरचना और दर्शन से मेल खाती हैं। किसी भी प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य **जनता की खुशहाली** होती है। इसलिए, **प्राचीन शास्त्रों की गहराइयों से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक** है, ताकि **SMART[92] प्रशासन** का निर्माण किया जा सके।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आपने हाल ही में एक सुदूर जिले X के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला है। वहां की जनता और अधिकारियों से बातचीत करने पर आपको पता चलता है कि जिले में अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार, गुणवत्ताहीन सेवा वितरण और लापरवाही जैसी प्रथाओं के साथ शासन का बहुत खराब रिकॉर्ड है। आगे की जांच करने पर आपको पता चलता है कि अधिकारी और नागरिक दोनों ही अपनी मान्यताओं में काफी पारंपरिक हैं और आधुनिक शासन के विचारों से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए, आपको प्रशासनिक रणनीति को सुशासन के भारतीय विचारों से जोड़कर उसे नया रूप देने की तत्काल आवश्यकता महसूस होती है, ताकि यह न केवल लोगों की मान्यताओं के साथ जुड़ सके, बल्कि अधिकारी भी पूरी भावना के साथ इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. सुशासन की भारतीय अवधारणा की प्रमुख आधारभूत धारणाएं क्या हैं?
2. कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, सुझाव दीजिए कि जिला X के शासन के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने में भारतीय विचार किस प्रकार मदद करते हैं?

9.2. शांति के पहलू (Aspects of Peace)

परिचय

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन के 10वें वैश्विक फोरम[93]** में वैश्विक नेताओं ने **कैस्केस घोषणा-पत्र** को अपनाया है। इसमें उन्होंने मौजूदा अशांत वातावरण में शांति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस घोषणा-पत्र में **अंतर-पीढ़ीगत संवाद** के महत्व पर जोर दिया गया है, ताकि **शांति, सतत विकास और मानवाधिकारों** की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले, **यूनेस्को HK एसोसिएशन की 2012 की शांति परियोजना** ने शांति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया था। इसमें **शांति को व्यक्तियों और जीवन के सभी पहलुओं में सौहार्द** के रूप में परिभाषित किया गया था।

शांति के विभिन्न पहलू

पहलू	अवधारणा	चुनौतियां
व्यक्तिगत/ आंतरिक शांति	• यह अवधारणा **लोगों को जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने, तनाव को कम करने** और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद कर सकती है।	• कार्य-जीवन असंतुलन, आर्थिक अस्थिरता के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। • भौतिकवाद और उपभोक्तावाद का बढ़ता प्रभाव।
सामाजिक शांति	• समाज में सहयोग, संघर्ष समाधान, समानता और न्याय के जरिए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती है।	• भेदभाव और बहिष्करण से असंतोष और हिंसा बढ़ती है। • भ्रामक सूचनाएं, हेट स्पीच और जेंडर व नस्ल से संबंधित पूर्वाग्रह।
पारिस्थितिक शांति	• सतत विकास और पर्यावरण के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने पर जोर देती है।	• जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों के लिए संघर्ष और विस्थापन को बढ़ावा देते हैं। • पर्यावरणीय मुद्दों पर अपर्याप्त सहयोग।

[92] Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent

[93] 10th Global Forum of UN Alliance for Civilizations

सांस्कृतिक शांति	• सांस्कृतिक विविधता को समझने, उसे सम्मान देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।	• **नृजातीय अहंकार:** अपनी संस्कृति को सर्वोपरि मानना, सांस्कृतिक असहिष्णुता और हेट स्पीच।
राजनीतिक शांति	• सरकार, व्यापार, और समाज के **समूहों, संगठनों और समुदायों के मध्य** व्यापार और समाज के स्तर पर न्यायपूर्ण और अहिंसा पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देती है।	• **वैश्विक स्तर पर:** क्षेत्रीय विवाद, प्रतिद्वंद्विता, **कमजोर अंतर्राष्ट्रीय शासन**, परमाणु हथियारों का प्रसार। • **राष्ट्रीय स्तर पर:** कमजोर विधि का शासन, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार।

शांति के कुछ दार्शनिक पहलू

- **गांधीवादी शांति की अवधारणा:** महात्मा गांधी के अनुसार, शांति का मूल आधार **अहिंसा** और **सत्य** है। उन्होंने **आत्मशुद्धि, सादगी और करुणा** को सामाजिक शांति के लिए आवश्यक तत्व माना है।
- **शांति की उपयोगितावादी अवधारणा:** एक शांतिपूर्ण समाज सामूहिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। जब किसी कार्य से **अधिकतम सुख प्राप्त होता है** और **कष्ट दूर होते हैं**, तो शांति की प्राप्ति होती है।

> "शांति केवल वहां रह सकती है जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, जहां लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है, और जहां व्यक्ति तथा राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। स्वयं के साथ और अपनी बाहरी दुनिया के साथ सच्ची शांति केवल मानसिक शांति के विकास के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।" — **दलाई लामा**

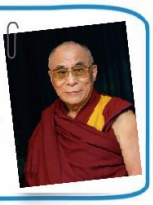

- **शांति पर कांट की अवधारणा:** इमैनुअल कांट के अनुसार, शांति केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों और राष्ट्रों का सक्रिय नैतिक कर्तव्य भी है। वे **तर्कसंगतता, सार्वभौमिक नैतिकता** और **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के जरिए स्थायी शांति के पक्षधर थे।

शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हितधारक

वैश्विक/ राजनीतिक शांति	
सरकारें	• सरकारें **नीतियां बनाती हैं, कानून लागू और नियमों को सख्ती से लागू करती हैं**, ताकि अपने देश और वैश्विक स्तर पर **शांति, मानवाधिकार तथा न्याय** को बढ़ावा दिया जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	• **ये संघर्षों के समाधान के लिए मध्यस्थता करते हैं, कूटनीति को बढ़ावा देते हैं** और **वैश्विक शांति** व सतत विकास के लिए प्रयासों का समन्वय करते हैं।
नागरिक समाज संगठन	• ये स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर **शांति, मानवाधिकार और सामाजिक बदलाव** की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक शांति	
सामुदायिक नेता	• स्थानीय नेता **संघर्षों को हल करने, न्याय की वकालत करने और अपने समुदायों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेता	• ये **प्रेम, करुणा, क्षमा और धार्मिक सहिष्णुता** को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। साथ ही, ये विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के बीच **समझ और सौहार्द** को प्रोत्साहित करते हैं।
मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया	• मीडिया सही सूचनाओं को बढ़ावा देकर तथा गलत सूचनाओं और घृणास्पद अभिव्यक्ति आदि का मुकाबला करके शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

व्यक्तिगत/ आंतरिक शांति	
व्यक्तिगत स्तर पर	• प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सहिष्णुता, समझ और सहानुभूति जैसे सिद्धांतों का पालन करके, अपने परिवारों और समुदायों के भीतर शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर शांति में योगदान देता है।
परिवार के स्तर पर	• परिवार समाज की पहली इकाई होती है, जहां शांति की स्थापना शुरू होती है। परिवार के लोग अपने बच्चों में अहिंसा, सम्मान और संघर्ष समाधान जैसे मूल्यों को स्थापित करते हैं।
शैक्षणिक संस्थान	• शिक्षक और पाठ्यक्रम शांतिपूर्ण मूल्यों, क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संधारणीयता और संघर्ष समाधान जैसे गुण सिखाकर भावी पीढ़ियों को आकार देते हैं।

शांति की बहाली और उसे बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक शांति (Global Peace):** विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी विभिन्न वैश्विक संस्थाएं संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित कर रही हैं। साथ ही, उनके द्वारा बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देकर वैश्विक स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **राजनीतिक शांति (Political Peace): अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)**[94] जैसी वैश्विक संस्थाएं तथा विभिन्न शांति वार्ताएं और संधियां विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करती हैं।
- **पारिस्थितिक शांति (Ecological Peace):** पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और **संसाधन-आधारित संघर्षों को टालने** के लिए **पेरिस समझौते** जैसे प्रयास किए गए हैं। **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के 'अर्थ ऑवर'** जैसे कार्यक्रम **पारिस्थितिकी संधारणीयता** के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं।
- **आंतरिक शांति (Inner Peace): अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** और **विश्व ध्यान दिवस**[95] जैसे वैश्विक कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देते हैं।
- **सांस्कृतिक शांति (Cultural Peace): यूनेस्को (UNESCO)** के **वर्ल्ड कल्चर फोरम** विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच आपसी समझ और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं।
    - यूनेस्को का **सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम**[96] संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा करता है, जो एकता और शांति का प्रतीक है।

निष्कर्ष

शांति एक व्यापक अवधारणा है। शांति में संघर्ष की ग़ैर-मौजूदगी के साथ-साथ लोगों और राष्ट्रों के बीच **सद्भाव, न्याय, समानता और आपसी समझ** का मौजूद होना भी आवश्यक है। शांति की आंतरिक भावना को बाह्य रूप से व्यक्त करके **वैश्विक समस्याओं, जैसे- मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समानता के लिए स्थायी समाधानों को प्रोत्साहित** किया जा सकता है।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में रिवानिया नामक एक काल्पनिक देश स्थित है। यह अपने पड़ोसी देश, कार्डोविया के साथ संसाधन समृद्ध सीमा पर लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद का सामना कर रहा है। यह विवाद बार-बार संघर्ष, विस्थापन और क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बनता रहा है। राजनीतिक पूर्वाग्रहों और कमजोर प्रवर्तन के कारण ग्लोबल पीस काउंसिल जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं प्रभावी रूप से मध्यस्थता करने में विफल रही हैं, जिससे अविश्वास गहरा रहा है। सामाजिक रूप से, यह विवाद रिवानिया में नृजातीय राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक सामंजस्य को नुकसान होता है। इसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को भय, ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है और ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जिससे परिवारो में बिखराव उत्पन्न होता हैं। शांति के पक्षधर कार्यकर्ता इससे निराश रहते हैं, क्योंकि वैश्विक संस्थाएं इस विवाद का समाधान करने के लिए संघर्ष करती हैं, जिससे समाज और लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

[94] International Court of Justice

[95] World Meditation Day

[96] Cultural heritage Programe

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
- चर्चा कीजिए कि शांति के विभिन्न पहलू एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं?
- रिवानिया में एक नेता के रूप में, आप कार्डोविया के साथ संघर्ष का समाधान करके नैतिक नेतृत्व कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं?

9.3. लिबर्टी यानी स्वाधीनता की अवधारणा (Concept of Liberty)

परिचय

हाल ही में, *अरविंद केजरीवाल बनाम CBI* मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की निरंतर हिरासत से **अनुच्छेद 21** के तहत प्रदत्त **व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन** होगा। इसी तरह के अन्य संबंधित निर्णयों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि **जमानत नियम है और जेल अपवाद**[97]। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत **व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पवित्र स्वरूप** को रेखांकित किया गया है।

लिबर्टी यानी स्वाधीनता के बारे में

- **लिबर्टी** का आशय उस स्थिति या परिस्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति **बाहरी शक्तियों द्वारा अनुचित प्रतिबंध या दबाव के बिना** अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है।
- यहां पर लिबर्टी या स्वाधीनता की अवधारणा के **दो पहलू** दिए गए हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **स्वाधीनता पर प्रतिबंध (Constraints on Liberty):** स्वाधीनता पर प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा कानूनों के जरिए लगाया जा सकता है। साथ ही, यह सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के कारण भी उत्पन्न हो सकता है।
    - **स्वाधीनता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों?:** समाज में लोगों के विचार और राय भिन्न होते हैं। साथ ही, संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर भी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता रहता है।
        - इसलिए, सभी समाजों में कुछ **नियंत्रण भी आवश्यक होते हैं**, ताकि मतभेदों पर चर्चा तथा विमर्श किया जा सके और **कोई समूह अपने विचारों को किसी अन्य समूह के ऊपर आरोपित न करे**। हालांकि, ये प्रतिबंध **तार्किक और उचित** होने चाहिए।

स्वाधीनता से जुड़े नैतिक फ्रेमवर्क

- **जॉन स्टुअर्ट मिल का "हानि सिद्धांत (Harm principle)":** मिल ने **स्वाधीनता के उपयोग में राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप** किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि "किसी भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति पर विधिक रूप से शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो।" इसे ही **'हानि सिद्धांत'** कहा जाता है।

[97] Bail As Rule And Jail As Exception

- **प्रतिबंधों की सीमाएं: मिल** के अनुसार, राज्य या समाज को किसी व्यक्ति के **स्वयं से जुड़े कार्यों** को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है।
  - हालांकि, यदि **किसी कार्य का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है,** तो उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- *नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ* वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने **समलैंगिकता को अपराध न ठहराने का निर्णय लिया था**, क्योंकि यह **स्वयं से जुड़ा कार्य**[98] था। कोर्ट ने इस फैसले के समर्थन में मिल के "हानि सिद्धांत" का उल्लेख किया।

- **स्वाधीनता और अधिकार (Liberty and Rights):** स्वाधीनता अधिकारों से गहराई से जुड़ी हुई होती है क्योंकि अधिकारों का उचित प्रवर्तन राज्य के नागरिकों को वैध स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
  - **सिद्धांत-आधारित रूपरेखा:** अधिकारों की रूपरेखा नैतिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता पर जोर देती है, जो कभी-कभी एक-दूसरे के विरोधाभासी होते हैं।
    - इसके अनुसार, **नागरिक स्वाधीनता सकारात्मक कानूनों** जैसे कि कानूनी अधिकारों पर **निर्भर** करती है।
- **इजाया बर्लिन का नैतिक बहुलवाद[99]:** यह एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है। इसके तहत यह माना जाता है कि ऐसे कई वस्तुनिष्ठ मूल्य और सिद्धांत मौजूद हैं, जो मानवता के मूल तत्व के रूप में मौजूद हैं।
  - बर्लिन का मूल्य बहुलवाद सकारात्मक स्वाधीनता और नकारात्मक स्वाधीनता दोनों को मौलिक मानव मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण मानता है।

स्वाधीनता से जुड़े संवैधानिक फ्रेमवर्क

- **अनुच्छेद 21:** यह इस बात की गारंटी प्रदान करता है कि **कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया** के अनुसार ही **किसी व्यक्ति को उसके प्राण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित** किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 19:** यह राज्य के दमन के भय के बिना **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** प्रदान करता है।
  - मिल ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा समय में सभी **अस्वीकार्य विचारों को पूरी तरह से दबा देने वाला समाज** उन सभी लाभों से वंचित रह सकता है, जो बहुत मूल्यवान ज्ञान बन सकते हैं।
  - हालांकि, मिल ने **स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सीमाओं** को भी पहचाना, खासकर उन मामलों में जहां अभिव्यक्ति, **हिंसा को भड़का सकती है या दूसरों को नुकसान पहुंचा** सकता है। जैसे- घृणा फैलाने वाले अभियान और घृणास्पद अभिव्यक्ति।
    - ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए, संविधान **उचित प्रतिबंध आरोपित** कर सकता है जैसे कि हिंसा को भड़काने वाले, दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना।
- **अन्य मौलिक अधिकार:** समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), अवसरों के समक्ष समता (अनुच्छेद 16), धर्म और उपासना की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) जैसे मौलिक अधिकार भी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं।

प्रमुख हितधारक

हितधारक	भूमिका/ हित	नैतिक विचार
व्यक्ति	• स्वाधीनता का प्राथमिक लाभार्थी। • व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। • सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों का सम्मान।	• किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करना। • यह सुनिश्चित करना कि कार्य सार्वजनिक भलाई का उल्लंघन न करता हो। • सामाजिक जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता का प्रयोग करना।
समाज	• व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखना। • अपने सामूहिक हितों, जैसे- सामाजिक रीति-रिवाजों और मानदंडों की रक्षा करना।	• व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उचित सामूहिक हितों के लिए स्वतंत्रता पर उचित सीमाएँ निर्धारित करना।

[98] Self-regarding action

[99] Isaiah Berlin's Ethical Pluralism

सरकार	• कानून और व्यवस्था बनाए रखना। • व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। • राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।	• व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। • सत्ता के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण रखना।
न्यायपालिका	• विधि का शासन सुनिश्चित करना। • स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देना। • सामाजिक हितों की रक्षा करना और सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना।	• निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करना, जिससे व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित हो सकें। • सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
नागरिक समाज	• स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। • सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और जागरूकता बढ़ाना।	• पारदर्शिता के साथ कार्य करना और किसी भी छिपे हुए स्वार्थ के बिना स्वतंत्रता की वकालत करना। • सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता देते समय हितों के टकराव से बचना।

स्वाधीनता से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **स्वाधीनता बनाम सुरक्षा: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा** सुनिश्चित करने के बीच **सही संतुलन** बनाना एक नैतिक चुनौती है।
  - गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)[100] और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कानूनों की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं। हालांकि, इन कानूनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।
  - हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि **किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना सही नहीं है, भले ही ऐसा एक दिन के लिए** ही किया गया हो।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम घृणास्पद अभिव्यक्ति:** सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ने से घृणास्पद वाक् और गलत सूचनाओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, घृणास्पद अभिव्यक्ति वास्तव में क्या है, यह किसी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।
  - इस प्रकार, यह काफी हद तक **कार्यान्वयन अधिकारियों की व्याख्या** पर निर्भर करता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य सामान मामलों में वास्तविक घृणास्पद भाषणों के लिए दंड नहीं दिया जाता है।
- **सांस्कृतिक परंपराएं बनाम महिला अधिकार:** महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को अक्सर **समाज की पितृसत्तात्मक संरचना के कारण प्रतिबंधों, सामाजिक कलंक** का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उन्हें **मौलिक अधिकारों से वंचित** भी रहना पड़ता है।
  - सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने एवं महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना एक नैतिक चुनौती बनी हुई है।
- **निजता बनाम निगरानी का अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। हालांकि, नागरिकों के डेटा को सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्रक द्वारा कैसे एकत्रित, भंडारित और उपयोग किया जाता है, इस पर चिंताएं बनी हुई है।
  - सरकार के लिए नैतिक दुविधा यह है कि व्यक्तिगत एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना कैसे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुशासन प्रदान किया जाए।
- **आर्थिक असमानता बनाम स्वाधीनता:** स्वाधीनता को प्रायः आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है, क्योंकि सक्षम समाज में इसका अर्थ **अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर** भी होता है।
  - हालांकि, आर्थिक असमानता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल, स्वच्छता और विद्युत जैसी बुनियादी अवसंरचना सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती है। इससे अवसर का लाभ उठाने में बाधा पहुँचती है।

[100] Unlawful Activities (Prevention) Act

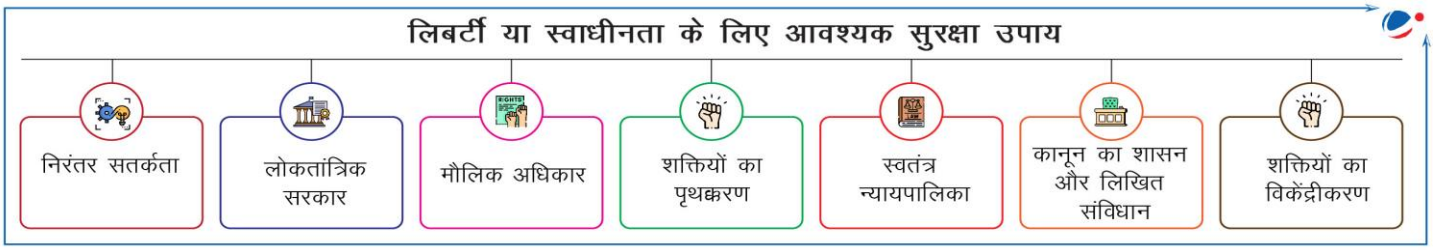

निष्कर्ष

स्वाधीनता की अवधारणा बहुआयामी होती है, जिसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता और दूसरों को नुकसान से बचाने की नैतिक जिम्मेदारी दोनों शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस विचार को पुष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। दार्शनिक रूप से, जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है कि स्वतंत्रता को कब और क्यों वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही, ये सभी दृष्टिकोण हमें याद दिलाते हैं कि स्वाधीनता, मौलिक होते हुए भी, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्याय और निष्पक्षता के साथ संतुलित होनी चाहिए।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, पुलिस ने आपसे एक बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता को निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में लेने की अनुमति मांगी है। कार्यकर्ता कुछ सरकारी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, जिसके बारे में पुलिस का तर्क है कि इससे अशांति फ़ैल सकती है और लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, वह कार्यकर्ता किसी भी हिंसा जैसी गतिविधि में शामिल नहीं रहा है और विरोध प्रदर्शन अब तक काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं। ठीक उसी समय, कार्यकर्ता की कानूनी टीम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकार पर जोर देते हुए एक याचिका प्रस्तुत करती है। उनका तर्क है कि कोई भी निवारक निरोध इन संवैधानिक अधिकारों का अन्यायपूर्ण तरीके से उल्लंघन होगा और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में सार्वजनिक असंतोष की एक वैध अभिव्यक्ति है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन-कौन से नैतिक सिद्धांत आपका मार्गदर्शन करेंगे?
- जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत पर विचार कीजिए। क्या इस सिद्धांत के तहत कार्यकर्ता का निवारक निरोध उचित होगा? यदि हाँ तो क्यों या क्यों नहीं?

स्वाधीनता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #97- संवैधानिक लोकाचार IV: स्वाधीनता और स्वतंत्रता

9.4. प्रमुख व्यक्तित्व: तुलसी गौड़ा (1944-2024) {Personality in Focus: Shri Tulsi Gowda (1944-2024)}

परिचय

हाल ही में, भारतीय पर्यावरणविद् **तुलसी गौड़ा** का निधन हो गया। उन्हें **"वनों के विश्वकोश[101]"** और **"वृक्ष देवी[102]"** के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्हें वनों का गहरा ज्ञान था। उनकी **विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा** बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।

तुलसी गौड़ा का संक्षिप्त जीवन परिचय

- **जन्म:** उनका जन्म वर्ष **1944** में **कर्नाटक** के एक साधारण **हलक्की जनजातीय परिवार** में जन्म हुआ था।
  - **हलक्की वोक्कालिगा** जनजाति की परंपराओं में **स्त्री की प्रधानता** और **प्रकृति का गहरा संबंध** है।

[101] Encyclopedia of the Forest

[102] Tree Goddess

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:** उन्होंने **औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं** की थी। केवल 2 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया था।
- **सम्मान और पुरस्कार:** वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने उन्हें **पद्मश्री (देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित** किया था।
    - साथ ही, उन्हें **इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार** भी प्रदान किया गया था।

तुलसी गौड़ा का प्रमुख योगदान

- **पारंपरिक ज्ञान का सम्मान:** वृक्षारोपण का उनका दृष्टिकोण **पारिस्थितिक सिद्धांतों** पर आधारित था। इसमें **स्थानीय जलवायु के अनुकूल देशज प्रजातियों के चयन** पर ज़ोर दिया जाता है।
    - उन्हें **बीज संग्रहण** और **अंकुरण तकनीकों** में विशेषज्ञता प्राप्त थी।
- **वनीकरण प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता:** उन्होंने अपने जीवनकाल में **30,000 से अधिक पेड़ लगाए, जो उनके अद्वितीय पर्यावरणीय योगदान** को दर्शाता है।
- **पर्यावरणीय क्षति की भरपाई:** वनों के संरक्षण के प्रति उनकी **गहरी प्रतिबद्धता मानव-जनित (Anthropogenic) क्षति को कम करने** में सहायक हो सकती है।
    - उनके प्रयासों से कर्नाटक के बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर पर्यावरणीय संतुलन बहाल किया गया।
- **पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा:** उन्होंने **स्थानीय समुदायों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया**, जिससे समाज का समग्र कल्याण सुनिश्चित होगा।
- **इकोफेमिनिज्म (Ecofeminism) को बढ़ावा:** उन्होंने **पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका** को उजागर किया और इसे **आर्थिक सशक्तीकरण** से जोड़ा।
- **सामूहिक जिम्मेदारी (Collective Responsibility):** उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए समुदाय को शामिल किया। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई और लोग स्वयं पहल करने के लिए प्रेरित हुए।

निष्कर्ष

तुलसी गौड़ा की विरासत प्रेरणा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने **दिखाया कि समुदाय-आधारित पहलें पर्यावरण में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।** उनका जीवन हमें प्रकृति के प्रति देखभाल और जुड़ाव की महत्त्वपूर्ण संस्कृति विकसित करने का संदेश देता है।

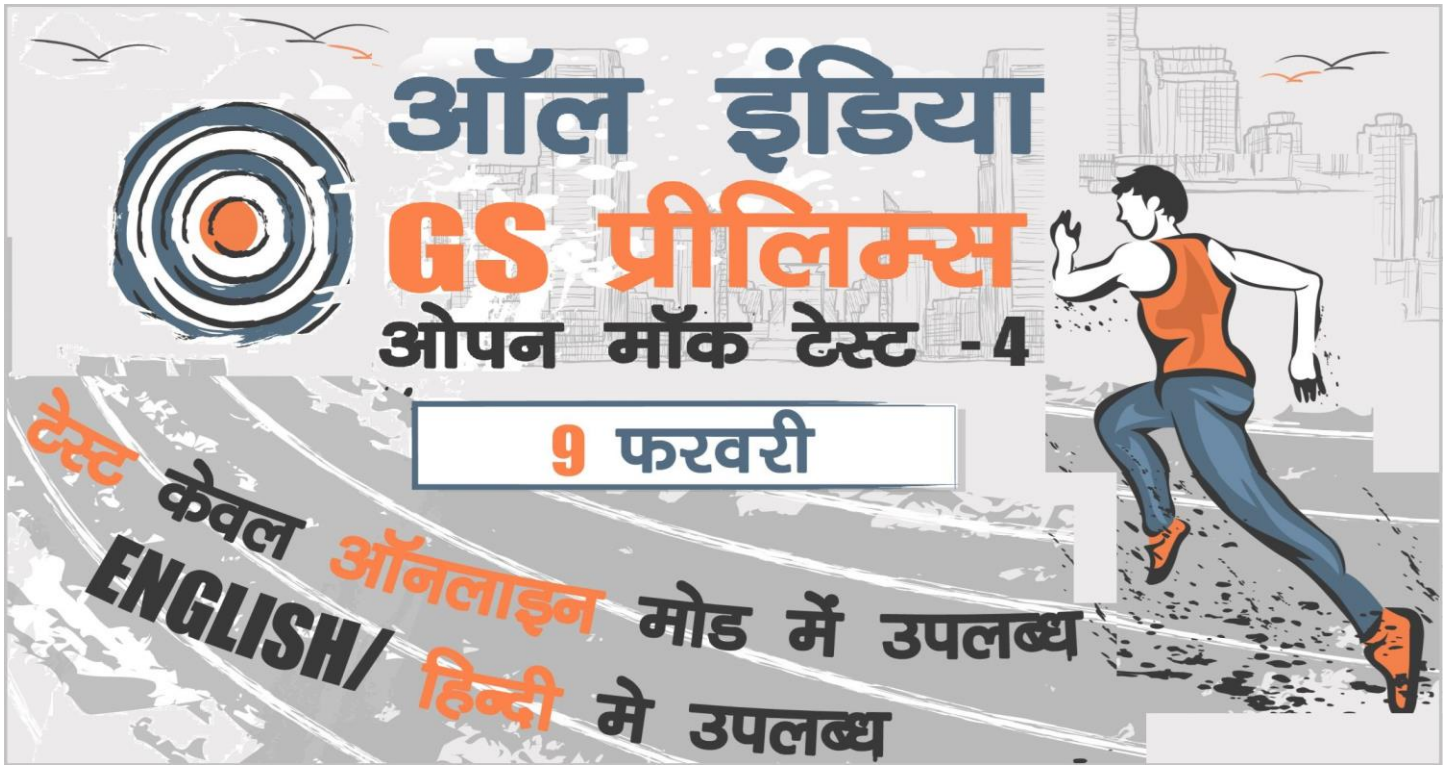

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. समर्थ (वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण की योजना) (Samarth: Scheme for Capacity Building in Textiles Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने समर्थ योजना को **मार्च 2026** तक बढ़ा दिया है। इसमें **3 लाख लोगों** को वस्त्र से संबंधित कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए **495 करोड़ रुपये का बजट** निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए वस्त्र क्षेत्रक (कताई और बुनाई को छोड़कर) में **उद्योग-संरेखित NSQF-अनुरूप प्रशिक्षण** प्रदान करना।
• हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में **कौशल और अपस्किलिंग/ रीस्किलिंग को बढ़ावा देना।**
• समाज के **सभी वर्गों को वेतन या स्व-रोजगार के माध्यम से स्थायी आजीविका** सुनिश्चित करना।
	• **मंत्रालय:** वस्त्र मंत्रालय।
	• **प्रारंभ वर्ष:** 2017.
	• **मान्यता अवधि:** मार्च 2026 तक।
	• **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
	  ○ वस्त्र उद्योग;
	  ○ वस्त्र मंत्रालय / राज्य सरकारों के संस्थान / संगठन जिनके पास प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा और वस्त्र उद्योग के साथ प्लेसमेंट टाई-अप हैं।
	  ○ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान/ एनजीओ/ सोसाइटियां/ ट्रस्ट/ संगठन/ कंपनियां/ स्टार्ट-अप/ उद्यमी जो वस्त्र उद्योग के साथ प्लेसमेंट टाई-अप के साथ वस्त्र क्षेत्र में सक्रिय हैं।
	• **कार्यान्वयन का फ्रेमवर्क:** क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए लागत सहित समग्र कार्यान्वयन के लिए समग्र फ्रेमवर्क कौशल विकास नीति फ्रेमवर्क के अनुसार होगा, अर्थात सामान्य मानदंड, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) आदि, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा अपनाया गया है।
	  ○ इस योजना में **प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम** शामिल होंगे।
	• **प्रशिक्षण केंद्र की ब्रांडिंग:** कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना और प्रशिक्षण केंद्रों को मानकीकृत विपणन पद्धतियों के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए सरकारी ब्रांडिंग दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
	• **प्रशिक्षुओं का चयन: महिलाओं, SCs/ STs, दिव्यांगजनों, अल्पसंख्यकों, BPL श्रेणी के व्यक्तियों जैसे हाशिय पर रहे सामाजिक समूहों तथा नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों** को वरीयता दी जाएगी।
	• **वर्तमान स्थिति:** इस योजना के तहत अब तक **3.27 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित** किया गया है। इनमें से **2.6 लाख (79.5%) को रोजगार** मिला है।
	  ○ महिलाओं के रोजगार पर जोर दिया गया है और अब तक **2.89 लाख (88.3%) महिलाएं प्रशिक्षित** की जा चुकी हैं।
	• **वित्तीय सहायता:** योजना सहायता केवल उन लागत मदों के लिए प्रदान की जाएगी, जो MSDE के सामान्य मानकों के तहत कवर किए गए हैं और जिन्हें मंत्रालय ने इस योजना के तहत स्वीकृत किया है।
	• **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS):** एक एकीकृत वेब-आधारित MIS प्लेटफॉर्म योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित हितधारक पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
	• **आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति:** केंद्रीयकृत MIS के साथ एक अनिवार्य आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को एकीकृत किया जाएगा, जो प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं की वास्तविक समय उपस्थिति सुनिश्चित करेगी।
	  ○ मूल्यांकन के लिए **न्यूनतम 80% उपस्थिति** अनिवार्य है।
	• **सॉफ्ट स्किल्स:** कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को लक्षित डोमेन विशिष्ट हार्ड स्किल्स के अलावा, सॉफ्ट स्किल्स (जीवन प्रबंधन कौशल) प्रदान करना भी होगा।

	• **मूल्यांकन और प्रमाणन:** सभी पात्र प्रशिक्षुओं के लिए थर्ड पार्टी मूल्यांकन एवं प्रमाणन अनिवार्य होगा। • **शिकायत निवारण:** किसी भी शिकायत को **तीन तरीकों** से दायर किया जा सकता है- **कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप या योजना की वेबसाइट के माध्यम से।** ○ यदि शिकायत का **15 दिनों के भीतर निवारण नहीं** किया जाता है, तो इसे MIS द्वारा अगले **21 दिनों** के भीतर निवारण के लिए **मंत्रालय में समर्थ को संभालने वाले निदेशक को भेजा जाएगा, जिन्हें शिकायत निवारण अधिकारी (GRO)** के रूप में नामित किया जाएगा। • **रोजगार लिंकेज:** संगठित वस्त्र क्षेत्रक के तहत **पाठ्यक्रमों में प्रवेश स्तर पर 70% और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के लिए 90%** अनिवार्य प्लेसमेंट किया जाएगा।

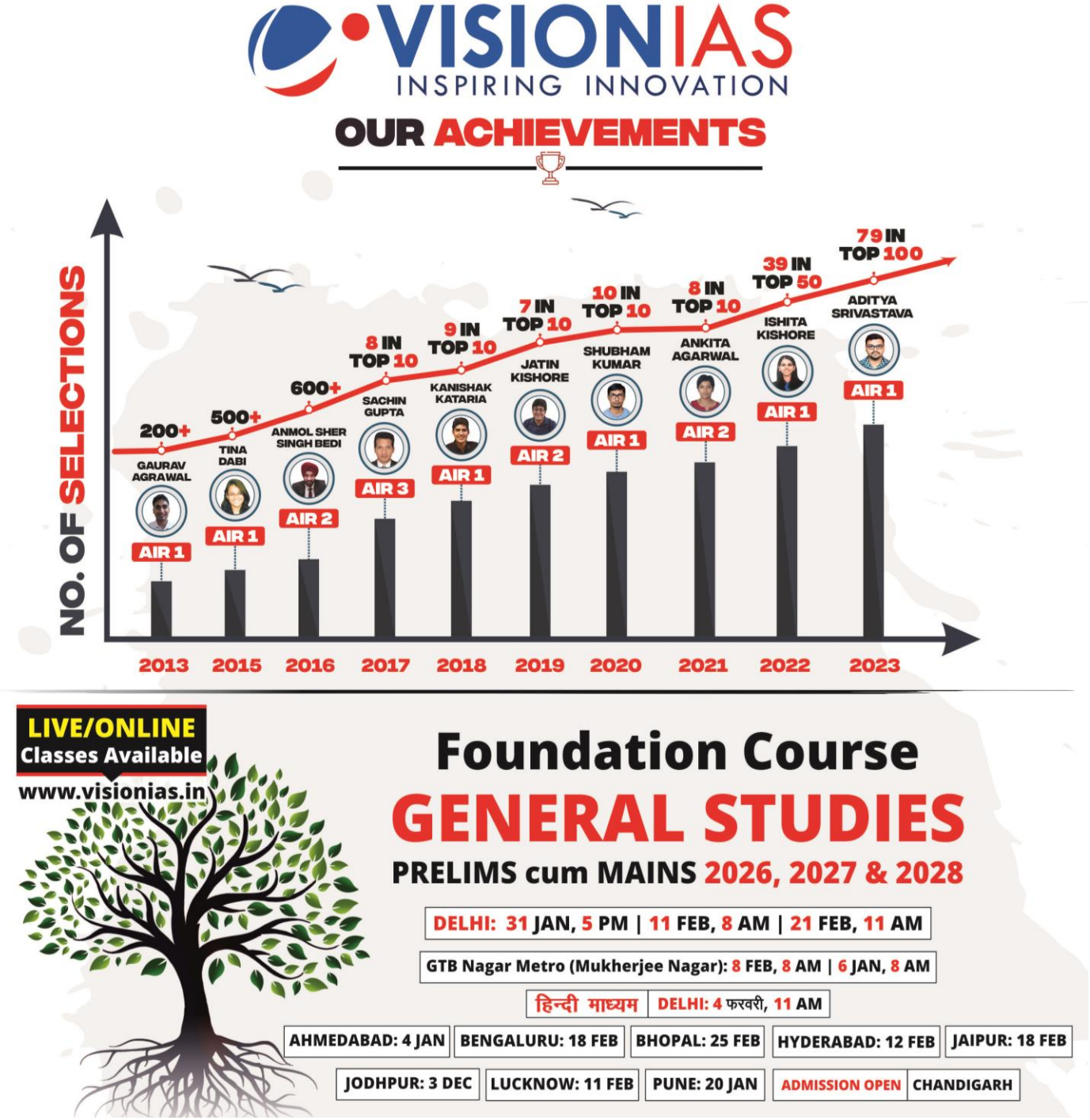

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

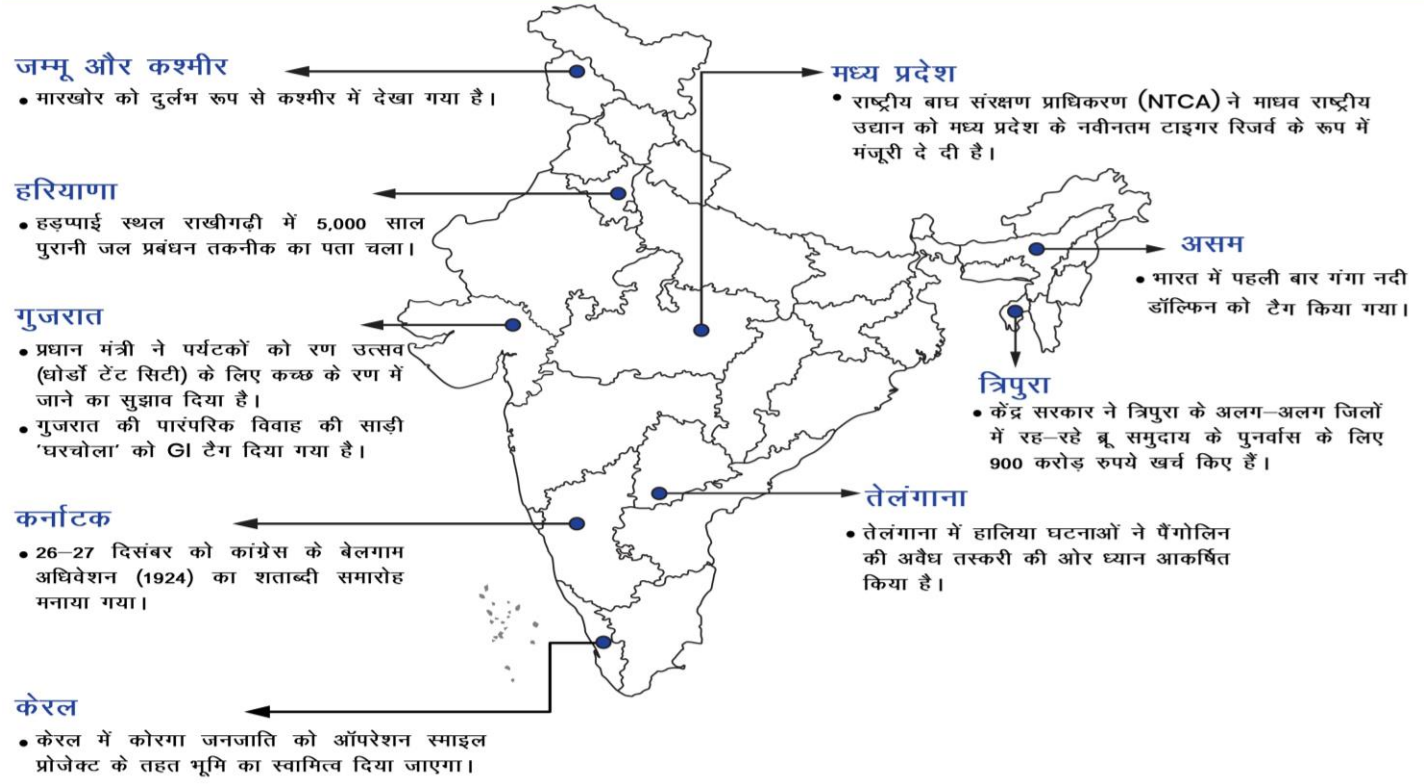

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

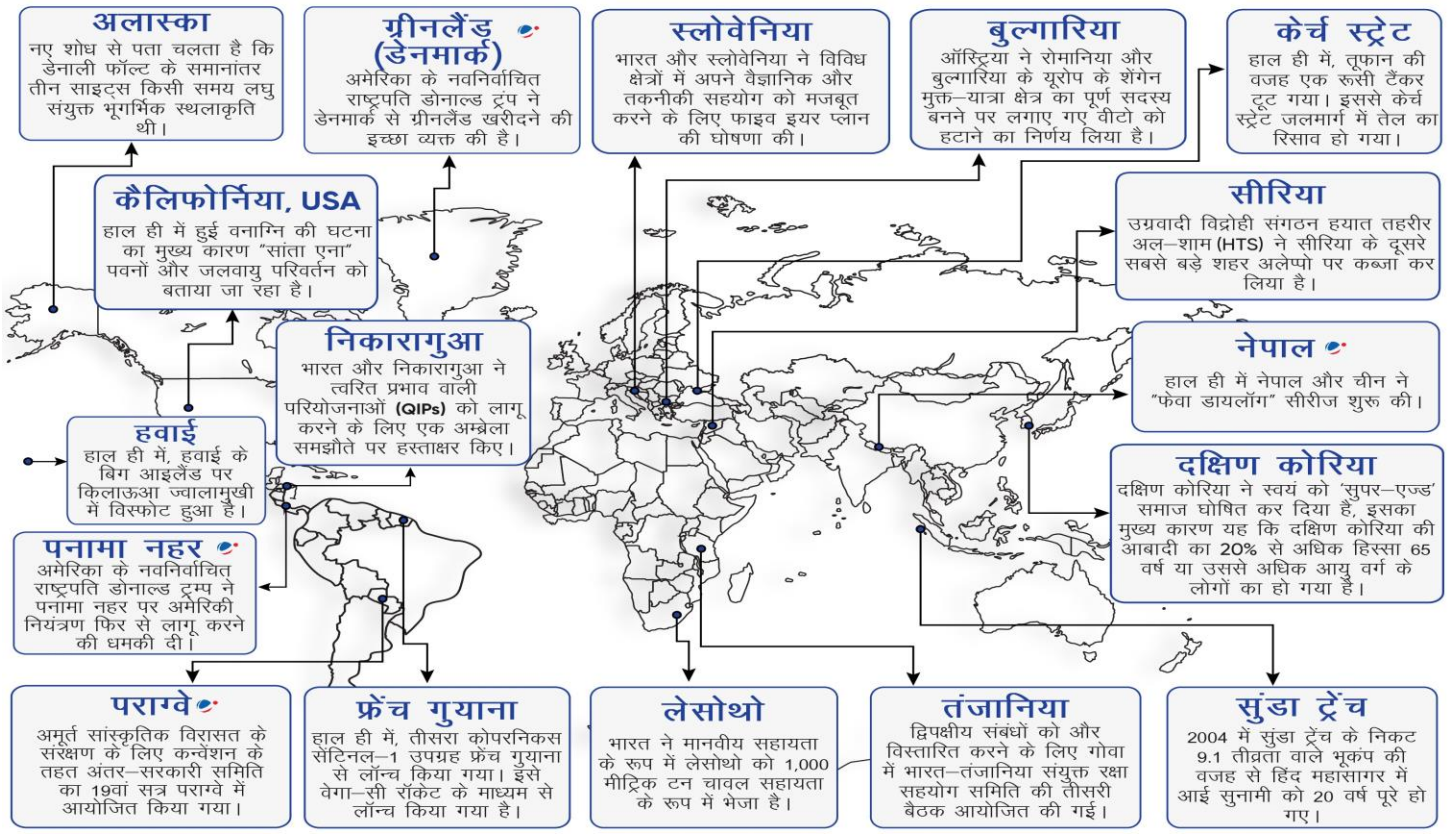

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 गुरु तेग बहादुर (1621–1675)	24 नवंबर को गुरु **तेग बहादुर जी का 'शहीदी दिवस'** मनाया गया। **गुरु तेग बहादुर जी के बारे में** • उनका जन्म **अमृतसर (पंजाब)** में हुआ था। • वे **सिखों के 9वें गुरु थे।** वे एक **महान योद्धा, आध्यात्मिक विभूति और मातृभूमि के प्रेमी** थे। **प्रमुख योगदान** • उन्होंने **सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता** के संदेश का प्रचार–प्रसार किया। • उन्होंने **अंधविश्वास, जाति–आधारित भेदभाव और छुआछूत का विरोध** किया। ▸ **समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता** पर आधारित उनकी शिक्षाएं एक सशक्त और जीवंत भारत के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। • उन्होंने पंजाब में **चक्क नानकी** नामक एक शहर की स्थापना की, जो बाद में **श्री आनंदपुर साहिब** के रूप में विकसित हुआ। • गुरु तेग बहादुर जी को **'हिंद दी चादर'** के नाम से भी जाना जाता है।	**प्रतिबद्धता और वैश्विक बंधुत्व** • उन्होंने एक समुदाय को दमनकारी शासन से बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। • उनके भजन भाईचारे के विचार पर आधारित थे; अर्थात, समाज के विभिन्न व्यक्तियों के बीच एकजुटता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करना।
 ज्योतिराव फुले (1827 – 1890)	28 नवंबर को ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि थी। **ज्योतिराव फुले के बारे में** • **जन्मः** सतारा (महाराष्ट्र) • उन्होंने **सावित्रीबाई फुले** के साथ मिलकर एक **समाज सुधारक** के रूप में कार्य किया। उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। **प्रमुख योगदान** • अपनी धर्मपत्नी की मदद से ज्योतिराव फुले ने **1848 में पुणे में तात्यासाहेब भिड़े के निवास स्थान पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल** शुरू किया। • जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए उन्होंने **1873** में **सत्यशोधक समाज** की स्थापना की। • **पुस्तकेः** गुलामगिरी; **सार्वजनिक सत्यधर्म,** आदि।	**तर्कवाद और सामाजिक न्याय** • फुले ने अपने लेखन के जरिए भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। • उन्होंने भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत की और लड़कियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कई स्कूलों की स्थापना की।

सी. राजगोपालाचारी (1878–1972)

देशवासियों ने सी. राजगोपालाचारी को उनकी जयंती पर याद किया।

सी. राजगोपालाचारी के बारे में

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म **10 दिसंबर को तमिलनाडु के तोरापल्ली** में हुआ था। उन्हें **'राजाजी'** के नाम से भी जाना जाता है।
- वे एक **देशभक्त, समाज सुधारक, प्रसिद्ध वकील और दक्ष प्रशासक** थे।

मुख्य योगदान

- **स्वतंत्रता आंदोलनः रोलेट एक्ट विरोध प्रदर्शन, असहयोग आंदोलन, वायकोम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन** आदि में भाग लिया था।
- **संविधान निर्माणः मद्रास** से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए राजाजी ने संविधान निर्माण में योगदान दिया था।
- **स्वतंत्रता के बाद योगदानः उन्होंने 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर–जनरल** के रूप में कार्य किया था। राजाजी ने **स्वतंत्र पार्टी** का गठन किया था।

देशभक्ति और सत्यनिष्ठा

- उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेकर, देश के प्रति अडिग समर्पण का परिचय दिया।
- साथ ही उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में उच्च नैतिक मानकों को भी बनाए रखा।

सुब्रमण्यम भारती (1882–1921)

महाकवि सुब्रमण्यम भारती को देशवासियों ने उनकी **143वीं जयंती** पर याद किया।

सुब्रमण्यम भारती के बारे में:

- वे एक महान **तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी** थे। उन्हें **आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक** माना जाता है।
- वे **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) पार्टी** के एक गुट में शामिल थे। यह गुट **ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन** करता था।
- उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में **"स्वदेशमित्रन" (1882)** से की थी।

प्रमुख योगदान

- उन्होंने युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण में योगदान दिया था। उनका विज्ञान एवं नवाचार में असीम विश्वास था।
- **उल्लेखनीय कृतियांः** कण्णन् पाट्टु, पांचालि शपथम्, कुयिल पाट्टु आदि।

प्रतिभा और समानतावाद

- वे साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने उस समय मौजूद हर जटिल सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दे पर लेखन कार्य किया।
- उनकी रचनाएं उन्हें एक दूरदर्शी कवि के रूप में प्रदर्शित करती हैं, जो न्यायपूर्ण और आनंदमय मानव समाज की प्राप्ति के प्रति गहराई से चिंतित थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को मानव गरिमा के लिए अपमानजनक मानते हुए अस्वीकार किया; साथ ही वे अपने ही समाज की दमनकारी परंपराओं के भी आलोचक थे।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

http://bit.ly/3ueP7T7

VisionIASHindi

/VisionIAS_UPSC

vision_ias_hindi

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

4 फरवरी | 11 AM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

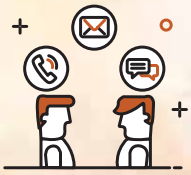

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची